(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8)   सातवीं विधान सभा के आठवें सत्र का चौदहवां दिवस   (संख्या 8

1]   [2

सोमवार

दिनांक 19 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 71. श्री भंवरलाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर का लेखा-जोखा

71. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर एवं उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा अपनी लेनदारियों एवं देनदारियों का लेखा-जोखा रखा जाता है ? यदि हां, तो कृपया दिनांक 31 1. 1984 तक की लेनदारियों तथा देनदारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन लेनदारियों व देनदारियों की राशियों की पुष्टि लेनदारों व देनदारों से कर ली गई है और उन्होंने इन्हें स्वीकार किया है ?

राज मंत्री सहकारिता (श्री श्रीराम गोटेवाला : (1) जी हां दिनांक 31. 1. 1984 को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर एवं उनकी विभिन्न शाखाओं एवं घटकों की लेनदारियों एवं देनदारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	नाम	लेनदारियां	देनदारियां
1.	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (मुख्यालय)	14,92,826.06	4,80,691.74
2.	सीमेन्ट ब्रांच	19,06,098.72	1,11,933.12
3.	मेडिकल ब्रांच	10,05,076.83	1,24,172.06
4.	उपहार ब्रांच	25,21,049.75	18,65,108.40
5.	शुगर ब्रांच	1,69,91,208.31	86,47,660.07
	योग	2,39,16,259.67	1,12,29,564.39

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

विवरण की सूचियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। पुष्टि हेतु संघ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट, देखें)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि लेनदारियों के विवरण में जो कर्मचारी आपके उपभोक्ता संघ के पैसा लेकर भाग गये, वह शामिल हैं या नहीं ? उसको आप लेनदारी मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रश्न पूछा नहीं है। लेनदारी में सब कुछ आ जाता है। विशेष विवरण आप पूछते।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन कर्मचारियों में आपका पैसा बकाया है उसको आप संघ की लेनदारी मानते हैं या नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जिन में भी संघ का पैसा बकाया है वह संघ की लेनदारी है। आपको जो सूची दी गई है उसका आप पहले अवलोकन कर लें। विभिन्न फर्मों, संस्थाओं, सहकारी समितियों, विभागों में जो बकाया है वह दिया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर्मचारियों में जो बकाया है उसको आप लेनदारी मानते हैं ? यदि मानते हैं तो इसमें अंकित क्यों नहीं किया है ? आपकी मेडिकल ब्रांच के कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें 33 हजार से भी ज्यादा रुपया बकाया है। उसको आपने लेनदारी क्यों नहीं माना ?

दूसरा प्रश्न यह है कि इनके खिलाफ जो राशि बकाया है उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

तीसरा प्रश्न यह है कि आप विभिन्न शाखाओं को जो सामान बेचते हैं तो उस सामान की पुष्टि कराने की आपके यहां पर क्या व्यवस्था है ? पुष्टि कराने की व्यवस्था है भी या नहीं ? कब तक की पुष्टि आपने करा ली है और कितने समय की पुष्टि कराना बाकी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि 30.6.1982 को हमारी लेनदारियां 7 करोड़ के करीब बकाया थीं जो बकाया घट कर अब 2 करोड़ 39 लाख 16 हजार 259 रुपये रह गई है। यह जो बकाया है इसके लिए मैंने आदेश दिये हैं कि जिस जिस विभाग से यह सम्बन्धित है, लेनदारी की पुष्टि हुई या नहीं हुई। अधिकांश विभागों से इस प्रकार की पुष्टि आ जाती है और बहुत विभागों से पूरा का पूरा भुगतान भी आ गया है. फिर भी हमारी जो बकाया है वह तीन महीने के भीतर भीतर वसूल कर ली जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह नहीं बताया कि यह पुष्टि कब तक की करा ली है। यह नहीं बताया कि पुष्टि कराने का कोई तरीका है या नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी जानकारी में हो तो कृपया मुझे बता दें। मैं आवश्यक कार्यवाही करा लूंगा और आपकी शंका का निवारण भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे डिपार्टमेन्ट हैं जिनके खिलाफ आपकी लेनदारी है लेकिन लेनदारी को वे स्वीकार नहीं करते हैं ? मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं। नगर परिषद, जयपुर है जो आपका 50 हजार रुपया स्वीकार नहीं करती है। दूसरा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह 44 हजार रुपया स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार दो चार विभाग और हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लेनदारी की सूची दी गई है इसमें बहुत घपले हैं। कई विभागों के नाम सामान लिखा हुआ है। उन विभागों को यह सामान नहीं दिया गया और उनसे वसूली की कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप जानकारी करेंगे, ऐसे कितने विभाग हैं जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसी प्रकार आपकी सीमेन्ट ब्रांच में घपला है जब कि इनका कार्य सितम्बर, अक्टूबर में बंद हो गया। इसकी लेनदारी, देनदारी इतनी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसा नहीं है। अभी मैंने सदन के सामने मोटे फिगर दिये थे। पहले 6 करोड़ की बकाया थी जो घटकर 2 करोड़ और कुछ रह गयी है। अतः सम्माननीय सदस्य इस सूची, विवरण को ठीक से देख लें।

दूसरी बात उन्होंने विभागों द्वारा लेनदारी को स्वीकार नहीं करने की कही है। आर. एस. ई. बी. और म्युनिसिपल कौंसिल का नाम लिया है। इस तरह की स्थिति है कि इनके नाम तीन बिल थे। उसमें से आर. एस. ई. बी. ने दो बिलों का शत-प्रतिशत पेमेन्ट कर दिया है। एक बिल-44 हजार रुपये का बकाया है। इसके बारे में इन्होंने यह कहा कि यह सामान हमारे पास नहीं आया है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसी प्रकार की बात म्युनिसिपल कौंसिल की है। उनके भी तीन बिल थे जिनमें से दो के पेमेन्ट हो गये हैं और तीसरे बिल के बारे में गड़बड़ है। उनके स्टोर में गड़बड़ बता रहे हैं। वे स्टोर की रिपोर्ट ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक अधिकारी को लगाया गया है जो इस बारे में बैठ कर निपटारा करायेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो निश्चित रूप से सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो माल आप सप्लाई करते हैं उसकी पुष्टि की क्या व्यवस्था है ? किस तरह पुष्टि कराते हैं ? यह बताइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो माल दिया जाता है, चाहे वह सीमेन्ट हो या अन्य समान हो, यहां पर करोड़ों का लेन-देन होता है, टेण्डर वगैरह भी लिए जाते हैं जो माल जाता उसका पेमेन्ट भी आता है। आर. एस. ई. बी. और नगरपालिका को छोड़कर जो सामान जाता है उसकी पुष्टि भी होती है और पेमेन्ट भी होता है। करोड़ों के व्यापार में पुष्टि नहीं हो पाती होगी परन्तु अधिकांश माल की पुष्टि हो जाती है। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, कोई बात होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछा है कि सीमेन्ट का व्यापार कब बन्द हो गया और अकाउन्ट को पूरा क्यों नहीं किया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने मेरी अधिकृत जानकारी के अनुसार लिस्ट दे दी है। सीमेन्ट का 13 जिलों के अन्दर उपभोक्ता संघ को काम सौंपा गया था। सीमेन्ट की वसूली के लिए हमने लिख दिया है कि तत्काल वसूली करायें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम जैन।

प्रदेश में हैण्ड पम्पों की खुदाई के मामलों की जांच

72. **श्री घनश्याम जैन** (बेंगू) व **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) :- क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में हैण्ड पम्पों की खुदाई तथा खरीद के मामले में किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) उक्त प्रकरण में किन किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा किन किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी शेष है ?

(3) "हैण्ड पम्प घोटाला काण्ड" में हुई अनियमितता में कितनी राशि के दुरुपयोग की सम्भावना का सरकार अनुमान लगाती है ?

(4) उक्त प्रकरण की जांच के पश्चात् किस दर से कितने हैण्ड पम्प प्रदेश में खुदवाये गये तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) हैण्ड पम्पों के खुदाई के मामले में प्रदेश के नागौर, उदयपुर, पाली एवं भीलवाड़ा जिले के खोदे गये हैण्ड पम्पों की तकनीकी जांच की गई। इस जांच में पाली व भीलवाड़ा जिले के हैण्ड पम्पों को खुदाई में कमियां पाई गई हैण्ड पम्पों की खरीद के मामले में कोई जांच नहीं की गई, न ही जांच किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध की गई।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

(2) हैण्ड पम्पों की उक्त तकनीकी जांच के पश्चात् पाली व भीलवाड़ा जिलों के हैण्ड पम्पों में कुछ कमियां पाई गई जिसके लिए संबंधित जिलों के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री पी. सी. जैन, अधिशासी अभियन्ता, पाली, श्री जयकिशन अधिशासी अभियन्ता, भीलवाड़ा एवं श्री आई० सी० मेहता सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया। अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ जांच के पश्चात् कार्यवाही करना शेष नहीं है।

(3) तकनीकी जांच के दौरान कुछ हैण्ड पम्पों में कमियां पाई जाने के फलस्वरूप संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है अतः इस प्रकार की कमी को "हैण्ड पम्प घोटाला काण्ड" की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

(4) अप्रेल, 1983 से जनवरी, 1984 तक कुल 4808 हैण्ड पम्पों की खुदाई हुई। इनमें से 4078 विभाग द्वारा, 730 प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा खुदाये गये जिन पर लगभग पांच करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में स्वीकृत जिलेवार दरें संलग्न हैं।

(दरों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दीपेन्द्र सिंह : हैण्ड पम्प घोटाला काण्ड में किसी सचिवालय स्तर के अधिकारी के खिलाफ जांच हुई क्या ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जांच की गई और एक डिप्टी सैक्रेटरी को सस्पेण्ड किया गया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : एक डिप्टी सैक्रेटरी को सस्पेण्ड किया गया है और आप कह रहे हैं हैण्ड पम्प घोटला काण्ड की संज्ञा में नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : कोई टेण्डर आर्डर गलत होने, एडमिनिस्ट्रेटिव गलती के कारण से सस्पेण्ड किया गया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सस्पेण्ड क्यों किया गया ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : उनके विरुद्ध आरोप थे। उन्होंने कम्प्रोमाइज लैटर जालसाजी से बनाया, इस कारण से सस्पेण्ड किया गया। आप कहते हैं कि टाइमली एक्शन नहीं हुआ। इसके लिए हमने 4 तारीख को लैटर जारी किया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा अमाउन्ट इन्वाल्व है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में 27 जिले हैं और 22 जिलों में हैण्ड पम्पों का काम हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी जानकारी भी सही है और जो मैंने सूचना दी है, सूची सदन के पटल पर रखी है वह भी सही है। सही इसलिए है क्योंकि कुछ जिलों के टेण्डर रेट आर्डर दे दिये गये फिर कोर्ट केस चला हो या और कोई कार्यवाही चल रही है उसके कारण से स्वीकार नहीं किया गया।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने कमियों का उल्लेख किया है और कहा है कि इसमें जालसाजी हुई है। क्या इनमें से कोई मामला शील्ड किया गया है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : पाली और भीलवाड़ा जिलों में हैण्ड पम्पों में कुछ कमियां पाई गई उसका मैंने जिक्र किया है। जिसके लिए पाली जिले में एक अधिशाषी अभियन्ता और भीलवाड़ा जिले में एक अधिशाषी अभियन्ता व एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया है और अन्य एक अधिकारी के खिलाफ जांच करना शेष है। भीलवाड़ा जिले में जो हैण्ड पम्प खोदे गये थे वे काफी गहरे खोदे गये थे जब कि विभाग के अनुसार इतने गहरे आवश्यक नहीं थे। इसकी जांच हुई और दोषी को सस्पेण्ड किया गया। ये जालसाजी के कारण से ही गहरे खोदे गये थे।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : दो जिलों में हैण्ड पम्पों में घोटाले हुए हैं इनमें राजनीतिज्ञों का हाथ है। वहां के जिला प्रमुख का हाथ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जांच हुई है, दोषी व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री रामधन।

ग्राम रताऊ व मीठड़ी में बैंक की शाखा

73. **श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है की ग्राम रताऊ और मीठड़ी में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन ग्रामों में बैंक की सुविधा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 1983 में लाडनूं तहसील में कितने लोगों को कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई इसमें से अनुदान की राशि कितनी थी, कितनी का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) ग्राम मीठड़ी पंचायत समिति कुचामन में जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक की शाखा कार्य कर रही है। ग्राम मीठड़ी (लाडनूं पंचायत समिति) और ग्राम रताऊ में अभी कोई बैंक नहीं है पर राज्य सरकार की सिफारिश पर वहां भी बैंक की शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मीठड़ी व रताऊ जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक को आवंटित कर दिये गये हैं। रताऊ के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेन्स भी दे दिया गया है। आशा है कि यह बैंक शीघ्र खुल जावेंगे।

(2) वित्तीय वर्ष 1983-84 में नागौर जिले की लाडनूं पंचायत समिति में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1984 तक कुल 619 परिवारों को 15.65 लाख रुपये का ऋण और 10.52 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि

(श्री रामधन चौधरी)

क्या वर्ष 1984–85 में ग्रामों को बैंकों की सुविधा हो जायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम

74. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 10 "गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम" के अन्तर्गत टौंक शहर में पीने के पानी, वर्षा के पानी को निकालने के लिए नालियां, गलियों को पाटना, गलियों में रोशनी एवं शौचालयों की व्यवस्था कहां कहां पर की गई ? इसमें कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : टौंक शहर में नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने का पानी, वर्षा के पानी को निकालने के लिए नालियां, गलियों को पाटना, गलियों में रोशनी आदि की व्यवस्था, हरिजन बस्ती, कोलियों की बस्ती, मोहल्ला काली पलटन व हरिजन बस्ती के वार्ड नम्बर 19 आदि में की गई है। शौचालय का कार्य निर्माणाधीन है। इन कार्यों पर अनुमानतः 1,58,873.40 का व्यय हुआ है

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सूत्र संख्या-10 के अन्दर सारे राजस्थान के अन्दर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व 82, 83, 84 में किन-किन शहरों के लिये क्या-क्या टार्गेट थे और कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में टौंक शहर के बारे में पूछा है। मेरे पास इस समय अन्य शहरों के बारे से जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, नये बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है 10 नम्बर का। मंत्री महोदय इस 10 नम्बर के प्रभारी मंत्री भी है। इनको यह पता होना चाहिए। इनको यह जानकारी भी है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कितनों को टौंक में लाभान्वित किया गया और कितने बचे हुए हैं? वहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका प्रश्न टौंक के बारे में ही था वह जानकारी मैंने दे दी। अगर आप अन्य शहरों के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो किसी अन्य माध्यम से पूछ लें, मैं उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक टौंक शहर का सवाल है, तो जो खर्च किया उसके बारे में आपको बताया, हमारा लक्ष्य 83–84 में इस योजना के तहत 1100 व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो सुना था 47,000 का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो सारे राजस्थान का है। हमने प्रोग्राम के तहत 3 लाख रु० नगर पालिका को दिये उसमें से 1 लाख 48 हजार तो वह खर्च कर चुकी है और कुछ अपने साधनों को मिलाकर 20 हजार के करीब इस माह के अन्त तक खर्च करके जो हमने लक्ष्य दिये हैं उनसे कुछ अधिक ही लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। यह मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितनी बस्तियां हैं जिनके अन्दर सड़क नहीं हैं, शौचालय नही हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा शहर गन्दगी और अन्धकार से व्याप्त है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 75

श्री उम्मेद सिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री भैरूलाल मीणा।

उदयपुर डेयरी के कार्यकलाप

76. **श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)** : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी में वहां के स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को भर्ती नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? कृपया कारण सहित विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गोवर्धन विलास डेयरी, उदयपुर में पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर डेयरी लाभ में चल रही है? यदि हां, तो कितना लाभ इस वर्ष में हुआ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष के अन्त में लेखे तैयार होने व अंकेक्षण पश्चात् ही लाभ हानि की स्थिति की जानकारी हो सकेगी।

श्री भैरूलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका कार्यालय उदयपुर में ले जाने का उद्देश्य यह नहीं था कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? अगर हां, तो इसका क्या लाभ हुआ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न किया स्थानीय लोगों के लिये, तो यह निश्चित रूप से सही है। हमें यह देखना है कि हम जो विज्ञापन देते हैं वह टाइम्स आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पत्रिका आदि में देते हैं। जो आवेदन-पत्र आते हैं उनमें से योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। इसमें केवल मात्र एक प्रार्थना–पत्र आया। अब चूंकि राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन की तरफ से यह चलता है और उसका मुख्यालय जयपुर में है, चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है उसमें उसका चयन नहीं हो पाया। अभी जो 11 व्यक्ति टेम्प्रेरी काम कर रहे हैं वे स्थानीय काम कर रहे हैं। 22 में से 12 व्यक्तियों को सीधी भर्ती से लिया गया है, 10 व्यक्तियों को स्थानान्तरण पर लिया गया है जिनमें से 2 व्यक्ति स्थानीय हैं।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे, अलग प्रश्न है लेकिन रोडवेज का पूछा तो योग्य व्यक्ति नहीं है, पटवारी का पूछा तो योग्य व्यक्ति नहीं है। क्या हमारे यहां पर इन कामों के लिये कोई योग्य नहीं है ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : हमें खुशी है कि मंत्री काबिल है।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : एस. सी. एस. टी. के कितने लोगों को लिया है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो को लिया है और 11 टेम्प्रेरी हैं। अगर डिटेल चाहते हैं तो अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

77. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मावली) व श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनावों की अवधि कब से बाकी है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन चुनावों को करवाने की सोच रही है ? यदि हां, तो ये चुनाव कब तक करायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार अभी चुनाव कराने का इरादा नहीं रखती है ? यदि हां तो क्या बोर्ड को नामजद करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत प्रशासकों के स्थान पर अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या राज्य कृषि विपणन बोर्ड में भी कोई गैर सरकारी अध्यक्ष लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या राज्य कृषि विपणन बोर्ड में गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त करने में वैधानिक कठिनाई है ? यदि हां, तो क्या

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सरकार सदैव के लिए ऐसी कठिनाई को सम्बन्धित कानून में संशोधन करके दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त संस्थाओं के चुनाव कराना सरकार के विचाराधीन है।

(3) जब चुनावों के निर्णय लेगी तब इस पर भी विचार किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) चुनाव सम्पन्न हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार निर्णय लेगी।

(6) चुनाव होने के उपरान्त कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सन् 1974 से इन संस्थाओं के चुनाव बाकी हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभी का है। इसमें आप वाला समय भी शामिल है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारी सरकार लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं, उन्होंने चुनाव कराने की बात के विचाराधीन होने की बात कही है। इस शब्द को तो कई बार काम में लिया जा चुका है, आप कोई निश्चित अवधि बता दें कि कब तक चुनाव करा दिये जायेंगे या यह बता दें कि कृषि मण्डी समितियों को कब तक जन प्रतिनिधियों को सौंप दिया जायेगा ? आप कोई निश्चित अवधि बता सकते हैं क्या ?

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, सरकार में रहे हैं उनके समय में भी प्रयत्न किया था निर्णय लेना चाहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र सिंह : इस पर केबिनेट निर्णय लेगी। कब तक हो जायेंगे, निश्चित अवधि बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं क्योंकि उसके जो वोटर होते हैं उसमें सहकारी समिति का भी प्रतिनिधि होता है। जब तक सहकारी समितियों, दूसरी संस्थाओं के चुनाव नहीं हो जायेंगे तब तक चुनाव कराना सम्भव नहीं है। नगर पालिका का भी उसमें प्रतिनिधित्व होता है। उसके बाद ही इनके चुनाव होंगे। सहकारी समिति के चुनाव सहकारी विभाग कराता है इसलिए निश्चित तिथि बताने में असमर्थ हूं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बोर्ड में किस किस संस्थान के व्यक्ति आते हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : 7 तो कृषक आते हैं एक क्रय विक्रय सहकारी समिति का प्रतिनिधि आता है, एक म्यूनिसिपैलिटी का आता है और अन्य कुल 15 होते हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जिनका आपने जिक्र किया चुनाव नहीं हुए हैं उनके दो प्रतिनिधि बताये हैं। 15 होते हैं, मैं समझता हूं कि 13 तो है, 2 का ही अभाव है। क्या चुनाव नहीं हो सकते हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं हो सकते हैं। ऐसा नियम है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

श्री देवेन्द्र सिंह अगर हम बिना क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव डिक्लेयर कर दें तो वे कोर्ट में जाकर स्टे ले आयेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सवाल ही नहीं उठता है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अभी असम में विधान सभा के चुनाव हुए, लोक सभा के चुनाव नहीं हुए थे तो वहां पर ऐसी कोई परेशानी नहीं आयी। सरकार को तो वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई स्टे आता है तो ठीक है उससे कम से सरकार की नीयत पर लोगों को सन्देह नहीं रहेगा, उस समय कहने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। किसानों के हितों की बात है तो आपको किसानों के हाथ में देने में क्या दिक्कत है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : लोक सभा और असम का मामला दूसरा था। इसको उससे कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। अभी पंजाब विधान सभा सस्पेंडेड है लेकिन राज्य सभा के चुनाव हो रहे हैं। मार्केटिंग सोसायटी के नहीं हो सकते हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

राज्य सरकार को प्रारम्भ करने में यदि उसमें कोई वैधानिक कठिनाई आती है तो हम मान जायेंगे। आप कठिनाई को दूर करने के लिये कार्यवाही करवाइये। आज सन् 1974 से चुनाव बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके इसको देखिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : नामिनेशन उप-समितियों में हो गया। उसके पहले नामिनेशन होने का अधिकार नहीं है। वह नामिनेट नहीं हो सकता।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह अधिकार प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार प्रगतिशील है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी सहकारी समितियों के चुनाव नहीं होते तो कभी नगरपालिकाओं के नहीं होते। केवल इसी को बहाना बनाकर सारे चुनाव को स्थगित रखा जाय तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस वजह से कि किसानों के हाथ में इन समितियों के

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

अधिकार आ जायं नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होते हैं, इसलिये आज उसके प्रतिनिधि नहीं आये हैं। चुनाव सम्भव ही नहीं है, तो फिर राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि हमारे किसानों के हाथ में बोर्ड नहीं होंगे सरकार के अधिकारी के हाथ में ही बोर्ड होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार पंचायत समिति से नामिनेशन होता है इसी प्रकार कोआपरेटिव बैंक में भी अगर चुनाव नहीं होता है तो क्या यह उपयुक्त है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : सहकारी समितियों के चुनाव नहीं होते हैं तब तक क्रय विक्रय समिति के अधिकारी इसके अधिकारी प्रशासक इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं, इसकी डिपार्टमेंट से जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : राज्य सरकार ने चुनाव की बात कितनी बार तय की और कितनी बार स्थगित की ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : प्रश्न दूसरा है। नगर विकास न्यास और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज के प्रतिनिधि आते हैं। चुनाव नहीं हुए। नगर विकास न्यास जो बना हुआ है उसमें वहां के कमिश्नर और प्रशासक नगरपालिका की तरफ से भाग लेते हैं। इसी तरीके से क्रय विक्रय समिति में जहां प्रशासक हैं वे भाग ले सकते हैं। केवल क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए या नगरपालिका के चुनाव नहीं होते हैं। राज्य सरकार को एक नीति बनानी होगी। नगर पालिकाओं के स्थान पर कमिश्नर और प्रशासक भाग ले सकते हैं, तो उसमें कमिश्नर या प्रशासक भाग क्यों नहीं ले सकते ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जो सवाल आपने किया है मैं इस प्रश्न को लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्जामिन करवा लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अधिकांश भाग तो माननीय श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकरजी ने पूछ लिया है। मेरे तीन प्रश्न हैं। पिछले चुनाव में भी बोर्ड बने, मार्केटिंग बोर्ड बने, जहां पर चुनाव हुए बोर्ड नहीं थे, म्यूनिसिपैलिटीज नहीं थी या मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव नहीं हुए थे, प्रशासक उसके मेम्बर थे क्या। कानून ने परिवर्तन कर दिया इस बात का या इसमें दिक्कत आयी है। पिछले बोर्ड के चुनाव में भी वहां के प्रशासक वोटर थे ?

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न आ चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये कि चुनाव तो नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हुए, पर चुनाव कौन करायेगी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ?

श्री देवेन्द्र सिंह : राज्य सरकार करायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्रीदाऊदयाल जोशी।

कोटा जिले की अनुपयोगी सड़कें

78. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तातेड़ सुल्तानपुर सड़क एवं सांगोद–ब्यावर सड़क क्या अब समाप्त प्राय: हो चुकी है व उक्त सड़कों पर वाहन चलने में असमर्थ हैं ?

(2) विभाग का अनुपयोगी सड़क हेतु क्या कोई मापदंड निर्धारित है ? क्या उक्त श्रेणी में दोनों सड़कें नहीं आती हैं ? यदि हां, तो इस हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोटा स्थित कार्यालय द्वारा उक्त दोनों सड़कों की देख-रेख हेतु कब-कब कितनी धनराशि गत दो वर्षों में मरम्मत पर खर्च की गई ?

(3) उक्त दोनों सड़कों के रख-रखाव हेतु कितने कर्मचारी तैनात हैं ? उन पर गत दो वर्षों में कितना खर्चा हुआ ? मरम्मत, मैटीरियल पर कितना ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) :(1) उक्त दोनों सड़कें समाप्त नहीं हुई हैं बल्कि कुछ हिस्से में टूट-फूट के कारण वाहनों के चलने में कठिनाई होती है।

(2) अनुपयोगी सड़क का कोई निर्धारित मापदंड नहीं है परन्तु धन की उपलब्धता के अनुसार खराब सड़क की मरम्मत कराये जाने को कार्यवाही की जाती है। उक्त दोनों सड़कों के खराब हिस्सों की मरम्मत की कार्यवाही की गई है तथा इन सड़कों की मरम्मत पर वर्ष 1982–83 में 2,42,400/– रु० व वर्ष 1983–84 (31.1.84 तक) 5,42,412/– रुपये व्यय किये गये हैं।

(3) इन सड़कों के रख-रखाव हेतु एक मिस्त्री, 2 मेट व 11 बेलदार कार्यरत हैं तथा इन पर गत दो वर्षों में मरम्मत-मैटीरियल पर 7,84,812/– रुपये व्यय किये गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं, जो दोनों सड़कें हैं इनके कितने हिस्से में चलने में कठिनाई होती है ? आपने बताया कि इनके हिस्से में चलने में कठिनाई होती है, एक।

दूसरा, आपने कहा कि कुछ हिस्सों में मरम्मत की कार्यवाही की गई है। तो वह कौन से हिस्से हैं जिनमें मरम्मत की कार्यवाही की गई ?

तीसरा, जो माननीय मंत्री महोदय ने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जवाब छोड़ दिया है, एक मिस्त्री, 2 मेट व 11 बेलदार है, इन पर कुल कितना खर्च होगा ?

इन तीन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, तातेड़ कि. मी. 14 से कि. मी. 38 तक है और कि. मी. 14 से 18.5 तक खराब है। कि. मी. 22 से कि. मी. 26.5 तक खराब है। कि. मी. 27.5 से कि मी. 28.5 तक खराब है और कि. मी. 29.5 से कि. मी. 30.5 तक खराब है और कि. मी. 22 से कि. मी. 25.5 तक इस सड़क पर कार्य चल रहा है।

सांगोद-ब्यावर सड़क : सांगोद कि.मी. 78 से लेकर कि.मी. 92 तक है। कि. मी. 87 से कि.मी. 88 तक खराब है। कि.मी 89 से किमी. 92 तक खराब है। कार्य प्रगति पर है। कि.मी. 90 से कि.मी. 92 तक खराब हो गया है और कि.मी. 90.2 से कार्य प्रगति पर है। कि.मी. 90.2 से कि.मी. 92 तक कार्य हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कह रहे है, काम चल रहा है, सारी सड़क कि. मी. 14 से कि. मी. 38 की है, 4 कि. मी. के अलावा सारी सड़क टूटी हुई है। आज तक, माननीय मंत्री महोदय, केवल 17 कि. मी. सड़क टूटी हुई है उसमें से 4 कि. मी. आप मानते हैं, मेरा मतलब यह है कि 17 किलोमीटर में से 4 किलो मीटर में 2 साल तक काम होना बताया है। उस पर वाहन चल सकते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सांगोद ब्यावर सड़क के बारे ये........

श्री दाऊदयाल जोशी : ब्यावर से सुल्तानपुर।

श्री चेतराम मीणा : ब्यावर से सुल्तानपुर सड़क के बारे में मैंने निवेदन किया था कि इसमें 11 किलोमीटर की हालत खराब है, साढ़े चार किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क का निर्माण चम्बल कमाण्ड एरिया में नहर बनने से पूर्व हुआ था। वहां जमीन की सतह पर पानी है। वहां पर नहरीकरण हो जाने से और पानी का स्त्राव होने से सड़क की हालत ज्यादा खराब हो गई है। इसके लिए स्पेशल स्कीम बनाई है जिस पर 1 करोड़ 22 लाख का खर्चा होगा। इस काम को चम्बल कमाण्ड के सैकण्ड फेज में फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर लिया गया है। साधन उपलब्ध होते ही निश्चित रूप से काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय ने यह कहा है तो काम चलेगा ही नहीं क्योंकि चम्बल कमाण्ड की स्कीम तो अब गई।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। कोटा से ग्वालियर की बस यहीं से जाती है।

(श्री हीरालाल आर्य)

(व्यवधान)

सारा रास्ता रुक गया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : चम्बल कमाण्ड फेज-2 में सड़क बनाने की बात की है । चम्बल कमाण्ड की स्कीम खतम हो गई । इसका मतलब, आप जो बात कह रहे हैं वह नितान्त असत्य बात है ।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने निवेदन भी किया, फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस काम को लिया है । जहां सड़क की हालत ज्यादा खराब है वहां हम ठीक करते रहे हैं । पिछले दो वर्षों से इन सड़कों पर 5.45 लाख और 2.45 लाख रुपये खर्च हुए हैं । जहां-जहां मालूम पड़ता है कि सड़क की हालत ज्यादा खराब है तो नियम के हिसाब से उसको ठीक कराते हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक प्रश्न । मेरा प्रश्न स्पष्ट है, जैसा अभी कहा था, कितना खर्च हुआ.......

श्री अध्यक्ष : आंकड़े दे दिये हैं मंत्री महोदय ने ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वही निवेदन कर रहा हूँ । वहां कितने मेट, वेलदार और मिस्त्री तैनात हैं और उन पर 2 वर्षों में कितना खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ दीजिए ।

श्री चेतराम मीणा : जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था, इस पर एक मिस्त्री, 2 मेट व 11 वेलदार तैनात हैं । सांगोद से तातेड़ सड़क पर 4 वेलदार और एक मेट कार्यरत हैं और तातेड़ से से सुल्तानपुर सड़क पर 7 वेलदार, एक मेट और एक मिस्त्री कार्यरत हैं । इन पर पर 2 लाख 24 हजार 924 रुपये का खर्चा हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो गलत जवाब दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उन्होंने आंकड़े पढ़ दिये हैं । आर्डर, आर्डर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने मरम्मत पर हुआ खर्चा बताया है । मिस्त्री, वेलदार और मेट पर कितना खर्चा हुआ, यह नहीं बताया । उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन पर पहले साल 2,42, 400 रुपये और दूसरे साल 5,42,412 रुपये खर्च हुए हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर 7,84,812 रुपये खर्च हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सड़कों की मरम्मत का खर्च बता रहे हो आप........

श्री हीरालाल आर्य : एक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(ठ)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि ....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। आर्डर, आर्डर। कृपया सदन से........

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। अंकित नहीं हो रहा है। बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बाध्य न करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

कोई उत्तर नहीं आयेगा। माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय ले रहे हैं।

प्रश्न संख्या 79

श्री भगवान दास डोसी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कैलाश मेघवाल। अगला प्रश्न।

नसीराबाद के सदर थाना के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत

80. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम लच्छीपुरा के ग्रामवासियों ने एक अन्धे ग्रामीण श्री छोटू रावत के साथ दिनांक 14–15 एवं 16 जनवरी, 1984 को पुलिस वालों के द्वारा अमानुषिक एवं बर्बर मारपीट की शिकायत की थी? यदि

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

हां, तो यह शिकायत गृह राज्य मंत्री एवं पुलिस अधिकारियों को कब मिल गई ? कृपया शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद आज तक कब-कब किस-किस तारीख को क्या कार्यवाही की गई और आज अनुसंधान किस स्टेज पर है ? कृपया संक्षिप्त ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस गांव का दौरा कर वहां के ग्रामीणों को पुलिस आतंक के विरुद्ध आश्वस्त किया है ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा ?

राज्य मंत्री गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां दिनांक 19.1.84 को। परिवाद में अन्धा होना नहीं बताया गया है। परिवाद की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वृत्ताधिकारी (ग्रामीण) द्वारा 1.2.84 को सर्वश्री बन्ना, अमीर खां, जूरी व सुभान दिनांक 2.2.84 को श्रीमती केसी व सर्व श्री जलाल, लाल एवं दि. 6.2.84 को श्री हंजा के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाहान द्वारा बार-बार तलब करने के बावजूद बयान देने से इन्कार करने के कारण अभी जांच अपूर्ण है।

(3) जी हां। वृत्ताधिकारी (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 1.2.84 को एवं 8.2.84 को।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19.1.84 को यह शिकायत सरकार को मिल गई थी। इस शिकायत का माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। वह यह है,

"यह है कि दिनांक 14.1.84 को रात में थानेदार दिवान नवलसिंह, सिपाही लाडूसिंह व दो अन्य सिपाहियों ने प्रार्थी से पूछा कि खून किसने किया। प्रार्थी ने कहा, प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। इतना कहने पर दिवान श्री नवलसिंह ने कहा कि यह ऐसे नहीं बतायेगा और प्रार्थी को नीचे पटक कर नंगा कर दिया। उसके बाद प्रार्थी के कूलों पर खूब डंडों से पीटा.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। किसी पत्र को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर यह पत्र रखा गया है। यह बाहर से लाकर नहीं पढ़ रहा हूं। इसको बिना पढ़े तो पूरक सवाल ही नहीं किये जा सकते।

".......प्रार्थी के पैरों के नीचे डंडों से पीटा। उन्होंने प्रार्थी के सीने पर दोनों तरफ हाथों की अंगुली और पैरों की अंगुली में बिजली के तार बांधकर करंट लगाया प्रार्थी के गुप्तांग पर भी बिजली का करंट लगाया। प्रार्थी की गुदा में पैट्रोल की बोतल डाली। प्रार्थी को

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 15.1.84 को दिन भर भूखा रखा गया, रात्रि को फिर प्रार्थी के साथ उन्होंने मारपीट की।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पत्र इसलिए पढ़ा है कि इतनी गम्भीर शिकायत माननीय गृह राज्य मंत्रीजी को 19.1.84 को मिल गई थी। मैं, राज्य मंत्री जी, आप से पूछना चाहता हूं कि इसकी अनुसंधान कार्यवाही 1.2.84 को चालू करने का क्या कारण था? इतने गम्भीर आरोप की जानकारी होने के बाद भी 11 दिन का राज्य सरकार ने विलम्ब किया, इसका स्पष्टीकरण क्या है?

श्री अध्यक्ष : आप साथ पढ़ लीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरा मेरा मेरा सवाल यह है, माननीय राज्य मंत्री-जी ने अभी यह बताया कि एक तारीख को, दो तारीख को और छः तारीख को बयान हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीआर.पी.सी या अन्य एक्ट के प्रावधानों में ऐसा है कि गवाहान को थाने पर बुलाकर ही बयान लेना आवश्यक है, या कहीं पर भी, उस गांव में जाकर बयान ले सकते हैं? यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए पूछ रहा हूं कि उस थाने, जिस थाने पर इस तरह का दुर्व्यहार और मार-पीट हर व्यक्ति के साथ होती हो, पर उन्हीं लोगों के रहते हुए बुलाकर बयान लिया जा सकता है, इसका क्या औचित्य है? अभी जो 6 बयान लिये हैं, उन से प्राथमिक रूप से जो मामला सामने आया है, उसके अनुसार कार्यवाही की है? अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्रीजी को यह शिकायत भेजी थी। गृह राज्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा वीभत्स काण्ड हो गया, तो इतना बड़ा वीभत्स काण्ड होने के बाद वहां पर एस.पी., कलेक्टर या कोई वरिष्ठ अधिकारी गया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 19-1-1984 को जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्रीजी नसीराबाद कैम्प कर रहे थे तब उनके समक्ष यह शिकायत की गई थी और उन्होंने एस.पी., अजमेर को इस बात के आदेश दिये थे कि इस मामले की जांच कराई जाय। उन्होंने सर्किल आफिसर (ग्रामीण), अजमेर को इस मामले की जांच के लिए लगाया। इसके अन्दर मर्डर की इन्क्वायरी थी और दूसरी मारपीट की इन्क्वायरी थी। मारपीट की शिकायत की इन्क्वायरी के लिये सर्किल आफिसर को लगाया गया। यह बात सही है कि इस मामले की 19 तारीख को शिकायत प्राप्त होने के बाद में 10-11 दिन की डिले हुई है। उस डिले के सम्बन्ध में मैं बिना जानकारी प्राप्त किये एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं हूं। उसके बावजूद बहुत बड़ी डिले नहीं थी, 10-11 दिन की डिले हुई थी, बयान लिए गये हैं, श्रीमान्। यह भी आरोप था कि कुछ अन्य लोगों के साथ भी मार-पीट की गई है इस व्यक्ति के अलावा। वे लोग कौन थे? वे लोग थे, जो मृतक महिला बरामद हुई है उसके परिवार के लोग थे, उनके बारे में शिकायत थी। परिवारजन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के साथ वहीं के उस हाउस आफिसर ने मार-पीट की थी। उन्होंने तो बयान दे दिये लेकिन जिन व्यक्ति ने माननीय तत्कालीन गृह राज्य मंत्रीजी के समक्ष अपना परिवाद दिया था उनमें से किसी ने बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सर्किल आफिसर को बयान नहीं देंगे, किसी पुलिस वाले को बयान नहीं देंगे।

मैं कल जब इस प्रश्न को देख रहा था तब तक यह बात मेरे सामने आई थी। मैंने उसी समय अपने अधिकारियों के साथ यह निर्णय लिया था कि इस प्रकार से यह जांच पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिये इस मामले की जांच किसी अन्य व्यक्ति से कराई जाय। मैं आज ही इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर रहा हूं। सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर, क्योंकि अजमेर के पास का इलाका है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उन से कराई जा रही है ताकि जांच के विपरीत कोई बात न हो। जो इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ और अन्य जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट सवाल था, अभी तक जिन गवाहों के नाम लिखे थे उन लोगों के साथ मार-पीट की गई। यह जो शिकायत सदन के पटल पर रखी है उसमें कहीं यह नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ मार-पीट की। यह आपको कहां से जानकारी मिली? अभी तक जो जांच हो चुकी है क्या उसमें इस थानेदार को नाम लिखा गया है, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई शहादत आई है? इनको अब तक थाने पर क्यों रखा गया, 11 दिन तक क्या करते रहे? उसके बाद भी लोगों को डराया जा रहा है। यही कहा कि जांच नहीं हो सकी। क्या यह सरकार की मान्यता है? उस जांच के आधार पर क्या परिणाम सामने आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जांच परिणाम सामने आये हैं उसके अन्दर पुलिस द्वारा मार-पीट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जो अभी तक बयान हुए हैं उनके आधार पर। मैंने तो सदन से तथ्य छिपाने की चेष्टा नहीं की है। उस शिकायत में आलरेडी है, परिवार-जनों के साथ मार-पीट की गई है। उसी सिलसिले में जांच की गई, कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे साथ मार-पीट की गई। जिस व्यक्ति ने परिवाद प्रस्तुत किया है, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है, उसके सम्बन्ध में न तो उस व्यक्ति ने, न गांव के अन्य लोगों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिये हैं। यही कहा है कि पुलिस के सामने बयान नहीं देंगे। इसलिए अभी तक जांच की कोई बात सामने नहीं आई है। इसीलिये मैंने यह आवश्यक समझा कि पुलिस अधिकारियों से इस मामले की जांच न कराई जाकर सिटी मजिस्ट्रेट (अजमेर) से कराई जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक नया फैक्ट और दिया है कि अन्य लोगों के साथ

(श्री कैलाश मेघवाल)

मार-पीट की गई। इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह शिकायत किसने की? जो जांच के तथ्य सामने आये हैं उसके बारे में नागरिकों ने कितनी बार लिखा है कि पुलिस डरा रही है, धमका रही है। सर्किल इन्सपेक्टर से लेकर नीचे के पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इतना गंभीर मामला है, आसान मामला नहीं है, गृह राज्य मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक्शन लेने के लिये मैं मना नहीं करता लेकिन जांच से साबित होगा उसके बाद ही तो एक्शन लिया जायेगा। जो रिकार्ड उपलब्ध है उसके आधार पर ही फैक्ट्स इन्ट्रोड्यूस किये हैं, जो कुछ सही है वही मैंने आपसे निवेदन किया है अन्य किसी बात को छिपाने की चेष्टा नहीं की है। जो फैक्ट्स हमारे सामने आये हैं, जो शिकायत हुई है, आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा यह शिकायत की गई है। उसके अन्दर यह भी लिखा है कि परिवारजनों के साथ, जो उसके सम्बन्धी हैं उनके साथ भी मार-पीट की गई है। उसके आधार पर जांच हुई है। लोगों ने कहा कि पुलिस को बयान नहीं देंगे, सर्किल आफिसर को बयान नहीं देंगे। हैड कान्स्टेबल द्वारा पटवारी को बुलवाया गया, यह कहा कि इनके सामने निष्पक्ष होकर बयान दो। उन्होंने कहा हम बयान नहीं देंगे। इसलिये यह मुनासिब समझा, श्रीमन् ....

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण छोटूराम रावत, जो आंखों से बिल्कुल अन्धा है, आंखों से देख नहीं सकता है, किसने मर्डर किया देख नहीं सकता, को इतनी यातना दी गई ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री भगवान दास शास्त्री : पुलिस द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। प्रश्नकर्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट सवाल पूछा था, क्या लोगों के बयान लेने के लिये पुलिस पटवारी को पुलिस का सिपाही भेजकर बुलाये, थानेदार बुलाये, उस थाने में बुलाये, जहां यह घटना घटी, वहां पर इन लोगों के माध्यम से बयान लिये जायें। इसलिये मैंने पूछा था कि सीआर. पी. सी में यह प्रावधान है जहां पर घटना हुई है, गवाह रहते हैं वहां पर अधिकारियों को जाना चाहिये, वरिष्ठ आफिसर्स या सर्किल आफिसर को या थाने में बुलाकर लोगों के बयान लिये जाने चाहिये? मैं यह पूछना चाहता हूं कि लोगों के कहां कहां पर बयान लिये गये और जो लोग दोषी हैं उनको वहां पर क्यों रखा गया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर सर्किल आफिसर ने जांच मौके पर जाकर की, थाने में नहीं बुलाया। नम्बर एक। लेकिन यहां पर माननीय सदस्य कन्फ्यूजन पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो मार-पीट की गई उसके सम्बन्ध में जांच करने के लिए कहा था। केस इन्वेस्टीगेशन के बयान 161 के तहत थाने में भी लिखे जा सकते हैं और मौके पर भी लिये जा सकते हैं, सी.आर. पी. सी. के तहत। इस जांच के अन्दर सर्किल आफिसर मौके पर भी गये, गांव के अन्दर भी गये, उस गांव के अन्दर भी पहुंचे उसके बावजूद बयान देने से इन्कार कर दिया। यह बात रिकार्ड में आई है। मैंने कहीं कोई बात नहीं छिपाई है। जांच तो पूरी होनी चाहिये। निष्पक्ष जांच हो इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर को आज ही आदेश प्रसारित कर रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मन्त्री महोदय ने अभी दो तरह के बयान दिये हैं। जो मुख्य सवाल का जवाब दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें स्पष्ट कहा है कि गवाहों को थाने पर बुलाया गया है और उसमें कहीं पर भी नहीं है कि थानेदार मौके पर गया या मौके पर जाने पर वह नहीं मिला या सर्किल आफसर मौके पर गया या सर्किल आफिसर के जाने पर भी वह नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसके जवाब की मेन नोटिंग का अगर मुलाहिजा फरमायें, यह एक नई बात कह कर आप क्या असत्य कथन से गुमराह करना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कोई बात नई नहीं जोड़ी है। यह आपकी समझ का फेर है। श्रीमान्, आप समझे नहीं मेरी बात को या मैं समझा नहीं पाया हूं। आप जो प्रोसीडिंग्स है उसको दिखवा लीजिये। मैंने कहीं नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यह कहा है शायद माननीय सदस्य इन्वेस्टीगेशन, जो मर्डर का इन्वेस्टीगेशन है और जो मारपीट की इन्क्वायरी है कृपया उसको जोड़ने की चेष्टा न करें। यही बात मैंने यहां पर निवेदन की है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने यह स्पष्ट कहा है कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 6 तारीख को गवाहों को थाने पर बुलवाया गया और वह नहीं आये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैंने यह कभी नहीं कहा है कि थाने पर बुलवाया गया और नहीं आये। मैंने कहा है, बयान देने से इन्कार किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

एक माननीय सदस्य : अगला तो बड़ा इम्पार्टेन्ट सवाल है।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया था 14 तारीख को और आपने फर्माया था कि 19 तरीख को जवाब दिलवायेंगे। क्वेश्चन नम्बर 148.

श्री अध्यक्ष : 19 तारीख का मैंने कैसे कहा होगा। स्थगित हुआ तो अगले टर्न पर आ जायगा, जब उन मन्त्रीजी का टर्न होगा।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न संख्या 84 बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। अन्य कोई तरीके से ....

श्री हीरालाल आर्य : मेरे इलाके से सम्बन्धित है। इसका जवाब दिलवा दीजिये या इसको स्थगित करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : किसानों के खेत खराब हो रहें हैं कटाव से। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, माननीय सदस्य। आसन की मजबूरियां होती है। कृपया बैठ जायं

श्री हीरालाल आर्य : और इस महत्वपूर्ण परियोजना को सरकार समाप्त करना चाहती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

डीडवाना तहसील के ग्राम बिचावा की जंगलात की भूमि

75. **श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील डीडवाना के ग्राम बिचावा में स्थित दो हजार बीघा सरकारी भूमि पर जंगलात विभाग की ओर से कोई स्कीम लागू करने का इरादा है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

आयुर्वेद औषधालय चोहटन में नर्स का पद

79. **श्री भगवान दास डोसी (चोहटन)** : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद औषधालय चोहटन में नर्स का पद स्वीकृत है ?

(2) यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त है तथा इसे भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि उक्त पद स्वीकृत नहीं है तो क्या राज्य सरकार स्वीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कम्पाउन्डर का एक पद स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। कम्पाउण्डर कार्यरत है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुल. निगम द्वारा निर्माण कार्य

91. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पुल निगम को पुलों के निर्माण के अतिरिक्त इस वर्ष में किस किस मूल्य का कहां-कहां पर कितना-कितना और किस प्रकार का निर्माण का कार्य मिला? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1983–84 में पुलों के अतिरिक्त निगम को भवन तथा अन्य निर्माण के सात कार्य प्राप्त हुये हैं जिनका अनुमानित लागत मूल्य 1228.40 लाख रुपये है। इन कार्यों के स्थान, प्रकार तथा मूल्य का विवरण सूची "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

तितरिया–पीपली सड़क का डामरीकरण

92. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तितरिया (जिला जयपुर) तक पक्की सड़क बनी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि तितरिया से टूटोली' पीपला की दूरी अधिक नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि इनको डामर रोड से जोड़ने पर आदिवासियों को आवागमन को सुविधा मिल सकती है, इनकी तरक्की हो सकती है?

(4) क्या सरकार इनको डामर रोड से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तितरिया से टूटोली, पीपला की दूरी पांच किलोमीटर है।

(3) आदिवासियों सहित सभी वर्ग के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र का विकास होगा।

(4) सीमित वित्तीय साधनों के कारण अभी इस सड़क को हाथ में लिया जाना संभव नहीं है।

कुशलगढ़ क्षेत्र की सड़कें

92. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

(25)

(श्री फते सिंह)

क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में कितनी सड़कें बनाई गईं व कौन-कौन सी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की जन संख्या (आबादी) के अनुपात में सड़कें पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो कम सड़कें बनाने का क्या कारण है ?

(3) कुशलगढ़ क्षेत्र में कितनी व कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं जो बनना जरूरी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मेन सड़कों से पंचायत हैड क्वार्टर को मिलाने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी सड़कों को मिलाने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आयोजना समिति ने मास्टर प्लान में सड़कें निर्माण के लिये योजना राज्य के पास भेजी है ? यदि हां, तो यह योजना किन-किन सड़कों के लिये है ?

(6) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में कुशलगढ़ से पाटन, कुशलगढ़ से थादला, कुशलगढ़ से कालीजरा वाया थिल हुआ, कालीजरा से ठुमठ रोड खुर्द-बुर्द हो चुकी है ? यदि नहीं, तो उक्त रोड को ठीक कराने का राज्य सरकार का विचार है ? हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की सूची प्रपत्र 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण पर्याप्त सड़कें बनाया जाना अभी सम्भव नहीं है।

(3) अधूरी सड़कों की सूची प्रपत्र 'ख' में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने हेतु जिले के मास्टर प्लान में कुशलगढ़ क्षेत्र के बिना जुड़े 17 मुख्यालयों को जोड़ने हेतु बनाई जाने वाली सड़कों की सूची प्रपत्र 'ग' में संलग्न है।

(5) सड़कों के निर्माण का जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर जिला आयोजना समिति में भी विचार किया गया और उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। अतः परिशिष्ट "ख" में दी गई सड़कों की सूची जिला आयोजना समिति से अनुमोदित मानी जाय।

(6) यह सही है कि गत वर्ष भारी वर्षा के कारण कुशलगढ़ से पाटन, कुशलगढ़ से थादला एवं कुशलगढ़ से कालीजरा एवं कालीजरा से घूमर सड़कें खराब हो गई थीं, उसमें से कुशलगढ़ से थादला की मरम्मत कर दी गई है एवं दो रपट रामगढ़

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

व नागनाथ के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वह शीघ्र ही रपट के स्थान पर पुल बनवा दिये जायेंगे। कुशलगढ़ से कालीजरा रोड सड़क 6 कि. मी. खराब हो गई थी उसमें से 3 कि. मी. पर सड़क बनवा दी गई है एवं बाकी 3 कि. मी. धन अभाव के कारण केवल यातायात चल सके ऐसी सुविधा प्रदान कर दी गई है। कुशलगढ़–पाटन सड़क 14 कि. मी. अधूरे भाग को पूरा करने के लिये मास्टर प्लान में प्रावधान रखा गया है। कालिजरा से घूमर सड़क इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

मारवाड़ जंक्शन से फुलाद तक सड़क का निर्माण

94. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 को पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन से राणावास होकर फुलाद तक 24 कि. मी. डामर सड़क स्वीकृत करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक उस घोषणा पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

धन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को हाथ में लिया जायगा।

पंचायत मुख्यालयों का सड़क से जोड़ना

95. **श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के मुताबिक पंचायत मुख्यालय धिरडोदा मीठा पंचायत समिति लाडनूं मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार वर्ष 1984 85 में इस पंचायत मुख्यालय को सारडी से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि निम्बी जोधां से नागौर केवल 70 कि. मी. है जब कि वाया डीडवाना 140 किलोमीटर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार निम्बी जोधां से नागौर सड़क को पक्की बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नही, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि निम्बी जोधां से रताऊ सड़क को पिच रोड बनाई जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय साधनों के अभाव में यह संभव नहीं हो सका है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री)

(2) जी नहीं। धनाभाव के कारण अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3 एवं 4) सीमित वित्तीय साधनों के कारण इन सड़कों को पक्का बनवाये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

राज्य में शराब की दुकानें

96. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शराब की लाइसेन्सशुदा कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शराब की कई दुकानें स्कूलों, मोटर स्टेण्डों, मन्दिरों तथा मस्जिदों के पास लगी हुई हैं?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उनको वहां से हटाकर कस्बों से दूर लगाने के आदेश देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली देशी शराब की लाइसेन्स शुदा 1706 दुकानें व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक तथा रिटेल की लाइसेन्स शुदा दुकानों की संख्या 474 है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि शराब की कई दुकानें स्कूलों, मोटर स्टेण्डों, मंदिरों तथा मस्जिदों के पास वर्जित परिधि में लगी हुई हैं, फिर भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कार्यवाही कर शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में बिक्री कर की बकाया

97. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं) एवं**

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या वित्तीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 83 तक बिक्री कर की कितनी राशि व्यापारियों में बकाया पड़ी है?

(2) 50,000 रुपये से अधिक की राशि कितनी अवधि से किन-किन व्यापारियों या प्रतिष्ठानों में बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बकाया राशि को वसूल नहीं किये जाने के क्या कारण है?

(4) उक्त राशि वसूली नहीं होने में

(श्री घनश्याम जैन)

किन दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 83 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

30 सितम्बर 83 तक बिक्री कर की बकाया राशि 43.09 करोड़ रुपया थी ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) उक्त राशि वसूल न हो पाने के कारण निम्न श्रेणियों में विभाजित हैं :-

1- विभिन्न न्यायालय/अधिकारियों द्वारा स्थगन आदेश के तहत स्थगित,
2- भू-राजस्व के अन्तर्गत
3- प्रोसीक्यूशन एवम् उजरदारी,
4- किश्तों के अन्तर्गत,
5- अपलेखन के अन्तर्गत,
6- सत्यापन एवम् समायोजन में,
7- विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत,

(4) बकाया की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है चूंकि बकाया राशि की वसूली में किसी अधिकारी का दोष प्रगट नहीं हुआ है अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

वर्तमान में राज्य की ओवर ड्राफ्ट स्थिति

98. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य की विभिन्न प्रकार के ऋण एवं ओवर ड्राफ्ट की क्या स्थिति है ?

(2) विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) राज्य के विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा ओवर ड्राफ्ट पर प्रतिदिन कितना ब्याज देना पड़ता है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य पर विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं ओवर ड्राफ्ट की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

		दिनांक 31-3-83 को बकाया
		(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
(i)	केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	रु० 1638.97
(ii)	बाजार कर्जे	,, 287.10
(iii)	स्वायत संस्थाओं से कर्जे	,, 52.83

(वित्त मंत्री)

(आकड़ें करोड़ रु० में)

(iv) मुआवजा और अन्य बन्ध पत्र रु० 0.33

रु० 1979.23

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में दिनांक 31-3-83 को राशि रुपये 5.65 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट एवं राशि रु० 20.42 करोड़ का मार्गोपाय अग्रिम बकाया था। वर्ष 1983-84 में दिनांक 3-3-84 को प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में रनिंग बेलेन्स के आधार पर राशि रु० 17.25 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट एवं रुपये 24.00 करोड़ का मार्गोपाय अग्रिम बकाया था।

(2) विभिन्न प्रकार के ऋणों का राज्य सरकार उनके निर्धारित शर्तों के अनुसार नियत समय पर चुकारा कर रही है। वर्तमान में बकाया ओवर ड्राफ्ट एवं मार्गोपाय अग्रिम के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में रहे रनिंग बेलेन्स के आधार पर इनका दिन प्रति दिन के लेन-देन के आधार पर समायोजन होता रहता है तथा शेष रहे ओवर ड्राफ्ट एवं मार्गोपाय अग्रिम का पुन भुगतान राज्य सरकार व्यय में मितव्ययता करके तथा संसाधन बढ़ा कर करती है।

(3) राज्य पर विभिन्न प्रकार के ऋणों पर चालू वर्ष 1983-84 में देय ब्याज की कुल राशि 98.23 करोड़ होती है। जिसका प्रति दिन का औसत 37.91 लाख रुपये होता है।

मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी पंचायत समितियों में निर्माण कार्य

99. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक विभिन्न कार्यों के तहत कितने बांध, एनीकट एवं तट बन्धन, बाढ़ बचाव के कार्य प्रारम्भ किये गये ?

(2) इन कार्यों पर कितनी-कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई एवं वर्तमान में कार्य किस स्थिति में है ?

(3) इन क्षेत्रों में और कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं एवं किस स्थिति में हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक मारवाड़ जक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में सिंचाई मद तथा अन्य मदों से सिंचाई विभाग के माध्यम से 110 बंध/एनिकट/तट बन्धन, बाढ़ बचाव के विभिन्न कार्य प्रारम्भ किये गये।

(2) इन 110 विभिन्न कार्यों पर माह जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक 213.29

(सिंचाई मंत्री)

लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। वर्तमान स्थिति के अनुसार 68 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं, तथा 36 कार्य अपूर्ण स्थिति में हैं। शेष 6 कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।

(3) इस क्षेत्र की पंचायत समिति देसूरी में दो कार्य 1. सुमेर बांध 2. तेली की नाल बांध को ऊँचा कराना प्रस्तावित है। इन दोनों कार्यों के तखमीने बना लिये गये हैं एवं विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

यमुना नदी से जल प्राप्ति

100. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यमुना नदी से राजस्थान प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश पैरीनियल सिंचाई हेतु कितनी-कितनी मात्रा में (बरसात के मौसम को छोड़ कर) यमुना जल प्राप्त कर रहे हैं?

(2) पिछले पच्चीस बरसों अथवा सन् 1955के बाद पैरीनियल सिंचाई के लिए इन तीन प्रदेशों ने अलग-अलग सिंचाई के लिये यमुना नदी से जल उपलब्धि में उत्तरोत्तर कितनी-कितनी वृद्धि की है?

(3) क्या यह सही नही है कि राजस्थान राज्य की ओर से उसके उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने सन् 1955-1963 एवं उसके पश्चात् कई बार यह निश्चित और ठोस मांग की है कि जब तक इन तीनों राज्यों में यमुना नदी के पानी का उचित एवं न्यायपूर्ण बटवारा स्वीकृत नही हो जाता तब तक इन तीनों राज्यों में से कोई भी राज्य यमुना नदी से सिंचाई करने के लिए न तो पानी की मात्रा अपने यहां बढ़ायेगा और न अधिक मात्रा में पानी लेने के लिये संसाधनों का निर्माण करेगा? क्या यह सही नहीं है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऐसे संसाधनों का अधिकाधिक निर्माण जारी रखा है और यमुना नदी से पानी लेने के लिये अपनी मात्रा कहीं से कहीं बढ़ा ली है?

(4) क्या राजस्थान राज्य को पैरीनियल सिंचाई के लिये, यमुना नदी से न तो एक बून्द भी जल अब तक मिला है और न उसका भाग उक्त जल में निर्धारित हुआ है?

उत्तर

(1) यमुना नदी के सरप्लस पानी का संबंधित राज्यों के बीच बटवारे का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। राजस्थान प्रदेश को पैरीनियल सिंचाई हेतु कोई पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1955 में यमुना के पानी से हरियाणा की पश्चिम यमुना

(सिंचाई मंत्री)

कैनाल की उपयोगिता 2.458 मिलियन एकड़ फीट थी, व उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर की उपयोगिता 1.08 मिलियन एकड़ फीट थी। राजस्थान के लिए शून्य थी। वर्ष 1955 के पश्चात् हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश द्वारा यमुना नदी के जल उपलब्धि में वृद्धि निम्न प्रकार है :—

(1) हरियाणा	0.375 मिलियन एकड़ फीट
(2) उत्तर प्रदेश	0.800 मिलियन एकड़ फीट
(3) राजस्थान	0.083 मिलियन एकड़ फीट

(3) यह सही है कि राजस्थान राज्य की ओर से उसके उच्च प्रतिनिधियों ने सन् 1955 से लेकर आज तक कई बार निश्चित और ठोस मांग की है कि जब तक तीनों राज्यों में यमुना नदी के पानी का उचित एवं न्याय पूर्ण बटवारा स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक इन तीनों राज्यों में कोई भी राज्य यमुना नदी से सिंचाई करने के लिए न तो पानी की मात्रा अपने यहां बढ़ायेगा और न अधिक मात्रा में पानी लेने के लिए संसाधनों का निर्माण करेगा। यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों में ऐसे संसाधनों का निर्माण करके यमुना नदी से पानी लेने के लिए वर्तमान में मात्रा बढ़ा ली है।

(4) जी हां।

सोम कामला, अम्बा डेम में प्रयुक्त रेडियल गेट्स

101. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) सिंचाई विभाग के जिला डूंगरपुर में निर्माणाधीन सोम कामला अम्बा डेम के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने हेतु कितने रेडियल गेट्स अभी तक डेम साइट पर डिलीवर किये जा चुके हैं ?

(2) ये रेडियल गेट्स कब-कब डलीवर किये गये और इनका कितना-कितना चुकारा कब कब किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ये गेट्स डेम के निर्माण में स्थापित कर दिये गये हैं ? यदी हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक स्थापित किये जा सकेंगे ?

उत्तर

( ) कोई नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नही। वर्तमान अनुभागो के अनुसार रेडियल गेट्स को वर्ष 87–88 के अन्त तक स्थापित करने का प्रस्ताव है जो धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

टोरडी सागर के पानी से टोरडी गांव की क्षति

102. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि टोरड़ी सागर की उत्तरी कैनाल को वर्षा का पानी तोड़ कर टोरड़ी गांव के निचले क्षेत्र की फसलों को बरबाद करता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई कदम उठाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है।

(2) इस समस्या को हल करने के लिए कैच वाटर ड्रेन व नहर पर सी. डी. कार्य निर्माण करके बरसात के पानी की निकासी हेतु व्यवस्था करनी होगी। इन कार्यों का करवाना बजट प्रावधान पर निर्भर है।

कुशलगढ़ क्षेत्र में मंगलेश्वर के पास हिरन नदी पर सर्वेक्षण

104. श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि कई वर्षों से कुशलगढ़ क्षेत्र में मंगलेश्र के पास हिरन नदी पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस प्रयोजनार्थ ?

(2) हिरन नदी का बांध से कितने व कौन-कौन से गांव प्रभावित होंगे व कितनी उपजाऊ भूमि डूब में आयगी ? कृपया प्रभावित घर, परिवार व गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस बांध को बनाने में राज्य सरकार का कितना धन व्यय होगा व प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा चुकाना पड़ेगा ? बदले में इससे क्या लाभ राज्य सरकार को होगा ?

(4) डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के लिये राज्य सरकार क्या भूमि आदि की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सिचाई परियोजना बनाने हेतु।

(2) योजना प्रतिवेदन बनाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(4) अगर योजना हाथ में ली गई तो इस विषय पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बस्सी सिंचाई योजना का निर्माण

105. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है जिला चित्तौड़गढ़ में बस्सी सिचाई योजना के निर्माण का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कृपया उसके

(श्री रंग जी मीणा)

नक्शे एवं अनुमान सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सिंचाई योजना के बांध स्थल फाउण्डेशन की ज्योलोजिकल स्टडीज आदि अभी पूरी नहीं हुई है और इस कारण बांध का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बांध निर्माण स्थल के बारे में निर्णय होने के पूर्व ही वहां पर नहरें खुदाने का कार्य कब से चालू किया गया है ? कितनी लम्बी नहरें खुदायी गयी हैं और उस पर कब तक कितना व्यय किया जा चुका है ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, योजना का इन्डेक्स प्लान एवं स्वीकृति अनुमान संलग्न है।

(2) जी नहीं, ज्योलोजिकल स्टडीज पूर्ण हो चुकी है एवं बांध का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। बांध के निर्माण स्थल का निर्णय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व ही लिया गया था। नहर का कार्य वित्तीय वर्ष 1980–81 में प्रारम्भ किया गया था और अब तक चैन 320 तक 9.6 कि० मी० नहर की खुदाई की जा चुकी है। अब तक नहरों पर 47.48 लाख रु० का व्यय किया जा चुका है।

(अनुमान के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना तहसील के गांवों की जल प्रदाय योजना

106. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आजवा भामासी व रोजा, दोदोली को जल योजना से जुड़े हुए कई वर्ष हो गये हैं ? क्या इसमें अभी तक पानी नहीं पहुंच सका ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सुनखना से डीडवाना तहसील के करीब 20 गांवों में पानी पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या चरवारड़िया, ठाकरियास, दुदवासनी, गडदेजियां बासनी में बराबर पानी नहीं पहुंचता ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन गांवों को कोई दूसरी योजना से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम ननवान को राज्य सरकार द्वारा टी. एस. एस. से जोड़ने के आदेश हुए थे ? यदि हां तो उस पर विभाग की तरफ से क्या

(श्री रामधन)

कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि चन्द्राई, लुकास जल योजना के पानी की पाइप लाइन में एक विशेष प्रकार का पाउडर जमता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस योजना को किसी दूसरी योजना से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस पाइप लाइन में पाउडर जमने से गांवों में पानी पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो इस विषय पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम आजवा, भामासी व रोजा, दोदोली को जल योजना से जुडे कई वर्ष हो गये परन्तु ग्राम रोजा अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ है। ग्राम आजवा में पेयजल पहुंच रहा है। ग्राम भामासी में पाइप लाइन में रुकावट होने के कारण पेयजल नहीं पहुंच रहा हैं। ग्राम दोदोली में अन्तिम छोर का गांव होने के कारण पेयजल कम मात्रा में पहुंच रहा है।

(2) जी नहीं। सुनखना से डीडवाना के 15 ग्रामों में पेयजल वितरण किया जाता है। ग्राम चरवारडिया, ठाकरियास, दुदवासनी, गडदेजियां, बासनी में एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल का वितरण किया जाता हैं, तथा उन सभी ग्रामों में पेयजल पहुंचता है। परन्तु अन्तिम छोर के गांव होने के कारण तथा विद्युत अवरोध के कारण अन्तिम सिरे के गांवों में पेयजल का वितरण अव्यवस्थित हो जाता है। योजना में सुधार के लिए प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। ग्राम ननवान को राज्य सरकार द्वारा पारम्परिक जल प्रदाय योजना में स्वीकृत कर लिया गया हैं, तथा विद्युत विभाग को डिमांड नोट की राशि भी जमा करा दी गई है। विद्युत सम्बन्ध के जारी होते ही, ग्राम को शीघ्र पेयजल से लाभान्वित कर दिया जायगा।

(4) जी हां। पेयजल के नमूने की जांच के लिए मगनी राम बांगड, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर एवं अधीक्षण रसायनिज्ञ, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जयपुर को भेजे गये हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। इन पाइप लाइन में पदार्थ जमने की (Scale formation) शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिससे गांवों में पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। इस पदार्थ की जांच करवाई जा रही है और इस समस्या का समाधान शीघ्र कर दिया जावेगा।

जिला जैसलमेर की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम

107. श्री चन्द्र वीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले की रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत भारमसर-भारेवाला जल वितरण योजना की कब स्वीकृति प्रदान की गई थी ?

(2) उक्त योजना पर कितनी धनराशि व्यय की जावेगी व अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या उक्त योजना के तहत सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में भारमसर-भारेवाला जल वितरण योजना की स्वीकृति दो चरणों में अगस्त 82, व जुलाई 83 में हुई है।

(2) उक्त योजना पर 72.00 लाख रु. व्यय किये जाने का अनुमान है एवं माह फरवरी, 84 तक रुपये 51.63 लाख खर्च किये जा चुके हैं।

(3) इस योजना के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित ग्राम भारमसर खारा व टावरीवाला में जल वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है। शेष गांवों की योजना निर्माणाधीन है।

जलदाय विभाग, अजमेर के अधीन सामान की खरीद

108. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर के अधीन निम्नलिखित सामान उसको खरीदने की तारीख से ही बिना काम में आये तथा धूप व वर्षा में बिना सम्भाल के ही पड़ा है ?

क्र.	नाम सामान	मूल्य और	तारीख
1	2	3	4
1.	Alluminium Armed Conductor Cable 120 Sq. M. M. 813 Mts.	Rs. 1,74,089	31.3.82
2.	P. C. make remote control Panel Board of 600 Amp.	Rs. 65,252/-	31.3.82
3.	Atrac concrete mixer size 200 Ton 5 H. P.	Rs. 16,732/-	8.1.81
4.	Kasat make Switch Board Panel 150 H. P. 2 nos.	Rs. 93,200/-	6.11.80

(श्री कैलाश मेघवाल)

1	2	3	4
5.	Well Point equipment 1 set	Rs. 1,50,000/-	26.5.80
6.	Crainlic Machine 6 Ton capacity 1 no.	Rs. 5,000/-	
7.	Crab Wrinch Machine 5 Ton capacity of four wheels	Rs. 15,000/-	1972

(2) यदि हां, तो यह समान कब, क्यों किसके द्वारा किस प्रक्रिया से खरीदा गया और राज्य सरकार इनकी खरीद को उचित मानती है ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । किन्तु यह समान बिना सम्भाल के नहीं पड़ा है । क्रम संख्या 1,3,5,6 एवं 7 पर वर्णित सामान नेगड़िया स्थित जल कल गृह संख्या एक पर पम्प हाउस की चार दिवारी में विभाग की सुरक्षा में त्रिपाल से ढका हुआ रखा है । क्रम संख्या 2 पर वर्णित सामान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड अजमेर के खण्डीय भण्डार में टीन शैड के नीचे सुरक्षित रखा हुआ है । क्रम संख्या 4 पर वर्णित सामान हैण्ड वर्क्स भावंता अजयपाल पर स्थित पम्प हाउस के अन्दर सुरक्षित रखा हुआ है ।

(2) क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित सामान जल प्रदाय योजना अजमेर के पुनर्गठन एवं संधारण हेतु, आवश्यकतानुसार खरीदा गया जो क्रमश: दिनांक 17. 7. 81, 28. 11. 81. 4. 9. 80, व 27. 3. 81 को प्राप्त हुआ । क्रम संख्या 6 व 7 का समान भी अजमेर जल योजना के लिए लिया गया जो क्रमश: 1980 व 1970 में प्राप्त हुआ । क्रम संख्या । से 5 में वर्णित सामान अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वा० अभियांत्रिक विभाग वृत अजमेर द्वारा खरीदा गया । क्रम संख्या 6 में वर्णित सामान अधिशासी अभियन्ता, जनस्वा० अभि० विभाग, यांत्रिक खण्ड, जयपुर 1980 में एवं क्रम संख्या 7 में वर्णित सामान सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उपखण्ड भीलवाड़ा से 1970 में प्राप्त हुआ ।

क्रम संख्या 1, 4, व 5 में वर्णित सामान खुली निविदाएं द्वारा, क्रम संख्या 2 में वर्णित सामान राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज जयपुर द्वारा एवं क्रम संख्या 3 में वर्णित सामान डी. जी. एस. एण्ड डी. दर सुविदा पर खरीदा गया । यह समस्त सामान अजमेर जल प्रदाय योजना की तत्कालीन आवश्यकतानुसार खरीदा गया था एवं इसका उपयोग आज भी योजना के संधारण हेतु, आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है ।

चित्तौड़गढ़ जिले के गांव को पेय-जल व्यवस्था

109. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के कुल गांवों में से जनवरी, 1981 तक कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया था ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष जनवरी, 1981 से जनवरी 84 तक बचे गांवों में से कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया है ? कृपया तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में अब समस्याग्रस्त गांवों की किस किस तहसील में कितनी कितनी संख्या है और शुद्ध पेयजल सुलभ कराने हेतु वर्ष 1983-84 में कितनी राशि आवंटन की एवं इनमें से कितनी व्यय की गई ?

(4) क्या यह सही है कि स्वीकृत गांवों में भी इस वर्ष हैण्ड पम्प नहीं खोदे गये हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) जिले में कितने हैण्ड पम्प ऐसे हैं जिनसे जनता दूषित पानी पी रही है ? कृपया तहसीलवार नाम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में माह जनवरी, 1981 तक 214 ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया था। तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में माह जनवरी, 81 से जनवरी, 84 तक कुल 551 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है, तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जिले में अब कुल 26 समस्या-ग्रस्त गांव शेष हैं जिनका तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है। वर्ष 1983-84 में समस्याग्रस्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 64.68 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं व माह जनवरी, 84 तक 30.42 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं, कार्य निर्माणाधीन है।

(5) जिला चित्तौड़गढ़ में 11 हैण्ड पम्प ऐसे है जिनका पानी पीने योग्य नहीं है। सूची सदन की पटल पर रखा दी है।

(ब्यौरे एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अजमेर नगर परिषद् सीमा में खोदे गये हैण्ड पम्प

110. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य

(श्री भगवान दास शास्त्री)

अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में दि. 31-1-1984 तक कुल कितने हैण्ड पम्प किस किस तारीख को खोदे गये हैं ? (नगर सुधार न्यास व नगर परिषद् की संख्या सहित क्योंकि वे भी विभाग द्वारा ही खोदे गये हैं) कृपया मोल्हले के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हैण्ड पम्पों में से दि. 31.1.1984 को कुल कितने हैण्ड पम्प ठीक काम कर रहे हैं, कितने खराबी से कब कब से बन्द पड़े हैं और कितनों से पानी आना चालू ही नहीं हुआ है ?

(3) क्या इन हैण्ड पम्पों द्वारा निकाले जा रहे पानी को पीने योग्य होने की केमिकल जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में दिनांक 31-1-84 तक कुल 277 हैण्ड पम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	वर्ष	जनस्वा० अभि० वि०	डिपोजिट	कुल
1	2	3	4	5
1.	1980-81	72	—	
2.	1981-82	90	यू. आई. टी.-9) नगर परिषद्-16)—36 मिल्ट्री -11)	26
3.	1982-83	37	यू. आई. टी.-4) नगर परिषद्-4)—14 मिल्ट्री -6)	51
4.	अप्रेल 83 से अगस्त 83 तक नगर परिषद सीमा में मिलाये गये गांवों में।	11	—	11

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1	2	3	4	5
5.	1983-84	4(प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत	यू. आई. टी.—13	17
	योग	214	63	277

(2) इन हैण्ड पम्पों में दि. 31-1-84 को पांच हैण्ड पम्प के अलावा सभी कार्य कर रहे हैं। जिनमें से तीन हैण्ड पम्प (नाका मदार, भगवान गंज, मिस्त्री मोहल्ला) ग्रीष्म ऋतु 82 में कोलेप्स हो गये हैं। देहली गेट के बाहर का हैण्ड पम्प माह मई, 83 में कोलेप्स हो गया तथा मलसूर गेड के हैण्ड पम्प से खुदाई के बाद ही पानी आना जाना बन्द हो गया हैं।

(3) जी हां, जैसे जैसे वेधन कार्य करवाया गया है वैसे वैसे वेधन कार्य के पश्चात् पानी की रसायनिक जांच करवाली गई है।

सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, भरतपुर के विरुद्ध शिकायत

111. श्री माला राम (खेतड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री द्वारका प्रसाद ने अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, भरतपुर द्वारा सहायक द्वितीय एवं पम्प ड्राइवर (तृतीय) (सहायक प्रथम) के पदों पर किये गये चयन के विरुद्ध शिकायत की थी और वह शिकायत चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग-(ग्र प-3) द्वारा दिनांक 30-4-75 को मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जांच हेतु भेजी गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या जांच होकर रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ? कृपया शिकायत पत्र की प्रति व उस पर की गई जांच व जांच के बाद की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार की असंगति नहीं पाई गई, जांच रिपोर्ट एवं शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

तहसील दीगोद की पेयजल योजनायें

112. श्री ब्रजदयाल जोशी (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील में कहां कहां कौन-कौनसी योजनाओं के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कब कब से कार्य चल रहा है उन पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(2) कब तक योजना पूर्ण हो जानी थी व अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण रहे ? अब वे कब तक पूर्ण हो जावेंगी व पूर्ण होने पर कुल कितना खर्चा किस किस योजना पर आवेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील में पम्प एण्ड टेंक योजना मण्डावरा व बूदादीत ग्रामों में 1981 में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा क्षेत्रीय जल योजना का कार्य बरगू कुराड़ी में 1982 में शुरू किया गया है। इन योजनाओं पर अब तक क्रमशः 3.48, 2.48 एवं 1.12 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस तहसील के 65 गांवों को हैण्ड पम्प से जनवरी, 84 तक पेयजल उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) उक्त योजनाएं सामान्यतः स्वीकृति के दो से तीन साल में पूर्ण हो जानी चाहिए थीं परन्तु निर्माण के दौरान स्रोत के विकास व पम्पिंग सैट की उपलब्धि व बिजली के कनैक्शनों इत्यादि में कठिनाई आने पर योजनाएँ अब 84-85 तक पूर्ण हो सकेंगी। पम्प एण्ड टेंक योजना, मण्डावरा, बूदादीत पर क्रमशः रु० 4.71 लाख रु. 3.87 लाख, व क्षेत्रीय योजना, बरगू कुराड़ी पर रु. 3.17 लाख खर्चा होने की सम्भावना हैं।

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा की जीप

113. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा की जीप में कुछ बिलों का भुगतान गत दो वर्षों में विक्रय सहकारी समिति इटावा व सुलतानपुर ने किया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(2) क्या इन क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किया गया उक्त भुगतान नियमानुकूल है ? क्या यह सही है कि भुगतान सहायक रजिस्ट्रार के दबाव के कारण किया है ?

(3) क्या अन्ता क्रय विक्रय सहकारी समिति में भी सहायक रजिस्ट्रार, कोटा के नाम नकद धनराशि लिखी गई है ? यदि हां, तो यह कितनी धन राशि है एवं किस निमित्त ली गई है ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार, कोटा की जीप के बिलों का भुगतान भूमि विकास बैंक, कोटा एवं

(६)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक, कोटा ने भी किया है ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्रांशिक रूप से सही है।

(ग्र) इटावा मार्केटिंग सोसायटी से गत दो वर्षों में कोई भुगतान नहीं हुआ है।

(ब) सुल्तानपुर मार्केटिंग सोसायटी से रुपये 271.92 पैसे पेट्रोल व 8/- रु. मरम्मत पेटे भुगतान किया है।

(2) इस संबंध में क्रय विक्रय समितियों से संबंधित कोई नियम प्रसारित नही हैं। भुगतान के लिए कोई दवाब नहीं डाला गया। वसूली के समय तक बजट समाप्त हो जाने के कारण संस्था द्वारा यह भुगतान किया गया है जिसका पुनर्भरण सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाना हैं।

(3) जी नहीं, नकद में कोई राशि नाम नहीं लिखी गई है परन्तु समिति द्वारा एक चैक तादादी 1131.75 का मैसर्स मेड़तवाल मोटर्स को सहायक रजिस्ट्रार की जीप की मरम्मत का भुगतान कर सहायक रजिस्ट्रार के नामे लिखा है।

(4) जी हां।

सीमा पर तैनात कर्मचारियों के लिए मकान

114. श्री प्रमीन खां (शिव) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सीमा पर तैनात गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

जी हां।

ग्राम पंचायत पांचला में एकीकृत योजना के तहत ऋण वितरण

115. श्री भरतलाल (गंगापुर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि ग्राम पंचायत, पांचला, पंचायत समिति सांचौर में एकीकृत ग्रामीण रोजगर योजना के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय पांचला में कुछ समय पहले गरीब चयनित परिवारों को ऋण वितरण किया गया था ? यदि हां, तो कब एवं कितने परिवारों को किस-किस चीज के लिए कितना ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कैंप में ऋण एवं अनुदान वितरण में भयंकर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(3) उक्त ऋण एवं अनुदान वितरण भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या

(श्री भरतलाल)

कार्यवाही की गई है? भविष्य में इस संबंध में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत पांचला (सांकड) पंचायत समिति सांचौर में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित परिवारों के लाभार्थ ऋण शिविर दिनाक 28–9–83 को आयोजित किया गया था जिसमें जालौर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की सांचौर शाखा के माध्यम से 62 (बासठ) गरीब चयनित परिवारों को 82,820 रु० के ऋण एवं 73,980 रु० की राशि अनुदान के रूप में वितरित की गई है। उपलब्ध कराये गये लाभों की उद्देश्यवार सूची निम्न प्रकार है :

उद्देश्य जिसमें लाभान्वित किया गया	संख्या लाभान्वित	ऋण राशि	अनुदान राशि	कुल राशि
बैल गाड़ी इकाई	38	51368/-	47532/-	98900/-
ऊँट इकाई	16	29335/-	17265/-	37600/-
गाय इकाई	5	3617/-	3183/-	6800/-
भेड़ इकाई	3	7500/-	6000/-	13500/-
योग	62	82,820/-	73,980/-	1,56,800/-

(2) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील धरियावद के लेम्प पारसोला में ऋण वसूली

116. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लेम्प पारसोला तहसील धरियावद जिला उदयपुर में कितना ऋण लोगों से वसूल करना शेष है ?

(2) क्या विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिनके नाम से बकाया है, उनमें से कई लोगों ने ऋण प्राप्त ही नहीं किया ? यदि हां, तो उसकी विभागीय जांच कब तक करायी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऋण राशि से ब्याज अधिक नहीं हो सकता,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फिर भी लोगों से कई गुना अधिक वसूल किया जा रहा है, क्या यह अनुचित नहीं है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की तहसील धरियावद में स्थित पारसोला लैम्पस के सदस्यों में दिनांक 31-12-83 को रुपये 4,08,994.87 पैसे का मूल ऋण बकाया था जो वसूल करना शेष है।

(2) जी हां, । इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० उदयपुर में समिति के सदस्य श्री जोरावर सिंह पुत्र श्री भभूत सिंह निवासी पारसोला ने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार श्री घनश्याम लाल की पारसोला लैम्पस में व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति होने के बाद समिति में विपरित अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण में संदिग्ध ऋण वितरण हुआ है। शिकायत प्राप्त होने पर दी उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, उदयपुर के आदेश क्रमांक 16203-6 दिनांक 9-12-83 द्वारा व्यवस्थापक श्री घनश्यामलाल को निलम्बित किया जा चुका है तथा बैंक स्तर पर जांच कराई जा रही ।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों आई. आर. डी. हिताधिकारियों एवं ग्रामीण दस्तकारों से अल्पकालीन बकाया ऋण पर मूलधन से अधिक बकाया ब्याज, जो दिनांक 30-6-83 तक देय था, नहीं वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि मूलधन एवं ब्याज की राशि 30-6-84 तक जमा करा दी जाये। उक्त निर्णय की पूर्ण रूप से पालना की जा रही है।

उपभोक्ता संघ के कार्यालय भवन की जमीन

117. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा स्वयं के कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदी गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपयों की कब खरीदी गयी और कितने क्षेत्रफल की ?

(2) इस भूमि पर भवन कब तक बनाये जाने का विचार है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, संघ द्वारा 301.02 वर्गगज भूमि वर्ष 1976 में नगर विकास न्यास जयपुर से 1,81,873.20 रुपये में खरीदी गई थी।

(2) इस भूमि का आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जाकर अन्य विभागों/संस्थाओं को कर दिया गया है। आवंटन संघ के नाम से पुनः होने पर ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। इससे पूर्व विलम्ब के निम्न कारण रहे हैं :-

(सहकारिता मंत्री)

1. भूमि नाले के पास है जिसमें गहरा गढ्ढा था तथा पानी का रिसाव भी रहता था। इसे भराने की व्यवस्था की गई।

2. कुछ भूमि पर पड़ोसी का अनधिकृत कब्जा था जिसे हटाने के लिये व्यवस्था की गई।

3. जुलाई 1981 में आई बाढ़ के कारण यह भूमि जलमग्न हो गई थी।

जिला उद्योग केन्द्र झालावाड़ द्वारा राशि खर्च

118. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला उद्योग केन्द्र झालवाड़ द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के लिए विभिन्न मदों पर कुल कितनी रकम खर्च करने का प्रावधान था तथा अब तक कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न मदों पर प्रस्तावित रकम खर्च नहीं हुई ?

(3) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष-वार सूचियां परिशिष्ट 'अ' 'ब' 'स' संलग्न हैं।

(2) कुछ मदों पर प्रस्तावित रकम पूरी खर्च नहीं हुई।

(3) इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है, क्यों कि व्यय में यह कमी किसी व्यक्ति की शिथिलता के कारण नहीं रही अपितु :-

1) उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों में औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण रही है।

2) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त ही नहीं हुए। मदवार उल्लेख परिशिष्टों में उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का कारोबार

119. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर अपने कारोबार के सम्बन्ध में अन्य सहकारी संस्थाओं व एजेन्सियों को अग्रिम भुगतान के रूप में राशि देता रहा है ? यदि हां, तो सहकारी वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में कब कब किस के नाम कितनी कितनी राशि अग्रिम भुगतान की लिखी हुई थी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(६)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या सहकारिता वर्ष 1980-81 के पूर्व में दी गई अग्रिम भुगतान की राशियों में से किसी का अभी तक समायोजन होना बाकी है ? यदि हां, तो किस किस का ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर अपने कारोबार के संबंध में अन्य सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित चीनी के व्यवसाय हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में राशि देता रहा है जिसकी वर्ष 80-81, 81-82 एवं 82-83 की वर्ष वार सूचना क्रमशः परिशिष्ट 'अ' 'ब' 'स' पर संलग्न हैं। अन्य एजेन्सियों को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सहकारी संस्थानों में सहायता व अंशदान विनियोजित पूंजी

120. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के सहकारी संस्थानों में ऋण सहायता अथवा अंशदान के रूप में 31 मार्च, 83 को कितना रुपया विनियोजित था ?

(2) इस धनराशि के ऑडिट की क्या व्यवस्था है ?

(3) राज्य सरकार को इन संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट किस रूप में व किस स्तर पर प्राप्त होती है ?

(4) क्या राज्य सरकार इनको ऑडिट की वर्तमान प्रणाली तथा इन संस्थाओं में विनियोजित पूंजी के व्यय के औचित्य के विषय में संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार द्वारा सुधार के लिये क्या उपाय काम में लिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के सहकारी संस्थानों में 31 मार्च, 83 को ऋण, सहायता एवं हिस्सा राशि अंशदान के रूप राज्य सरकार का क्रमशः 15.46 करोड़ रुपये एवं 69.32 करोड़ रुपये विनियोजित था।

(2) सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत संस्था के आडिट हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां को वैधानिक दायित्व दिया गया है। रजिस्ट्रार की सहायतार्थ प्रधान कार्यालय में एक मुख्य अंकेक्षक की नियुक्ति विभाग में राज्य सरकार द्वारा की हुई है। राज्य को आठ भागों में बांटकर प्रत्येक खण्ड में उप रजिस्ट्रार स्तर के एक-एक क्षेत्रीय अंकेक्षक के कार्यालय स्थापित हैं तथा उनके अधीनस्थ 21 विशेष लेखा परीक्षक, जिला स्तर पर नियुक्त हैं। विशेष लेखा

(सहकारिता मंत्री)

परीक्षकों के अधीन 756. निरीक्षक (आडिट) नियुक्त हैं जिन संस्थाओं में कारोबार ज्यादा है, उनमें पृथक से समवर्ती अंकेक्षक लगाये हुये हैं।

(2) शीर्ष संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आडिट रिपोर्ट्स निपटाने हेतु प्रधान कार्यालय में मुख्य अंकेक्षक के पास तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों, क्रय विक्रय, थोक भण्डार एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट्स निपटारे हेतु संबंधित क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी के पास तथा शेष समस्त प्रकार की प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की आडिट रिपोर्ट्स निपटारे हेतु संबंधित विशेष लेखा परीक्षकों के पास प्राप्त होती हैं।

शीर्ष संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आडिट रिपोर्ट्स का निपटारा प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य अंकेक्षक द्वारा किया जाता है एवं आडिट रिपोर्ट्स की एक प्रति राज्य सरकार के (वित्त विनियोजन प्रकोष्ठ) पास भेजी जाती है।

(3) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक क्रय विक्रय, होलसेल भण्डार, गृह निर्माण सहकारी समितियों की आडिट रिपोर्ट का निपटारा संबंधित क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा एवं शेष समस्त प्रकार की प्राथमिक सहकारी समितियों की आडित रिपोर्ट का निपटारा संबंधित विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

जिला दुग्ध सहकारी संघों की आडिट रिपोर्ट्स निपटारे हेतु प्रधान कार्यालय में उप मुख्य अंकेक्षक (दुग्ध) के पास प्राप्त होती हैं।

(4) जी हां।

जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर के विरुद्ध केस दायर करने पर पाबन्दी

121. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के विरुद्ध किसी भी प्रकार का केस दायर करने पर पाबन्दी लगाई हुई है ? यदि हां, तो वह पाबन्दी किन कारणों से तथा कब तक के लिए लगाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दावा दायर करने की पाबन्दी के बाद उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को भी हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे कर्मचारी न्याय कैसे पायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर को राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिनांक 4.3.1978 से सहायता उपक्रम घोषित कर इसे वैधिक कार्यवाहियों से मुक्त रखा गया है – यह आदेश अभी

(उद्योग मंत्री)

30.6.84 तक प्रभावी है। सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के 9.9.75 से बन्द हो जाने व देनदारियां बढ़ जाने तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा नर्सिग प्रोग्राम तैयार कर इसे पुनः चलाने पर लेनदारों द्वारा इसे अवसायन में ले जाने की कार्यवाही को रोकने हेतु इसे सहायता उपक्रम घोषित किया गया।

(2) जी हां – 8 कर्मचारियों को उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप में विधिवत व कानूनी जांच कार्यवाही करने के पश्चात ही उन्हें पद मुक्त किया गया था।

जालौर जिले में सहकारी समितियां

122. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचौर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिला जालौर में सबसे अधिक हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी समितियां हैं ? इन समितियों में से कितनी सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं कितनी बन्द पड़ी हैं एवं क्यों ?

(2) सांचौर की सेवा सहकारी समितियों में से कितनी समितियों को खरीफ अल्पकालीन ऋण दिया गया एवं कितनी समितियों को रबी ऋण दिया गया ?

(3) सांचौर की कितनी सेवा सहकारी समितियों को फसली ऋण नहीं दिया गया एवं क्यों ?

(4) क्या उक्त सेवा सहकारी समितियों की साख सीमा निर्धारित करने एवं ऋण देने में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं क्यों ?

(5) सांचौर की सेवा सहकारी समितियों की ऋण वसूली की क्या स्थिति है।

उत्तर

(1) जी हां। सांचौर तहसील में कुल 39 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिनमें से 32 सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं 7 समितियां बंद पड़ी हैं। ये समितियां अवधिपार ऋण बकाया होने एवं उसकी वसूली नहीं हो पाने के कारण बन्द पड़ी हैं।

(2) खरीफ फसल में 21 समितियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया। रबी फसल हेतु 30 समितियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया।

(3) 9 सहकारी समितियों में नए सदस्य नहीं बनने के कारण एवं पुराने सदस्यों में अवधिपार ऋण बकाया होने के कारण ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

(4) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(5) सांचौर तहसील क्षेत्र की ऋण वसूली वर्ष 82-83 में कुल मांग का 55 प्रतिशत रही है।

नाथद्वारा उदयपुर में आर. सी. सी. टैंक का निर्माण

113. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बद्ध नाथद्वारा जिला उदयपुर में आर. सी. सी. टैंक के निर्माण में स्टील आदि को ब्लेक में बेचे जाने से सम्बन्धित एक प्रकरण का अनुसंधान किया गया था या किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो यह अनुसंधान कब से किया जा रहा है और अनुसंधान की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) यह प्रकरण वर्ष 81 से अनुसंधानाधीन रहा। धीमी प्रगति का कारण रिकार्ड का अभाव।

नागौर जिले में अपराधिक घटनायें

124. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला नागौर में सन् 1982-83 व 1983-84 से 15 फरवरी, 84 तक निम्न प्रकार की कितनी-कितनी घटनायें घटित हुई :—

1. चोरियां 2. डकैतियां 3. हत्यायें 4. आगजनी 5. बलात्कार ? कृपया थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

प्रदेश के थानों में बलात्कार के केसेज

126. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 3 वर्षों में राज्य के किन-किन थानों में बलात्कार के कांड हुए ?

(2) उनमें कौन कौन व्यक्ति लिप्त थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब कब हुई ?

(3) वर्तमान में किन किन के विरुद्ध कहां कहां केस चल रहे हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा हुई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) सूचना संलग्न है।

(3) ब्यौरा संलग्न है।

(सूचना एवं ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारियों के गृह जिले में पदस्थापन पर रोक

127. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कर्मचारियों के उनके गृह जिले में पदस्थापन पर कोई रोक है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

(2) वर्तमान में कितने कर्मचारी किन किन गृह जिलों में पदस्थापित हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कांस्टेबल से लगाकर सहायक उपनिरीक्षक पुलिस की श्रेणी तक के कर्मचारियों के उनके गृह जिलों में पदस्थापन पर कोई रोक नहीं है। उपनिरीक्षक पुलिस व उसके ऊपर की श्रेणी के कर्मचारियों का गृह जिले में पदस्थापन वर्जित है। पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी नीति निर्देश, जो कि वर्तमान में प्रभावशील हैं, राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा आदेश संख्या एफ-8 (6) गृह-1/81 दिनांक 24-6-1982 से प्रचलित किये हुए हैं।

(2) जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

पंचायत समिति इटावा एवं अंता को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण

128. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति इटावा एवं अन्ता में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण प्राप्त करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र 1983-84 में प्राप्त हुए तथा कितने व्यक्तियों को किस कार्य हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया है? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों पंचायत समितियों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने व्यक्तियों को कितना ऋण व अनुदान दिलाये जाने का लक्ष्य था तथा क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1)	इटावा	अंता
प्राप्त आवेदन	15	60
निपटाये गये	4	33

सूची संलग्न है।

(2)	कामगार	अनुदान	ऋण	कामगार	अनुदान	ऋण
लक्ष्य	24	0.11	0.76	38	0.17	0.76
स्वीकृति	4	0.04	0.10	33	0.16	0.71

(लाखों में)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सदस्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास जारी हैं।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे थे, अतः सभी उत्तरदायित्व निर्धारित करना उचित नहीं होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

कृषि उपज मंडी केशवराय पाटन के अस्थाई कर्मचारी

129. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी कमेटी केशवराय पाटन में गत 4 वर्षों से अधिक अस्थाई कर्मचारी सेवारत हैं? यदि हां, तो कितने और कब से? कृपया नियुक्ति तिथि से सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों से सेवारत अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया गया है तथा स्थाई करने पर सभी सेवा नियमों की पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया स्थाई किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि, स्थाई करने की तिथि तथा जन्म तिथि सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इनकी संख्या तीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कर्मचारियों को स्थाई किये जाने के मामलों में राजस्थान कृषि उपज विपणि (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत नियमों की पालना की गई है। स्थाई किए गए कर्म-

(५)

(राज्य मंत्री, कृषि)

चारियों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

कृषि उपज मंडी, कोटा द्वारा लिंक रोड का निर्माण

130. **श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)**: क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम माथना तहसील बारां जिला कोटा की लिंक रोड कृषि उपज मण्डी द्वारा कब बनाई गई थी ?

(2) इस पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? क्या यह सड़क पूरी हो गई है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम माथना तहसील बारां जिला कोटा की सम्पर्क रोड वर्ष 1978-79 में बनाई गई है।

(2) इस सड़क पर 4,73,633.00 रुपये व्यय हो चुके हैं। अभी यह सड़क पूरी नहीं हुई है। श्री रामगोपाल कृषक गापालपुरा के ए. सी. एम. कोर्ट बारां में भूमि सम्बन्धी स्थगन आदेश होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। न्यायालय का निर्णय होने के उपरान्त ही वांछित कार्यवाही की जा सकेगी।

जैसलमेर पशु चिकित्सालय में अधिकारी व कर्मचारी के पद

131. **श्री चन्द्र वीर सिंह भाटी (जैसलमेर)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने और कब कब से ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिलें में समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभाग द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के 24 एवं अन्य कर्मचारियों के 143 पद स्वीकृत है।

(2) जी हां। स्वीकृत पदों में से 10 अधिकारियों एवं 19 कर्मचारियों के पद वर्तमान में रिक्त है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जयपुर जिले के आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण

132. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) एवं श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की ओर से फेरल केटल स्काउट नामक एक संस्था राज्यों में आवरा हुए पशुओं को क्षेत्रों से हटा देने का कार्य करती है ?

(2) क्या वर्ष 1975–76 में भरतपुर में आवारा दुधारू पशुओं को पकड़वाने का कार्य इस संस्था द्वारा कराया गया था ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस संस्था से जयपुर जिले के आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन वाइल्ड केटल केचिंग स्क्वेड नामक संस्था आवारा पशुओं को पकड़ने सम्बन्धी कार्य करती है।

(2) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) उक्त संस्था द्वारा जयपुर जिले के आमेर एवं सांगानेर कस्बों के आवारा पशुओं को पकड़ने सम्बन्धी कार्य हेतु स्क्वायड भेजने के लिये भारत सरकार को लिखा गया था, सम्भवतया उनके पास इस कार्य हेतु केवल एक ही छोटा दल होने के कारण, जबकि ये मांग सम्पूर्ण भारत से प्राप्त होने के कारण आवश्यक सेवायें अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी हैं, किन्तु विभाग इस हेतु सतत प्रयत्नशील है एवं भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है।

जलाऊ लकड़ी के लिये परमिट

133. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी के लिये अपने वन से प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा परमिट जारी किया जाता है ? यदि हां, तो रेंज देवगढ़ व प्रतापगढ़ से वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में कितने परमिट जारी किये और कितनी राशि प्राप्त की ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी के लिये निःशुल्क परमिट दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उपरोक्त वर्षों में कितने आदिवासी कृषकों को जलाऊ लकड़ी का परमिट दिया गया ?

(3) क्या विभाग एवं राज्य सरकार को यह जानकारी है कि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जलाऊ लकड़ी परमिट में नियमानुसार राशि से भी अधिक राशि वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

(52)

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्रामीणों को वनों से जलाऊ लकड़ी बैलगाड़ी द्वारा लाने के लिये प्रतिवर्ष परमिट दिये जाते हैं। रेंज देवगढ़ तथा प्रतापगढ़ में कुल वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में क्रमशः 4314 तथा 1667 बैलगाड़ियों के परमिट जारी किये गये तथा क्रमशः 61,860/– एवं 25,005/– रायल्टी राशि प्राप्त की गई है।

(2) सर बोझों द्वारा निजी उपयोग के लिये लाई जाने वाली जलाऊ लकड़ी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ना ही परमिट जारी करने की आवश्यकता है।

(3) निर्धारित रायल्टी से अधिक राशि प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच करने पर जो दोषी कर्मचारी पाये गये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतापगढ़ वन मण्डल में वर्ष 1982–83 में एक वनपाल को निलम्बित किया जाकर कार्यवाही की गई तथा 1984–84 में दो व्यक्तियों को अभी तक निलम्बित किया जा चुका है। एक अन्य जांच जारी है।

जिला आयुर्वेद कार्यालय, नागौर से सेवानिवृत्त वैद्य

134. श्री बाऊदयाल जोशी (दोगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला आयुर्वेद कार्यालय नागौर से सेवा निवृत्त हुए कितने वैद्यों की सामन्य/अंशदायी/प्रावधायी निधी का भुगतान बीमा विभाग द्वारा अधिकार पत्र जारी करने के उपरान्त अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया सूची सेवानिवृत्ति तिथि, अधिकार पत्र प्राप्त होने की तिथि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्ति वैद्यों द्वारा सामान्य/अंशदायी/प्रावधायी निधि के भुगतान हेतु भुगतान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित रसीदें भी डाक द्वारा भेज दी गई थीं ?

(3) उक्त भुगतान अभी तक नहीं होने के लिये कौन दोषी है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) उक्त प्रावधायी निधि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल दो वैद्यों को अधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद समय पर एड्वान्स रसीदें प्राप्त नहीं होने से अधिकार पत्र समयावधि पार हो जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। विवरण निम्न प्रकार है :—

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

	नाम वैद्य एवं सेवा निवृत्ति/ मृत्यु दिनांक	अधिकार पत्र संख्या व दिनांक	राशि	अधिकार पत्र प्राप्ति दिनांक
1–	श्री भागीरथ प्रसाद, सेवा-निवृत्त तिथि 31.3.80	9088 / 25.8.81	1663/-	29.8.81
2–	श्री छगनलाल, मृत्यु दिनांक 19.2.82	1114 / 20.5.82	241/-	दिसम्बर 1982

(2) जी हां। किन्तु रसीदें समय पर प्राप्त नहीं हुई थीं।

(3) अधिकार पत्र, अवधि पार हो जाने से बीमा विभाग को नवीनीकरण हेतु भेजे हुए हैं। नवीनीकरण होकर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः भुगतान नहीं करने हेतु किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता।

(4) अधिकार पत्र नवीनीकरण पश्चात् प्राप्त हो जाने के उपरान्त, पुनः एडवान्स रसीदें मंगवाकर भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी।

कुओं को गहरा करने हेतु खर्च राशि

135. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले में 1000 के ऊपर गांवों के कुओं का जल स्तर घट गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायता विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुएं गहरे करवाने हेतु पिछले पांच वर्षों में कई लाख रुपयों की राशि व्यय की गई है ?

(3) यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव में कितने कितने कुओं के लिये कितनी कितनी राशि कब कब खर्च की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मंत्री)

(3) चाही गई सूचना परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

नगर परिषद् अजमेर को स्वीकृत राशि

136. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर को गन्दी बस्ती सुधार योजना के तहत राज्य सरकार ने छः लाख रुपयों की राशि स्वीकार की है?

(2) यदि हां, तो यह राशि कब स्वीकार की गई और नगर परिषद् ने इसके व्यय हेतु क्या योजना बनाई है? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर को गंदी बस्ती सुधार योजना के तहत 6,42,250/- रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(2) यह स्वीकृति दि० 18-3-83 को दी गई। नगर परिषद् द्वारा व्यय हेतु बनाई गई योजना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

सूरजपोल, नागतलाई कच्ची बस्ती, जयपुर

137. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या नगर आयोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही कि सूरजपोल, नागतलाई कच्ची बस्ती जो कि नई अनाज मंडी, सूरजपोल गेट, जयपुर के पास एक विवादास्पद जमीन पर बसी हुई है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस समस्या के हल हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) इस बस्ती को अब तक नल एवं विद्युत की सुविधा प्रदान न करने का क्या कारण है?

(3) क्या राज्य सरकार नागतलाई के नले को पाटने का विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक कितनी बार इसकी नाप जोख करवाई है एवं क्या वर्ष 1984-85 में कार्य शुरू किया जावेगा?

(4) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1981 के बाद इस बस्ती में हुए अवैध निर्माण का सर्वे किया है? यदि हां, तो कितनी दुकानें एवं मकान बन गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी नहीं। सूरजपोल, नागतलाई कच्ची बस्ती कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) को तत्कालीन नगर

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

विकास न्यास जयपुर द्वारा हस्तान्तरित की गयी भूमि में वसी हुई है। तत्कालीन न्यास एवं कृषि आज मण्डी समिति के मध्य निष्पादित हुए इकरारनामे के अनुसार इस कच्ची वस्ती को वसाये जाने का दायित्व कृषि उपज मण्डी का था।

(2) वस्ती को बसाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि उपज मण्डी समिति का है।

(3) नागतलाई नाले को पाटने की अभी कोई योजना नहीं है।

(4) अवैध निर्माण का सर्वे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है।

नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा क्रय टेम्पो

138. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर परिषद् को समाज कल्याण विभाग, उदयपुर दारा दो टेम्पो खरीदने की सहायता राशि प्रदान की ? यदि हां, तो कितनी राशि कब दी ?

(2) क्या नगर परिषद् उदयपुर ने टेम्पो क्रय किये ? यदि हां, तो कब एवं उनके नम्बर क्या-क्या हैं ?

(3) क्या उक्त दोनों टेम्पो आज परिषद् के पास हैं ? यदि हां, तो किसके चार्ज में हैं और नहीं हैं, तो क्यों ? कहां गये ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1969–70 में एक लाख रुपया दिया गया था।

(2) जी हां। दो टेम्पो दिनांक 21-9-71 को तथा एक दिनांक 10-11-71 को क्रय किये गये। इनके नम्बर आर. जे. वाई 5772 एवं 5773 तथा 5381 है।

(3) दो टेम्पो नीलाम हो चुके हैं तथा एक टेम्पो खराव पड़ा है।

अजमेर नगर की सड़कों की देखभाल का कार्य

139. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की मुख्य सड़कों की देखभाल का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन दे दिया गया है और शेष सड़कें अभी भी नगरपालिका के अधीन हैं ?

(2) इन शेष सड़कों की हालत सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर परिषद् के अधीन सड़कों का रख-रखाव व मरम्मत आदि वित्तीय साधनों के अनुसार नगर परिषद् द्वारा किया जाता रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों के लिये आगामी बजट में प्रावधान किया जा रहा है।

नगर परिशद् अजमेर के विरुद्ध शिकायतें

140. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत श्री शंकरप्रकाश द्वारा की गई थी और उस पर दिनांक 16-1-84 को नगर परिषद् के आयुक्त ने जांच के आदेश दिये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या यह जांच पूरी हो गई है ? कृपया शिकायत की प्रति, जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत संलग्न परिशिष्ट में रेखांकित है तथा उसी के साथ बिन्दुवार जांच रिपोर्ट भी है। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच रिपोर्ट पर अभी कार्यवाही विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भू-खण्डों का विक्रय

141. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा-महल): क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 10-6-1981 के पश्चात् नगर सुधार न्यास जोधपुर ने कई भू-खण्ड "आउट राइट सेल" के आधार पर विक्रय या एक्सचेन्ज किये उनका विस्तार पूर्वक विवरण निम्न कालम्स में कर कृपया सदन के पटल पर रखें :—

क. क्रेता या एक्सचेन्ज में लेने वाले का नाम।

ख. भू-खण्ड की स्कीम का नाम व संख्या।

ग. भू-खण्ड का क्षेत्रफल, भाव एवं मूल्य।

(2) क्या यह सही है कि दी राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के रूल्स 3 एवं 4 के अनुसार नगर सुधार न्यास, जोधपुर भूमि "आउट राइट सेल" के अधार पर नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बेच सकती परन्तु 99 वर्ष के "लीज होल्ड राइट्स" के आधार पर ही बेच सकती है।

(3) यदि हां, तो उपरोक्त विक्रय या एक्सचेन्ज कब तक निरस्त कर दिये जायेंगे और उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले न्यासियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 10-6-81 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने जिन भूखण्डों को आउट राइट सेल के आधार पर एक्सचेन्ज में दिया उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 में 99 वर्ष की लीज पर ही भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

(3) न्यायालय आदेश व विस्तृत जांच के बाद कार्यवाही सम्भव होगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

इटावा ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाना

142. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा में ग्राम झाड़ोल, खाड़ावदा, डोली तथा डडवाड़ा को मिलाकर नगरपालिका बनाने की मांग वहां की जनता समय-समय पर करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इटावा की आबादी, आय, विकास तथा अन्य क्षेत्रीय परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए इटावा को नगरपालिका बनाने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मंडी, केशवरायपाटन के सचिव

143. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी के केशवरायपाटन कृषि उपज मण्डी के सचिव कौन हैं और कब से इस स्थान पर सेवारत हैं ?

(2) वर्तमान सचिव, कृषि उपज मंडी, केशवरायपाटन के कार्यभार सम्भालने से अब तक सिंचित केशवरायपाटन में चावल गेहूं की पैदावार क्या रही ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सचिव के कार्यभार

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सम्भालने से अब तक मण्डी टैक्स के रूप में मण्डी कमेटी को कितनी आय हुई ? कृपया फसल व मासिकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, केशवरायपाटन में सचिव पद पर श्री राजसिंह दिनांक 28-10-80 से सेवारत है।

(2) क्षेत्र की उत्पादकता से मण्डी समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) इस अवधि में मण्डी शुल्क के रूप में कमेटी को 6,84,189.16 रुपये की आय हुई। मण्डी शुल्क से मासिकवार आय सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आय के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

तहसील धरियावद में कृषि उपज मंडी टैक्स की वसूली

144. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धरियावद तहसील (उदयपुर) में कृषि उपज मण्डी का टैक्स वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी की सुविधा किसानों को प्रदत्त की गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो अब सुविधा कब तक दे दी जावेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य हेतु भूमि का चयन कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्या भूमि चयन के सम्बन्ध में जनता के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें मण्डी यार्ड निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि बताई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि के अधिग्रहण का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। धरियावद के कृषकों की कृषि उपज, पूर्व में मण्डी समिति उदयपुर में विक्रय होती थी, जहां सभी सुविधाऐं उपलब्ध हैं। जब चूंकि दिनांक 20.2.84 को ही पृथक से गौण मण्डी धरियावद की स्थापना हुई है, वहां भूमि अवाप्त की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि अवाप्त होते ही कृषकों को नीलामी पलेट फार्म, दुकानों आदि की सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

(2) जी हां। भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री कमलेन्द्र सिंह**, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवम्बर, 1982 में वन विभाग द्वारा ली गई वनपालों की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित न होने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(2) **श्री बाऊदयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य**, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में पुलिस एस. एच. ओ. द्वारा भील जाति के एक 18 वर्षीय बालक की पीट कर हत्या कर देने के विषय में,

(3) **श्री भूपाल सिंह**, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबकारी विभाग द्वारा हाल ही में तहसील भीम जिला उदयपुर में एक होलसेल के लाइसेन्सी के विरुद्ध 31 लाख रुपये के गबन का एक मामला होने के विषय में,

(4) **श्री महाराम चौधरी व श्री यदुनाथ सिंह**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 8 दिसम्बर को दयानन्द कालेज, अजमेर के छात्र प्रदीप चौधरी की हत्या के विषय में,

(5) **श्री मेघराज तावड़**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में सीमा स्थित गांव में उग्रवादियों व अलगाववादियों द्वारा अपनी कार्यवाही का केन्द्र बनाने के विषय में,

(6) **श्री चुन्नीलाल जेलिया व श्री हंसराज शर्मा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 मार्च को करौली अस्पताल में नसबन्दी करते समय एक महिला की मृत्यु और गत 4 मार्च को सुरोट में दो महिलाओं की मृत्यु के विषय में,

(7) **श्री मालाराम**, सदस्य, विधान सभा की ओर से मई, 1982 में हुई बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हड़ताल की अवधि का वेतन बिजली कर्मचारियों को अभी तक न चुकाने के विषय में,

(8) **श्री बंसीलाल पटवा**, सदस्य, विधान सभा की से भीलवाड़ा जिले के करेड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अराजक तत्वों द्वारा अध्यापकों की पिटाई के विषय में,

(9) **श्री घनश्याम तिवाड़ी**, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बानसूर जिला अलवर में एक अज्ञात बीमारी से एक परिवार के 6 सदस्यों की मुत्यु हो जाने के विषय में,

(10) **श्री हरीश शर्मा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में अधिकतर पशु चिकित्सालयों में चिकित्सक न होने से पशुओं की चिकित्सा में हो रही कठिनाई के विषय में,

(11) **सुश्री पुष्पा जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 फरवरी को थाना उद्योग नगर जिला अलवर में चोरी के आरोप में मोहरपाल नामक एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं के विषय में,

(12) **सर्व श्री बालचन्द आर्यवीर व अनंगकुमार जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 फरवरी को गण्डाल गांव में डकैती की एक घटना के विषय में,

(13) **श्री भगवानदास शास्त्री**, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 15 मार्च को नगर पालिका, अजमेर द्वारा शीशाखान

(श्री अध्यक्ष)

अजमेर में अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यकों के करीब 24 मकान गिरा देने की घटना के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

निम्नांकित प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। माननीय सदस्य चाहें तो इन्हें बजट पर आम चर्चा के दौरान या सम्बन्धित विभाग की मांगों के अवसर पर चर्चा कर सकते हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) **श्री कैलाश मेघवाल**--राजस्व विभाग द्वारा गत 21 जनवरी को भूमि आवंटन सम्बन्धी 8 नियमों में संशोधन करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(2) **श्री छीतर लाल आर्य**—अटरू तहसील में हुई तीन डकैतियों की घटना के विषय में,

(3) **श्री जीतमल जैन**—टपूकड़ा जिला अलवर में गत 11 मार्च को हितेष कुमार पर एक प्राणघातक हमला होने के विषय में,

(4) **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह व श्री राजबहादुर**—जनगणना के अस्थाई कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर देने के विषय में,

(5) **श्री महावीर प्रसाद जैन**--टौंक तहसील के ग्राम पंचायत वजीरपुरा में डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा न देने के विषय में,

(6) **श्री कुंजीलाल**--ग्राम बोंली में होली जलाने पर लगाई गई पाबन्दी के विषय में,

(7) **श्रीमती उजला अरोड़ा**--भानपुरकला जिला जयपुर में चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने के विषय में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है जो इस प्रकार है :—

(1) **श्री महाराम चौधरी** : नागौर शहर की कुछ कच्ची बस्तियों में पानी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि कच्ची बस्तियों में सड़क, नालियां एवं पुलिया निर्माण आदि पर 1.73 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं और पानी के चार सार्वजनिक नल भी लगाये गये हैं।

(2) **श्री नाथू सिंह** : राजस्थान में लोकायुक्त का पद रिक्त होने के विषय में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय होने की सम्भावना है।

(3) **सुश्री पुष्पा जैन, श्री रामकिशोर मीणा व श्री चुन्नीलाल** : गत 20 फरवरी

(श्री अध्यक्ष)

को बयाना में गुड्डू पुत्र नत्थासिंह द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है किन्तु अभियुक्त के फरार होने के कारण अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

(4) **श्री महावीर प्रसाद जैन** : तहसील टोंक में उन और वाचरा के बीच एक तालाब की जमीन पर काश्तकारों के विरुद्ध अतिक्रमण दर्ज करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों ने भूमि पर कब्जा किया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तवों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) **सर्व श्री बालचन्द ग्रार्यवीर व अन्य सदस्य** : कोटा जिले में शीत लहर के विषय में।

एक ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उस चर्चा में भाग ले सकते हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त होने के कारण निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को ग्रस्वीकार किया गया।

(1) **श्री बालचन्द आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन**—धनवाड़ जिला झालावाड़ में एक सहकारी समिति द्वारा फर्जी ऋण का वितरण।

(2) **श्री हरीश शर्मा**—कोटा जिले में आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये मकानों का कब्जा न देना।

(3) **श्री हंसराज शर्मा**--छीपा बड़ौद थाना में एक महिला के साथ बलात्कार।

(व्यवधान)

बैठ जायं, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है और उसके कारण अस्वीकार कर दिये गये हैं माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों के विषय में दो दो मिनट तक अपनी बात कह सकते हैं।

(स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको दिये हुए ग्राज 10-11 दिन हो गये हैं। ग्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री ग्रध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं है, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें!

(व्यवधान)

ग्रंकित नहीं हो।

(श्री अध्यक्ष)

जिन प्रस्तावों पर पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है उन पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : ××××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आप व्यर्थ ही सदन का समय ले रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य। सदन का समय व्यर्थ ही ले रहे हैं। अंकित न हो। आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी ×××

श्री अध्यक्ष : अगर मैंने आश्वासन दिया है तो आप मेरे से चैम्बर में आकर बात कर सकते हैं। यहां पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य। यहां पर चर्चा नहीं होगी। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। महत्वपूर्ण है तो आपको पहले ही मालूम है कि यदि कोई स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है तो पहले से उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। प्रत्येक दिन वह का वह प्रश्न दोहरायें। माननीय सदस्य, मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक दिन आप पचासों की संख्या में स्थगन प्रस्ताव देते हैं उन पर तत्काल ही कुछ न कुछ व्यवस्था दे सकूं। उनके संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त कर निवेदन नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

कृपया आप अव्यवस्था नहीं फैलायें। यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप अलग से मुझे मिलने का कष्ट करें। कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो पहले के प्रस्तावों के बारे में यहां पर चर्चा नहीं होती है।

श्री त्रिलोकसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप व्यर्थ ही समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य, यदि आपको कोई कठिनाई है तो आप मुझ से मिल ले। मैं आपकी कठिनाई पर कोई व्यवस्था कर उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, माननीय सदस्य।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो। अब दुबारा जब तक अन्य आदेश नहीं दूं, अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

अब जिन माननीय सदस्यों के नाम मैं पुकारूं वह अपने स्थगन प्रस्तावों के बारे में बोल सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं कि प्रत्येक दिन इतने जवाब आ रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। व्यर्थ में समय ले रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महाराम चौधरी। अपनी बात दो मिनट में कह दें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं, अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो। श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव नागौर शहर के पास जो ग्रामीण बस्तियां पिछले सालों के अन्दर बसी है, उनके सम्बन्ध में दिया है। उन ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। वह लोग मजदूरी करते हैं, इस नीयत से वहां पर आकर बस गये थे। वह लोग आफ सीजन में खेती भी करते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आपके स्थगन

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव का विषय नहीं है, माननीय सदस्य। आपने तो सफाई के बारे में दिया था पर खैर आप बोल लें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उन बस्तियों जहां पर ग्रामीण लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के लिये पानी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें पानी और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब 'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम चला तो उसके अन्दर 1 लाख 73 हजार रुपये खर्च किये हैं, यह मुझे बताया गया है लेकिन उन कच्ची बस्तियों, जो कि वहां पर बसी हुई हैं, को नजर अन्दाज कर दिया गया है और वहां पर पानी, बिजली और सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें भी विशेष तौर से नागौर की राठौड़ी कुआं की बस्ती है जिसमें ज्यादातर माली लोग है। वह लोग आफ सीजन में मजदूरी करते हैं। बाकी समय वह लोग खेती बाड़ी करते हैं। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, न तो कोई टूंटी की व्यवस्था है और नही कोई बिजली की व्यवस्था है। अगर वहां पर टूंटी लगाई भी गई है तो ऐसी ऊंची जगह पर लगाई है, अध्यक्ष महोदय, उसमें से पानी नहीं आ सकता है क्योंकि पानी चढ़ता ही नहीं है। इसके अलावा इसी तरह वहां रैगरों का मोहल्ला है और बेलदारों का भी मोहल्ला है। यही हालत वहां जो नायकों का मोहल्ला है उसकी है। मेरे कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां पर घोषणायें तो बड़ी बड़ी करती है पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आ कर आस पास जिन जगहों पर बस गये हैं वहां पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अवहेलना तो होती ही है शहरी क्षेत्र में जहां किसान और पिछड़े वर्ग के लोग आकर बस गये हैं उनकी 'प्रशासन शहरों की ओर' कार्यक्रम के अन्दर भी अवहेलना की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की तो अवहेलना करती ही है पर गांवों के जो लोग शहरों के पास आकर बस गये हैं उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं उनकी तो तूतड़ी भी बिक जाती है पर जो बेचारे बोलना नहीं जानते हैं या जो बेचारे अपनी बात की पैरवी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, या जो तरीका नहीं जानते हैं या जो पीछे पीछे नहीं जाते हैं उनकी तो पीली बाजरी भी ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जवाब दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि 1 लाख 74 हजार रुपये उन कच्ची बस्तियों के लिये खर्च कर दिये गये हैं। वह गलत है। उन कच्ची बस्तियों में कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। यह हो सकता है कि दूसरी जगह पर पैसा उनके नाम पर खर्च कर दिया गया हो। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन

(श्री महाराम चौधरी)

नहीं की, को एक मामूली से शक और करना चाहूंगा कि आप उनको ताड़ना दीजिये जिससे कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आकर बस गये लोगों की बस्तियों में सफाई, पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, श्री राम किशोर मीणा, सुश्री पुष्पा जैन।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में दिया था कि दिनांक 20-2-84 को बयाना में जो अप्रिय घटना हुई उसके कारण बयाना क्षेत्र में बड़ा आतंक फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस आतंक का कारण यह है कि कुछ प्रभावी व्यक्तियों के परिवारजनों के द्वारा वहां पर लोगों के साथ मार पीट की जाती है। जिन लोगों का नाम अभियुक्तों में है वह लोग इसके बावजूद बयाना में ही हैं और पुलिस उनका जान बूझ कर या राजनैतिक दबाव के कारण गिरफ्तार नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, किशनलाल कोली के मकान पर जो दिनांक 20-2-84 को घटना घटित हुई उसमें राज्य सभा के सदस्य के सुपुत्र मैन अभियुक्त हैं, उनके पुत्र के द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके द्वारा छेड़छाड़ करने के बाद जब उसकी माँ के द्वारा शिकायत की गई तो उसकी ननद और भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया उसके बाद जब उसके पिता और ससुर उसको बचाने के लिये और समझाने के लिये गये तो उन पर चाकू का गहरा वार किया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन भी हुए हैं। वहां पर एक भय का वातावरण बना हुआ है। उसका कारण यह है कि अभियुक्त को राजनैतिक दबाव के आधार पर संरक्षण दिया जा रहा है। इसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जावे और उसको सख्त से सख्त सजा दिलायी जावे ताकि गरीब लोगों को संरक्षण मिल सके।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी को बयाना में गुड्डू अपने मकान के सामने नहाती हुई महिला से छेड़छाड़ करने लगा। जब उसकी सास ने मना किया तो उसने उसके घर जाकर उस नहाती हुई बहू के साथ बद्तमीजी की और अभद्र व्यवहार किया। इस पर उस महिला की ननद बचाने के लिए आई तो उसने उसे भी छत से नीचे फेंक दिया। अध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं, जब उस लड़के का पिता इसका कारण पूछने गुड्डू के घर गया तो उसने उसको भी चाकू घोंप दिया। दोनों बाप बेटे अस्पताल में भर्ती हुए। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया, राज्य सरकार ने यह जवाब क्यों दिया कि मुलजिम फरार है। अध्यक्ष महोदय, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर मुलजिम कौन है, कौन उसको पनाह दे रहा है, वह कैसे 20 फरवरी से आज तक लगातार फरार है। अध्यक्ष महोदय, अलवर के मोहरपाल, जिसने कोई चोरी

(सुश्री पुष्पा जैन)

शुबाह के खातिर पुलिस ने थाने में बुला लिया और इतनी यंत्रणायें दीं ....

श्री अध्यक्ष : अलग विषय है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : .... विषय अलग है, अध्यक्ष महोदय, किन्तु हमें यह देखना पड़ेगा कि मामूली कोई अगर अपराधी न भी हो उसे बुलाकर पुलिस इतनी यंत्रणायें दे कि उसके हाथ पैर काट देने पड़े और एक व्यक्ति को क्योंकि राजनैतिक संरक्षण है इस लिए उसे फरार बतायें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि गुड्डू और कोई नहीं बल्कि सत्ता दल के राज्य सभा के एक सदस्य श्री नत्थासिहजी का पुत्र है और देहली में उनके घर में ही बैठा हुआ है। इसकी सूचना मालूम है पुलिस को, उसके बावजूद भी जान बूझकर उसको अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इससे सत्ता पक्ष की छवि गिरती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पुलिस पकड़ने के लिये गई और पुलिस निरन्तर प्रयास में है कि उसे अरेस्ट कर जाये लेकिन श्री नत्थासिहजी और अन्य राजनैतिक नेताओं द्वारा पुलिस इन्चार्ज बायाना को यह धमकी दी गई कि अगर आपने गुड्डू को अरेस्ट किया तो उसके परिणाम गम्भीर होंगे और आपको भुगतने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सारी परिस्थिति से बयाना की हालत खराब है वहां निरन्तर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा के मैम्बर के घर पर पथराव किया गया पब्लिक द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि आज जो स्थिति है, यदि मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसके कोई गम्भीर परिणाम हुए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि पब्लिक ने आज पथराव किया है तो कल को कोई और एक्शन ले ले, कानून अपने हाथ में ले ले तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जब कानून की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तब जान-बूझ कर संरक्षण देने की खातिर आप लोगों की रक्षा नहीं करें तो निश्चित बात है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे जब। कानून को अपने हाथ में साधारण लोग लेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो सत्ताधारी लोग हैं। जिनके बलबूते पर सरकार चल रही है यदि वह गुनाह करें तो उनको सौ गुनाह भी माफ और बेचारे साधारण आदमी गुनाह ना भी करें तो उनको आप तरह तरह की यातनायें दें। यह दोतरफा व्यवहार सरकार को शोभा नहीं देता। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि यदि आपको अपनी छवि सुधारनी है, यदि राजस्थान की जनता की नजर में आपको इन्साफ करने वाली सरकार रहना है तो जल्दी से जल्दी राज्य सभा के सदस्य श्री नत्थासिह के सुपुत्र को गिरफ्तार किया जाये जो कि देहली में उनके घर मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद, तहसील टोंक में उम और काबरा के बीच एक तालाब की जमीन पर अतिक्रमण के संबंध में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है....

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, मुझे लोकायुक्त की नियुक्ति किये जाने पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा था, आप उपस्थित नहीं थे।

श्री नाथूसिंह : मैं कागज लेने गया था।

श्री अध्यक्ष : दो दो माननीय सदस्य हैं, जब मैं नाम पुकारूं तब वह बाहर पधार जायेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के ज्ञाता हैं, जब कभी आसन को कठिनाई होती है तो हम आपसे ही पूछते हैं।

(व्यवधान)

मैं अवसर दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया ग्राम उम में एक तालाब की जमीन के संबंध में। यह ग्राम पंचायत का तालाब है उस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। दूसरे गांव वालों ने बीज डाला, इसलिये उम के लोगों ने बीज डालकर अतिक्रमण को हटाया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने इस तरह का जवाब दिया और सरकार यह कहती है कि किसानों की बड़ी हमदर्द है, बड़ी बड़ी घोषणायें करती है, बड़े बड़े सूत्रों का विवेचन किया जाता है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब स्थगन प्रस्ताव गया उसके बाद तहसीलदार ने वहां जाकर भय का वातावरण पैदा कर रखा था। यहां पर जवाब भेजा गया और कहा जा रहा है कि हम नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं, जो अतिक्रमी हैं उनके खिलाफ धारा 91 में फसल कुर्क करके नीलामी की कार्यवाही की जा रही है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां पर काश्तकारों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। सारे गांव वालों ने बीज डाला। उस पर किसी का अधिकार नहीं है। उनकी स्पष्ट मन्सा यह है कि उस तालाब पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस तालाब के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने के लिए पंचायत सक्षम है। वहां पर न कोई रेवेन्यू रेंट है, न कोई अलाटमेन्ट वहां पर किया गया है, न किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया है। न अलाट किया गया, न उद्घोषणा की गयी और न काबिल काश्त जमीन है। यह तालाब की जमीन है जो कि पंचायत की है और पंचायत ही उस पर कोई भी एक्शन ले सकती है। उस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है, इसलिए सारे गांव वालों ने यह किया, सारे गांव वालों ने कार्यवाही की और सारे गांव वालों ने लिखकर दिया कि हमारी मंशा यह बिलकुल नहीं है। बीज डाला गया है लेकिन किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं हुआ। जो बीज उग गया है उसको भले ही तालाब में लगा रहने दें,

(68)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भले ही ले जायं लेकिन इन्टेन्शनली 7 व्यक्तियों के खिलाफ अतिक्रमण दर्ज करके उनके खिलाफ 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगा दी माननीय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कानूनी मसला है। हमारी मजबूरी है कि इसमें हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानूनी मसला नहीं है यदि कानून के अनुसार कोई कार्यवाही की जाती तो एक आम किसान आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता। इसलिए मैंने यह हिमाकत की है, माननीय अध्यक्ष महोदय। एक छोटे से किसान का मामला भले ही छोटा सा हो सकता है, 50 बीघा जमीन का मामला हो सकता है लेकिन एक छोटा सा किसान हाई कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता। आज वह अपनी 500 रुपये की फसल के लिए या 5 हजार जुर्माने के लिए पांच दस हजार रुपये खर्च करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता। .....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....सर्वोच्च शक्ति के रूप में हम यहां बैठे हैं तो किसानों की सुनवाई होनी चाहिए। आज उन पर अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा होगा कि टोंक के लोगों को मुर्गा बनाया गया। आज किसानों की इज्जत लूटी जा रही है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, विषयान्तर न हों।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, किसानों को सरे आम लूटा जा रहा है। उनकी इज्जत लूटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों को भी संरक्षण देने की दृष्टि से पुनः विचार करें और सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह-लोकायुक्त के संबंध में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सरकार ने कहा है कि लोकायुक्त का अपाइन्टमेन्ट कर दिया जायेगा। 6 अगस्त, 1982 से यह पद खाली पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जो ऐम था लोकायुक्त को नियुक्त करने का वह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐम था। वह ऐम यह था :

'To create an independent and impartial agency to look into and investigate the complaints of abuse of position and corruption

(श्री नाथूसिंह)

against Ministers, Secretaries and certain other public servants in order to promote a sense of confidence and satisfaction in the public mind and to provide a clean, honest and competent administration."

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी एजेन्सीज हैं जो कि करप्शन को चैक करने के लिए बनी हुई हैं लेकिन मिनिस्टर्स के करप्शन, पब्लिक सर्वेन्ट्स, बड़े बड़े सैक्रेटरीज के करप्शन को रोकने के लिए और जो पब्लिक पर्सन्स हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पर, उन पर हाथ डालने की किसी भी छोटे अधिकारी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए 1966 में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने रिकमन्ड किया कि इस तरह की कोई एजेन्सी बनाई जाये जो कि मिनिस्टर्स और पब्लिक सर्वेन्ट्स को भी चैक कर सके। उनमें जो करप्शन हो रहा है पब्लिक का जो फेथ उनमें कम हो रहा है उसको रोकने के लिए कदम उठाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि आजकल मिनिस्टर्स, एम. पीज. और सैक्रेट्रीज, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के प्रति पब्लिक फेथ वैसे ही कम हो रहा है। जहां भी जाइये वहां यह स्थिति है। यहां तक कि कई पिक्चर्स बनने लग गयी हैं इनके ऊपर। आज तो स्थिति यह हो गयी है कि सफेद कुर्ता और पायजामा पहने पब्लिक किसी को देख लेती है तो पहले ही अन्दाज लगा लेती है कि यह × × × आदमी होगा, यह × × × आदमी होगा। इस सफेद कुर्ते पायजामा से पब्लिक हेट करने लग गयी है। यह बड़े दुःख की बात है....

श्री सूर्य कुमार : आप भी तो यही पहने हुए हैं।

श्री नाथूसिंह : इसीलिए बता रहा हूं कि गांधीजी की पोशाक, जो किसी जमाने में एक आदर का सिम्बल थी खादी, और अगर मान लीजिए कि श्री परसराम जी मदेरणा खादी की टोपी लगाकर निकल गये, को देखते ही लोग झुककर सलाम किया करते थे।

आज स्थिति यह है कि कोई खादी का कुर्ता पहन कर निकल जाये तो लोग पहचानते नहीं हैं, सामने नजर मिल जाये तो बात दूसरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर्स, एम. पीज. हैं और पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोग हैं इनमें धीरे धीरे करप्शन बढ़ रहा है। उनके करप्शन को रोकने के लिये कोई चैक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पब्लिक में जो डेमोक्रेसी के प्रति मूल भावना है, लोकतंत्र में विश्वास करने की जो भावना है उसका आधार हिल रहा है और जो लोग डेमोक्रेसी को चला रहे हैं उनमें जनता का विश्वास कम हो रहा है। वह विश्वास कैसे वापस आये, राजनीतिज्ञों के प्रति जनता का कैसे विश्वास जमे इसके लिये लोकायुक्त का अपाइन्टमेंट किया जाये।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट।

इसलिये अपाइन्टमेंट किया जाये ताकि मिनिस्टर्स, एम. पीज. और जो बड़ी बड़ी पोजीशन के लोग हैं उनके करप्शन को चैक किया जा सके। आपको जानकार ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट।

दो आई. ए. एस. आफिसर इस आफिस में लगे हुए हैं और 33 से ज्यादा दूसरे कर्मचारी लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक साल में 6 लाख रुपया इन पर खर्च हो रहा है और लोकायुक्त की पोस्ट 6 अगस्त, 1982 से खाली पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इस से आइडिया ले लीजिये, सैंकड़ों पर ईयर, मेरे पास आंकड़े हैं, समय नहीं है फिर भी देना चाहूंगा। 1975-76 में कोई 1245 कम्पलेंट्स आई ऐसे लोगों के खिलाफ। 76-77 में 822 आई, 77-78 में 717, 78-79 में 302। इस तरह से सैंकड़ों कम्पलेंट्स इस आफिस में आई हैं लेकिन 1982 की 6 अगस्त से यह पद खाली पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है, विधान सभा में मुख्य मंत्री के विरुद्ध चार्जेज लगे हैं, दूसरे मिनिस्टर्स के विरुद्ध चार्जेज लगे हैं, बाहर पब्लिक से कोई एप्लीकेशन देना चाहे तो एप्लीकेशन वहां पड़ी रहेगी उसकी जांच नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार पर मेरा यह आरोप है कि सरकार खुद भ्रष्टाचार में इन्वाल्व है इसलिये इस पद को भरना नहीं चाहती। मेरा निवेदन है यदि आप छवि सुधारना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रखना चाहते हैं, गांधी की आत्मा को जीवित रखना चाहते हैं तो 6 अगस्त, 82 से जो लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है, इसको आप तुरन्त भरें। माननीय परसरामजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपाइन्टमेंट कब तक कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। किसी व्यक्ति या माननीय सदस्य या माननीय मन्त्री का नाम नहीं लें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र
अधिसूचना

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

अधिसूचना। राजस्व मन्त्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व में (ग्रुप-4) विभाग की अधिसूचना संख्या पं. 2 (6) राज./4/83/13 दिनांक 8 मार्च, 1984 सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि। सिंचित विकास क्षेत्र मन्त्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिंचित विकास क्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम के 30 जून, 1982 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एवं लेखों से सम्बन्धित 8वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा(राज्य मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : परिवहन राज्य मन्त्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति का बाइसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

संसदीय कार्य मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सहलाकार समिति के बाइसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाइसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है--

कार्य सलाकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट तथा सदन द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों के आंशिक संशोधन में समिति सिफारिश करती है कि बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1984 से शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रेल, 1984 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाय :—

बुधवार दिनांक 28 मार्च, 1984
(1) राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984,

(2) मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984,

श्री खेतसिंह राठौड़) (3) जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984, और

(4) राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984,

पर विचार एवं पारण ।

गुरूवार दिनांक 29 मार्च, 1984 (1) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1994,

(2) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधी और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984, और

(3) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984,

पर विचार एवं पारण ।

1. सरकारी कार्य

शुक्रवार दिनांक 30 मार्च, 1984 (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प पर विचार ।

(2) राजस्थान भू-दान यज्ञ (संशोधन एवं विधि-मान्यकारी (विधेयक, 1984

पर विचार एवं पारण ।

2. गैर सरकारी कार्य

संकल्प

शनिवार दिनांक 31 मार्च, 1984 रविवार दिनांक 1 अप्रेल, 1984 सोमवार दिनांक 2 अप्रेल, 1984	बैठक नहीं होगी ।
मंगलवार दिनांक 3 अप्रेल, 1984 बुधवार दिनांक 4 अप्रेल, 1984 गुरूवार दिनांक 5 अप्रेल, 1984 शुक्रवार दिनांक 6 अप्रेल, 1984	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

शनिवार दिनांक 7 अप्रेल, 1984 रविवार दिनांक 8 अप्रेल, 1984	बैठक नहीं होगी।
सोमवार दिनांक 9 अप्रेल, 1984	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार दिनांक 10 अप्रेल, 1984	बैठक नहीं होगी।
बुधवार दिनांक 11 अप्रेल, 1984 गुरूवार दिनांक 12 अप्रेल, 1984	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार दिनांक 13 अप्रेल, 1984 शनिवार दिनांक 14 अप्रेल, 1984 रविवार दिनांक 15 अप्रेल, 1984	बैठक नहीं होगी।
सोमवार दिनांक 16 अप्रेल, 1984 मंगलवार दिनांक 17 अप्रेल, 1984 बुधवार दिनांक 18 अप्रेल, 1984	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरूवार दिनांक 19 अप्रेल, 1984 शुक्रवार दिनांक 20 अप्रेल 1984	राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 पर विचार एवं पारण।]

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन पेश करना है ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। संशोधन की परम्परा नहीं रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिये।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं जो लेजिस्लेटिव बिजनेस आपने रखा है, उदयपुर यूनिवर्सिटी का जो आर्डिनेंस है, जो प्रोफेसरों के लिये एक्ट बन रहा है, एक एक दिन में चार चार........

श्री अध्यक्ष : पहले वाला जो प्रतिवेदन था 21 वां, उसमें विचारणीय विषय थे, यह तो उसके पश्चात् के दिन हैं उनके लिये है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें रखा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें नहीं रखा है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसी में रखा है, अध्यक्ष महोदय, चार चार एक दिन में रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले रखे हुए है।

श्री कैलाश मेघवाल : जो डिस्ट्रिब्यूट किया है, उसी में है। चार रखे जायेंगे 28 को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, लेजिस्लेटिव बिजनेस बड़ा गम्भीर बिजनेस है और सदन जिसके लिये प्रभुत्व रखता है ऐसा बिजनेस ……

श्री अध्यक्ष : किस दिन कौन से विधेयक लिये जायेंगे यह 21वें प्रतिवेदन में तय हो चुका था। दो छोटे छोटे विधेयक इस प्रतिवेदन में लिये गये हैं। यह सदन के सभी पक्षों के प्रतिनिधियों के समक्ष तय हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं आपने अपनी बात कह दी इसको ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन, विधेयक, 1984

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूदान यज्ञ (नाम परिवर्तन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
शीतलहर से फसलों को क्षति

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सुश्री पुष्पा जैन प्रदेश के विभिन्न भागों में शीत लहर से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति की ओर सहायता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। इस संबंध में माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अन्य कई माननीय सदस्यों के प्रस्ताव इस संबंध में आये हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है इस लिये सरकारी उत्तर सहित और सभी माननीय सदस्यों के इस वाद विवाद में भाग लेने की समय सीमा एक बजे तक निर्धारित की जाती है। कृपया समय का ध्यान रखें और जो बात संगत हों, इस प्रस्ताव से सम्बन्धित हों, उन्हीं के बारे में कहने का कष्ट करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, माह फरवरी में शीत लहर चली जिससे राजस्थान के खास तौर से उस तबके पर असर पड़ा जो अत्यधिक गरीब और कमजोर था। अध्यक्ष महोदय, शीत लहर से करीब करीब सारे राजस्थान में चना, मैथी, जो, सरसों, गेहूं, जीरा, अफीम अरहर आदि की फसलों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। अध्यक्ष महोदय, फसलों के साथ-साथ जो लोग सब्जी बो करके अपना गुजारा करते थे, उन सब्जियों को भी इस शीत लहर ने नहीं छोड़ा खरबूजे, ककड़ी, आलू, टमाटर, मैथी, बैंगन करीब करीब सूख गये। इन करीब-करीब पौधे ही नष्ट हो गये। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जिस समाज, जिसके तबके पर हम जिन्दा रहते हैं, हमें रोजी-रोटी मिलती है समाज के उसी तबके पर सरकार ने अभी तक कोई अपनी रहमोकरम, नजर-ए-इनायत नहीं की।

यहां बैठने वाले इस सदन के करीब 200 सदस्य हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई सदस्य ऐसा नहीं है जिसके क्षेत्र में किसी न किसी फसल को शीत लहर से असर नहीं हुआ हो।

श्री अध्यक्ष : सिवाय मेरे क्षेत्र के।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूं।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : आपके खेजड़ी, मूंग पर पाले का असर हुआ है, साहब, जानवरों के लिये तो खाने को कुछ बचा ही नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों में से हूं जिसके क्षेत्र की अधिकाधिक फसलों पर इस शीत लहर का प्रभाव हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने आप ध्यान देती और फसल

(सुश्री पुष्पा जैन)

के खराबा की गिरदावरी कराती लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पब्लिक जागी, पब्लिक ने मांग की सरकार से कि हमारी फसल को शीत लहर खा गई, फसलें नष्ट हो गईं, खराबा की गिरदावरी कराई जाय और वसूलियों को रोका जाय, लगान की जो वसूलियां हो रही है, उसको रोका जाय, कोआपरेटिव के जरिये जो ऋणों की वसूलियां हो रही है उनको रोका जाय लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं उन माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं चाहे वे सत्ता पक्ष में बैठने वाले हों और चाहे विरोधी पक्ष में बैठने वाले हों जिन्होंने विभिन्न प्लेट फार्म के माध्यम से आवाज उठाई और सरकार से मांग की, भिन्न भिन्न पार्टियों से मांग की। ताज्जुब की बात है, यह कैसी सरकार है गूंगी-बहरी, जो सोती रही और ध्यान नहीं दिया उस कमजोर तबके पर जो निरन्तर अकाल से पीड़ित है। इस साल लोगों को यह उम्मीद होने लगी थी कि अबकी बार फसल अच्छी होगी और पिछले साल की कमी को हम पूरा कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रकृति का प्रकोप हुआ उसके लिये तो मैं सरकार को दोष नहीं देती लेकिन प्रकृति का प्रकोप हो और सरकार जो कर सकती है, वह न करे और उसके बावजूद ज्यादतियां करे तो निश्चित रूप से हम इस सरकार को दोष देना चाहेंगे। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगी कि यह सरकार कमजोर और गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकती है तो इस सरकार को राजस्थान की गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, गरीब तबके, वर्ग पर प्रकृति ने मार की वह तो एक तरफ, अब उसके बावजूद वसूलियां हुईं। गरीबों के पास देने की कुछ नहीं था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आपके अधिकारी लगान की वसूलियां करने गये तो किसी की भैंस खोल ली, किसी का घी का पीपा उठा लिया, किसी से पैसों की मांग कर ली, किसी का क्या उठा लिया, किसी का क्या उठा लिया।

श्री महाराम चौधरी : घी का पीपा तो था ही नहीं किसी के पास।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उन्होंने तो घी समझ कर उठाया था भले ही पीपा खाली हो।

अध्यक्ष महोदय, लोगों की कुर्कियां कीं, उनकी जमीनों की नीलामी कर दी गई। सरकार को बार-बार इस बात की सूचना दी गई, इसके बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर दुःख होगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाहोता ग्राम पंचायत मोहनबाड़ी में कोआपरेटिव की वसूलियां करने के लिये अधिकारी गये। उन गरीब अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की जेब में कुछ नहीं मिला तो किसी की भैंस खोली, किसी की बकरी खोली और किसी की जेब से रुपये निकाल लिये। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों से वसूलियां की गई····

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। वसूली पर अधिक न कहें, नुकसान जो हुआ उसे कहें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जब एक तरफ किसान शीत लहर से मारा हुआ होगा तो उसके पास पैसे कहां से होंगे और पैसे नहीं होंगे तो देगा कहां से। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर दुःख होगा, आपके अधिकारियों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है ।

श्री अध्यक्ष : शीत लहर पर ही बोलें। कितना नुकसान हुआ है, यह बतायें ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा शीत लहर के कारण हुआ है । अगर सरकार समय पर खराबे की गिरदावरी करवा देती····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खराबा तक ही सीमित रहें, माननीय सदस्या ।

सुश्री पुष्पा जैन : खराबा तो होता ही । अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को तो पौल मिल गई । जब लोगों के पास देने को कुछ नहीं है तो जो अधिकारी मौके पर जाते हैं वे उन्हें बिना वजह परेशान करते हैं और जो कुछ वसूली उनसे होती है उसे करके वह आ जाते हैं। अगर सरकार जागरूक होती तो वह उन वसूलियों को बन्द करती । जो अल्पकालीन कर्जे थे उनको मध्य कालीन कर्जे में परिवर्तन करती। अध्यक्ष महोदय, कहां से देगा वह किसान जिसने कर्जा लेकर बीज बोया और बड़ी मुश्किल से पैदावार की उसकी फसल करीब करीब खराब हो गई, नष्ट हो गई तो कहां से वसूलियां देगा । अफीम की फसल करीब करीब 90 प्रतिशत खराब हो गई, जिससे कुछ वसूली हो ही नहीं सकती, सरसों की फसल करीब करीब 70 प्रतिशत खराब हो गई

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें । बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपके चैम्बर में कह रहे थे कि उन्होंने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिये हैं कि खराबे की गिरदावरी करवाई जाय। मैं पूछना चाहती हूं इस सरकार से कि इस खराबे की गिरदावरी आप क्या तब करवायेंगे जब सारी फसलें कट जायेंगी ? अध्यक्ष महोदय, कई फसलें करीब करीब कट चुकी हैं, सरसों कट चुकी है, अन्य और भी कई फसलें कट चुकी हैं और अभी तक जिलाधीशों ने कोई निर्देश जारी नहीं किये

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या ।

सुश्री पुष्पा जैन : तो आप किस तरह की सहायता देंगे । मेरी मांग है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठा जायं, माननीय सदस्या । कृपया बैठ जायं ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करना चाहती हूं····

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज ।

अंकित न हो ।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : And he should be warned.

एक माननीय सदस्य : हाउस का अपमान है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक्सपंज कर दिया ।

(व्यवधान)

भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर । अंकित न हो ।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य । कृपया बैठ जायं ।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा, क्या अफीम की वसूली डोडे की रकम की वसूली में कमी हुई है ?

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि सारे राजस्थान का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है इसलिये इसको चर्चा में लेने की अनुमति दी गई । यह बतायें कि किस फसल में, किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है । यह कह देना असलियत नहीं है कि सभी फसलों में 90 प्रतिशत खराबा हो गया । कई फसलें हैं जिनमें खराबा हुआ है इसलिये वसूली का प्रश्न थोड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है । तो एक दो बात उसके बारे में भी कह दें लेकिन माननीय सदस्य कहें, खराबा हो गया, 90 प्रतिशत हो गया और वसूलियां हो रही हैं । इस लम्बी चर्चा में न जायं । किन क्षेत्रों में, किन जिलों में, किस फसल में कितना प्रतिशत खराबा हुआ है और आप क्या चाहते हैं, खराबे का मूल्यांकन करके कोई सहायता दी जाय या न दी जाय, इस प्रश्न पर ही अपने आपको सीमित रखें ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री राम किशोर मीणा ।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस शीत लहर से सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं ज्यादा और कहीं कम फसलों की भारी क्षति हुई है ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।
× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : किन किन फसलों को ?

श्री रामकिशोर मीणा : विशेष तौर से अफीम, चना और सरसों, रायड़ा और सब्जियों में भी मोटे तौर से ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सरसों, चना तथा अफीम में ज्यादा नुकसान हुआ है। उदयपुर तथा कोटा संभाग में अफीम की सर्वाधिक खेती होती है, वहां पर डोडे आने से पहले फूल जब खिलने को होता है तो उससे पहले ही शीत लहर के प्रकोप की वजह से खिले नहीं और जहां पर खिले वहां पर, अध्यक्ष महोदय, डोडा पूरी तरह विकसित नहीं हो रहा है, सूख गया और सारी की सारी खेती नष्ट हो रही है।

राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू नहीं है। फसल बीमा योजना लागू नहीं होने की वजह से यहां पर जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उनसे किसान को होने वाले नुकसान को वहन करने की सरकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत किसानों को दे सकती हो वह सरकार को देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अरहर और सरसों की फसलें करीब करीब कटने को हैं फिर भी सरकार ने अभी तक गिरदावरी नहीं करायी है। यदि सरकार अब गिरदावरी कराती है तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चूंकि फसल करीब करीब कट चुकी है इस लिये कैसे अंदाज लगायेंगे कि फसलों में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी मांग यह है कि इस समय जो वसूलियां हो रही हैं उन वसूलियों को तुरन्त गिरदावरी कराकर स्थगित किया जाय तथा जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे अफीम, जिसमें लागत 3000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आती है इसके आधार पर अगली फसल के लिए काश्तकार को....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से वसूलियां तो जब अगले चुनाव होंगे उस वक्त, बाद में होंगी।

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के हक में रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जाय तथा शार्ट टर्म लोन को दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाय ताकि दुबारा किसानों को शार्ट टर्म लोन मिल सके।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : किसानों को शीत लहर की वजह से जो भयकर नुकसान हुआ है उसकी सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षतिपूर्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं सब माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : असली बात तो मैं बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इस साल रबी की करीब करीब सभी फसलों में भयंकर नुकसान हुआ और फसलों के साथ साथ रेगिस्तानी क्षेत्रों में जानवरों के चारे

(श्री महाराम चौधरी)

का भी नुकसान हुआ जो करीब करीब 50 पर्सेन्ट से ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, कोमल फसलें जैसे जीरा, रायड़ा, चना और सिन्दुस्यू में 70 से 80 प्रतिशत नुकसान हो गया । अध्यक्ष महोदय, धणा, जो देशी फसल है, मैं तो 100 पर्सेन्ट नुकसान हो गया । अध्यक्ष महोदय, यूं तो शीत लहर का थोड़ा बहुत असर हर साल होता ही है, पिछले साल भी जब मैंने शीत लहर के सम्बन्ध में निवेदन किया तो आपने उस समय यह फर्माया था कि क्या सरकार इसके ...

श्री परसराम मदेरणा : धोणा क्या ?

श्री महाराम चौधरी : लिए पाल ऊपर उड़ा दें । तो सरकार पाल तो नहीं उड़ा सकती, इतनी तो सरकार की क्षमता नहीं है लेकिन जब शीत लहर आने की सम्भावना प्रतीत होती है तो सरकार को उसकी पहले से ही जानकारी करानी चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में कृषि विभाग पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसके आने की सम्भावना को देखते हुए किसी तरह के उपचार सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं करायी । अध्यक्ष महोदय, इतने अधिकारी लगाये हुए है, इन अधिकारियों ने किसानों को अगर उपचार सम्बन्धी जानकारी करा दी होती कि खेतों के चारों तरफ धुआं कर दो जिससे ओस नहीं पड़े और पाला नहीं जमे तो उससे थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था । अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार को दवाइयों की, सल्फूरिक एसिड जैसी चीजों की सम्भावना दिखती है तो उस समय वाइड पब्लिसिटी कर देती और किसानों को सल्फूरिक एसिड सब्सिडाइज्ड रेट पर दिलाने की व्यवस्था करती तो किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती थी । लेकिन न तो सरकार को इस तरह की जानकारी रहती है, न शीत लहर के आने की संभावना से नुकसान होने का जायजा रखती है । अकसर शीत लहर के आने की सम्भावना मकर संक्राति से शिव चौदस के बीच में होती है । यह आम काश्तकार जानता है और जानते हुए बाने के वक्त अगेत और पछेत फसल बोने का प्रयत्न करता है । उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इस तरह की फसलें बोयीं । फसल बोते बोते ही शीत लहर 14 जनवरी के पहले मकर संक्राति के पहले ही आ गयी । उसके बाद 26-27 जनवरी के आसपास मध्यम श्रेणी

(12.55 म. प.)

[श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन]

की शीत लहर का प्रकोप हुआ । अध्यक्ष महोदय, 20, 21 और 22 फरवरी को तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में लक्कड़ डावा आ गया । लक्कड़ डावा वह कहलाता है जिससे लकड़ी, मूंग अंग्रेजी, बंगुड़िये यानि लकड़ी तक जल गयी । इससे होने वाले नुकसान को आम काश्तकार अपने रूप में अलग अलग फसलों में अलग अलग रूप से लेता है । जैसे गेहूं के अन्दर दूधिया दाना था, दूध जैसा कच्चा दाना था वह वहीं सूखकर खत्म हो गया । सभापति महोदय, सरसों और रायड़ा की फसल के अन्दर जैसा तैसा भी छोटा मोटा दाना था, आप उसकी क्षति का सही रूप से अन्दाज लगाना चाहें तो रायड़े की

(श्री महाराम चौधरी)

फलियों को तोड़कर देख लीजिए उसमें सौ में से एक भी दाना सही पूरा परिपक्व नहीं मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रायड़े की फसल का सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, इसके छोटे छोटे दाने हैं वह भी जहरी दाने हैं। उनको गाय भैंस को बांटा देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से चने की फलियों को फोड़ फोड़कर देख लीजिए, इसके अन्दर यदि एक भी दाना साबुत मिल जायेगा तो वह भी खांड़ा होगा, यानि अनुपयोगी हो चुका होगा। सभापति महोदय, शीत लहर से किसानों को जो सभी फसलों में भयंकर नुकसान हुआ यह खेवंज और पीऊंज दोनों प्रकार की फसलों के अन्दर नुकसान हुआ। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस साल लक्कड़ डाबा है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी करा देना चाहता हूं कि नहरों में जहां पानी चल रहा था वह तक जम गया। सांडेराव से जोधपुर पानी जाने का जो टैंक बना हुआ हैं उसमें लगातार दो दिन तक पानी जमा रहा। तो इस साल ऐसा भयंकर शीत पड़ा। सौ साल के बुजुर्ग आदमी कहते है कि उन्होंने जब से होश संभाला है तब से इस तरह का शीत लहर का प्रकोप कभी नहीं देखा। सभापति महोदय, शीत लहर से हुए नुकसान का तो मैंने आपको जायजा दिया लेकिन काश्तकारों का दुर्भाग्य है कि यह नुकार प्राकृतिक प्रकोप है। फेमिन कोड कब बना और कब नहीं बना, उससे जायजा लेकर कौन से गांव को अकालग्रस्त घोषित करते हैं? अतिवृष्टि से हुए नुकसान का भी जायजा लेकर फेमिन कोड के आधार पर जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा खेतों में नुकसान हो जाता है उस गांव को फेमिन में ले लेते हैं या उसके अन्दर राहत कार्य खोलते हैं? इसी तरह से शीत लहर से जो नुकसान होता है उसको प्राकृतिक आपदा की तरह मानकर उसका भी जायजा फेमिन कोड के आधार पर लेना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं जो बात कह दूंगा उसमें दूसरे माननीय सदस्यों की सब बात भी कवर हो जायेगी। मैं इसका खुद बहुत भुक्तभोगी हूं। मैं ही नहीं हजारों किसान भी भयंकर भुक्तभोगी हैं। जिन किसानों ने अपने दिमाग मे यह सोचा था कि 4 साल के बाद यह सुविधा मिली है, इस साल ब्याह शादी करेंगे, बड़ी बड़ी लड़कियों की शादी करेंगे वह सब प्रोग्राम डिसमिस हो गया यानि कई लड़कियों के शादी ब्याह रह जायेंगे। इससे ज्यादा किसानों का और गांव वालों का क्या नुकसान हो सकता है।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से यह मांग करता हूं कि अतिवृष्टि और बाढ़ से खेतों के अन्दर पैदावार नहीं होती है तो फेमिन कोड के आधार पर फेमिन मान कर जिस तरह से राहत पहुँचायी जाती है उसी तरह से इस शीत लहर को प्राकृतिक आपदा में शुमार

(श्री महाराम चौधरी)

किया जाकर जितनी भी अकाल राहत की सुविधा दी जाती है वह दिलायी जाय। उसके साथ साथ जिस प्रकार हरियाणा में जनता पार्टी शासन के समय, जब देवीलाल जी मुख्य मंत्री थे 300 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से जिनका शीत लहर से नुकसान हुआ उनको सरकार ने मुआवजा दिलाया था। उसी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा भी 300 रुपये बीघा या 300 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं करानी है, वैसे मैं समझता हूं कि अकाल राहत मन्त्री शार्ट में मेरी बात को पूरी तरह से समझ गये होंगे। वह खुद किसान हैं इसलिये किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको भी समझ गये होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में राहत दिलाने के लिए आज कुछ न कुछ घोषणा करेंगे, आपको घोषणा करनी चाहिए। यही कहते हुए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि काश्तकारों को राहत पहुँचायी जाय।

(1 00 म. प.)

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री महाराम चौधरी : मेरी फलियां रह गई हैं इनको मैं सदन की मेज पर रख दूँ जिससे अन्दाज लग जायगा····

श्री सभापति : आपने कह दिया यही काफी है।

श्री महाराम चौधरी : बात तो बता दी लेकिन सदन की मेज रख दूँ तो इसका अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने पास ही रखें।

माननीय श्री हरिसिंह।
(अनुपस्थित)

माननीय श्री जगनसिंह।
(अनुपस्थित)

माननीय श्री मुराद खां।
(अनुपस्थित)

माननीय श्री नाथूसिंह।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। उनको, सरकार को इस बात की जानकारी कब मिली कि शीत लहर से किसानों को नुकसान हुआ है, फसलें नष्ट हुई हैं ? सभापति महोदय, ऐसा होता है कि इनका जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, सरकारी ढांचा है, डायरेक्टोरेट है उसके लोग जिस समय नुकसान होता है, पब्लिक चिल्लाती है उसके बाद में जाते हैं। अब फसलें कटना शुरू हो गया है। जब फसल कट जायगी तब आफिस में बैठ कर वे लोग गिरदावरी करेंगे और उसकी रिपोर्ट यहां पर आ जायगी। इस कारण जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर लिख देंगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ वहां पर लिख देंगे

(श्री नाथू सिंह)

कि यहां पर बहुत नुकसान हुआ है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इतना करप्शन है, पटवारी और दूसरे लोग जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, उनको जो किसान पैसा दे देगा, रिश्वत दे देगा उसके लिये लिख देंगे कि शत प्रतिशत क्षति हुई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, फसलों को शीत लहर से क्षति हुई है उस सम्बन्ध में कहें।

श्री नाथू सिंह : उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं, सभापति महोदय।

गिरदावरी का ही पाट है कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ। जो किसान रिश्वत दे देगा उसका तो ये अस्सी प्रतिशत नुकसान दिखा देंगे और जो रिश्वत नहीं देगा उसके लिए लिख देंगे कि तेरे नुकसान नहीं हुआ है तो दस पर्सेंट दिखा देंगे। पिछले सालों में अकाल पड़ा या दूसर मामले हुए या फसल नष्ट हुई उनकी गिरदावरियां जब हुई तब ये भी ये चीजें सामने आई। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज बनी हुई है, उन कमेटीज में इस तरह के मामलों को उठाया था तो यही मामले सामने आये कि जहां पर नुकसान था वहां पर बिल्कुल नुकसान नहीं बताया और जहां पर नुकसान नहीं था वहां पर नुकसान दर्शाया गया। तो मैं यह जानकारी चाहूंगा मन्त्री महोदय से इस करप्शन की रोकथाम के लिए और गिरदावरीस ही हो, के इसलिए आपने क्या व्यवस्था की है? गिरदावरियां कब से शुरू कराई और कब तक समाप्त हो जायेंगी, उनकी रिपोर्ट कब तक मिल जायगी? जो सहायता देनी है, इस सहायता की राशि को तय करने के लिए, जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा देने के लिए, आपने क्या प्रोसिजर बनाया है? कोई पालिसी तय की है कि कितने पर्सेंट फसल का नुकसान होने पर कितना पर्सेन्ट मुआवजा देंगे या मुआवजे का क्या रूप होगा, इसकी कोई प्लानिंग की है? इसकी भी कृपया जानकारी देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, वास्तविकता यह है, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि बीस पर्सेन्ट से लेकर नब्बे पर्सेन्ट तक नुकसान हुआ है फसलों को। चना और सरसों में 0 पर्सेन्ट तक नुकसान हुआ है। कई चीजों नें जैसे गेहूं वगैरह में बीस पर्सेन्ट नुकसान हुआ है। अलग अलग फसलों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग नुकसान हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां आपको आशंका है ज्यादा नुकसान होने की, आपने आपके विभाग को निर्देश देकर जो सरकारी मशीनरी है उसके द्वारा जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाने का कोई प्रबन्ध किया है?

मैं यह भी जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगते हैं, अकाल राहत के लिए राशि मांगते है, प्राकृतिक विपदाओं के लिए राशि मांगते हैं, राज्य सरकार के जब से नोटिस में आया, दो महीने पहले, एक महीने पहले नुकसान हुआ है तब से अब तक इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के

(श्री नाथू सिंह)

सामने आपने कोई प्रपोजल बना कर भेजे हैं ? केन्द्रीय सरकार से पैसे की मांग की है इस सम्बन्ध में कि प्राकृतिक विपदाओं से इतना नुकसान हुआ है, आप हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए इतना पैसा हमें केन्द्रीय सहायता के रूप में दें ? क्या जागरूक रह कर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है ? यदि की है तो केन्द्रीय सरकार का क्या जवाब मिला ? क्या केन्द्रीय सरकार मुआवजा के लिए सहायता देने को तैयार है ? और यदि नहीं की है तो सरकार की इस लापरवाही का क्या कारण है ? क्या यह पैसा आपने केन्द्रीय सरकार से मांगा है ? इस बारे में मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें नुकसान होता है तो हाथों हाथ मुआवजा दे देते है। माननीय सदस्य अभी बता रहे थे हरियाणा और दूसरी स्टेटों के बारे में कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता ली है। इस सम्बन्ध में एक डेढ़ महीना हो गया, कम से कम सदन में इस बात की घोषणा करें कि आपने केन्द्र सरकार के सामने सहायता के लिये अपना पक्ष मजबूती से रखा है। इस सम्बन्ध में बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा है, बजट पर मैं बोलूंगा तब बताऊंगा। अतिरिक्त पैसा कुछ भी विकास करने के लिए आपके पास नहीं है, फिर जो किसानों पर यह विपदा आती है अचानक उसके लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे है ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल विपदा आती है, कभी अकाल आता है, उसके सर्वेक्षण के लिए कोई अलग से ऐसी एजेंसी बनायें ताकि इस प्राब्लम का हमेशा के लिए पहले से आभास हो सके कि यह चीज होने वाली है और उसकी रोकथाम कर सकें। आपके कृषि विभाग के अधिकारियों को, सभापति महोदय, पता ही नहीं है कि फसलें कौन सी हैं, फसलें क्या हैं। यहाँ दफ्तरों में बैठ कर पालिसी तय करते हैं इनको कुछ पता नहीं है। आपकी एजेंसी जो भी है वह सब करप्ट है, भ्रष्ट है। जितनी सहायता मिलती है उसका टैन पर्सेन्ट भी नीचे नहीं पहुँचता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आपका जो सम्मेलन हुआ था उसमें आपकी प्रधान मंत्री ने स्वीकार की है कि जो सहायता ऊपर से भेजी जाती है उसका दस प्रतिशत तक भी उन लोगों तक नहीं पहुँचता। तो इस सम्बन्ध में आप क्या उपाय कर रहे है ? जो भी मुआवजा दिया जाय, सर्वेक्षण करवाया जाय और उसमें करप्शन को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

एक निवेदन और करना चाहता हूं, सरकार को चाहिए कि इस तरह का नुकसान होने की आशंका होते ही तुरन्त किसानों को सूचित करे ताकि इस तरह के नुकसान से उनको बचाया जा सके। उनको मुआवजा दिया जावे हाथों हाथ, समय पर सर्वेक्षण करा कर उनको मुआवजा दे दिया जावे। इन्होंने क्या किया है, सभापति महोदय, जिन किसानों को सहकारी ऋण दिये या दूसरी तरह के ऋण, क्रय विक्रय समितियों के ऋण, कई तरह के ऋण किसानों ने लिए थे उन कर्जों की वसूली उसी समय, जिस समय फसलों को नुकसान हुआ, किसानों से डण्डे मार मार कर की।

(श्री नाथू सिंह)

कम से कम कृपया आज आप सदन में घोषणा करें कि जितनी वसूलियां हो रही हैं इस समय उन सब को स्थगित करें या कुछ कर्जों को माफ करें। किसानों को मुआवजा देने की बात तो दूर है, मुआवजा नहीं दें तो जो विभिन्न कर्जे लिए हुए हैं किसानों ने फसल के ऊपर कृषि के नाम पर, खेती के ऊपर, उन कर्जों को माफ तो कर सकते हैं। मुआवजा देने के लिए तो आपके पास पैसा नहीं है, मुआवजा आप दे नहीं सकते, तो कम से कम कर्जों को माफ करने की घोषणा तो आप कर सकते हैं। यह तो आपके हाथ में है। सरकार यह कह देगी कि पैसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन ऋणों को माफ करने की घोषणा करें। वसूलियों में कितनी ज्यादतियां कर रहा है आपका प्रशासन, यह आपको पता ही है। टोंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, सभापति महोदय, समाचार पत्रों में कि रात भर ठण्डे पानी के अन्दर खड़ा रखा। कई जगह मुर्गा बना दिया गया....

श्री सभापति : पर्याप्त है, माननीय सदस्य, काफी कह चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कि फसल बीमा की जो योजना केन्द्रीय सरकार के सामने चल रही है, पिछले वर्ष सदन में हमने प्रश्न पूछा था और यह सवाल उठाया था तो आपने कहा था कि सरकार फसल बीमा पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है। क्या वह आपका गम्भीर विचार अभी चल रहा है या उस पर कोई निर्णय ले लिया गया है या समाप्त हो चुका है? क्या इस सम्बन्ध में आपका गम्भीर विचार जब तक आप हट नहीं जायेंगे तब तक चलता रहेगा? इसके बारे में आप सदन को जानकारी दें कि फसल बीमा के बारे में क्या हुआ और क्या करने जा रहे हैं।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सरकार क्या कोई परमानेंट तौर पर निर्णय लेगी कि इतना पर्सेन्ट नुकसान होने पर इतना प्रतिशत हमेशा के लिए मुआवजा दे देगी और इतने समय में वह मुआवजा दे देगी। इस सम्बन्ध में आप सदन को जानकारी दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगी कि जयपुर जिले में पंचायत समिति जमुआ रामगढ़ और कोटवाड़ा में मुझे इन फसलों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां 80 प्र. श. गेहूं की फसल का और जौ और चने की फसल का 70 प्र.श. नुकसान हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय को कब सूचना मिली कि फसल में खराबा हो गया? जब सूचना मिल गई तो उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं खराबे की जांच करवाई गई? बाढ़ आती है या दूसरी प्राकृतिक आपदा आती है उसका अगर तत्काल समाधान नहीं करते तो किसान परेशान होता है। मैं कहना--

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी कि श्री हनुमान प्रभाकर कभी मंत्री हुआ करते थे उन्होंने सदन में घोषणा की थी कि फसल बीमा लागू की जायेगी। अगर फसल बीमा लागू कर दी जाती तो फिर यह बात यहां उठती नहीं या फिर खराबे की जानकारी पहले करवा लेते तो यह चर्चा का विषय नहीं बनता। सरकार किसानों की निरन्तर उपेक्षा कर रही है। इसका परमानेंट समाधान तो यह है कि फसल बीमा लागू की जाय और तत्काल खराबे की जांच कराई जाय। इसमें अगर जरा भी विलम्ब हुआ तो किसानों को राहत नहीं मिल सकेगी। इसलिये विलम्ब न करके तत्काल खराबे की जांच करवावें।

हमारा प्रदेश इस प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त रहता है और बार बार यहां अकाल या शीत लहर या बाढ़ आदि आपदाएं आती रहती हैं। इसलिये भविष्य के लिये क्या ऐसा समाधान नहीं किया जा सकता कि तत्काल सूचना मिल जाय और सूचना मिलते ही हमारा विभाग कार्य शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था होगी तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रंगजी मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी : सभापति महोदय, गत 10 फरवरी से 20 फरवरी तक बाड़मेर जिले में और राजस्थान के अन्य जिलों में शीत लहर आई उससे रबी की फसल 60-70 प्र.श. नष्ट हुई। बाड़मेर जिले में सिवाणा और बालोतरा पंचायत समितियों के गांवों में जीरा, रायड़ा और गेहूं की फसलों में भयकर नुकसान हुआ है। काश्तकार पहले आशा लगाये बैठे था कि चार साल खराब जमाना हुआ उसके बाद बहुत ही अच्छी फसल है लेकिन दस दिनों में जीरे की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। करीब 25 प्रतिशत जीरे को फसल बची है। माननीय सभापति महोदय, जीरे की फसल बहुत ही डेलीकेट है और इसे किसान बड़ी मुश्किल से तैयार करता है। कई बीमारियां उसको लगती है। ठण्ड की बीमारी इतनी भयंकर लगी जिसके कारण जीरा चौपट हो गया। गेहूं के खेत चलते हुए वैसे आपको लगेगा की उसकी बाली ठीक है लेकिन अन्दर से देखेंगे तो उसमें एक भी दाना नजर नहीं आयेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था और मांग की थी कि आप जांच करवावें, कितना प्रतिशत वास्तव में नुकसान हुआ है। क्या आपके अधिकारियों ने बाड़मेर या अन्य जिलों में खेतों पर जाकर जांच की है कि काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ है? जिस प्रकार से अग्नि से खेत के खेत नष्ट हुए लेकिन किसी भी अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच नहीं की कि

(श्री अमराराम चौधरी)

कितना प्रतिशत खराबा गेहूं, जीरा और रायड़े की फसलों में हुआ। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न बाड़मेर के बारे में पूछा था, मैं खुद जाकर आया हूं, वहां किसी ने जांच नहीं की। कहते हैं, ठीक है, वहां पर शीत लहर आई थी। वहां रोड पर भी आपको ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा जिसके पत्ते हरे हों। आक, खेजड़ी और बबूल के पत्ते आपको जले हुए मिलेंगे तो जीरा और गेहूं तो बहुत मुलायम फसल है जिसका जलना स्वाभाविक था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार द्वारा अन्य किसी स्टेट को इस प्रकार के मुआवजे के लिये राशि दी गई है तो आप भी मुआवजे के लिये केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करें ताकि किशानों को राहत दी जा सके। यह हमारे कुछ साथी माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्ताव रखा है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े राजस्थान में सब को पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई एक जिले का सवाल नहीं है फिर भी गांवों में काश्तकारों को कुछ राहत आपको देनी चाहिये जो आप और सरकार मुनासिब समझें वह कदम उठावें ताकि काश्तकारों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, काश्तकारों को इस साल बिजली मिली तो उन्हें खूब खुशी हुई। उन्होंने कर्जा लेकर बीज और खाद खरीदा, अपना सारा पैसा लगा दिया। उसके बाद जब फसल तैयार होने वाली थी तो फसल जल गई। ऐसी हालत में इससे भयंकर नुकसान काश्तकारों के लिये और क्या हो सकता है। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस बारे में यदि जांच नहीं करवाई हो तो शीघ्र ही जांच करावें। लेकिन अब जांच क्या करवायेंगे जब फसल सूख गई अब तो फसल के दाने और बालियां देख कर जांच करा सकते हैं। अभी तक यह काम हुआ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही जांच करवा कर काश्तकारों को राहत दिलवायेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, अभी शीत लहर चली उसमें हुए नुकसान का कई साथियों ने बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया है। मैं आपका ध्यान उदयपुर के आदिवासी इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि उधर की तरफ से कोई साथी नहीं बोला है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि वह पहले से ही उपेक्षित इलाका है। आदिवासी इलाके की तरफ कोई देखने वाला नहीं है इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आदिवासी के पास औसतन आधा बीघ जमीन होती है जिसमें वह ज्यादा से ज्यादा चना या सरसों की फसल बो सकता है। अभी जो शीत लहर चली उससे उसकी फसल जल कर नष्ट हो गई। अभी 4–5 दिन पैदल दौरे पर निकला उस समय यह चीज सामने आई।

(श्री मेघराज तावड़)

उनकी फसल पहले से ही अतिवृष्टि से जल गई थी और बाकी इस शीत लहर से खतम हो गई। ऐसी स्थिति में कोटड़ा, झाड़ोल गोगुन्दा और सराड़ा की तरफ मैं गया हूं। आज उनके पास खाने को अनाज नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वलूर गांव में कचरू करके आदिवासी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। एक लौटा बचा था वही उसने गिरवी रख दिया।

चार-पांच तारीख को मैं उधर से निकला हूँ। तीन तारीख को गया हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस शीत लहर से जो नुकसान हुआ है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी पूरी इन्फार्मेशन आपको प्राप्त नहीं हुई तो अविलम्ब इसकी इन्फार्मेशन प्राप्त करें, जिस गिरदावरी करा कर इसकी रिपोर्ट मंगवायी जाये और उस इलाके में जल्दी से जल्दी रिलीफ कार्य शुरू करवाये जायें। यही मैं कहना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नंदलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल अपने ज़िले की दृष्टि से और उदयपुर संभाग की दृष्टि से अर्ज करूंगा। मैं पिछले दिनों अपने ज़िले के उन क्षेत्रों में, गांवों में होकर आया हूं जहां पिछली 25 जनवरी से पहले, 18 और 25 जनवरी के बीच में शीत लहर इस तरह की भयानक चली कि कहीं कहीं तो पूरे के पूरे खेत साफ हो गये हैं। जिधर से वह घुसी है, कुछ खेतों में 25 प्रतिशत नुकसान हुआ, कुछ खेतों में 40 प्रतिशत नुकसान हुआ, कुछ खेतों में 60 से 70 प्रतिशत तक भी नुकसान हुआ, है और कई खेत बच भी गये क्योंकि शीत लहर का एक इस तरह का आकार होता है, एक इस तरह का स्वरूप होता है कि जिधर से वह गुजरती है, जिस बेल्ट में घुस जाती है उसको साफ कर देती है। कई स्थानों पर सब्जियां शीत लहर की चपेट में आकर झुलस गईं। यहां तक कि पेड़ और पत्तियां, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां झुलस गईं। जहां से जिधर से शीत लहर घुसी वहां पेड़, झाड़ साफ हो गये। स्थिति यह है, शीत लहर के कारण कहीं पर 25 प्रतिशत, कहीं पर 50 प्रतिशत, कहीं पर 40 प्रतिशत नुकसान हुआ। इसके साथ साथ निम्बाहेड़ा और प्रतापगढ़ में अफीम की खेती को प्रचुर मात्रा में क्षति पहुँची है। एक ओर किसानों की स्थिति इस तरह की है, दूसरी तरफ उन से कई प्रकार की वसूलियां की जा रही हैं। वसूलियों के बारे में अधिक न कहते हुए एक ही बात कहूंगा कि शीत लहर के बारे में सरकार

(श्री बंसीलाल पटवा)

की ओर से कृषि मंत्रीजी बराबर यह कहते आये हैं कि हम जिन्सवारी करवा रहे हैं, किसानों को राहत देंगे। लेकिन आज तक जिन्सवारी शुरू नहीं की गई है। फसलें चौपट हो चुकी हैं। आप इस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होगा लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति है, शीत लहर के कारण प्रचुर मात्रा में उनका नुकसान हुआ है। इसलिये मुख्य तौर पर इस बारे में हमारा निवेदन है कि जिन्सवारी होनी चाहिये। इसके साथ साथ बैंक के लोन की वसूलियां, तकावी की वसूलियां हैं, मैं विशेष रूप से कहूंगा, जिन जिन कृषकों के खेतों में शीत लहर के कारण क्षति हुई है उनका लगान माफ होना चाहिये। इस बार उनकी वसूली स्थगित करें ही परन्तु उनका लगान भी माफ किया जाये और अन्य तरह की वसूलियों को भी निरस्त किया जाये।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि हम ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठ कर किसानों के हित की बात करते हैं लेकिन जब तक किसानों के हित के लिये फसल बीमा लागू नहीं करेंगे तब तक किसान को ऊपर नहीं उठा सकते। आज इस तरह की दयनीय स्थिति है कि बीज भी उसके हाथ नहीं आयेगा। मेरा यह निवेदन है कि उनको जिन्सवारी करवायी जाये। सरकार जितनी देर से करेगी उतना ही किसानों को नुकसान होगा। जिन्सवारी के अभाव में न उनका सर्वे होगा और न मुआवजा कूता जा सकेगा। इसके साथ साथ वसूलियां स्थगित की जाये। साथ ही कम्पेनसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में, सहायता के रूप में, कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें दें क्योंकि इस क्षति से उनकी फसल चौपट हो गयी है। उनको श्रम नहीं देंगे, काम नहीं देंगे तो किसान की स्थिति दयनीय हो जायेगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह कुछ करे अन्यथा किसानों के हित की व्यर्थ घोषणाएं न करें। जिन्सवारी के तत्काल आदेश जारी करे। जिन्सवारी करके कुछ न कुछ राहत, कम्पेनसेशन दिया जाये और समुचित वसूलियां रोकी जायें।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, उदपुर जिले में 979 लेकर अब तक यही एक ऐसा साल था जिस में सबसे बढ़िया फसल हुई। जितने एरिया में आज दिन तक उदयपुर डिविजन में कभी बुआई नहीं हुई थी उतनी बुआई इस साल की गई थी। गेहूं की बुआई हमारे यहां पर 30 लाख 60 हजार हैक्टेयर में हुई, जौ 80 हजार हैक्टेयर में, चना 1 लाख 60 हजार हैक्टेयर में, तिलहन 50 हजार हैक्टेयर में और उदयपुर के आस पास दो हजार हैक्टेयर में सब्जी बोयी गयी। भीलवाड़ा में जीरा और धनिया की बुआई करीब 600–700 हैक्टेयर में हुई। परन्तु इस बार जो शीत लहर आयी उसमें अब तक की सारी सर्दी का न्यूनतम तापमान उदयपुर का 0.0 डिग्री से. नोट किया गया। यह सारी सर्दी का सब से न्यूनतम तापमान था। इसके कारण से किसानों ने जो पहले

(श्री गुलाबचन्द कटारिया

सोचा था कि इस साल की फसल सबसे अच्छी आयेगी, बम्पर क्राप आयेगी, ऐसा जो सपना संजोया था वह सारा सपना उनका नष्ट हो गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब तक मांग नहीं उठे, जब तक लोग हो-हल्ला नहीं करते तब तक न तो डिपार्टमेन्ट सोचता है और न उसका जिम्मेदार मन्त्री। किसी तरह का हल्ला होने के बाद ही इनका कार्यक्रम बनता है। श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा, कि हमारा मौसम विभाग क्या करता है? इसके ऊपर हजारों-लाखों रुपया साल का खर्च करती है गवर्नमेन्ट वह क्या करता है? अगर वह विभाग समय रहते इसकी जानकारी नहीं दे सकता तो राजस्थान सरकार का यह निकम्मा डिपार्टमेन्ट है इसको रखने की क्या आवश्यकता है। क्या मौसम विभाग किसानों को दो-तीन दिन पहले यह सूचना नहीं दे सकता था कि इस तरह की भयंकर शीत लहर राजस्थान में आयेगी और राजस्थान के इस इस भाग में इसका प्रकोप होगा। अगर सूचना किसानों को मिल जाती तो सूचना मिलने के कारण किसान कोई न कोई रास्ता निकाल सकता था। वह अगर एक दिन पहले पिलाई कर देता तो उसकी फसल को इतना पाला नहीं लगता। दवाई के माध्यम से, पेस्टीसाइड के माध्यम से वह बचाव कर लेता तो शायद इस नुकसान से वह बच सकता था। लेकिन इस डिपार्टमेन्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण से उदयपुर के आसपास में खराबा हुआ है गेहूं की फसल में, केवल में उदयपुर जिले का बता रहा हूँ, 50 से 60 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। यह मेरा कहना नहीं है, कृषि विभाग के जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं उन्होंने छोटी-मोटी जानकारी के आधार पर यह कहा है। अगर वह इसका सर्वे करते तो शायद अधिक होता। उनकी जानकारी आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने यह 40 से 50 प्रतिशत तक माना है। हमारे यहां तारामीरा में लगभग 25 से 30 प्रतिशत खराबा हुआ है। चने में 60 से लेकर 75 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। यहां तक कि उदयपुर जिले में जो गन्ने की खेती होती है वह झुलस करके बिलकुल समाप्त हो गयी। यही नहीं जितनी आम की खेती होती है, आम के पेड़ों पर कहीं पर बोर नहीं बच पाये। एक-दो मुश्किल से कहीं बच गये हों इस। तरह का खराबा होने के बाद अगर यह विभाग, यह सरकार, समय रहते किसान की मदद नहीं करेगी, उसके सामने आने वाली तकलीफों में सहायता नहीं करेगी तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हो जायगी। वह कोई आप से भीख या दान-दक्षिणा नहीं मांग रहा है। उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा कहर ढा गया है जिसकी उसको कल्पना नहीं थी। उसने तो सोचा था बहुत बढ़िया साल है, बहुत बढ़िया आमदनी होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गिरदावरी की घोषणा कर दी मंत्री महोदय श्री देवेन्द्र सिंह जी ने उदयपुर में, किन्तु उस घोषणा के अनुसार अभी तक गिरदावरी शुरू नहीं हुई। अगर आप गिरदावरी नहीं करेंगे तो किसान को सहायता कैसे पहुँचायेंगे? क्या यह होगा कि फसल तो कट जायेगी खेतों में और खेतों से उठ कर घर में पहुँच जायेगी, उसके पश्चात् राजनैतिक दृष्टि से खैरात

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बांटने को निकलोगे ? क्या यह किसान के साथ अन्याय नहीं होगा ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तुरन्त गिरदावरी करवा करके यह पता लगावें कि वास्तव में कितना, किस किस किसान का नुकसान हुआ है। उसका हम लगान माफ करें, उस को जिस प्रकार की सहायता दे सकते हैं वह दें और उससे अन्य ऋणों की इस समय वसूली न करें। आगे आने वाली फसल तक के लिये उसको स्थगित रखें। यह कार्यक्रम हम ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मौसम विभाग को समाप्त कर देना चाहिये। इसकी कोई उपयोगिता राजस्थान में हमें आज दिन तक कोई दिखायी नहीं दी है। न कभी यह समझ में आता है कि यह क्या घोषणा करता है। यह इतनी भी घोषणा नहीं करता है कि यहां शीत लहर कब आयेगी, कैसे आयेगी और किस गति से आयेगी तब फिर इस डिपार्टमेन्ट की क्या उपयोगिता है। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों शीत लहर से किसानों की गेहूँ, चना, धनिया, सरसों, अफीम की फसल बरबाद हो गई। कोटा और बून्दी इलाके में 25 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। अफीम और धनिये में तो 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इस नुकसान के कारण वहाँ के किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं। यह शीत लहर भी ऐसे मौके पर चली जब किसानों की फसल कटने को तैयार थी। किसान यह सोच रहे थे कि फसल काटें तभी 2-3 दिन में ही भयंकर शीत लहर ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसी साल कोटा और बून्दी के किसानों के साथ सिंचाई विभाग ने भी खिलवाड़ किया है। नहरों में प्रापर पानी नहीं चलने से भी किसानों की खेती को नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ प्रकृति ने भी बहुत बड़ा अन्याय उन किसानों के साथ किया है। ऐसे मौके पर जब किसान बरबाद हो रहा है उनको राहत दी जानी चाहिए, राहत देने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए परन्तु सरकार ऐसा नहीं करके इस कष्ट के समय में भी उन किसानों से वसूलियां कर रही है, किसानों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं। सभापति महोदय, बून्दी जिले में तो किसानों को दण्ड दिया जा रहा है, उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है। वसूलियां कर रही हैं, उसमें उनके खाने-पीने की वस्तुएं उठा ली गईं। जब किसान खेत चले गये तो उनके घर पर ताले लगा दिये जिसके कारण से सर्दी में किसान बाहर ठिठुरते रहे। यही नहीं उसके बैल भी ले गये। इस तरह का अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो उनकी फसल नष्ट हो गई दूसरी तरफ उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए। शीघ्र ही असेसमेन्ट करवा कर किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देकर उनको

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

राहत दी जानी चाहिए। 'ग्रसेसमेन्ट करने का जो पुराना तरीका है उससे भी किसानों को राहत नहीं मिल पाती है। इसलिए 50 प्रतिशत से अधिक जिनका नुकसान हुग्रा है उनको ही राहत न देकर जिनका भी नुकसान हुग्रा है उनको मुआवजा दिया जाय। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग वालों की जो वसूलियां हैं उनको भी माफ किया जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मै एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। प्राय: किसानों की फसल कभी तो सूख जाती है, कभी शीत लहर के कारण नष्ट हो जाती है, कभी ओलावृष्टि के कारण उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि फसल का बीमा हो जाय, जिसके बारे में इस सदन के सदस्य कई दिनों से मांग करते ग्रा रहे हैं, तो किसानों का हित होग।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : फसल के बीमे के लिए सरकार शीघ्र ही घोषणा करे तो ग्रधिक अच्छा होगा। इतना ही निवेदन कर मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, भयंकर शीत लहर के कारण जो नुकसान हुआ है वह किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने कभी भी ऐसी भयंकर शीत लहर नहीं देखी है। इस शीत लहर के कारण तो पेड़ के पत्ते भी सूख गये। मेरे क्षेत्र में ग्रफीम बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ग्रफीम में किसान अपने सारे परिवार की सम्पूर्ण शक्ति लगा देता है। एक-एक बीघे में वह अपनी पूंजी लगा देता है। एक-एक बीघे के लिए 3–4 हजार रुपये का कर्जा लेकर लगा देता है और उससे 12 महीने की इन्कम की ग्राशा लगा बैठता है। एक-एक पेड़ के लिए चीरा लगाना पड़ता है और एक में दो-तीन बार चीरा लगाने के बाद दूध एकत्रित किया जाता है। इसके लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पूंजी लगाने के बाद उसकी ग्राशाग्रों पर धूल फिर गई। ग्रफीम के अलावा इस शीत लहर से सरसों चने की भी फसल कई स्थानों पर प्रभावित हुई है। यह प्राकृतिक प्रकोप था, हम यह भी जानते हैं कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, परन्तु जैसा मौसम विभाग के बारे में कहा गया है, मान्यवर, मैं आपको बताऊं मेरे गांव का एक लड़का यह घोषणा करता था कि बरसात होगी तो बरसात होती और वह जब घोषणा करता कि बरसात नहीं होगी तो चाह नगर में नगरपालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से डोंडी पिटती कि भारी वर्षा होगी तो भी वर्षा नहीं होती। उस लड़के ने कह दिया, नहीं होगी तो निश्चित रूप से नहीं होगी। हमने उस लड़के से पूछा कि इसका क्या रहस्य है तो उसने बताया कि मैं रोज रेडियो सुनता हूं। मौसम विभाग जिस दिन कह देता है कि अगले 24 घन्टों में भारी वर्षा होगी तो उस दिन के लिए मैं दावे के साथ कह देता हूं कि वर्षा नहीं

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

होगी और नहीं होती है। ऐसा निकम्मा विभाग जब भारी वर्षा की घोषणा करता है तब बरसात नहीं होती है। इस विभाग की सारी भविष्यवाणी, मंत्री महोदय, आप उठा कर पढ़ें तो पता लगेगा कि सारी घोषणाएं विपरीत निकली हैं। इस विभाग को सुधारने के लिये कुछ कीजिये। यह किसानों के लिये बहुत बड़े हित की बात होगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा के बारे में हाउस में कई बार आश्वासन दिया गया, उसका क्या हुआ। यदि फसल बीमा हो जाय तो किसान बरबाद होने से बच सकते हैं मेरा आपसे यही निवेदन है। मौसम विभाग को ठीक करने के साथ साथ किसानों के साथ कुछ सहानुभूति तो प्रदर्शित कीजिये। किसानों की एक साल की फसल बरबाद हो गई तो किसानों को अगले पांच साल तक इसका फल भुगतना पड़ेगा। उसकी वसूलियां हो रही हैं, उसको माफ करें। अगली फसल के लिए ऋण उसको नहीं मिलेगा तो वह फसल कैसे लगायेगा। यदि वह फसल नहीं लगायेगा तो उसका प्रोडक्शन पर असर होगा....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हमारे नेशनल प्रोडक्शन पर असर होगा। इसलिए सरकार विचार करे कि हमारे नेशनल प्रोडक्शन पर असर नहीं होना चाहिए। मंत्री महोदय कहते हैं कि रिकार्ड तोड़ फसल हुई है। चाहे फसल खराब हो गई हो, चाहे नष्ट हो गई हो परन्तु मंत्रीजी तो रिकार्ड तोड़ ही बतायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेशनल प्रोडक्शन का ध्यान रखिये और किसानों के ऊपर जो लोन हैं, शार्ट टर्म लोन हैं उनको मीडियम टर्म में बदलना चाहिए ताकि शार्ट टर्म लोन मिल सके। उसे विशेष राहत देने के लिए कोई न कोई योजना बनाई जानी चाहिए जिससे उसकी हिम्मत न टूटे और अगली फसल के लिए फिर हिम्मत जुट जाये। इससे किसान का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। इतना ही निवेदन कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : सहायता मंत्री महोदय।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, बिराजने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है, 1.40 बजे इस सारे वाद विवाद को, चर्चा को समाप्त करने को कहा था। जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण के लिए प्रस्ताव दिये थे, उनको मौका दे दिया गया है। अब चूंकि 1.40 हो रहे हैं, मेरी मजबूरी है। मेरी व्यवस्था है, मैं अध्यक्षीय व्यवस्था के विपरीत कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। इसलिए सहायता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : मुझे समय नहीं दिया जाता है तो यह बहुत अफसोसजनक बात होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें उसके बाद जो पूछना चाहें पूछ लें। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है उसके विपरीत मैं व्यवस्था नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : मुझे टाइम दें, कोई व्यवस्था नहीं दी है। एक ही पार्टी के चार चार लोगों को समय दिया है मुझे समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री महाराम चौधरी : व्यवस्था में पाबन्दी नहीं थी।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल लूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, सदन की यह परम्परा रही है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें और मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री त्रिलोक सिंह : हमारे इलाके में खेती बरबाद हो गयी है। लाखों लाख लोगों की जिन्दगी का ताल्लुक है। यह क्या तरीका है।

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री महाराम चौधरी : एक दो आदमी बोलने से रहे हैं उनको भी मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें। आसन पांव पर है।

श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले की बात बताना चाहता हूं। मैं पूरे जिले में घूम कर आया हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर न कोई अधिकारी मौके पर गया और ना ही कोई कर्मचारी गया। वहां के किसान रो पड़े। माननीय सभापति जी, दो अधिकारी गये तो जीप से

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

उतर कर फ़सल देख कर नहीं आये और कह दिया कि फसल खराब नहीं हुई है। मेरे ज़िले में अफीम अधिक होती है। वहां पर गेहूं, चना, धनिया सभी प्रकार की फसल नष्ट हो चुकी है। खेत के खेत काले हो चुके हैं। लेकिन अभी तक वहां पर सारी वसूलियां हो रही हैं, कुर्की हो रही हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, कुर्की के समय। वसूली की जा रही है यह ठीक है क्या ? 80 प्रतिशत देश के किसान गांवों में रहते हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर : किसानों का ही यह देश है। किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है लेकिन अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी फसल का तुरन्त निरीक्षण किया जाय। उनका पट्टा होता है, लाइसेंस होता है वह उनके पास बना रहे, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कराये और सारा ब्यौरा यहां पर भेज दे।

जो फसल बीमा है वह होना चाहिए। पहले भी सरकार ने वायदा किया था, वायदे के अनुसार फसल बीमा नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शीत लहर से फसल को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे।

श्री सभापति : श्री चाव खां।

श्री चाव खां . सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर यही कहना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर का कोई माननीय सदस्य नजर नहीं आता है, न किसी ने भरतपुर के बारे में कोई बात बतायी है। मैं, माननीय सभापति महोदय, अपने क्षेत्र में जहां जहां भी गया, जनवरी में सर्दी से नुकसान हुआ, उसके बाद 24-25 फरवरी को पाला पड़ा, सर्दी पड़ी उससे, मैं कह देना चाहता हूं, मटर को 90 प्रतिशत नुकसान हुआ, मसूर में भी काफी, 75 प्रतिशत नुकसान हुआ, सरसों में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ। इस प्रकार सारी फसलों को नुकसान हुआ है। इससे पहले खरीफ की फसल में अधिक पानी आ जाने की वजह से नुकसान हुआ था 100 फीसदी। अब किसान रबी की फसल पर आशा लगाये बैठे थे। इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ है लेकिन वसूलियां हो रही हैं। इससे किसान बड़ा दुखी है, परेशान है इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, उनको जो कर्जा दिया गया था उसको सरकार माफ तो नहीं कर सकती है लेकिन कम से कम उनको ब्याज की तो राहत दी जाय एक साल के लिये ताकि किसान आगे बढ़ सके वरना वह काफी दबा हुआ है। इस सरकार के द्वारा यदि वसूली में ही ढील दी जाती है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ब्याज माफ किया जाय।

दूसरी तरफ विधान सभा में हमारे मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि ट्रेक्टर ट्रालियों पर टैक्स माफ किया जायेगा। वह नहीं हुआ वह टैक्स माफ होना चाहिए।

श्री सभापति :श्री त्रिलोकसिंह। संक्षेप में।

श्री त्रिलोक सिंह : बहुत थोड़े में ।

सीकर शेखावाटी, जहां पर बड़े पैमाने पर खेती बिजली के कुओं से होती है, में फरवरी में जो शीत की लहर आयी उसने करीब करीब खेती को तबाह ही कर दिया है, खास तौर से सरसों और चना तो 100 प्रतिशत चला गया और गेहूं 50 प्रतिशत चला गया। हमारे जिले में ऐसी हजारों रिपोर्ट आयी हैं । मैंने गांवों में देखा है, खेत काले हो गये हैं । सरसों और चने की फली सूख गई हैं, दाना सूख गया है । ऐसी हालत है कि किसानों की फसल बिल्कुल तबाह हो गयी है । तो एक तरफ सरकार गरीबों का लगान माफ करे और दूसरी तरफ जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको मुआवजा दे । हमारे प्रदेश के पड़ोस में हरियाणा और पंजाब में जहां पर किसानों की फसल बरबाद होती है या कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो वहां की सरकार किसानों को मुआवजा देती है, दीगर मदद करती है । पर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार किसानों की ऐसी दुश्मन है कि जब जब किसानों का नुकसान होता है तो यह सुनने को तैयार नहीं है । मैं देख रहा था, चौधरी महारामजी जब बोल रहे थे कि किसान बरबाद हो गया है, तो चौधरी परसरामजी गर्दन हिला रहे थे, पूरी फसल की बरबादी चाहते हैं । धनिया बरबाद हो गया है, चौधरी साहब कह रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। लेकिन सरकार का अगर यही रवैया है तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर सरकार ने लगान की वसूली नहीं रोकी, किसानों को फसल के नुकसान का हर्जाना नहीं दिया तो राजस्थान के सारे किसानों का एक आन्दोलन होगा, वह उसी प्रकार असेम्बली को घेर लेंगे जिस तरह से पंजाब के राजभवन को घेर लिया था किसानों ने और सरकार को झक मार कर किसानों की बात माननी पड़ी ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यह कह रहा था कि सिंचित और खेत्रेज में क्षति का प्रतिशत क्या है ?

श्री भूपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि सभी जगह पर नुकसान हुआ है, खासकर अफीम का नुकसान हुआ है । मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पर 60 आदमी अफीम बोते हैं । वहां पर चार इन्सपेक्टर आये और कहा, भाई, औसत पूरी नहीं दोगे तो आग डाल दो। तो उनमें से 6 ने रखी और 54 ने आग दी । यो बोने वालों के 90 प्रतिशत और फसल की दृष्टि से 95 प्रतिशत जनों ने आग लगा दी । हमारी सरकार की लापरवाही से यह हुआ। उनको कहा कि आग दो नहीं तो तुम्हारा पट्टा खत्म हो जायेगा । किसान ने सोचा कि पट्टा रहना ही ठीक है । यह सही है कि केंद्र का काम है लेकिन अगर उस पर राज्य सरकार कोई आदमी रखती, निगरानी रखती तो अलबत्ता किलो दो चार किलो या दस बीस प्रतिशत कुछ तो रहती । वह सारी चली गयी । अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खेती और व्यापार दो तरह के धन्धे हैं । व्यापारी को टैक्स, इन्कम टैक्स देना होता है । तो जितना नुकसान हुआ है उसमें पांच प्रतिशत

(श्री भूपाल सिंह)

की छूट देते हैं। यह समाजवादी सरकार है। सभी पार्टियां घोषणा-पत्र में समाजवाद का नारा लगाती हैं लेकिन वास्तव में परीक्षा उस वक्त होती है जब बात अपने पर बीतती है। आज यह किसानों के ऊपर बीती है तो समाजवादी सरकार की परीक्षा हो रही है कि वह क्या करती है? व्यापारी जो करोड़ों का व्यापार करता है उसको 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है तो सरकार लगान कितना काम कर सकती है? जिसने महंगा बीज, महंगा खाद लेकर बोया है उसको क्या देती है? मेरा अर्ज करना यह है कि सभी फसलों का नुकसान हुआ है।

जो मन्त्री महोदय हैं, ये जन्म से किसान हैं। किसानों की तकलीफ को जानते हैं। करीब-करीब सब डिपार्टमेंट के ये मन्त्री रह चुके हैं। इनको सब अनुभव है। अगर इनके वक्त में किसानों का कुछ हित नहीं हो तो कुछ भी कभी नहीं होगा।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

माननीय सहायता मन्त्री महोदय।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय मन्त्रीजी, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के सम्बन्ध में सभी ने ध्यान आकृष्ट किया है, जिला सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में कुछ निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं....

श्री सभापति : मन्त्री महोदय स्वयं सवाई माधोपुर के हैं अतः वे ध्यान रखेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय भी जाड़े की लपेट में आ गये थे इसलिये वे खेतों में नहीं जा सके। इसलिये मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है उनको कृपया राहत दिलायें। जाड़े की लपेट में आने के बाद आप का वहां पदार्पण नहीं हुआ इसलिये इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री बाऊदयाल जोशी : 80 साल में पहली बार इतनी भयंकर शीत लहर उस उस क्षेत्र में आयी उसके कारण करीबन 10 करोड़ रुपये की अफीम की फसल, जो मुंह में आयी हुई थी, नष्ट हो गयी। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उनकी फसलों की क्षति हुई उससे उन पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ तो जाड़े के कारण उनका 10-12 करोड़ की अफीम नष्ट हो गयी, दूसरी तरफ नारकोटिक्स विभाग उन पर कहर ढाये हुये हैं। मेरा निवेदन है कि नारकोटिक्स विभाग को बार-बार प्रपत्र भेज देने के बावजूद, भी किसानों द्वारा नारकोटिक्स विभाग जाकर यह निवेदन कर देने के बाद भी कि हमारी फसल नष्ट हो गयी है उन्हें तंग किया जा रहा है। कृपा करके आप सर्वे करा लें। आप जानते हैं, चूंकि आपके क्षेत्र में भी यह हो सकता है, जहां अफीम का रकबा होता है वहां पर नारकोटिक्स विभाग उनको पट्टे पर देता है और पट्टे के आधार पर अगर एक तोला अफीम कम हुआ तो उन पर केस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बनता है। मेरा निवेदन है कि नारकोटिक्स विभाग समय पर उनका सर्वे नहीं करता, उनकी जांच नहीं करता, कितनी क्षति अफीम की हुई है इसकी जांच नहीं करता। दूसरी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती। 80 साल में पहली बार इस प्रकार की भयंकर शीत लहर के कारण छीपाबाड़ी क्षेत्र के अफीम के काश्तकारों की फसल नष्ट हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आज ही यह घोषणा करवाना चाहूंगा कि कोटा जिले में जो करोड़ों रुपये की अफीम नष्ट हुई है सरकार उसका मुआवजा देगी और साथ ही नारकोटिक्स विभाग को यह लिखेगी कि नारकोटिक्स विभाग सही-सही सर्वे करे। आज भी किसान नारकोटिक्स विभाग के पास अपील करता है कि हमारी फसल नष्ट हो गयी है...

श्री सभापति : समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : नारकोटिक्स विभाग उनकी लिस्ट बना नहीं सका जिसके कारण काश्तकारों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन गरीब काश्तकारों को मुआवजा देने की बात करते हैं, तो नारकोटिक्स विभाग को सख्त आदेश दें कि गरीब काश्तकारों की अपील की बिना पर सही-सही रूप में राहत दें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : वरना उन पर दोहरी मार होगी, एक तरफ तो शीत लहर की मार और दूसरी तरफ उन गरीब काश्तकारों पर नारकोटिक्स विभाग के मुकदमे। इसलिये आप कृपा करके राज्य सरकार को इस बात के लिये इंगित करें कि वह उन गरीब काश्तकारों को राहत दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सहायता मंत्री।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न भागों में शीत लहर से फसलों की हुई क्षति के सम्बन्ध में विधान सभा के 19 सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान लिखित रूप में आकर्षित किया और अब सदन में 17 माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये हैं। सभापति महोदय, शीतलहर से फसलों को क्षति की सूचना प्राप्त होते ही उसका आंकलन करने एवं फसलों की हुई क्षति की रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 2 मार्च, 84 को राज्य सरकार द्वारा नितन्तु संदेश जिलाधीशगण को दिया गया। फसलों में होने वाली क्षति का सही एवं पूरा अनुमान और फसलों की बर्बादी की रिपोर्ट उनसे ही मिल सकती है। राजस्थान भू-राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 58 में यह प्रावधान है कि पटवारी की रिपोर्ट 16 फरवरी से 15 मार्च तक सम्पादित की जायगी। इन्हीं

(श्री चेतराम मीणा)

नियमों के नियम 102 में प्रावधान है कि पटवारी रिपोर्ट बाबत जिन्सवार तैयार कर के 20 मार्च तक भू-अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा तदुपरान्त इसकी जांच निरीक्षक के स्तर पर एवं जिला स्तर पर होगी। इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि रबी की फसल में खराबी होने की दशा में खराबी का प्रथम प्रतिवेदन 31 मार्च तक एवं अंतिम प्रतिवेदन 30 अप्रेल तक जिलाधीशगण सहायता विभाग को भेजेंगे। ऐसी दशा में रबी की फसल में जो क्षति होती है उसका सही एवं पूरा विवरण जिलाधीश से अंतिम विवरण प्राप्त होने पर ही मिल पायगा। फिर भी राज्य सरकार ने क्षति के बारे में ग्रामवार सूचना भेजने के लिये जिलाधीशगण को निर्देश दे दिया है। क्षति का सही-सही आंकलन उनके विवरण प्राप्त होने पर ही हो सकेगा। जहां तक वसूली में ज्यादतियों का सवाल है, जिलाधीशगण से जो सूचना मिली है उसके अनुसार ऐसी ज्यादतियां होना जानकारी में नहीं आया है। अभी तो वसूलियां हुई हैं अथवा हो रही हैं वह वसूली तो खरीफ की फसल की बकाया की है। रबी सम्वत् 2010 की भू-राजस्व की वसूली मई माह में होने का प्रावधान है जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है जिलाधीशगण से अंतिम प्रतिवेदन के आने पर सही एवं पूरी जानकारी आ पायेगी तदुपरांत विचार करके कृषकों को राहत देने पर राज्य सरकार निर्णय लेगी।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, मैंने 2-3 प्रश्न पूछे थे। क्या आपने केन्द्र सरकार से कोई सहायता के लिये निवेदन किया? पहला मेरा प्रश्न है, केन्द्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा है या मांग की है कि कितनी क्षति हुई है इस पर विचार किया जाय?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि किसानों की क्षति पूर्ति के लिये क्या आपने कोई पालिसी डिसीजन लिया है, कितना नुकसान हुआ है और कितना पर्सेन्ट आप मुआवजा देंगे? इस सम्बन्ध में तो आप पालिसी डिसीजन ले सकते हैं। यह तो ठीक है कि कितना फसल का नुकसान हुआ यह आप जिलाधीश की रिपोर्ट के बाद प्रस्तुत करेंगे।

श्री सभापति : विराजें, माननीय सदस्य। केवल प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : उसकी तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय, आप अफीम के बारे में कोई निश्चित रूप से जवाब इस सदन में दें क्योंकि यह पता जब तक नहीं होगा कि कितना खराबा हुआ तब तक वे चीरा नहीं लगा सकते हैं। चीरा अगर वे लगा देंगे तो उनको प्रति हैक्टयर 30 किलो अफीम देनी पड़ेगी। अगर चीरा नहीं लगायेंगे तो उसके अन्दर जो पोस्त है इसके कारण उनको थोड़ी बहुत आमदनी हो सकती है। वह आमदनी भी तब तक नहीं हो सकती है जब तक यह पता नहीं लगे कि कितना खराबा हुआ। आप कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करायें जिससे उनको यह पता लग जाय कि कितना खराबा हुआ। उनको चीरा लगाने की छूट दी जाय जिससे

(श्री गुलाब चंद कटारिया)

कम से कम जो पोस्त है वह तो मिले उसकी भी दो हजार रुपये प्रति क्विंटल कीमत है। उसकी दो हजार रुपये प्रति क्विंटल कीमत है, वह किसानों को मिल सकेगी और उससे उसको कुछ लाभ हो जायगा।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोनय ने फर्माया कि जो वसूली हो रही है वह तो खरीफ की फसल की है, उससे क्या मतलब है। किसान अभी दुखी हो रहे हैं। इस दुख के बावजूद सरकार उनसे निर्दयता से वसूली करे क्या यह मानवता की दृष्टि से उचित बात है? जो वसूली हो रही है इससे किसान अभी परेशानी में हैं। किसानों की जो परेशानी हैं उनको तो आप दूर करवाइये। वसूली स्थगित करवाइये।

श्री सभापति : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि आज जो फसलों का नुकसान हुआ उसका कृषि विभाग ने कोई जायजा लिया या प्रतिवेदन वगैरह दिया या नहीं दिया? इस संबंध में कृषि विभाग लापरवाही करता है उसके सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि जहां पर रबी की फसल होती है वहां पर उनके खेतों में पानी भर जाने से सावणू खेती तो हुई नहीं। सावणू खेती नहीं हुई फिर भी उस क्षेत्र के अन्दर वसूली की कार्यवाही चल रही है। वह बन्द क्यों नहीं हुई? मेरे कहने का मतलब यह है कि सावणू खेती तो बरसात ज्यादा हो जाने की वजह से नष्ट हो गई। उसकी एवज में उन्होंने उनालू फसल बोई थी। इसलिए सावणू खेती के उन काश्त-कारों को मुआवजा देने या उनकी जो वसूलियां वगैरह हैं, और दूसरी वसूलियां हैं उनका कम से कम ब्याज तो माफ करने की कार्यवाही करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : 55 हजार किसानों को 77 हजार हैक्टेयर जमीन में अफीम की खेती के लिए पट्टे इश्यू किये थे। अगर राज्य सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया तो उन 55 हजार गरीबों के साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि वहां तो अगर एक तोला भी अफीम की खेती कम होती है, तो उनके पट्टे रद्द हो जाते हैं, अगली साल के लिए उनको लाइसेंस इश्यू नहीं होता। मेरा निवेदन यह है कि सरकार गम्भीरता से सोचे।

कोटा जिले में 60 से 70 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। जहां प्रतापगढ़ में 80-90 प्रतिशत खराबा हुआ है वहां कोटा में 60-70 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। परसों तक की रिपोर्ट है, नारकोटिक्स विभाग उसे मानने को तैयार नहीं। मेरा निवदेन करना यह है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि चूंकि नारकोटिक्स विभाग सेंटर के अधीन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है, राज्य सरकार मे यह विभाग सीधा सम्बन्ध नहीं रखता, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जांच करा रहा हूं लेकिन परसों तक तो किसी प्रकार की जांच, विशेष रूप से....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। आप पहले ही फर्मा चुके हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि नारकोटिक्स विभाग को क्या आप आज आदेश प्रसारित करेंगे ऐसा आश्वासन देंगे, सदन को? क्या आप नारकोटिक्स विभाग को आज ही आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि वह इस खराबे को निश्चित रूप से गम्भीरता से ले?

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अफीम की फसल खराब हुई, अभी तक उनकी फसल का निरीक्षण नहीं हुआ, न किसी प्रकार का ब्यौरा या रिपोर्ट ही आई है, इसलिए उनके पट्टे कटेंगे। तो मंत्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन दें कि उनके पट्टे नहीं कटें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाये? केन्द्र सरकार को लिखें कि विभाग सारी फसल का निरीक्षण करके केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर : ताकि उनके पट्टे बरकरार रहें। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य। आप बोल लिये हैं।

(व्यवधान)

माननीय महारामजी चौधरी।

एक माननीय सदस्य : आपने क्षतिपूर्ति के लिए लिखा क्या?

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, आपने यह कहा है कि जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगाई है। मेरा अर्ज करना यह है कि जिलाधीशों की रिपोर्ट मंगाने के लिए तो पहले ही लिखा होगा जब हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। लेकिन वहां फिर भी वसूलियां बड़े जोरों से हो रही हैं तो क्या आप विधान सभा के सत्रावसान से पहले या सप्ताह भर में रिपोर्ट मंगा कर ऐसा निर्णय लेंगे? ऐसा आश्वासन दिला दें, माननीय सभापति महोदय। मारपीट करके, कुर्की करके वसूलियां कर रहे हैं, कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें पिछले साल भी फसल.......

श्री सभापति : आपके प्रश्न को समझ गये हैं, मंत्री महोदय। जवाब देंगे।

माननीय रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, जो हमने, 15-20 माननीय सदस्यों ने अलग से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिया था, उसके बारे में बोलने की अगर आप हमको इजाजत देंगे, बाद में भी मौका मिलेगा तो अभी प्रश्न पूछें नहीं। और अगर आप कहें कि एक ही बार बोल सकते हैं तो मुझे इजाजत दें। मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न पूछ लें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने प्रस्ताव दिया है इसलिये हम तो विस्तार से बोलेंगे, हमारे तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में शीत लहर से भारी नुकसान हुआ है, बाढ़ और शीत लहर से........

श्री सभापति : आज की कार्य-सूची में तो, माननीय सदस्य, आप लोगों के नाम अंकित नहीं हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे तो आप से केवल व्यवस्था चाहिए।

श्री सभापति : अभी तो आप, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री तेजपाल यादव : माननीय सभापति जी, हमने अकाल के मामले में सवाल उठाया था तो आसन की ओर से यह व्यवस्था हुई थी कि इस पर अलग से चर्चा होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अकाल के सम्बन्ध में बोल रहे हैं जबकि शीत लहर से क्षति की बात हो रही है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : बिराजिये, माननीय सदस्य। कृपया सहयोग करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि यों तो पूरे राजस्थान में शीत लहर से भयंकर नुकसान हुआ है पर पश्चिमी राजस्थान, में सीवज के कारण सावणू फसल नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा बरसात होती नहीं थी इसलिए सावणू की फसल बोयी पर इस बार वहां पर बरसात अच्छी हो गई थी इसलिए सावणू फसल हुई नहीं, खराब हो गई। चने, सरसों की फसल बोयी, उसके बाद सब्जी नागौर, जोधपुर के इलाके में बोयी गई। मैं ठीक कहता हूं, वह 80 प्रतिशत नष्ट हो गई। वह सावणू थी। टमाटर की और सब्जी की फसल बोयी, नष्ट हो गई। मेरा मतलब यह है, वसूलियां रोकने की बात तो मैं नहीं कहता 3–4 साल तक हमारे यहां अकाल था इसलिए करोड़ों रुपये राज्य सरकार ने लोगों के जिन्दा रहने के लिए रोजगार पर खर्च किये। इसलिए जो मामूली वसूलियां होती हैं उनके तो हम पक्ष में हैं, मैं यह नहीं चाहता कि रोक दें। लेकिन जिन लोगों के 4 साल तक अकाल था, वसूलियां हो नहीं सकीं, 5 साल से फसल बोयी, खर्चा किया वह नष्ट हो गया, क्या राज्य सरकार उनको वहां पर कोई इमदाद देने की या विशेष फैसिलिटी देने की हैसियत रखती है या नहीं। इस सारी बात में शायद झांसा-पट्टी देने की बात, मेरे ख्याल से, मंत्री महोदय, आप नहीं करेंगे।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वास्तव में आप बोलेंगे, क्या प्रोग्राम है, दिल्ली में बात की है या नहीं की है ?

(व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है कि बाढ़ से बिलाड़ा, रायपुर से लेकर दूणी तक का इलाका नष्ट हुआ है, लाखों करोड़ों की क्षति हुई है। वहां भी आपने एक रुपया भी किसी किसान को इमदाद नहीं दी। 77–78 में करोड़ों रुपये, 4-4, 8–8 हजार के लोन, सब्सिडी दी थी। लेकिन, मेरे ख्याल से, आप भूल गये, आपको मालूम नहीं रहा, वहां बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ था, खराबा हो गया, खेत खराब हो गये, खलिहान खराब हो गये, घर बह गये। गनीमत रही कि आदमी मरे नहीं। उस समय पांच सात सौ आदमी मरते, वह तो नहीं हुआ क्योंकि दिन का समय था, बाकी तो उससे भयंकर नुकसान हुआ लूणी नदी, रायपुर बांध और बरसात से। एक तो यह बतायें कि जिन लोगों का बाढ़ से नुकसान हुआ, जिनके कुए, जमीन, फसल नष्ट हो गई, उनको इमदाद देने का, सब्सिडी देने का विचार है कि नहीं ?

दूसरे शीत लहर से जो नुकसान हुआ, मैं उनके लोन को सरकाने की बात भी नहीं करता, वसूलियां स्थगित करने की बात भी नहीं करता जिस क्षेत्र के अन्दर नुकसान हुआ, वहां पर उन लोगों की सावणू फसल हुई नहीं, 5 साल में उस क्षेत्र के अन्दर नुकसान हुआ, हमारा विश्वास नहीं करें तो अधिकारियों की रिपोर्ट मंगाकर देख लें कि आया कौन से क्षेत्र के अन्दर किसान को शीत लहर से बड़ा भारी नुकसान हुआ है, उनको कौनसी इमदाद देने जा रहे हैं, इसका खुलासा करके बतावें।

जय हिन्द।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्पष्ट घोषणा हो जाय, क्या राहत देंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं....

श्री सभापति : केवल प्रश्न।

श्री बंशीलाल पटवा : हां, प्रश्न कर रहा हूं, पाइन्टेड प्रश्न कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने बिलकुल × × × वक्तव्य ठीक नहीं दिया, उत्तर ठीक नहीं दिया, किसानों के विपरीत दिया, किसानों का कोई भला नहीं हुआ। मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, सभी मान्यवर सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कि फरवरी माह में शीत लहर से जो क्षति हुई है, समूचे राजस्थान में हुई है, विभिन्न फसलों को, पेड़-पौधों को, सब्जियों को। उसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने इस तरह के आदेश जारी किये हैं कि रिपोर्ट आ जाय। मेरा यह निवेदन है कि रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? जिन्सवारी कब तक हो जायेगी ? किस तरह से नुकसान हुआ, इसके आंकड़े कब तक

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बंसीलाल पटवा)

इकट्ठे कर लिये जायंगे ? आंकड़े इकट्ठे करने पर आप किस प्रकार की राहत देंगे ? समुचित राहत क्या देंगे ? नहीं देंगे तो स्पष्ट कहें कि नहीं देंगे। देंगे तो क्या और किस तरह की राहत देंगे ? कब तक जिन्सवारी करवा लेंगे ? यह सारी क्षति हुई, इसके बारे में स्पष्ट उत्तर आ जाय, अगर नहीं दे सकते तो डैकोरेटिव लैंग्वेज में पाल्सन के डिब्बे सरकाने का काम मत करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक प्रश्न और इसी से रिलेटेड है।

इनके चुनाव क्षेत्र में, जहां पर सरसों की फसल कट चुकी है, चने की फसल कट चुकी है, उनका यह कैसे आंकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं मेहरबानी करके।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण). सभापति महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। जिन्सवारी करने के लिये पटवारी मौके पर पहुंचेगा, मैंने खुद भी देखा है, कुछ फसल ऐसी है जिसमें दाग लगा है और कुछ ऐसी है जो सही है, कुछ में दाग से गलकर दाना बिल्कुल काला पड़ गया है, उनकी जिन्सवारी कैसे होगी ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने मेरे मूल भाषण में यह सब कुछ निवेदन कर दिया था कि कैसा भी प्राकृतिक प्रकोप हो जैसे शीत लहर, इसके लिये प्रावधान किया गया है कि गिरदावरी किस प्रकार होती है, जिन्सवारी किस समय होती है और उसका जिला स्तर पर किस तरह संकलन होता है। 31 मार्च तक इसकी प्रथम सूचना आती है और अन्तिम रिपोर्ट 30 अप्रैल तक आती है, यह मैंने पहले निवेदन कर दिया था। इसका प्रोसिजर दिया हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां कहा गया कि क्या केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा गया है ? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम राज्य स्तर पर पूरे आंकड़े संकलित नहीं कर लें तब तक यह प्रश्न नहीं उठता कि केन्द्रीय सरकार को बिना आंकड़े एकत्रित किये ही निवेदन कर दें। जैसे ही आंकड़े प्रस्तुत हो जायेंगे, नियमानुसार सब कुछ कार्यवाही की जायेगी। जैसा मैंने निवेदन किया, 31 मार्च तक प्रथम सूचना आ जायेगी और 30 अप्रैल तक अन्तिम प्रतिवेदन आ जायेगा, उसके बाद सब कुछ किया जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर यह कहा गया कि वसूली बड़ी तेजी से हो रही है। मैंने निवेदन किया था कि इस समय जो वसूली हो रही है वह तो खरीफ की फसल की हो रही है, रबी की फसल की वसूली तो मई में होगी, उसके पहले यह प्रतिवेदन सब कुछ तैयार हो जायेगा।

(श्री चेतराम मीणा)

शीघ्र ही सरकार इसके बारे में निर्णय लेने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत हो जायेगी, निवेदन कर दिया जायेगा। जो वसूलियां हो रही हैं वह खरीफ की फसल के बारे में हो रही हैं। जैसा अभी रामसिंह जी साहब ने बाढ़ के बारे में प्रश्न उठाया वह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : खरीफ की फसल की वसूली हो रही है यह गैर जिम्मेदाराना तरीका है.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मेघराज तावड़ : मैंने यह कहा कि खरीफ की वसूली हो रही है। खरीफ की सारी फसल जल गई वहां पर सरकार को पता ही नहीं है, सरकार खोई हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय मंत्री जी मेरे साथ चलने को तैयार हो तो ले जाना चाहता हूं, वहां पर आदिवासियों के पास एक दाना मक्की का नहीं मिलेगा और ये कहते हैं कि खरीफ की हो रही है, रबी की बाद में की जायेगी। वसूली बन्द होनी चाहिये ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : पानी भर गया, फसल नहीं हुई, उन खेतों में बाद में रबी की फसल बोयी। वसूली बन्द कराई जाय।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप तो वसूलियां बन्द करिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय अपना जवाब दे रहे हैं। सुनिये। आप मंत्री महोदय का जवाब तो सुनिये।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय का जवाब तो पूरा सुनिये। विराजें मेहरबानी करके।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : क्या जवाब दे रहे हैं, जोरमंद किसान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जोरमंद किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है; पुलिस के जरिये और यहां पर कहा गया कि खरीफ की वसूली की जा रही है। कितनी ××× की बात है, लोगों के साथ मखौल कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजें, आसन पैरों पर है....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि गाड़ियों को तोड़ा जायेगा, घेराव किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : माननीय मंत्री महोदय, कोई जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य नहीं दे रहे हैं ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बूंदी जिले में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे माननीय मंत्री महोदय ने उनको बड़े ध्यानपूर्वक नोट किया है, माननीय मंत्री महोदय उन सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक, शान्तिपूर्वक पूरा जवाब सुनें। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे रहे हैं ....

श्री हीरालाल आर्य : जवाब भी तो तथ्यपूर्ण होना चाहिए। ये तो गोलमाल दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। आसन पैरों पर है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : स्पष्ट जवाब दिलाया जाय। सरकार वसूलियां स्थगित करने की घोषणा करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं, मंत्री महोदय....

श्री बालचन्द आर्य वीर : ये जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : किसान तो परेशान हैं। आपका जवाब और परेशान करने वाला है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : इस संबंध में कोई जानकार, जिसको तजुर्बा हो, जो कि गांव का हित चाहता हो, ऐसे मंत्री महोदय से यदि जवाब दिलाया जाता ....

श्री बालचन्द आर्यवीर : इनको तजुर्बा नहीं है।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय,

(श्री त्रिलोक सिंह)

मुख्य मंत्रीजी को बुलवा लें अगर वे जवाब नहीं दे सकते हैं तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन के साथ सहयोग करें।

श्री महाराम चौधरी : इनके पास देने लेने को कुछ है ही नहीं तो व्यवधान काहे का कर रहे हैं हम। इनके पास....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मंत्रीजी के पास तो अपनी सड़कों को ठीक करने के लिए ही पैसा है। कितना बजट मिला है इसका ही पता नहीं है ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

ऐसा लगता है कि आप मंत्री महोदय का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। रुचि नहीं है ....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : बिल्कुल सुनना चाहते हैं ....

श्री हीरालाल आर्य : हम असंतुष्ट हैं, उस जवाब से। तथ्यहीन जवाब है। किसानों को क्या राहत देना चाहते हैं ? यह जवाब होना चाहिए उनका।

श्री मेघराज तावड़ . सभापति महोदय, इतना भयंकर मामला है, कुठाराघात किया है किसानों के ऊपर तो कम से कम माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बारे में घोषणा करें जो भी करनी है। × × × वसूली की जा रही है लोगों से। लोगों के पास अनाज का एक दाना तक नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कितनी बार अपने विचार व्यक्त करेंगे ? आप धैर्य रखें। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, न तो जवाब आता है न कुछ, हम क्या करें। ऐसा जवाब सुनकर चुप रह जायं ?

(व्यवधान)

ऐसा नहीं हो सकता है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : सदन की गरिमा है, उसके हिसाब से यहां पर तो आपको शान्त रहना पड़ेगा, आप महरबानी करके आसन के साथ सहयोग कीजिये। आप विराजें।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल आर्य : ऐसा जवाब तो हम भी दे सकते हैं....

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : ये गैर जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मंत्री महोदय घोषणा करें कि अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे, यह किया जायेगा। कुछ कार्यक्रम तो बतायें। ऐसा जवाब तो हम ही दे देते हैं हमारे क्षेत्र में ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय क्या घोषणा करें और क्या वक्तव्य दें इस सम्बन्ध में आसन की ओर से संकेत या दिशा-निर्देश नहीं दिया जा सकता। लेकिन मंत्री महोदय जो कुछ भी सदन में निवेदन कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहे हैं। आप कृपया शान्तिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनिये ....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ, किसानों के ऊपर क्या बीत रहा है। गोलमाल जवाब दे रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : जवाब दें कि कि इसको किस तरह से लेंगे। क्या करेंगे ? उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : ऐसे जवाब से फायदा क्या है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप में से किसी की बात किसी के समझ में नहीं आ रही है।

(व्यवधान)

आप ध्यानपूर्वक सुनिये। आप कितनी बार प्रश्न पूछेंगे ?

(व्यवधान)

आपकी किसी की बात सुनाई नहीं आ रही है।

श्री नाथूसिंह : एक प्रश्न निवेदन करना चाहता हूं। माननीय परसराम जी मदेरणा साहब यहां पर बिराजे हुये हैं। माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि माननीय राज्य मंत्रीजी ने केवल लिखा-लिखाया वक्तव्य दे दिया। सदन की मंशा है कि यह एक पालिसी डिसीजन है, सरकार कोई न कोई घोषणा करे ताकी किसानों को लाभ हो। माननीय परसरामजी सीनियर मिनिस्टर हैं, किसानों के संबंध में राज्य मंत्री जी से जवाब दिलवा रहे हैं। इतना सीरियस मैटर है, उद्योगपति को हो जाता तो माननीय मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देते। किसानों का मामला है इसलिये राज्य मंत्री जी को वक्तव्य लिखा लिखाया पकड़ा दिया।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया मंत्री महोदय को सुनिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, उनकी सुविधा के लिये बताना चाहती हूं। मंत्री महोदय, आप छोटे नहीं हो जायेंगे। एक सैकिण्ड के लिये बैठ नहीं सकते हैं ?

सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यह फर्माया कि वसूली खरीफ की फसल की हो रही है। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगी कि यह कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वसूली आप खरीफ की फसल की कर रहे हैं क्योंकि रबी की फसल की तो आप बाद में करेंगे। सवाल यह है कि किसानों के पास कोई सरप्लस पैसा तो था नहीं। जो पैसा आपने दिया था, खरीफ करने के बाद उसने वह पैसा अपनी रबी की फसल के लिए खर्च कर दिया। अब उसके पास पैसा नहीं है और रबी की फसल सारी उजड़ गई है। आप यह तो एडमिट कर रहे हैं कि खरीफ की फसल की वसूली आप कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सवाल यह है कि वसूली वह कहां देंगे। सरप्लस पैसा थोड़े ही था उनके पास। वह पैसा वह खर्च कर चुके हैं। वह फसल बरबाद हो गई, उसके बाद में आपका यह कहना है कि साहब, वसूली तो खरीफ की फसल की कर रहे है, यानि आपने इकबाल तो कर लिया जुर्म का। अब आप करना क्या चाहते हैं किसानों के लिए, यह बताइये।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, जैसा मैने निवेदन किया कि शीत लहर के बारे में जैसे ही समाचार मिला, राज्य सरकार ने सभी जिलाधीशों को वायरलैस मेसेज दिया। अब तक सरकार पांच बार वायरलैस मेसेज दे चुकी है परन्तु नियमों में यह प्रावधान है कि गिरदावरी 16 फरवरी से 15 मार्च तक होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री चेतराम मीणा : 20 मार्च को भू अभिलेख निरीक्षक प्रस्तुत करेंगे, 31 मार्च तक जिला स्तर पर होगा और अन्तिम प्रतिवेदन 30 अप्रेल तक राज्य सरकार के पास आयगा। यह जब सूचना प्राप्त हो जाती है उसके बाद

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, फसल जले एक महीना हो गया।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री त्रिलोक सिंह : एक महीना हो गया, है हम क्या जबाव देंगे। करोड़ों किसान बरबाद हो गये और जवाब देगी यह सरकार, क्या जबाब देगी ?

एक माननीय सदस्य : मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री स्वयं खेतों पर गये।

(एक माननीय सदस्य)

(व्यवधान)

क्या राजस्थान मंत्री खेतों पर गये ।

श्री यदुनाथ सिंह : 30 अप्रेल तक कांश्तकार को काम नहीं मिलेगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : बस एक महीना हो गया, दो महीने के बाद जवाब देगी यह सरकार। काहे का जबाब देगी, इस सरकार का फातिहा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें कृपया।

श्री त्रिलोक सिंह : इनकी जिम्मेदारी थी, फसल डाले एक महीना हो गया और ....

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें कृपया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कर्तव्य की इतिश्री हो गई। मन्त्री महोदय स्वस्थ बैठे हैं । अस्वस्थ हैं और बैठे-बैठे इशारा कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूगा, यह, कोई होली का मजाक है क्या ? मन्त्री महोदय जवाब दें उठ करके । कितना गम्भीर मामला है, इस तरह से बात को टाला जा रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप होली के मूड में बोल रही हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या कहा मैंने सुना नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप होली के वातावरण में बोल रही हैं क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं होली के वातावरण में नहीं बोल रही हूं लेकिन उत्तर होली के वातावरण में आ रहा है। मैं चाहती हूं कि होली का वातावरण न बनाया जाय, इसको गम्भीरता से लिया जांय । मान्यवर, गम्भीर व्यक्ति हैं, मैं बहुत आदर करती हूं, आप इस पर ज्यादा तवज्जोह दे सकते हैं । मन्त्री महोदय को शीत लहर क्या होती है यह भी मालूम नहीं है । अगर उन्हें मालूम होता तो उतनी गम्भीरता से जवाब देते, हम गम्भीरता से सुनते और समाधान होता । आपसे आग्रह है कि आप जवाब दें ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री चेतराम मीणा)

(व्यवधान)

आप सुनना नहीं चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं, सरकार निश्चितरूप से....

श्री मेघराज तावड़ . सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चेतराम मीणा : व्यवस्था के प्रश्न तो होते ही रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : नहीं-नहीं। व्यवस्था का प्रश्न आ रहा है माननीय सदस्य का।

श्री मेघराज तावड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है जबकि अकाल राहत मन्त्री हैं, कृषि मन्त्रीजी खुद उपस्थित थीं तो कृषि मन्त्रीजी को जो कृषि का नुकसान हो उसका जवाब देना चाहिये। यह अकाल राहत मन्त्री हैं। अगर वह नुकसान की रिपार्ट देंगे तो यह अकाल राहत मंत्रीजी सुनेंगे। यह अकाल राहत मंत्रीजी हैं। पहले कृषि मंत्रीजी को बुलाया जाय, नहीं तो मुख्य मंत्रीजी को यहां बुलाया जाय और वह इसकी घोषणा करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, कृषि की फसलों का नुकसान हुआ इसमें कोई दो राय नही है। यह निर्विवादित सत्य है कृषि मंत्रीजी राहत का काम नहीं देखते। जब कभी भी फसलों को क्षति होती है तो अलग-अलग प्रकार की राहत किसानों को पहुंचाने के लिये प्रभारी विभाग राहत विभाग है। यहां पर कई बातें आईं, राहत मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उन्होंने उसमें दो चीजों का उल्लेख किया है, एक तो जो रेवेन्यू मैनुअल के अन्दर जिन्सवार गिरदावरी का समय मुकर्रर किया गया है। हमने दो मार्च के बाद में लगातार कल से यह कहा है कि गिरदावरी जिन्सवार जल्दी कराई जा करके जो फसलों को क्षति हुई है उसका प्रथम प्रतिवेदन और अन्तिम प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी भिजवाया जायगा। फेमिन कोड में एक प्रावधान है, रूल 7 का भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि सदन जानता है, मेरे पास में राहत विभाग नहीं है और जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या मुझे बोलने के लिये बाध्य कर रही थीं, मैं नहीं बोलता लेकिन मुझे अभी तक इस राजस्थान में कहीं भी ऐसा प्रिसीडेंट मालूम नहीं होता जब कि शीत लहर पर राहत दी गई हो, सिवाय ओलावृष्टि के। ओलावृष्टि पर निश्चित रूप से राहत दी गई है। पहले कुछ काम भी खोले गये थे और कुछ बीज और खाद भी छोटे और सीमान्त किसानों को राहत के रूप में 1982 के अन्दर निश्चित रूप से दी गई थी। लेकिन जो कोई भी प्राकृतिक विपदाओं की वजह से क्षति होती है उसका जो प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है वह गश्त गिरदावरी के आधार

(श्री परसराम मदेरणा)

पर किया जाता है। इसलिए जब खराबे को संकलन सरकार के पास में नहीं हो तो भारत सरकार को वह रिपोर्ट नहीं दे सकती। इसलिए कलेक्टर्स को अभी 18 तारीख को कल ही इस वास्ते....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : 18 मार्चको, कल ही आदेश दिया गया कि प्रथम प्रतिवेदन आप जल्दी से जल्दी फार्म में भर कर भिजवा दीजिये। एक बात तो यह........

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री त्रिलोक सिंह : माननीय चेतरामजी कहते हैं दस मार्च, को दिया गया और चौधरी परसरामजी कहते हैं 18 मार्च को दिया गया, अब कौनसी बात सच मानें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा, जिस प्रश्न पर माननीय सदस्य ज्यादा उद्विग्न दीख रहे हैं वह वसूली के सम्बन्ध में है। जहां तक वसूली का सम्बन्ध है वह लगान की बात है। कई प्रकार की वसूलियां तो ऐसी हैं जैसे पंचायत समितियों का लोन हुआ, और इस प्रकार के जो दूसरे लोन हैं, उसमें रबी और खरीफ फसल बीच में नहीं आती। लेकिन जहां तक लगान का प्रश्न है रबी का लगान तब वसूल होता है, खरीफ और रबी के लगान के जैसे जैसे भी राज्य सरकार आदेश देती है वह कम से कम प्रथम प्रतिवेदन के बाद में लेती है। यहां पर यह बात कही गई कि अफीम की ऐसी फसल है जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, 90 से 95 फीसदी अफीम की फसल की क्षति हुई है। हमने नारकोटिक्स विभाग से यह पूछा है कि अफीम की फसल में कितनी क्षति हुई है। उन्होंने अभी तक हमें उत्तर नहीं दिया है तो भी क्योंकि माननीय सदस्य यह कह रहे है, अगर समय पर नारकोटिक्स विभाग के लोग जांच नहीं करते हैं, सर्वे नहीं करते हैं तो फिर बाद में वह यह मानते हैं, पोधे का वह ग्रन्थि रखते हैं उस हिसाब से वह अफीम लेने की बात किसान से करेंगे। जबकि किसान की फसल 90–95 फीसदी के बीच में चौपट हो चुकी है, राज्य सरकार आज ही भारत सरकार का जो नारकोटिक्स डिपार्टमेन्ट है, उस को लिख रही है कि अविलम्ब आपको जांच करनी चाहिये ताकि किसानों की फसल का सर्वे हो सके। जहां तक राहत देने का प्रश्न है, राज्य सरकार स्वयं इस बात को जानती है, राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष जो कोल्ड वेव आई, शीत लहर अपने

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार की एक भयंकर शीत लहर थी, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि यह जो लकड़ लहर थी, लकड़ शीत थी। वास्तव में लकड़ भी जल गये उसमें, कई जगह लकड़ जल गये, कई जगह नहीं भी जले। जब मैं एक बात कह रहा था उनसे कि सिंचित एरिया के बारे में और सीवेज के बारे में बात पूछ रहा था लेकिन मैं यह कहूंगा आपसे कि सिंचित एरिया में भी फसल से नुकसान अलग अलग जगह पर अलग अलग हुआ हुआ है। आप देखेंगे कि पाली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नुकसान हुआ है, मैं वहां था, सिरोही और पाली में, जो फसल पहले बोयी हुई थीं और जो पक गई थी उसमें नुकसान 20 और 30 प्रतिशत, और कई जगह तो दस पर्सेन्ट हुआ है, यह बात मुझे किसानों ने तीन तारीख को सिरोही में बताई और 4 तारीख को पाली में बताई।

यदि सभी जगह का नुकसान देखें तो कई जगह नुकसान 90 पर्सेन्ट से हण्ड्रेड पर्सेन्ट हो गया है। कुछ ऐसी फसलें थीं, जैसे जीरा हुआ, धनिया हुआ, अफीम की फसल थी, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा है कि वहां पर ईख और आम तक की फसल को नुकसान पहुँच गया कई जगह अरहर को नुकसान हुआ, कई जगह टमाटर की फसल को नुकसान हुआ। सरकार ने जगह जगह से सूचनायें मंगायी हैं। सरकार इस इस स्थिति को बहुत ही गम्भीर रूप में ले रही है। शीत लहर से किसानों को कितना नुकसान हुआ है, हम और आदेश देंगे कि जल्दी से जल्दी प्राथमिक रिपोर्ट आ जाय, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके हम अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को जल्दी से जल्दी भेज देंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इतना बड़ा नुकसान किसानों को होना वाला था, उसकी सूचना कृषि विभाग द्वारा न तो समय पर किसानों को दी गई और ना ही मूल्यांकन किया गया कि किसानों का कितना नुकसान हुआ। अगर समय पर ही किसानों को सूचना दे दी जाती, अगर समय पर ही कृषि विभाग द्वारा दवाई वगैरह किसानों को दे दी जाती तो किसानों को उतना भारी नुकसान नहीं होता। सभापति महोदय, किसानों को सम्भावित सूचना के आधार पर ही अगर दवाई वगैरह ही दी जाती तो ठीक रहता। पर मन्त्री जी के जवाब में इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी। किसानों को क्या राहत सरकार देना चाहती है, यह भी नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री अमरचन्द : सभापति महोदय,

(श्री अमर चन्द)

मेरा यह निवेदन है मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि सरकार रिपोर्ट मंगायेगी और रिपोर्ट आने पर भारत सरकार को लिखेगी। सभापति महोदय, दूसरी फसलों की बात तो अलग लेकिन अफीम की फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में अगर रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायगी तो बहुत ही गम्भीर परिणाम होंगे क्योंकि अगर अफीम की फसल में 50 ग्राम की भी कमी हो गई तो उस व्यक्ति का राज्य सरकार खाता काट देगी। इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा। सभापति महोदय, तब तक तो फसल ही नष्ट हो जायगी। जब तक आंकड़े आयेंगे आपके तब तक अफीम की फसल तो नष्ट हो जायेंगी। फिर आप कब किसानों को राहत पहुँचायेंगे। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस बारे में गम्भीरता से विचार करे और किसानों को राहत पहुँचायें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, अभी मन्त्री जी ने कहा कि किसानों की फसल नष्ट होने के कारण उनसे लगान वसूल नहीं किया जायगा। हमारा मतलब यह नहीं है। किसानों से एक लगान ही वसूल नहीं किया जाता, और भी उसके ऊपर कई ऋण होते हैं, उनकी वसूलियां होती हैं। मेरा और सभी माननीय सदस्यों का यह मत है कि न केवल लगान ही बल्कि सभी तरह की वसूलियां स्थगित की जायं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

आय-व्ययक 1984-85 पर सामान्य वाद विवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने यहां पर घोषणा की थी किसानों के लिये फसल बीमा के बारे में, उसका क्या हुआ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिये किसानों के लिये जो फसल बीमा की योजना थी उस पर सरकार क्या करने जा रही है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, आज कृषि विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर और दूसरे कई अधिकारी हैं वह लोग क्या काम करते हैं? उन्होंने इस शीत लहर के बारे में क्या कार्यवाही की, इस संबंध में तो बतावें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यहां पर....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यहां पर सरकार को किसानों को राहत देने के लिये घोषणा करनी चाहिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सरकार का फसल बीमा के लिये क्या विचार है, कुछ तो बताओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, सरकार ने यहां पर फसल बीमा योजना किसानों के लिये लागू करने की घोषणा की थी। अगर वह लागू हो जाती तो इतनी बात कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर फसल बीमा होती तो किसानों को उनकी फसल नष्ट होने के पैसे मिल जाते। पर फसल बीमा योजना लागू नहीं हुई है। आप उसे लागू करना चाहते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप मना कर दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, फसल बीमा, प्रश्न एक। कृषि विभाग ने प्रोटेक्टिव मेजर्स फसल को बचाने के लिये नहीं किये, दो। मेंटरोलोजिकल विभाग जो कुछ भी घोषणायें करता है, सूचनाये देता है, वह सही नहीं निकलती। यह तीन बात यहां पर आई है। दो बिन्दु जो हैं वह कृषि विभाग से संबंधित है और जो माननीय सदस्यों के विचार हैं वह कृषि मंत्री को बता दिये जायेंगे। इन्डियन मेंटरोलोजिकल डिपार्टमेंट पूरे देश भर की वार्निंग, या कहिये सूचना देता है, कई बार गलती भी हो जाती है। जैसा कि आप सब माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले तीन चार साल से इसके भी उपकरण जो लेटेस्ट मिलते है वह भारत सरकार के मेंटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने प्राप्त किये है और इण्डियन को कन्सल्ट भी किया जा रहा है ताकि यहां की और दूसरा जो समुद्र में आये तूफान उसकी सूचना समय पर जनता को और किसानों को मिल सके।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, इस सरकार के पास किसानों की आये दिन शिकायतें आती रहती हैं पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, जो यहां पर जवाब मन्त्रीजी द्वारा दिया गया है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं इसलिये आपने किसानों की वसूलियां स्थगित नहीं कीं तो झगड़े होंगे और जो लोग वसूलियां करने जायेंगे उनके सिर फूटेंगे।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इसमें झगड़े होंगे और सिर तोड़े जायेंगे। ××× आज किसान के पास खाने को तो अनाज नहीं है और सरकार किसानों की कुर्किया कर रही है। मैं मेरे ही क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के लोटे तक नीलाम और कुर्क कर दिये गये।

(व्यवधान)

तो, सभापति महोदय, मन्त्रीजी यहां जो लगान की बात करते है, उस तक ही सीमित नहीं होना चाहिये, सभी तरह की वसूलियां स्थगित की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, सदन में मन्त्रीजी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उससे साफ है कि किसानों के प्रति सरकार लापरवाही बरत रही है। उनको किसी भी प्रकार की राहत देने की सरकार की घोषणा नहीं होने के कारण इसके विरोध में मैं और मेरी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : हम भी इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण और सरकार की हठधर्मी के कारण मैं और मेरे दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण हम भी सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, किसानों के विरुद्ध सरकारी नीति के कारण हम भी बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप फसल बीमा के बारे में क्या विचार रखते हैं? यह तो बतायें। हम भी सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आय व्ययक बजट 1984–85 पर सामान्य वाद विवाद।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, पहले आसन की व्यवस्था सुन लें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, एक सैकन्ड एक निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई।

आय व्ययक (बजट) 1984-85 पर सामान्य वाद विवाद।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। किसानों को शीत लहर के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है फिर भी सरकार ने किसानों को कोई राहत देने की घोषणा नहीं की है और आपने चर्चा को समाप्त कर दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री रामसिंहजी विश्नोई कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैंने मन्त्रीजी से दो बातें पूछी थीं पर उन्होंने कोई जवाब उनका नहीं दिया। अब मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से उनका उत्तर चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका मुझे उत्तर दिलायें। एक तो यह है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जुलाई और अगस्त में पिछले साल बहुत भयंकर बाढ़ आयी थी, उस बाढ़ के कारण पश्चिमी राजस्थान में बहुत भारी नुकसान किसानों को हुआ था। आपने अभी जवाब में कहा कि मार्च के महीने में रिपोर्ट आ जायेगी। तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को पिछले जुलाई और अगस्त में नुकसान बाढ़ के कारण हुआ उसके लिये सरकार क्या कर रही है?

दूसरे, सभापति महोदय, जो शीत लहर आई थी वह पंजाब और हरियाणा में अपना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकी। उसका कारण यह है कि वहां तो 8-8 बार वाटरिंग एक फसल के लिये किया गया क्योंकि वहां तो नहरें हैं इसलिये फसल को नुकसान नहीं हुआ। पर हमारे यहां फसल बोई जा चुकी थी उसमें वाटरिंग कुओं से होता है। बिजली की कमी के कारण उससे भी तीन चार बार ही वाटरिंग फसल को किया गया इसलिये हमारे यहां पर किसानों को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर पिछले पांच साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। आप भी जानते हैं, सभापति महोदय, आप भी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वयं मदेरणा साहब गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि यहां पर यह बोल कर नहीं कहते हैं, नहीं बोलने की उनकी गलती है पर वास्तव में इनके एरिया, भोपालगढ़ में फसल की हालत बहुत ही खराब है, वहां पर मिर्च जल गयी है और बिराली और चने की फसल तो बिलकुल ही नष्ट हो गयी है। यह बात अलग है कि सरकार बार बार केन्द्रीय सरकार को लिखती है, जैसे पिछले चार साल से यहां पर अकाल पड़ा तो सरकार बार बार केन्द्रीय सरकार को अनुदान के लिये लिखती है तो इसमें यह शायद सोचते होंगे कि भौंडा लगता है तो वह बात अलग है पर इतना नुकसान फसल का हो और किसानों का नुकसान हो और इस

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मामले को यहां पर दबाना चाहें तो यह बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप किसानों को राहत नहीं देंगे तो हम किसानों के बीच में गांवों में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। आप वसूली करो उसकी हम खिलाफत नहीं करते हैं, हम तो खुद सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं पर वसूली के नाम पर किसानों को बेइज्जत करते हैं, उनको मुर्गा बनाया जाता है यह किसानों का बहुत ही अपमान है। वैसे हमने तो ऐसी बात हमारे यहां सुनी नहीं है पर अगर वास्तव में किसानों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते है, अगर इस प्रकार से किसानों का अपमान करके उनसे वसूलियां की जाती है, इस तरह का सरकार का किसानों के प्रति रवैया रहा तो हम इसको सहन करने वाले नहीं हैं।

यह नहीं समझें कि अपोजीशन वाले ही यह कहते हैं। किसानों के हम सब प्रतिनिधि हैं, आप भी हैं और मन्त्री महोदय भी हैं। शीत लहर से नुकसान हुआ है, पिछले चार साल से लगातार राजस्थान के अन्दर अकाल है तो फिर किसान को कौन सी फसल हाथ लगी जिसके कारण वसूली आप कर रहे हैं। चार साल से फसल खराब हो गयी, फिर बाद में अच्छा बाजरा हुआ तो आपने भाव डाउन कर दिये और कुछ जमाना होने लगा तो यह हो गया फिर आपका गोलमाल जवाब है। कम से कम केन्द्रीय सरकार से कुछ लाने की स्थिति में हमारे मन्त्री महोदय को होना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ कैपेसिटी लाने की होनी चाहिए। इसका वापस जवाब दिलायें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हर मामले में किसानों की जहां मदद करने का सवाल आता है हम हर बात के अन्दर पंजाब, हरियाणा और हमसे लगते हुए प्रान्त महाराष्ट्र वगैरह पिछड़े रहते है। जब इतना बड़ा से शीत लहर से नुकसान हुआ हो उस समय पर हम केवल कलेक्टर से कह दें और कलेक्टर साधारण तौर पर खाना पूर्ति कर दे, मन्त्री महोदय यह कह दें कि कलेक्टर को आदेश देते समय यह कहा है कि दुबारा हरफसल के नुकसान का रेश्यो निकाल करके अमुक टाइम तक दे देंगे तो हम लोग यह समझते हैं कि किसानों का कोई धनीधोरी ही नहीं है। जब भी कोई नुकसान होता है तो हो जाता है, कई बार ओलों से नुकसान होता है कई बार जब अकाल पड़ता है सर्दी से नुकसान होता है, पानी नहीं बरसता है तो उस समय जरूर किसानों के लिये काम जरूर खोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः हमारी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि फसल का नुकसान चाहे पानी नहीं बरसने से हो, चाहे पानी अधिक बरसने से हो, चाहे शीत लहर से हो, चाहे टिड्डी या ओलों आदि से हो, हर किसी भी प्रकार की खेती के नुकसान को सरकार गम्भीरता से लेगी और किसानों

(श्री भैरूलाल भारद्वाज

को उचित और वाजिब मदद दी जायेगी। माननीय मन्त्री महोदय को यह बात सिद्धान्ततः स्पष्ट करके राजस्थान सरकार की तरफ से जो किसानों को शिकायत है उसको दूर करना चाहिए।

श्री सभापति : क्या मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, किसानों की बात है, यों मान लें कि लगातार तीन साल से अकाल के अन्दर सब फसलें नष्ट हो गई, खतम हो गयीं और इस साल स्यालू के अन्दर गल गयीं और उंकालू में जो फसल हुई वह इस शीत लहर के अन्दर नष्ट हो गयीं, चना नष्ट हो गया, जीरा नष्ट हो गया, अलसी नष्ट हो गयी, अफीम नष्ट हो गयी, यह सब फसलें नष्ट हो गयीं और मन्त्री महोदय ने बताया है कि इसकी रिपोर्ट आयेगी तब उस पर विचार किया जायेगा ...

श्री सभापति : समाप्त करें कृपया।

श्री देवीलाल : मेरा निवेदन यह है, सिंचाई मन्त्री महोदय ने बताया कि 18 तारीख को कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट भेज दी। तो पहला निवेदन यह है कि जिन जिन जिलों के कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी कि फसल का कहां कहां पर कितना नुकसान बताया। एक महीने के अन्दर जिन कलेक्टर साहब की रिपोर्ट नहीं आ सकी तो अब कब तक आयेगी ? माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया कि जो शीत लहर से नुकसान हुआ है उसको अकाल राहत में नहीं माना जायेगा इसलिये मदद उनको नहीं मिलेगी। ओलावृष्टि हुई उससे नुकसान हुआ तब तो किसानों को मदद मिली। तो फसल चाहे ओला से नष्ट हो, चाहे शीत लहर से नष्ट हो-नष्ट तो हो गयी न। वह उनके पास तो रही नहीं न ...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। विराजें कृपया। आप की बात को समझ गये हैं मन्त्री महोदय। कृपया विराजें।

श्री देवीलाल : एक मिनट और।

मेरा निवेदन यह है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाये तो उनको राहत देनी चाहिए। उनको खाद में कुछ छूट होनी चाहिए, उनको पिलाई में छूट होनी चाहिए। इतनी तो मदद मिलनी चाहिए। अगर और कोई मदद नहीं देते हैं तो खाद में और पिलाई में तो मदद मिलनी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने यह बात भी बताई थी कि अभी तक पटवारी की रिपोर्ट नहीं आई और जिन्सवारी की रिपोर्ट आई। तो जिन्सवारी तो देर से होगी इस लिए जिन-जिन जिलों के बारे में कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी वहां राहत दे देनी चाहिए।

सिंचाई मन्त्री महोदय ने बताया कि जो जो रिपोर्ट मांगी फसल बीमा के बारे में वह सही रूप से रिपोर्ट नहीं आई है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें कृपया ।

श्री देवीलाल : एक मिनट ।

यह रिपोर्ट क्यों नहीं आई ? हर गांव के अन्दर ग्राम सेवक हैं, हर गांव के अन्दर पटवारी हैं फिर भी सही रिपोर्ट क्यों नहीं आती है । मेरा यह निवेदन है, शीत लहर के कारण नुकसान हुआ है इसके कारण किसानों को मदद मिलनी चाहिए । इसका जवाब मन्त्री महोदय को देना चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय । माननीय सदस्य, बहुत चर्चा हो चुकी है ।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : सभापति महोदय, विरोध पक्ष के लोग वहिष्कार कर गये इसलिये रेडियो और अखबारों में यह खबर आयेगी कि हम लोगों को चिन्ता नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार भी चिन्तित है और हम भी चिन्तित हैं । सही स्थिति यह है कि हमें बिजली समय पर नहीं मिलती । मैं मांडल से आता हूं । हमारे क्षेत्र में मेजा डैम है उससे नीचे के किसानों को चार बार पानी मिलना चाहिए था किन्तु उनको दो बार भी पानी नहीं मिला और तिल्ली बह गयी । सही बात यह है कि जबरदस्त अकाल हो गया । सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तरीके से राज्य सरकार चिन्तित है । विरोध पक्ष के माननीय सदस्य बाहर चले गये तो इस तरह से यह हो जायेगा कि यह तो बहुत चिन्तित हैं और हम लोग चिन्तित नहीं हैं । हम भी भयकर चिन्तित हैं । वास्तव में जिस प्रकार से अकाल राहत, सहायता दी जाती है उसी तरह से इसके लिये भी अकाल राहत, सहायता दी जाये जिससे किसानों को सहायता मिल सके । मेरा भी यही निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय । कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं ।

आप अपनी बात कह चुके हैं, माननीय सदस्य ।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य जब कह रहे थे हमने इनकी बात सुनी । यह बाहर चले गये तो भी इनकी कद्र की । दरअसल इनको बड़ी चिन्ता है तो हमको भी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए । हम भी उसी पीड़ा से बोल रहे हैं । इनको सुनना चाहिए । व्यवधान नहीं करना चाहिए ।

मेरी प्रार्थना यह थी कि मिनिमम चार्जेज जो किसानों से वसूल हो रहे हैं वह नहीं होने चाहिए । जो वसूलियां की जा रही हैं उसकी पीड़ा हमको भी है लेकिन निश्चित तरीके से वसूली तो होनी चाहिए ।

श्री सभापति : बिराजें । कृपया समाप्त करें ।

श्री बिहारीलाल पारीक : जो वसूलियां आज की तारीख में की जा रही हैं वह समाप्त करनी चाहिए, इनसे जवाब

(श्री बिहारीलाल पारीक)

यह आना चाहिए। हम निश्चित तरीके से उनको पीड़ा से चिन्तित हैं, यह हम मानते हैं कि यह चिन्ता का विषय है। मन्त्री महोदय खड़े होकर कह दें कि हमें बहुत चिन्ता है, आपकी चिन्ता हमने मान ली है और इसकी हम पैरवी करेंगे। यही हम सुनना चाहते हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि सदन के माननीय सदस्यों को जितनी चिन्ता है सरकार भी उतनी ही चिन्तित है। लेकिन जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के प्रावधानों के अन्दर हमें सूचना संकलित करानी होती है। सूचना संकलित हो जाने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अभी कल ही एक वायरलैस मैसेज दिया है क्योंकि गिरदावरी का समय 15 मार्च से समाप्त हो गया इसलिए तुरन्त इसकी सूचना भेजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दीजिए कि नियम जनता के लिए बने हैं या जनता नियमों के लिए बनी है?

श्री चेतराम मीणा : नियम जनता लिए बने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम बदले भी जा सकते हैं, ऐसी क्या बात है।

श्री चेतराम मीणा : जो नियम बने हैं उनकी पालना करनी ही पड़ेगी। जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार चलना ही पड़ेगा। हमने कल ही सूचना वायरलैस से भेजी है कि गिरदावरी का समय समाप्त हो गया है आप तुरन्त ही बिना किसी देरी के तुरन्त सूचना भेज दें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी सूचना मिलेगी उतनी ही जल्दी निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही क्या करेंगे?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई।

घोषणा

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के लिये समय का बंटवारा

आय-व्ययक (बजट) 1984-85 पर वाद विवाद के लिए आसन की ओर से समय का बंटवारा इस प्रकार किया गया है....

इस वाद विवाद के लिये कुल 15 घंटे और 55 मिनट का समय निर्धारित किया

(श्री सभापति)

गया है जिसमें कांग्रेस (आई) दल को 10 घंटे 30 मिनट ।

भारतीय जनता पार्टी को 3 घण्टे

जनता (जे. पी.) पार्टी को 45 मिनट

लोक दल को 40 मिनट

कांग्रेस (स) को 30 मिनट

भारतीय साम्यवादी दल को 15 मिनट और

मार्क्सवादी साम्यवादी दल को 15 मिनट

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

अब आय-व्ययक (बजट) 1984-85, प्रथम अवस्था, पर सामान्य वाद विवाद होगा। मैं माननीय श्री कैलाश मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वह प्रारम्भ करें।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रान्त के लिए जब बजट विधान सभा में प्रस्तुत होता है और जो बजट भाषण होता है उसमें अगले वित्तीय वर्ष का एक नक्शा होता है प्रान्त की तरक्की करने का, प्रान्त के लोगों की सेवा करने का और प्रान्त के निवासियों के लिए अगली साल कौन कौन सी कल्याणकारी योजनायें ले करके उनको राहत पहुंचाई जायेगी, जो समस्यायें हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उस का एक दिग्दर्शन बजट भाषण में होता है।

माननीय सभापति, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो बजट पेश हुआ है और बजट के साथ जो सारे दूसरे दस्तावेज पेश हुए हैं, मैं एक शब्द में यह कहूंगा कि यह सारा बजट भाषण, यह सारे बजट के पीछे राजस्थान की 3।। करोड़ जनता के लिए कोई आशा का संचार नहीं करते, उसके सामने कोई दिशा नहीं रखते। इससे यह साबित हो जाता है कि आज का जो शासन है, राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है उस सरकार के पास राजस्थान का भला करने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बजट बड़े ढंग से, बड़ी चतुराई से और कई तरह के जोड़ तोड़ आंकड़ों के अन्दर करके उनके आधार पर तैयार किया गया है। अगर बजट को खोला जाय, बजट में कुछ लिखा है उसकी वास्तविकता को सामने लाया जाये तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान को बहुत ही पीछे ले जाने वाला और राजस्थान की जनता को, किसी तरह की कोई राहत नहीं देने वाला बजट भाषण है। इस बजट से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता किसी तरह की कोई आशा लेकर नहीं चलती है। उस समय की बात को देखें जब मैं विद्यार्थी था, और केन्द्रीय बजट या प्रांतों के बजट पेश होते थे, उस समय बड़ी आशा होती थी, रेडियो पर टकटकी लगाकर के सुनते थे और समाचार पत्रों में

(श्री कैलाश मेघवाल)

पढ़ते थे, क्या बजट पेश हुआ है, किस तरह का हुआ है। उस बजट को पढ़ने की कुछ इच्छा और कुछ ललक रहती थी। जब यह बजट भाषण पेश हुआ, जिस तरह आपने देखा, जनता में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वह जानते हैं कि यह शासन है नहीं। इस शासन से और किसी तरह की आशा भी नहीं की जा सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 175.72 करोड़ रुपये के घाटे का यह बजट पेश किया है। इस घाटे को माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपूर्णीय छोड़ दिया है। सभापति महोदय, अब घाटा बता दिया और घाटे को अपूर्णीय छोड़ दिया, आखिर यह किस लिये किया गया? इससे क्या अर्थ निकालना चाहते हैं? घाटा अगर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? जो बजट में आपने कम गिनाये हैं, जो बजट में प्रावधान किये हैं, जो सिंचाई, बिजली, समाज कल्याण, उद्योगों और दूसरी तरह के लिये आपने इसमें प्रावधान किये हैं, इन सब में कटौती होने वाली है। कटौती ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति आज चल रही है उस तरह की आर्थिक स्थिति में तो किसी भी तरह के जो काम चल रहे हैं वह भी समाप्त हो जायेंगे। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1952 से आज तक 33 बजट इस विधान सभा में पेश हो चुके हैं, उन बजटों में से किसी भी बजट में 175.52 करोड़ रुपये का घाटा आपको नहीं मिलेगा। माथुर सरकार का यह कीर्तिमान है कि सबसे बड़े घाटे का बजट उन्होंने विधान सभा के सामने पेश किया है। आप सारे बजट पढ़ कर देख लीजिये, दिवालिया होने वाली सरकार का बजट माथुर सरकार ने पेश किया है। आज तक जितने बजट पेश हुए हैं इस विधान सभा में उनमें सबसे बड़े घाटे का यह बजट है और इसको अपूर्णीय छोड़ दिया गया है। यह किस बात को दर्शाता है? यह सरकार दिवालिया है।

अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, बड़ी चतुराई से पेज 21 पर पैरा 69 में एक बात कही है, माननीय सदस्यों को यह विदित है कि आठवें वित्त आयोग ने भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। हमने आठवें वित्त आयोग के समक्ष अपने दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति महोदय, अब राज्य मंत्रीजी बिराजे हैं, दूसरे तो सब पधार गये। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आठवें वित्त आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट दी है, इस सदन को यह जान कर आश्चर्य होगा कि यह राजस्थान के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया माथुर सरकार का, क्यों कि आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट लोक सभा में पेश हो चुकी है, आपकी पैरवी हो चुकी है, आपकी सुनवाई हो चुकी है, लोक सभा में पेश आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान के लिये क्या कहा गया है? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट माना गया है। अब आप कहते हैं कि हम

(१२४)

(श्री कैलाश मेघवाल)

पुरजोर पैरवी करेंगे। आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री और दूसरे मंत्री जाकर अपना पक्ष पेश कर चुके। उसके बाद यह अन्तरिम रिपोर्ट आई हैं, इस अन्तरिम रिपोर्ट में राजस्थान को सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट माना गया है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जिस राजस्थान स्टेट को सरप्लस रेवेन्य स्टेट माना जाय, जिसके रेवेन्यू अकाउंट को सरप्लस का आधार बता दिया जाय, आठवें वित्त आयोग के द्वारा क्या कोई पत्र गया, क्या वित्त आयोग ने राजस्थान सरकार को लिखा है, उसको कोई आश्वासन दिया है कि हम इस अन्तरिम रिपोर्ट को बदल देंगे या जो फाइनल रिपोर्ट पेश होगी उस समय देख लेंगे। 84-85 की अन्तरिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने राजस्थान को सरप्लस रेवेन्यू स्टेट माना है। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू अकाउंट में 88.28 करोड़ रुपये का घाटा है। सभापति महोदय, यहां कई पुराने सदस्य भी हैं, राजस्थान के पिछले दस सालों के रेवेन्यू अकाउंट आप देख लीजिये, आपको आश्चर्य होगा कि रेवेन्यू अकाउन्ट में कभी घाटा पेश नहीं किया गया है लेकिन 88.28 करोड़ रुपये का राजस्व खाते में घाटा इन्होंने रखा है। यह भी राजस्थान की वर्तमान सरकार का, माननीय शिवचरणजी माथुर की सरकार का एक कीर्तिमान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है वह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, एक फरेब है और फरेब होने के साथ आपको कभी राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार के हालात हम देख चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने बजट पेश किया है और इस सूचना को जिस ढंग से स्वीकार किया है उस ढंग से हमको यह लगता है कि यह घाटा, घाटा रहेगा। इस बजट भाषण में इन्होने कहा कि हम 8 वें वित्त आयोग के सामने पैरवी करेंगे। क्या पैरवी करेंगे आप ? पैरवी करने वाले होते हैं दूसरे, माननीय सभापति महोदय, वेस्ट बंगाल। मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पैरवी कैसे लोग कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। सैवन्थ फाइनेंस कमीशन ने वेस्ट बंगाल को रेवेन्यू सरप्लस का राज्य घोषित किया था किन्तु वेस्ट बंगाल ने पैरवी की। वेस्ट बंगाल ने तथ्यों के आधार पर लड़ाई की। वेस्ट बंगाल ने दिल्ली की सरकार को आंख दिखाई उस आंख दिखाने के आधार पर जो अन्तरिम रिपोर्ट पेश हुई है उस अन्तरिम रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल को डेफिसिट रेवेन्यू की स्टेट मान लिया गया है। इसकी वजह से उसकी योजना का स्वरूप देखिये और उसको मिलने वाले सहयोग को देखिये। मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह जो घाटा अपूर्णीय छोड़ा गया है, इस घाटे के आधार पर इसको पूरा करने की कोई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, क्या केबिनेट मेम्बर्स ने यह फैसला किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत):

है कि अपोजिशन मेम्बर्स बोलें उस समय भाषण का बायकाट किया जाये ?

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय, आसन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर आपके प्रश्न का उत्तर आसन दे सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आसन यह जरूरी नहीं समझता कि बजट स्पीच के समय केबिनेट का कोई मिनिस्टर हाउस में हो ?

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) : मेरे पास दो डिपार्टमेंट का स्वतंत्र चार्ज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बिराजे हैं। सारी केबिनेट का बोझ, भार आप पर ही है, हम जानते हैं। मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि क्या शासन की ऐसी व्यवस्था है कि बजट भाषण हो, उस समय केबिनेट का कोई मिनिस्टर इस हाउस में न हो ?

श्री सभापति : आसन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री सभापति : मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां पर हैं। मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है। मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां पर विराज रहे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उससे आप सैटिस्फाइड हैं ?

श्री सभापति : यह तो सरकार के सोचने का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह केबिनेट के मेम्बर हैं क्या ?

श्री सभापति : यह मंत्री परिषद् के सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेट मिनिस्टर केबिनेट का मेम्बर है क्या ?

श्री सभापति : मंत्री परिषद के सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फुल फ्लेज मिनिस्टर की आवश्यकता, सभापति महोदय, अगर नहीं समझते तो हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। वैसे तो आपत्ति है लेकिन यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि कोई केबिनेट मिनिस्टर या फुल फ्लेज मिनिस्टर हाउस में नहीं रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...

(3.00 म. प.)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : इसमें, अध्यक्ष महोदय, हाउस में रहने या नहीं रहने की तो कोई बात नहीं है। हम लोग भी मंत्री परिषद् के सदस्य हैं, हम दोनों यहां पर बैठे हैं। जो भी बात विरोध पक्ष के नेता महोदय कहेंगे, उसका उत्तर देंगे। हम तो विपक्ष के नेता

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

महोदय से कहते हैं कि सुनने के लिये बैठा करें। यहां पर आरोप लगाकर चले जाते हैं, ऐसी बातें कह जाते हैं जिन बातों का जब सरकारी जवाब दिया जाता है तो कोई न कोई इश्यू बनाकर वाक आउट करके चले जाते है।

श्री यदुनाथ सिंह : पब्लिक अकाउन्ट्स को बजट में क्यों नहीं लिया जाता है? आपके पास है कोई जवाब? पब्लिक अकाउन्ट्स को बजट में क्यों नहीं जोड़ा जाता है? जरा बता दें।

श्री दिनेश डांगी : माननीय सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था, मैंने एन आर.ई.पी. मंत्री महोदय से समय मांगा तो उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि राज्य सभा में इस समय अकेले राज्य मंत्री की हैसियत से हैं। तो राज्य सभा में भी राज्य मंत्री एक होने से काम चल सकता है तो यहां भी चल सकता है क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी है। वे भी मंत्री परिषद् के ही सदस्य थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पूछा है जिसका जवाब दीजिये। दिल्ली में क्या होता है यह तो आप ज्यादा जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया, दोनों माननीय सदस्य, जो अपने आपको मंत्री परिषद के सदस्य बताते हैं....

एक माननीय सदस्य : बताते नहीं, हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं, बताते हैं....

(व्यवधान)

मैं तो मानूं या नहीं मानूं लेकिन आप बताते हैं, जो सरकारी प्रतिनिधि कह रहे हैं उनकी बात का तो मजबूरी से भरोसा करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, नहीं, मजबूरियां तो आपकी कई हैं। मजबूरी आपकी थी तभी तो आप इधर से उधर पधारे। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जो कुछ भी भाषण फर्मा रहे हैं उन सारी बातों का जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, जवाब देने का या न देने का और नोट करने का या न करने का सवाल नहीं है। यहां जो बोलेंगे वित्त मंत्री जी या मुख्य मंत्रीजी को उसकी कोई सूचना नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। सारी सूचनायें प्राप्त होंगी लेकिन क्या हाउस का डेकोरम यह नहीं है कि बजट पर भाषण हो, उस समय वित्त मंत्रीजी यहां आवश्यक रूप से मौजूद रहें....

(व्यवधान)

पहले मेरी सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राज्य वित्त मंत्री मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य मंत्रीजी तो जब आपसे रिक्वेस्ट की गई तब पधारे हैं। आप कहां थे उस समय जिस समय मैंने पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज किया ? उस समय नहीं थे। केबिनेट का मंत्री बजट पर वाद विवाद के समय नहीं हो, आप ऐसी कोई व्यवस्था दें तो मुझे आपत्ति नहीं है। इसी लिये मैंने पूछा था कि क्या मंत्री परिषद् के वरिष्ठ सदस्यों, वित्त मंत्रीजी ने विरोध पक्ष के भाषणों के समय बायकाट करने का फैसला कर लिया ? आपने कहा, इसकी हमारे पास सूचना नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है कि क्या आसन इस बात को उचित नहीं समझता है कि बजट पर भाषण हो उस समय राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्य मंत्री पद के, राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं, और मंत्री पद में भी खास तौर से वित्त मंत्री जी का यहां उपस्थित रहना आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरे विचार से आवश्यक नहीं है। श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तब तो शिवचरणजी ने इतने लोगों को लिया, वह गलती की। आपको अकेले ही ले लेते तो राजस्थान का काम चल जाता। ऐसी कोई बात नहीं है....

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं बजट भाषण के पेज 3 पेरा 11 की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये है। प्रथम तीन वर्षों में 1005.15 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है। वर्ष 1983-84 का मूल योजना व्यय 416.74 करोड़ रुपये है और वर्ष 1984–85 के लिये 430.38 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। सभापति महोदय, राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां और सारा राजस्थान आज के कांग्रेस शासन को धिक्कारेगा। क्यों धिक्कारेगा ? छठी पंचवर्षीय योजना स्वीकृत हुई उस स्वीकृत छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ रुपये का विनियोजन स्वीकार किया गया है। यह तो स्वीकृत राशि थी। आज क्या हालत हो गई, सभापति महोदय ? छठी पंचवर्षीय योजना अगले साल समाप्त हो रही है। जब अगले साल यह समाप्त होगी तो उस समय तक जो आंकड़ें बजट के हैं उसके अनुसार 1852.27 करोड़ रुपया योजना का हम खर्च कर चुके होंगे और 172.73 करोड़ रु. हमारी योजना में खर्च होने से वंचित रह जायगा। यह है हालत इस राजस्थान सरकार की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस छठी पंचवर्षीय योजना की शेखी बघारते हैं उसकी हालत क्या है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना के जो प्रावधान रखे गये हैं वह पांच साल तक पूरे नहीं किये जा सके हैं, माननीय सभापति महोदय, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब वह दूरगामी परिणाम क्या होंगे ? वह यह होंगे कि योजनाबद्ध विकास से एक आधार भूमि बनती है। हर योजना अगली योजना के लिये जितने आधार बनाकर जाती है उतने ही आधार

(श्री कैलाश मेघवाल)

अगली योजनाओं के लिये सुदृढ़ होंगे, अगली योजनाओं के प्रावधान ऊपर होंगे। सभापति महोदय, इसका प्रमाण यदि देखना है तो गुजरात चले जाइये, महाराष्ट्र चले जाइये, हरियाणा चले जाइये, पंजाब में चले जाइये। वह लोग योजना राशि पूरी खर्च करते हैं। उन्होंने अपने विकास की आधार भूमि इस तरह से तैयार की है कि जिससे आगे की योजनाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया हासिल कर सकें। अब इस वर्ष के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना बनेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, राजस्थान की जनता की उस योजना में आंकड़े सम्मिलित होंगे वह जितना प्रावधान किया गया था पांच सालों के लिये, उन पांच साल के प्रावधानों में से 172.73 करोड़ रुपये रह जायेंगे। यह सरकार निकम्मी है। यह सरकार राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्धता महसूस नहीं करती है, इसने उन प्रावधानों के अनुसार खर्च करने की कोई योजना नहीं बनाई है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह क्या योजनाबद्ध विकास की बात करते हैं ?

इसके बाद पैरा 12 और 13 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1984-85 में 430.38 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसके लिये 264.93 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध हैं। शेष 165.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय करों में से राज्य को मिलने वाले अंश में सम्भावित वृद्धि द्वारा की जायेगी। यह, सभापति महोदय, बात कही है तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, आप राज्य मंत्री, वित्त जो हैं, वित्त मंत्री जी होते तो वे यही बताते कि आपका सहयोग रहा होगा। जो साधन बताये 264.93 करोड़ के, क्या यह नोशनल फिगर है, क्या यह एक बायस्ड फिगर है। इस 264.93 करोड़ का जो आपने साधन उपलब्ध होना बताया है इसमें केन्द्रीय सहयोग है ? क्या केन्द्रीय सरकार का सहयोग योजना में मिलने वाला है, केन्द्रीय सरकार का अनुदान, जो कि योजना में मिलने वाला है, 264.93 करोड़ में आ गया है ? सभापति महोदय, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्रीजी से, यह विशेष केन्द्रीय सहायता 165.43 करोड़ की कहां से आई ? यह बिल्कुल मिसचीव है। इस बजट में 165.43 करोड़ को पूरा करने का इनके पास आधार नहीं है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि साधन उपलब्ध हैं। क्या आपको आश्वासन मिला है ? योजना व्यय में, सभापति महोदय, 70 प्रतिशत तो असिस्टेन्स और 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 70 प्रतिशत असिस्टेन्स और 30 प्रतिशत का जो अनुदान है वह 430.38 करोड़ में क्या दे चुकी केन्द्रीय सरकार ? क्या केन्द्रीय सरकार के देने के बाद 264.93 बनता है ? उस अनुदान और अपने राज्य का हिस्सा मिलकर योजना है तो मैं पूछना चाहता हूं क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कुछ गोपनीय रूप से कहा है कि नहीं, नहीं, इस सहयोग के अलावा और सहयोग भी देंगे। केन्द्रीय सरकार का भी बजट पेश हो चुका है लोक सभा में और लोक सभा में उस पर बहस चल रही

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। सभापति महोदय, यह सवाल इसलिये रखना चाहता हूं कि उस केन्द्रीय सरकार के बजट में, जैसा मैंने कहा, 430.38 करोड़ रुपये में जो केन्द्रीय सरकार का अंशदान और अनुदान है उसका प्रावधान लगभग 100 करोड़ दिखाया गया है। उसके अलावा सारे केन्द्रीय बजट में, मैं पूछना चाहता हूं, कोई दूसरा प्रावधान बता दिया जाय। यह कहा गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए। तो 1984-85 के बाद कब बजट पेश होगा, कब नहीं होगा। मुझे इसलिए आश्चर्य है कि इस तरह से गलत तथ्य, गुमराह करने वाले तथ्य सरकार ने सदन के सामने रखे हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, और इसलिए अवरुद्ध कर रहे हैं कि योजना के आधार पर आपने इसमें कई प्रावधान रखे हैं, 436 पाइन्ट कुछ यह खर्च करेंगे, यह खर्चा करेंगे, आपके पास पैसा नहीं, साधन नहीं तो कहां से खर्च करेंगे ? यहां आपने केन्द्रीय सरकार की एक बात कह दी। लेकिन जैसा मैंने, माननीय सभापति महोदय, पहले कहा, केन्द्रीय सरकार में इस सरकार की चलती नहीं है। जब नहीं चलती है तो यह सरकार स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कह देती कि हम दिवालिया हो गये, हम शासन नहीं कर सकते, राजस्थान की जनता का किसी तरह भला नहीं कर सकते, हमारे खजाने में पैसा नहीं है। इस तरह की धोखेबाजी के स्टेटमेन्ट, इस तरह के मिसचीव के स्टेटमेन्ट सरकार दे रही है। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं क्या जवाब है इनका क्योंकि बजट पेश हो चुका है और उस बजट में केन्द्रीय सरकार ने इसका प्रावधान कर लिया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके आगे छठी पंचवर्षीय योजना काल में जो अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी थी राज्य सरकार को, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह पेज 4 पैरा 13 पर है। "हमें छठी पंचवर्षीय योजना काल में 750.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी थी। अब तक किये गये प्रयत्नों में छठी पंचवर्षीय योजना काल में 729.89 करोड़ की व्यवस्था होने का अनुमान है जो कि उक्त निर्धारित लक्ष्य की 97.23 प्रतिशत उपलब्धि है।" माननीय सभापति महोदय, मैं कह नहीं सकता, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं उन सबका लेकिन यह सरकार ने इन्नोसेंट पैरा नहीं रखा है बल्कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है उससे साफ है, यह सारा एक फरेब और धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संसाधन की उपलब्धि हैं ? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जवाब देंगे, समय समय महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ थोक सूचकांक के भाव भी बढ़ते हैं और उसके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का डी० ए० भी बढ़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस डी० ए० की कई बार एक एक किश्त यह सरकार

(श्री कैलाश मेघवाल)

इम्पाउण्ड कर देती है कि अभी नहीं चुकायेंगे, अभी यहां से चुकायेंगे, यह हम जमा कर देंगे हमारे पास क्योंकि इन्फ्लेशन आ जायेगा, कभी आधी आधी किश्त जमा करा देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि "729.89 करोड़ की व्यवस्था होने का अनुमान" कहा है उसमें लगभग 100 करोड़ या 110 करोड़ के करीब में इम्पाउण्ड डी० ए० का पैसा है। क्या आप इसको अपनी आय मानते हैं? संसाधन मानते हैं? क्या इसको आपको चुकाना नहीं पड़ेगा? आखिर आप क्या करना चाहते हैं? आपने आंकड़े दे दिये, अगर इसमें वह सम्मिलित है तो वह निकालने के बाद आप जिस 97.23 प्रतिशत की उपलब्धि के लिये आप वाहवाही लेना चाहते हैं, आप केवल कागजी वाह-वाही लेना चाहते हैं इसमें वास्तविकता नहीं है। आप बड़ी बधाई लेना चाहते हैं, अपने आपको बड़ा बताना चाहते हैं कि हमने इतनी उपलब्धि कर ली है, यह उपलब्धि आपकी 80 प्रतिशत आ जाती है। माननीय सभापति महोदय, योजना व्यय की उपलब्धि 80 प्रतिशत रह जाती है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट क्या पेश किया है। योजना के बारे में इनका जिस तरह का रवैया रहा है, वह राजस्थान के साथ एक धोखे का रवैया रहा है, वह राजस्थान के साथ एक फरेब का रवैया रहा है। क्योंकि अगले साल पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है इसलिये आंकड़े इस तरह से पेश किये हैं जबकि कर्मचारियों के डी०ए० की किश्त आपको चुकानी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान का भला करने की इच्छा होती तो राजस्थान में अन्य आय के स्रोत हैं इनको खोजने का प्रयत्न करते। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर राजस्थान के विकास, राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए, अगर छोटे मोटे आय के स्रोत ढूंढने के लिए छोटे मोटे टैक्स लगाने पड़ते हैं तो लगाये जाने चाहिये नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है तो उसे एक्सप्लोर करना चाहिये। यह सौ करोड़ के इम्पाउण्ड डी० ए० का पैसा है इसके बजाय अपने सोर्सेज खड़े करते। एक बार सौ करोड़ के सोर्सेज खड़े कर देती यह सरकार तो मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हर बार सौ करोड़ के बढ़ते, दूसरे साल सौ करोड़ के हो जाते, तीसरे साल डेढ़ सौ करोड़ के हो जाते, चौथे साल पौने दो सौ करोड़ के हो जाते और पांचवें साल 200 या सवा दो सौ करोड़ के सोर्सेज हो जाते। माननीय सभापति महोदय, यह 200, 250 करोड़ की आमद आप करते तो योजना आयोग के सामने आपका जो 750.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने का एक कमिटमेन्ट था छठी पंचवर्षीय योजना के लिए, वह पूरा होता और आज आपके सामने धोखा देने वाली स्थिति नहीं आती और भीख का कटोरा लेकर के केन्द्रीय सरकार के पास जाने की नौबत नहीं आती। आप कहते हैं, केन्द्रीय सरकार में पुरजोर पैरवी करेंगे। जब बजट में प्रावधान नहीं तो केन्द्रीय सरकार सुनती नहीं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस सरकार को ऐसे संसाधन अपने लिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

करने चाहिए थे। यह नहीं करने का फल राजस्थान की जनता को भुगतान पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सौ करोड़ के सोर्सेज अपने तैयार करते टैक्स या नान टैक्स रेवेन्यू से और यह ज्यादा बढ़ जाते तो आप 750.70 करोड़ से आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ने के बाद नतीजा क्या निकलता ? माननीय सभापति महोदय, दिल्ली को, योजना आयोग को, केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए दबाया जा सकता था कि हमारी योजना इतने की मंजूर करो, हम साधन जुटाने में सक्षम हैं। जो तरीका आज चल रहा है चाहे कोई तरीका हो, हम कई बार सुनते हैं, महाराष्ट्र ने अपने संसाधन बढ़ा लिये हैं, महाराष्ट्र की योजना बढ़ गयी है। गुजरात ने संसाधन बढ़ा लिये हैं, गुजरात की अपनी योजना बढ़ गयी है। इस तरह से जब पढ़ने और देखने को मिलता है, माननीय सभापति महोदय, उस समय लगता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रही है। राजस्थान के 3.50 करोड़ लोग हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं उनके प्रति कोई प्रतिबद्धता या लगाव या कोई स्नेह इस सरकार में नहीं रह गया है। माननीय सभापति महोदय, यह सारी बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी हैं कि इन सारी बातों के होने पर केन्द्रीय सरकार को दबाया जा सकता है किन्तु अब हम नहीं दबा सकते हैं।

1983-84 की राजस्थान की योजना 416.74 करोड़ रुपये की थी और 1984-85 की राजस्थान की योजना 430.38 करोड़ रुपये की है। माननीय सभापति महोदय, गये साल से केवल 13 करोड़ 64 लाख रुपये की वृद्धि इसमें हुई है। जो रोने को करता है। देश के दूसरे प्रान्तों के, केन्द्र शासित टेरेटरीज के आंकड़े मेरे पास हैं। अगर आप चाहें तो मैं सारे आंकड़े आपको पढ़कर सुनाऊं, 1983-84 में दूसरे राज्यों की योजना का क्या आकार था, क्या उनका पैसा था और 1984-85 में उसको क्या मिला है। मैंने इन आंकड़ों को उठाकर देखा है। माननीय सभापति महोदय, कोई प्रदेश या केन्द्र शासित टेरेटरी ऐसी नहीं है जिसमें कि योजना व्यय में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो सारे पढ़कर बताऊं। मैं इसलिए पढ़ देना चाहता हूं कि रिकार्ड पर रहेगा और यह मालूम पड़ेगा कि श्री शिवचरणजी माथुर की सरकार का यह एक कीर्तिमान था कि सारे प्रदेशों को जहां 10 से 12 प्रतिशत के आधिक्य की योजना स्वीकार हुई, हमारे राजस्थान की योजना 3.5 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकार हुई है। इसीलिए मैं आपके सामने देना चाहता हूं इन आंकड़ों को :—

प्रदेश का नाम	वर्ष 1984-85	वर्ष 1983-84
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	918.31 करोड़	826.00 करोड़
असम	360.60 करोड़	291.00 करोड़
बिहार	751.00 करोड़	681.00 करोड़

(श्री कैलाश मेघवाल)

1	2	3
गुजरात	935.00 करोड़	900.00 करोड़
हरियाणा	430.00 करोड़	460.00 करोड़
हिमाचल प्रदेश	165.00 करोड़	140.00 करोड़

जम्मू एण्ड कश्मीर में 1984--85 में 235 करोड़ और पहले था 185 करोड़, और कुछ जोड़ा है, इस तरह से 195 करोड़। ऐसा इसमें कुछ है। कर्नाटक में 685.50 करोड़ 1984-85 के लिए और 1983-84 में था 575 करोड़। केरल में 355 करोड़ 84-85 के लिए और 1983-84 में था 320 करोड़। मध्य प्रदेश में 1060 करोड़ 1984-85 के लिए और 855 करोड़ था 1983-84 के लिए। महाराष्ट्र में 1950 करोड़ 1984-85 के लिये और 1500 करोड़ था 1983-84 के लिए। मणिपुर में 61 करोड़ 1984-85 के लिए और पहले था 52 करोड़ 198 –84 के लिए। मेघालय में 65 करोड़ 1984–85 के लिए और 56·32 करोड़ था 1983–84 के लिए। नागालैंड में 56 करोड़ 1984–85 के लिए और 51 करोड़ था 1983–84 के लिए। उड़ीसा में 400 करोड़ 1984–85 के लिए और 345 करोड़ था 1983–84 के लिए। पंजाब में 440 करोड़ 1984–85 के लिए। राजस्थान में 416·83 करोड़ था 1983–84 के लिए। पहले 387 करोड़ था और बाद में कुछ बढ़ा हुआ है। इस तरह से 1983-84 के लिए था 416.83 करोड़ और 430.38 करोड़ 1984–85 के लिए। सिक्किम में 35 करोड़ 1984–85 के लिए और 30 50 करोड़ 1983–84 के लिए। तमिलनाडु में 727 करोड़ था और इस वर्ष है 845 करोड़। उत्तर प्रदेश में 1601 करोड़ 1984–85 के लिए और 1270 करोड़ 1983–84 के लिए। इस तरह की यह सूची मैंने आपके सामने रखी है, माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है मैं आपके सामने इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के संसाधनों की हालत भी राजस्थान की तरह है। उत्तर प्रदेश भी अपने साधन और आय के स्रोत पैदा नहीं कर सका था लेकिन उत्तर प्रदेश की पैरवी हुई। उत्तर प्रदेश की अपनी पैरवी के कारण 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। उसमें 1983–84 में जहां 1290 करोड़ की योजना थी वह 1984–85 में 1601 करोड़ की योजना हो गई है, माननीय सभापति महोदय। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि इस तरह की हमारी राजस्थान सरकार की हालत है। राजस्थान सरकार ने सारे देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि राजस्थान की योजना में केवल 3·5 प्रतिशत का आधिक्य है, इसके अलावा और कोई आधिक्य नहीं है। बाकी सब स्टेट के जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं 10·12 प्रतिशत से ज्यादा है। कैसे ये काम कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय ?

इसके बाद माननीय वित्त मन्त्रीजी ने

(श्री कैलाश मेघवाल)

पैरा 6 में एक बात कही है, थोक मूल्य सूचकांक। यह बात मैं इसलिए भी कह दूं कि इसका भी बड़ा असर पड़ता है।

"पैरा 6-वर्ष 1983 में राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में 8.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि हमारे लिये चिन्ता का विषय है। यद्यपि यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही है परन्तु हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके इसके प्रभाव से सामान्य जनता को राहत पहुँचाने का प्रयास किया है। वर्ष 1983-84 में अब तक हमने 374 स्थिर एवं 7 भ्रमणशील दुकानें और खोली हैं। राज्य में इस समय उचित मूल्य की 12636 दुकानें कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, थोक मूल्य सूचकांक और बढ़ता है वह इस बात का संकेत देता है कि महंगाई बढ़ रही है। वह इस बात का संकेत देता है कि बाजार में भाव बढ़ रहे हैं। वह इस बात का संकेत देता कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लेकिन हमारी सरकार ने चिन्ता कर ली और चिन्ता करने के बाद उसमें कमी कैसे आयेगी, उसमें ठहराव की स्थिति कैसे आयेगी, उसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जायेगा, ऐसा कोई हल नहीं बताते हुए केवल एक हल बता दिया कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की दुकानें खोल रहे हैं। उसमें भी, माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है। राष्ट्रीय स्तर जो है थोक मूल्य सूचकांक का वह है 6.25। सारे राष्ट्र के जो इन्होंने फिगर लिए है वह हैं 6.25 और उस दृष्टि से 8.13 राजस्थान में जो महंगाई बढ़ रही है वह क्यों बढ़ रही है? माननीय सभापति महोदय, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, वह अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए निवेदन किया कि 8.13 बढ़ने के बाद आपकी योजना का जो आकार है इसको घटाइये। यह महंगाई बढ़ गई तो तनख्वाहें बढ़ेंगी। पिछले साल की जो योजना थी, इस साल की योजना पर इस महंगाई के हिसाब से खर्चा होगा। पैसा कम, खर्चा ज्यादा—यह इन्होंने एक स्थिति पैदा कर रखी है, माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस बजट भाषण में है क्या? इस बजट भाषण में कुछ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 1983-84 में इसी सरकार के माननीय बृजसुन्दर शर्मा ने एक भाषण दिया था उस भाषण में उन्होंने पैरा 6 में, माननीय सभापति महोदय, यह बताया था कि हमने गांवों में और शहरों में जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, 960 दुकानें उचित मूल्य की खोलने के 1983-84 के लक्ष्य को तय किया था और भ्रमणशील दुकानें खोलने के लिए लक्ष्य तय किया था 10। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी पूर्ति क्या है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिन्ता तो बड़ी करते हैं और चिन्ता का हल भी आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इसकी पूर्ति, इसका हल करना चाहते हैं लेकिन पूर्ति जो हुई है, यह आपने लक्ष्य पूर्ति के लिए हैं। 1984-85 के बजट के प्रावधान हैं उनके आधार पर मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि पूर्ति हुई है, सभापति महोदय, इसी भाषण में इन्होंने

(श्री कैलाश मेघवाल)

कहा है पूर्ति के सम्बन्ध में, 960 में से 3740 यह आपकी चिन्ता है उचित मूल्य की दुकानों की ओर भ्रमणशील दुकानों में की है 10 में से 7। यह मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह सरकार केवल यह कहना चाहती है, घोषणा करना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केवल एक माध्यम है थोक मूल्य सूचकाँक, जो कष्ट है, जो कठिनाई है उसको खतम करने के लिए यह था, उसको कम करने के लिए था उसमें भी आप सफल नहीं हुए हैं।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर खर्चा होता है, हमारा खर्चा कहां जा रहा है ? यह जो आपने आय व्ययक की प्रगति, स्टडी दी है उसके अनुसार, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार पर बाइस सौ करोड़ रुपयों का कर्जा है। बाइस सौ करोड़ रुपयों का कर्जा है और उस बाइस सौ करोड़ के ऊपर जो ब्याज चुकाते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा ओवर ड्राफ्ट या घाटा इसलिए है कि हमको बहुत ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 176 करोड़ रुपये साल का आज हमारी सरकार ब्याज चुका रही है, इस 176 करोड़ के अलावा यह जो कर्जे करते हैं, उससे ओवर ड्राफ्ट बढ़ाते हैं। माननीय सभापति महोदय, 283 का ओवर ड्राफ्ट तो माननीय पहाड़िया साहब के वक्त था वह ओवर ड्राफ्ट कर्जे में गिना गया, जिस पर ब्याज चालू हो गया है। पिछले सालों में, इन्होंने अपने पैरा 25 में बता रखा है, 57.07 करोड़ का जो ओवर ड्राफ्ट था उसको कर्जे में परिवर्तित करा दिया। इस तरह से राज्य की आय के स्रोत नहीं होने की वजह से, राज्य के अपने संसोधन नहीं होने की वजह से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो कर्जे की प्रवृत्ति है, यह जो अनावश्यक कर्जे करके ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रवृत्ति है और उस ओवर ड्राफ्ट को फिर कर्जे में बदलवाने की प्रवृत्ति है इस पर तुरन्त रोक लगाई जावे। इस रोक से हम कर्जे के ब्याज को थोड़ा कम कर सकते हैं और उसी से हम आगे बढ़ सकत हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर कहा गया है कि हम किसानों के हैं। उस पक्ष के माननीय कांग्रेस (आई) के विधायकों द्वारा कहा गया कि हम किसानों के बड़े भक्त हैं। राजस्थान का इस साल का बजट इस बात को साबित करता है कि राजस्थान की सरकार किसानों की दुश्मन है। राजस्थान की सरकार ने किसानों का कोई लिहाज नहीं रखा। मैं आपको बताऊं कि क्यों ? वह इसलिए, माननीय सभापति महोदय, 1983-84 के बजट में, यह 1984-85 का बजट है, माननीय सभापति महोदय, पेज 3 पैरा 11 में सिंचाई और विद्युत पर 216·38 करोड़ योजना का प्रावधान है। 216·38 करोड़ योजना का प्रावधान था, माननीय सभापति महोदय। अब थोक मूल्य सूचकांक बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, दूसरे सारे खर्च बढ़ गए, 1984-85 में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में विद्युत के लिए 117.01 करोड़ रखा है। अब के आंकड़े अलग रखे है। इन्होंने सोचा कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक साथ कर देंगे तो पता लग जायेगा, तुरन्त पता लग जायेगा तो अलग कर दिया।

वर्ष 84–85 में विद्युत के लिये 117.08 और सिंचाई के लिये 92·95 करोड़ रखे हैं जो कुल मिला कर 210.03 करोड़ होते हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के लिये आपने रखे है 6·50 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपके सामने एक तरफ किसान इस बात की मांग कर रहा है कि बिजली की व्यवस्था बढ़ाई जाय, दूसरी तरफ मांग कर रहा है कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जायं। क्या इसी आधार पर आप उनको सुविधाएं देंगे? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अगर सरकार में थोड़ी सी गैरत है, अगर राज्य सरकार के मन में और चिन्तन में राजस्थान की जनता और किसानों के प्रति थोड़ी भी हित की भावना है तो कम से कम सिंचाई और विद्युत में जो कटौती की है, जो 6·35 करोड़ का प्रावधान इस प्रकार का प्रस्तुत किया है, सभापति महोदय, एक तरफ तो घोषणाएं करते हैं किसानों में जाकर कि आपको सिंचाई और विद्युत के अधिक साधन उपलब्ध करवायेंगे, और बढ़िया व्यवस्था करेंगे दूसरी तरफ इस प्रकार कटौती की जा रही है। इससे साबित होता है कि राजस्थान की सरकार गरीबों और किसानों का हित नहीं चाहती। आखिर मैं पूछना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजी से, बजट भाषण आपके पास हो तो आप पढ़ लीजिये, आखिर आपने क्या तमाशा कर रखा है विधान सभा के सामने? इसमें आपने लिखा है पृष्ठ 8 के पैरा 28 पर, "वर्ष 1984-85 में पेय जल योजना के लिये 23.60 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसमें शहरी जल प्रदाय योजना पर 12·60 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 11.00 करोड़ रुपये व्यय होंगे। भारत सरकार से ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिये मिलने वाली राशि इस प्रावधान में शामिल नहीं है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर होने वाले व्यय में से कम से कम 3 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जन जाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा। इस वर्ष के अन्त तक 17490 समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।" इससे आप बताइये, अगले साल क्या होगा? अगले साल आप कितना कितना पेय जल पर व्यय करेंगे और फिर कितने गांव बच रहेंगे? माननीय सभापति महोदय, आप जागरूक विधायक माने जाते हैं, पढ़ते-लिखते भी हैं, इस तरह की शब्दावली से कौन सा सरकार का दिशा निर्देश मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, इस तरह का यह जो धोखे का स्टेटमेंट दिया है इसमें राज्य सरकार की क्या मन्शा प्रकट होती है? आगे लिखते हैं पृष्ठ 9 पर, "साथ ही उन सभी गांवों में, जिनमें यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, हमारा यह प्रयत्न होगा कि अनुसूचित जाति-जन जाति बस्तियों में कम से कम एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय।" बड़ी अच्छी बात हैं, मैं बधाई देता हूं सरकार को पहले से ही इसके लिये। मगर मैं आपसे निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्या राज्य सरकार के पास राजस्थान में कितनी अनुसूचित जाति और जन जातियों की बस्तियां हैं इसका कोई आंकलन या मूल्यांकन है? मूल्यांकन विभाग काम करता है उसको आज तक मालूम नहीं है कि राजस्थान में कितनी बस्तियां हैं अनुसूचित जाति और जन जाति की और इस प्रकार का भ्रामक प्रावधान रख रहे हैं। कितनी बस्तियां हैं और उनमें से हर एक के लिये प्रावधान क्या है, इस बात की स्पष्ट घोषणा करते। लेकिन जब सही मालूम ही नहीं हो, तो कैसे करें। इसी प्रकार, सभापति महोदय, पैरा 30 में है, "उन शहरी जल प्रदाय योजनाओं में जहां पेय जल की उपलब्धि 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है वर्ष 1984-85 में जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन की स्वीकृति देने में प्राथमिकता दी जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति की बस्तियों तथा कच्ची बस्तियों में 500 की आबादी पर एक सार्वजनिक नल की व्यवस्था की जाती है। इस मापदण्ड के आधार पर वर्ष 1984-85 में ऐसी सभी बस्तियों में सार्वजनिक नल की सुविधा उपलब्ध कराने का हम प्रयत्न करेंगे।" प्रयत्न तो हमेशा करते हैं, सभापति महोदय। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 500 से अधिक की आबादी की कितनी बस्तियां है अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की, और शहरी बस्तियों में से कितनी बस्तियों में सार्वजनिक नल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इनके पास आंकड़े नहीं हैं, सभापति महोदय, इनको जानकारी नहीं है। इनके किसी भी दफ्तर में, सचिवालय में, इनके जो विभाग हैं उनमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो किसको क्या फायदा करेंगे, कहां कितना पैसा खर्च करेंगे? मेरा यह आरोप है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये जो पैसा मंजूर होता है उसको दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाता है। सभापति महोदय, राजस्थान के वित्त मन्त्री अगर अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रति ईमानदार होते तो इस प्रकार का प्रावधान बनाते कि इसमें से कम से कम एक या दो करोड़ या इतना पैसा तो गांवों में इन मोहल्लों में हैण्ड पम्प के लिये और इतना पैसा शहरों में इन पिछड़ी जातियों के 500 से अधिक की आबादी वाले मोहल्लों के लिये हम अलग से रखते हैं। इस प्रकार की घोषणा करते। लेकिन घोषणा करने की हिम्मत कहां है? एक बहाना है, एक धोखे का कार्यक्रम रखा है। फिर आगे लिखते हैं कि भारत सरकार ग्रामीण जल योजना के लिये सहयोग करेगी। आपने तो प्रावधान कर दिया, ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 11·00 करोड़ व्यय होंगे और छोड़ दिया भारत सरकार पर। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, वर्ष 1984-85 के लिये आप बताते कम से कम विधान सभा में इस बात को कि भारत सरकार से इतना पैसा मिलने की संभावना है और भारत सरकार आपको क्या देती है? कभी इतने प्रतिशत कटौती कर दी और कभी कुछ खर्चा कम करने के लिये कहती है। तो, सभापति महोदय, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर भारत सरकार से पैसा मिलने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन सभापति महोदय, मुझे शंका है, ग्रामीण क्षेत्र में इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

तरह से कभी पानी नहीं पहुँचेगा। इसके साथ ही विद्युतीकरण के लक्ष्य के आंकड़े सरकार ने अपने बजट भाषण में दिये हैं पृष्ठ 10 पर, "वर्ष 1984-85 में 1100 गांवों तथा 11000 कुओं के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।" आपने हमें जो बजट, आय व्ययक अनुमान दिया है लम्बा चौड़ा उसमें पृष्ठ 126 के पहले पैराग्राफ में आपने लिखा है, "वर्ष 1984-85 में 1000 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 10, 000 कुओं को बिजली के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।" एक तरफ तो आप अपने बजट भाषण में लिखते हैं, वर्ष 1984-85 में 1100 ग्रामों तथा 11000 कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य है और दूसरी तरफ आपका आय व्ययक अनुमान बताता है, एक हजार ग्राम और दस हजार कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे। सभापति महोदय, इसमें कौन से आंकड़े सही हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इसी सरकार ने 1983-84 के बजट भाषण में इसी विधान सभा में इन्हीं आंकड़ों की घोषणा की थी। इनको ये आंकड़े पसन्द हैं, 1100 और 11,000, इनको ये ऊपर-नीचे भी नहीं करना चाहते हैं। 1983-84 के बजट भाषण में पेज नं. 6 पैरा 31 में इन्होंने घोषणा की थी, वर्ष 1983-84 में 11,00 गांवों को विद्युतीकृत करेंगे, 11 हजार कुओं को विद्युतीकृत करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब जो इनकी उपलब्धि आयी है, जो बजट स्टडी में दी गयी है उसके अनुसार 754 गांव हुए हैं, वह भी किसी तरह से, कहीं हैण्ड पम्प लगा दिया तो उसको भी मान लिया गया। हालांकि कई अधूरे हैं, घटिया हैं और फेल हो गये हैं। ऐसी इनकी जलप्रदाय योजनाएं हैं। जहां इनका पैसा लगा इनके हिसाब से उसके आंकड़े बना लिये फिर भी 754 गांव में और 7276 कुओं में विद्युतीकरण हुआ। अब जनवरी, फरवरी तक के आंकड़े होंगे। एक महीना बाकी है इस महीने में क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन सभापति महोदय, जो लक्ष्य घोषित किये जाते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इनकी कोई ईमानदारी नहीं है। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये यह कोई प्रयत्न नहीं करते। हमारे माननीय सड़क मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 2500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवायेंगे। 2500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का आप निर्माण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, रोज इनके सामने तखमीने आते हैं। आपका जो प्रावधान है उसमें यह प्रावधान 14 करोड़ रुपये का है और 14 करोड़ रुपये से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी आप बतायेंगे, क्या 500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनायी जा सकती हैं ? अगर आप वास्तव में सड़कों को बनाना चाहते हैं, तो 14 करोड़ रुपये से 500 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बन सकती। आपने घोषणा कर दी, छाप दिया अखबारों ने, जनता ने देख लिया, बड़ा भला करना चाहती है सरकार ! आपने इसमे एक महत्वपूर्ण बात कही है, "महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़कों के अपूर्ण हिस्सों को

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूर्ण किया जायेगा। वर्ष 1984-85 में विभिन्न स्रोत्रों से उपलब्ध होने वाली धन-राशि में से 2500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा।" अब 2500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिये 70 करोड़ रुपयें की प्राथमिक आवश्यकता आज के अनुमान से होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा इस राजस्थान की सरकार से कि 70 करोड़ रुपये की कहा से व्यवस्था होगी? कितनी कृषि उपज मण्डियों में कितना पैसा है? कितने दूसरी तरह के स्रोत आपके हैं? यहां केवल घोषणा कर दी इसलिये कि घोषणा छप जाये, इसलिये कि शायद चुनाव हो जायं और चुनाव में जगह जगह जैसी इनकी आदत है, पत्थर खड़ा करने की, 2500 किलोमीटर सड़क बनाने की हमने घोषणा की थी, 2500 किलोमीटर में से यह सड़क तुम्हारे यहां बनेगी, और यह सड़क तुम्हारे यहां बनेगी। सारे मंत्री संगमरमर पर अपना नाम लिखाकर इन सड़कों का उद्घाटन अपने यहां पर कर लेंगे और एक किलोमीटर भी नहीं बनेगी। सभापति महोदय, मैंने आपके सामने इसलिये निवेदन किया है, आखिर क्यों यह घोषणा करते हैं? क्यों लक्ष्य निश्चित करते हैं? इन घोषणाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आपके सामने कुछ न कुछ प्रावधान होना चाहिये. कुछ प्रामाणिकता होनी चाहिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपका एक पैरा की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। पेज 10 पैरा 37 पर कहा गया है, "निम्न नई सिंचाई परियोजनाओं पर प्रारंभिक कार्य किया जायेगा :—

(1) बीसलपुर, जिला टौंक

(2) गरड़दा, जिला बून्दी

(3) कानोता, जिला जयपुर

(4) सुकली सेलवाडा, जिला सिरोही

(5) वान्दी सेदरा, जिला जालौर

(6) चंवली, जिला झालावाड़

सभापति महोदय, यह प्रारंभिक कार्य क्या है? मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब योजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। इन सब योजनाओं की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन कर या तो सेन्ट्रल वाटर कमीशन में या प्लानिंग कमीशन में या केन्द्रीय सरकार के किसी महकमे में विचाराधीन पड़ी हैं। जब तक वहां से स्वीकृत होकर नहीं आतीं, सभापति महोदय, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला है। मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इनमें प्रारंभिक कार्य करना चाहते हैं तो वह कौन सा प्रारम्भिक कार्य होगा? आपने यह जो बजट के लम्बे-चौड़े पुलिन्दे छाप कर हम को दिये हैं, उनमें इन योजनाओं पर खर्च करने के लिये एक पैसा आप बता दीजिये। किसी योजना के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अभी तो मन्जूरी ही नहीं हुई है, पैसा कहां रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसी प्रकार यह एक और पैराग्राफ है, महिला विकास का।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बा चौड़ा है। मैं तो आधे पर ही आया हूं। लेकिन समय ज्यादा लग जायेगा, माननीय सभापति महोदय। मैंने पिछले सभी बजट भाषणों को उठा कर देख लिया। उन सब भाषणों में मैंने कहीं भी महिला विकास का अलग से कोई प्रोविजन नहीं देखा। इसको मैं इसलिये पढ़ देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये एक सुगठित परियोजना बनाई है। "इसमें चयनित जिलों में महिला विकास अभिकरण स्थापित किये जायेंगे। प्रथम वर्ष में हर चयनित जिले में 100–100 महिला विकास केन्द्रों का गठन होगा। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं, खास कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा निर्धन वर्ग की महिलाओं के लिये आर्थिक विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारा विचार है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चुने गये हर जिले में कम से कम 5000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इन कार्यक्रमों के लिये धनराशि मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र की भारत में स्थिति एजेन्सियों से प्राप्त होगी।" राजस्थान सरकार के बजट से पैसा खर्च नहीं कर रही है। आज तक किसी बजट में इसका वर्णन नहीं है। यह केन्द्रीय योजना के तहत चलेगी। यह इसलिये कि बजट में प्रमुख भूमिका, माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की रही है। दो महिलाओं की इस बजट में प्रमुख भूमिका रही है, उसका दिग्दर्शन होना चाहिये इसीलिये पहली बार इस बजट में इस तरह का दिग्दर्शन कराया गया है जब कि राजस्थान सरकार किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है।

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि गये साल भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कई घोषणाएं हुईं, उन घोषणाओं में से एक भी पूरी नहीं हुई। जिस तरह से आपने बजट स्टडी में, सभापति महोदय, पेज 94 पर आइटम 14 में लिखा है, आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास के तहत संख्या 7 तय की थी लेकिन उपलब्धि आज तक एक की नहीं है। "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना" संख्या 12 निश्चित की थी और उपलब्धि ? आज तक एक की भी स्थापना नहीं हुई। सब सेन्टर की, संख्या 500 तय की गयी थी और उपलब्धि एक की भी नहीं। यह इनके बजट स्टडी के पेज 94 पर आइटम 14 के अन्तर्गत लिखा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सामने बैठे हुए हैं जो इस तरह की घोषणाएं करते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, यह घोषणाएं महज फरेब है, केवल मन को प्रसन्न करने के लिये हैं और अखबारों में छपवाने के लिये हैं। इन योजनाओं के लिये किसी तरह का कोई पैसा नहीं है।

साथ ही, सभापति महोदय, यह बजट आपने देखा होगा। एकमुश्त प्रावधान। सारे बजट में नये कार्यों के लिये एकमुश्त प्रावधान है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जिस के लिये राजस्थान सरकार ने योजना बना

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर किया हो कि इस कार्य पर इतना खर्चा होगा और इतना हमने प्रावधान रखा है। क्यों राजस्थान सरकार ने एकमुश्त प्रावधान रखा है ? कोई भी मुनीम यह लिख सकता था, बल्कि मुनीम का कोई भी मुंशी यह लिख सकता था। यह कोई बजट है ? इस बजट में आपने किस तरह एक एकमुश्त प्रावधानों की घोषणा कर दी ? सब तरफ एकमुश्त का प्रावधान है। हो सकता है कि जवाब के समय यह कहा जाय कि समय कम मिला। तो आप वोट आन अकाउन्ट ज्यादा समय का ले लेते। दो महीने का लिया है अप्रेल, मई तक का आपने लिया है आप मई में बजट पेश करते इसमें क्या दिक्कत थी लेकिन आपने एकमुश्त प्रावधान रखा है। राजस्थान की सरकार मन में खुद जानती है कि उसकी जो आज आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, आज जो हालत है। उससे यह पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह घोषणाएं की हैं। आपको मालूम होगा पिछले बजट में भी कर दी थीं। आज कल हो क्या रहा है? राजस्थान की जनता के साथ धोखा हो रहा है, राजस्थान के जन प्रतिनिधियों को भ्रमित किया जा रहा है इस प्रकार की घोषणा करके। मैं आप से पूछना चाहता हूं, सब मेरी बात से सहमत होंगे कि यह घोषणाएं क्रियान्वित हो जानी चाहिये, जब बजट पास हो, सैंक्शन निकले, अप्रेल, मई में सैंक्शन निकल जाय और जून, जुलाई में इसकी क्रियान्विति होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसमें दिया हुआ है कि बजट की राशि किस-किस पर खर्च होगी। मैं पूछना चाहता हूं पिछली बार जो घोषणाएं आपने की थीं, स्कूल कब खोले ? मास्टर कब लगाये ? आयुर्वेदिक औषधालय कब खोले ? उनमें वैद्य कब लगाये ? दूसरी तरह की घोषणाएं थीं, माननीय सभापति महोदय, वे इन्होंने दिसम्बर के पहले लागू की हैं जनवरी में सैंक्शन निकाल रहे हैं, फरवरी मे सैंक्शन निकल रही है। यह कल्याणकारी योजना है ! जनता के हित की योजना है ! स्कूल्स खोलते हैं, माननीय सभापति महोदय, मार्च में, फरवरी में। इसका क्या लाभ। आपने मास्टरों की नियुक्ति फरवरी में की। ऐसी घोषणाओं का क्या लाभ। मैं, सभापति महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की सरकार को सरकार की तरह से व्यवहार करना चाहिये। सरकार की तरह व्यवहार करने के लिये यह आवश्यक है कि विधान सभा में जो चीज सैंक्शन होती है, बजट की सैंक्शन होती है, स्वीकृतियां यहां से कन्सोलिडेट फण्ड में आ जाने के बाद विभागीय रास्ते से उसकी स्वीकृति निकाल कर आगे कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति महोदय, इसमें ट्राइबल सब-प्लान के बारे में भी घोषणा की गयी है, प्रावधान रखा गया है लेकिन आदिवासियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को क्या आप धोखा दे रहे हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, गये साल इनके लिये बजट प्रावधान था 55 करोड़ रुपये का। 55 करोड़ रुपये की कल्याणकारी योजनायें हमने लागू नहीं की। सारे कैपीटल असैट्स बनाये गये, यह कैपीटल असैट्स आबना कर दिवासी के नाम पर इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधान सभा में बजट स्वीकार कराये हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसको तुरन्त रोका जाना चाहिए। आज आदिवासी की हालत क्या है? शायद आप उनके क्षेत्र में गये नहीं है। ईमानदारी से आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जितने भी विधायक है, आदिवासी क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले जितने भी लोग हैं आप उनसे पूछिये, आज आदिवासी नंगा है, भूखा है और आजादी के बाद बाद स्थिति दयनीय हो रही है, आजादी के पहले आदिवासी के लिए जंगल से लकड़ी का स्रोत था, उपज थी और आय के अन्य साधन थे, जंगल भी ज्यादा थे, जन संख्या आदिवासीयों की कम थी और उस हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, खाते-पीते थे। आज राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार ने एक निर्देश दे रखा है वह निर्देश इस बात का दे रखा है कि जहां आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासीयों को वन सम्पदा उनके रिसोर्सेज के रूप में यूज करने दी जाय। लेकिन राजस्थान सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? इसमें इस तरह का प्रावधान, आदिवासियों की भलाई का एक भी प्रावधान इस सरकार ने नहीं रखा है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, इस बजट को जन विरोधी, विकास को अवरुद्ध करने वाला, विकास की गति को बिल्कुल खराब करने वाला और आने वाले सैंकड़ों वर्षों के लिए राजस्थान के विकास के आधार को कमजोर करने वाला बजट मानते हुए इस बजट भाषण की हृदय से भर्त्सना करता हूं।

श्री सभापति : माननीय भैरूंलाल।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने बजट भाषण प्रस्तुत किया, मैं उसके सन्दर्भ में कुछ विचार रखना चाहूंगा। बजट भाषण में जो कुछ राज्य सरकार की प्रगति के बारे में दर्शाया गया हैं उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी बातों पर सरकार गम्भीरता से विचार करे और मेरी बातों का ध्यान रखे। जैसा अभी यहां कुछ चर्चा चली कि पाले के कारण, अकाल के कारण नुकसान हुआ उसका सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं एक-दो बातें जानना चाहूंगा, मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा। सरकार जो घोषणा करती है उसको पूरा किया जाया जिस क्षेत्र में जो घोषणा करती है, जितना पैसा घोषित करती है उस पैसे को उसी क्षेत्र में लगाया जाय।

राजस्थान के जिलों में उदयपुर जिला एक बड़ा जिला है। सरकार के आंकड़ों से मालूम हुआ कि उदयपुर जिले में 18 तहसील हैं और राज्य सरकार जो बजट रखती है उस अनुपात में वहां खर्चा नहीं होता है। कहने को तो कह दिया, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जाय और उसके लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना बनाई जाय। इसका उदयपुर में एक आफिस है। मैं पिछले दो साल से देख

(श्री भैरूंलाल मीणा)

रहा हूं कि उस विभाग में 56 करोड़ रुपये करीब आते हैं लेकिन जन जाति कल्याण के लिए 56 करोड़ के बजाय बहुत कम मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। जिस नाम से पैसा आता है वह उस कार्य में खर्च नहीं करके किसी अन्य कार्य में खर्च कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र के लिये जो पैसा आता है वह उसी क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए। उदयपुर जिले में इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद वहां पर कोई बड़ी योजना नहीं है जिससे कि आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उनको केवल लोन की सुविधा दी जाती है और विभाग वाले कहते हैं कि 50 प्रतिशत अनुदान उनको दिया जा रहा है लेकिन वह भी उनको पूरा नहीं मिलता है। 200 काश्तकारों को लोन दे दिया, हजार-बाहर सौ रुपया दे दिया इस से कुछ नहीं होता है। कोई बड़ी योजना होनी चाहिए, कोई कारखाना होना चाहिए, लघु उद्योग होने चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके। पहाड़ों से जो पानी बह कर आता है उसके रोकने के लिए बांध बनाने चाहिए जिससे उनको सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिल सके। एनीकट बनाये जायं जिससे उनके पानी की प्राब्लम दूर हो और उनके पास जो छोटी-मोटी जमीनें हैं उनमें सिंचाई के लिए पानी मिल सके। आज जंगल बिल्कुल बरबाद हो गये हैं। पहले आदिवासी जंगल से लकड़ी लाकर उसे या कोयला बेचकर अपना गुजारा चलाते थे परन्तु आज उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। आज उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। शहरों में तो लोगों के पास गैस वगैरह ऊर्जा के साधन हैं परन्तु उन आदिवासी लोगों के लिए यह बड़ी दिक्कत है कि किस तरह खायें, किस तरह जीवन चलायें। वन सम्पदा ही उनकी जीविका थी वह खतम हो गई। आज उनके पास रहने को मकान नहीं हैं। जब खाना बनाने के लिए ही लकड़ी नहीं है तो वे कैसे लकड़ी से मकान बना पायेंगे? इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र के लिए जो पैसा आवे उसको उसी क्षेत्र के लिए खर्च किया जाय और उसका उनको लाभ पहुँचाया जाय।

(3.54 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा के बारे में स्कूल खोलने की घोषणा तो सरकार बहुत करती है, स्कूल खोले भी हैं परन्तु आदिवासी क्षेत्र में कोई टीचर जाना पसंद नहीं करता है। स्कूल सरकार ने खोले हैं परन्तु वहां टीचर कोई भी नहीं है। चपरासी भी केवल मात्र हाजिरी लगाने आते हैं। जो विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते हैं वे अध्यापक के बिना पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होती है और इस कारण वे अपना घर का काम भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के बहाने स्कूल जाते हैं लेकिन वहां पढ़ाई नहीं होने के कारण वे आवारा बन जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है की जिस अध्यापक का अपाइन्टमेंट हो उसको पाबन्द किया जाया इसमें एक निवेदन और भी है कि आदिवासी इलाके में पांचवीं तक पढ़ाई होती है, तो जो मैट्रिक पास हो उसको वहां लगाया जाय।

(4.00 म. प.)

(श्री भैरूलाल मीणा)

सहकारिता के बारे में जो सरकार ने घोषणा की, बजट में लिखा है, अल्पकालीन ऋण का जो व्याज होगा उसको माफ कर दिया जायेगा। मुझे खेद है कि इसमें केवल अल्पकालीन ऋण के लिये ही है कि जो नहीं दे सके उसका माफ कर दिया जायेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्पकालीन ऋण नहीं दिया गया बल्कि जिनको 10-15 साल के लिये दिया गया था और जो वास्तव में सही काम के लिये दिया गया था। अल्पकालीन ऋण दिया गया है वह सहकारी समितियों के द्वारा दिया गया है। उसमें तो फर्जीवाड़ा किया गया है वसूली नहीं हुई तो लोन दुगुना हो गया, व्याज हो गया। तो इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके छोटे काम के लिए लिया है। जिन्होंने ज्यादा समय के लिये लोन लिया है असल काम तो उनका है, सही काम उन्होंने किया है, अपने लिये कोई कुआं खोदा या अन्य कोई काम किया है। मैं चाहूंगा कि यह लोन पर व्याज की माफी का प्रावधान जो अल्पकालीन ऋण के लिये ही किया गया है उसके बजाय मध्यकालीन ऋण के लिये यह सुविधा दी जानी चाहिए, उसका व्याज माफ किया जाना चाहिए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये व्याज की सुविधा दी जाती थी वह पहले जरूर दी जाती थी अब यह सुविधा पिछले दो साल से बंद कर दी गयी है।

सिंचाई के बारे में कुछ सुविधा दी है। इस बारे में मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें लिखा है, "निम्न सिंचाई परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य किया जायेगा।" इसमें जो 6 योजनायें लिखी गयी हैं उनमें उदयपुर जिले को बिल्कुल भुला दिया गया है। इस मौके पर गम्भीरता से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर की आबादी और उदयपुर शहर के उद्योगों को देखते हुए उदयपुर की पेयजल की समस्या भविष्य में इतनी गम्भीर हो जायेगी कि आने वाले दो सालों के बाद वहां पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। देवास की योजना बनायी गयी थी उसका एक चरण तो पूरा हो गया है, दूसरे और तीसरे चरण के लिये मुख्य मंत्रीजी जब उदयपुर कृषि उपज मण्डी समिति के उद्घाटन के लिये पधारे थे उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि यह जो योजना है उसको पूरा करना ही स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन बजट में उसका नाम ही खतम हो गया है। जब कि यह बात सही है, सरकार जहां जाती है घोषणा करके आ जाती है, मंत्री घोषणा करके आ जाते है, वहां क्षेत्र के लोग आशा करके जाते हैं कि हमारे लिये कुछ न कुछ फायदा होने वाला है किन्तु बजट देखने से मालूम हुआ कि देवास योजना का नाम ही नहीं है।

इसी प्रकार उदयपुर में ऐसे किसी जलाशय या बांध का भी नाम नहीं दर्शाया गया है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर क्षेत्र की इस तरह से बिल्कुल उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

श्री माधव सिंह दीवान : सुखाड़ियाजी के समय भी उपेक्षित था ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : घोषणा तो बहुत कर लेते हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : उस जिले को भी लिया जाय जिससे कि वहां पर सिंचाई के साधन हो सकें। जो कुछ पुराने जमाने में साधन थे वही आज भी हैं, नये नहीं बनाये हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप नोट कर लें। मंत्री महोदय को फिर नोट करा देना।

श्री भैरूलाल मीणा : विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जरूर आगामी वर्ष में काफी कनेक्शन देने को बात कही गयी है। क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की शिकायत आती है, चाहे वह जन जाति के हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े क्षेत्र के लोग हों, कि कुआं तो खोद दिया है, पम्प भी लगा दिया है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो घोषणा होती है विद्युतीकरण करेंगे, दूसरी तरफ क्षेत्र में देखते हैं तो कनेक्शन नहीं मिलता है। तो यह कथनी और करनी में फर्क है। मैं चाहूंगा कि जो कुछ घोषणा होती है उसके अनुसार काम होना चाहिए जिससे कि जनता को आश्वस्त कर सकें।

औद्योगिक दृष्टि से अन्य जगहों पर जरूर उद्योग लगाने की बात कही है लेकिन उदयपुर क्षेत्र में लगाने की बात नहीं कही है। मैं चाहता हूं कि नये उद्योग वहां पर लगाने की बात करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि उदयपुर पिछड़ा हुआ इलाका है, उस क्षेत्र में जो कुछ उद्योग हैं, सरकारी मशीनरी है या सरकारी कारखाने हैं, जो दफ्तर हैं उनमें आदिवासियों को कोई मौका नहीं दिया जाता है, नौकरी नहीं दी जाती है। मैने पिछले विधान सभा सत्र में राज्य पथ परिवहन निगम के लिये पूछा था....

श्री रामसिंह विश्नोई : मांगीलालजी, आप क्या नोट कर रहे हैं? मंत्री बन गये क्या?

श्री भैरूलाल मीणा : उसका जवाब मिला कि काम के काबिल नहीं है, योग्यता नहीं है। मैं समझता हूं कि....

श्री सभापति : बातें न करें।

श्री भैरूलाल मीणा : मैं समझता हूं कि यदि आप आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उनको विभागों में चान्स दिया जाना चाहिए, उनको नौकरी दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। जंगल तो खतम हो गये हैं अगर उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। मैंने आज सुबह ही एक प्रश्न पूछा था डेयरी का कि क्या वहां पर स्थानीय लोगों को नहीं रखा गया? जवाब मिला, नहीं रखा जा सकता है, ऐसा प्रावधान नहीं है, जयपुर से होता है। तो जो संस्था वहां पर होती है, उनको उसमें मौका तो मिला नहीं फिर वे क्या काम कर सकते हैं। पटवारी का भी चान्स नहीं मिलता है क्योंकि वह इतना चतुर नहीं होता है क्या ऊंच नीच होती है, ट्रेनिंग होती है इसलिये वह नही पहुंच

(श्री भैरूंलाल मीणा)

पाता है, वहां तक। उसको मौका नहीं मिल पाता है। मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर जन जाति के लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि हम जो चाहते हैं कि पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाये, उनका अवसर दिया जायेगा तब ही लोगों का लगेगा कि सरकारी नीति ठीक है, इससे उनका विकास होगा।

अगले बजट में मजदूरों को कुछ सुविधा के लिये जरूर कहा गया था लेकिन वह केवल बजट के पानड़ों में ही रह गया, बजट की किताब में ही रह गया। मैं एक साल से देख रहा हूं कि मजदूरों के लिये कोई तैयार नहीं हुआ, उनके कल्याण के लिये कुछ नहीं हुआ। इस बजट में तो उनका नाम ही उड़ गया है। मजदूरों के लिये भी आपको काम करना चाहिए। उनके आवास की योजना के लिये उनको कुछ न कुछ सुविधा दी जानी चाहिए। पर इस बजट में तो मजदूरों का कोई नाम भी नहीं है। मैं समझता हूं कि मजदूर इस देश के, राजस्थान के एक अंग हैं उनके लिये सरकार की तरफ से कुछ साधन मिलने चाहिए। आवास योजना हो या इस तरह की जो मकान बनाने की एजेंसी है वह उनके लिये भवन बना कर दे। जो सहकारी समितियां हैं उनको तो सारी सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन मजदूर फैक्ट्री के पास मजदूर कोई सहकारी समिति बनाकर कुछ लेना चाहता है तो उनको नहीं मिलता है। उसको कहते हैं कि तुमको यह नहीं मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो प्लाट बनाये जाते हैं उनको मिल जाता है। जा नियम हैं उसके अनुसार जा जमा होता है उसका जमा कराने के बाद भी उनको नहीं मिलता है। मजदूरों के लिये भी उनकी सोसायटी बनाकर आवास के आवंटन की सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री आत्माराम चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री थानसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : आत्मा परमात्मा में मिल गये।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) : सभापति महोदय, इस सत्र में 84-85 का जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, यह बजट ऐसे मौके पर आया है जब कि इस वर्ष राजस्थान में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, कहीं अकाल की स्थिति नहीं है। अभी अकाल के मामले में इस सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपने क्षेत्र उदयपुर और सलूम्बर की बात कहूंगा। उस क्षेत्र में फसल तो बढ़िया है।

(श्री थान सिंह)

इस प्रकार की वहां पर अकाल की स्थिति नहीं है । सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की वार्षिक योजना 430·38 करोड़ की है । सबसे ज्यादा सरकार ने इस बजट में सिंचाई और विद्युत पर खर्च करने का प्रावधान रखा है । सिंचाई, विद्युत पर 206.8 करोड़ रुपये व्यय करने का सरकार का इरादा है ।

वर्ष 83-84, 84-85 में 20 सूत्री कार्यक्रम के मामले में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम में दूसरे नंबर पर सभी प्रान्तों में से है । पहला प्रान्त हिमाचल प्रदेश और दूसरा राजस्थान रहा है । मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर स्टेट लेवल कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं । मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हर तीन महीने में मीटिंग हुआ करती है । उसमें मैं यही कहता रहता हूं राजस्थान सरकार द्वारा इस बात को कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइबस की ओर विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रम में ध्यान दिया जाय । श्रीमती इन्दिराजी का भी प्रोग्राम हमेशा यही रहा, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर पिछड़े वर्ग, शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय । इस 20-सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान सरकार ने 1983-84 के अन्दर 271 करोड़ रुपये खर्च किये और 1984-85 के अन्दर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर 300 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है जो पहले वर्ष की अपेक्षा में 11 प्रतिशत अधिक है ।

शिक्षा के मामले में मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि शिक्षा के मामले में इन तीन-चार सालों में बहुत बड़ी तरक्की हुई । शिक्षा के मामले में 1983-84 में राज्य सरकार ने कम से कम 1400 प्राइमरी स्कूल खोले, छः सौ मिडिल स्कूल खोले और भी काफी स्कूल खोले । मैं सलूम्बर क्षेत्र की बात करूं, मेरे सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कम से कम 20 प्राइमरी स्कूल तो तीन-चार साल में खुले हैं । उसके बाद दो सैकण्डरी हायर सैकन्ड्री स्कूल खुले हैं । शिक्षा के मामले में आज की तारीख में सलूम्बर क्षेत्र सर्वोपरि स्थान रखता है इसमें दो राय नहीं । लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा एक निवेदन है कि जनजातीय क्षेत्र के अन्दर 60 से 70 प्रतिशत आबादी आदिवासी लोगों की है, ज्यादातर आबादी शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की है, मेरे क्षेत्र के अन्दर । सभापति महोदय, निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर जो हैडक्वार्टर है, सलूम्बर है, सलूम्बर जैसे क्षेत्र के अन्दर, जनजातीय क्षेत्र के अन्दर आदिवासी का शैक्षणिक विकास करना है तो उस क्षेत्र में कालेज सब डिवीजन स्तर पर खोला जाना चाहिये । सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 हायर सैकण्डरी स्कूल सलूम्बर के अन्दर है, हर वर्ष वहां के कम से कम 3-4 सौ लड़के हायर सैकण्डरी पास करके उदयपुर के लिये आते हैं । उदयपुर जैसे क्षेत्र में साधारण आदिवासी का लड़का 3-4 सौ रुपये खर्च करके कालेज में नहीं पढ़ सकता । आज की स्थिति तो यह है कि बेरोजगारी की इतनी भयंकर समस्या है । वहां पर लड़के हायर सैकेण्डरी करने के

(श्री थान सिंह)

बाद मायूस हो जाते हैं और वे बेरोजगार घूमते हैं। इसलिये आज की तारीख में शिक्षा के प्रति आदिवासी इलाकों में बहुत कम रुचि हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे सलूम्बर क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र है बहुत बड़ा कस्बा है, में कालेज की व्यवस्था शिक्षा के विकास के लिये होना बहुत जरूरी है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : पाइंट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि भाषण पढ़ा नहीं जाता, बोला जाता है। माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति उनका तरीका ही ऐसा है, वे पढ़ नहीं रहे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): ये, माननीय सदस्य, आपको भ्रान्ति हो गयी है। वे पढ़ नहीं रहे हैं। इनका तरीका ही कुछ इस प्रकार का है।

श्री सभापति : आप शुरू करिये।

श्री थान सिंह : सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में इस प्रकार का तरीका हुआ है। मेरा तो यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर, जनजातीय क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का विस्तार किया जाय। मेरा निवेदन है कि इस बजट के अन्दर यह प्रावधान होना चाहिये यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात, चिकित्सा के मामले में ज्यादातर अपने सलूम्बर क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। मैं इस मामले में राठौड़ साहब को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। हमारे सलूम्बर क्षेत्र में काफी तरक्की हुई हैं। अभी माननीय कैलाश मेघवाल ने कहा इस बात पर, चिकित्सा के मामले में जो पी. एच. सी. बजट में खोले वह इस प्रकार से नहीं खोले थे। मैं इस मामले में कहूंगा कि सलूम्बर क्षेत्र के अन्दर पी. एच. सी. खोला गया उसके बाद खोला गया। इस क्षेत्र के अन्दर मैंने अच्छी तरह से देखा, 1983–84 में खोले गये। उसके बाद उप स्वास्थ्य केन्द्र है जो तो मतलब है कि हर गांव के अन्दर एक-एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खुला है। उसके बाद में औषधालय के मामले में मैं मंत्रीजी का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उस क्षेत्र में दो औषधालय इस साल दिये और मुझे विश्वास है, आने वाले वर्ष में दो सौ और खोलने का प्रावधान सरकार का है इसलिए मुझे सफलता मिलेगी।

पेयजल के मामले में मैं सबसे पहले, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि पेयजल के मामले में राजस्थान में उस इलाके के अन्दर बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। पश्चिमी राजस्थान में आज तक ज्यादातर हैंड पम्प खोदे हैं। इस मामले में राजस्थान सरकार ने 39 करोड़ के करीब हैंड पम्प पर व्यय किया है। मैं एक मामले में आपसे कहूंगा कि उदयपुर जिले के अन्दर ज्यादातर पालों की बस्ती हैं। बड़े-बड़े पाले हैं जो एक-एक दो-दो मील के रेडियस में फैले हुए हैं। इस मामले में सबसे पहले सवाल यह है,

(श्री थान सिंह)

ज्यादातर हमारे इलाकों में सबसे पहली बात यह होती है कि जहां ज्यादा हैंड पम्प लगे हैं जिस गांव के नाम पर हैंड पम्प पास होते हैं उसकी आबादी चार हजार पांच हजार होती है। तो उस बस्ती के अन्दर जो सरपंच है वह क्या करता है कि उस इलाके का हैंड पम्प अपने उपयोग में लाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती थोड़ी दूर होती है लेकिन उन इलाकों में ज्यादातर हैण्ड पम्प नहीं देते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेवाड़ का इतिहास ही ऐसा रहा कि हमेशा आदिवासियों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को भगाया जाता रहा है। आदिवासियों के पाले पास-पास होते हैं, जनरली पास ही होते हैं। तो क्या होता है कि लोग हैंड पम्प से वंचित कर दिये जाते हैं। हैंड पम्प लेने के बाद वह लोग कहते हैं कि तुम्हारी जन जाति की शिड्यूल्ड ट्राइब्स की एक अलग योजना है उसके अन्दर और हैंड पम्प आयेंगे, इस वजह से तुम इन्तजार करो। जब हम उस क्षेत्र के अन्दर जाते हैं, बैठते हैं तो वही लोग कहते हैं कि इन आदिवासियों के घर में हैंड पम्प नहीं है, इस जन जाति क्षेत्र में हैंड पम्प नहीं है, दूसरे लोगों के क्षेत्र में हैंड पम्प हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स, हरिजनों की बस्ती में हैंड पम्प नहीं हैं। इस प्रकार ये वातावरण खराब करते हैं इसलिये कि सारी भुखमरी आ जाय, इनके ऊपर आ जाय और फिर आदिवासी एम. एल. ए. सहन करता फिरे। आदिवासी के घर में पीने का पानी नहीं। उनके मोहल्ले में लाइट नहीं। इस प्रकार की बातें हम सुना करते हैं जो हमारे लिये जन जाति क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसे मामले में आपसे कहूंगा, सभापति महोदय, यह जो जन जाति है उसके क्षेत्रीय विकास का जो भारत सरकार का कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत 1974-75 के अन्दर महकमा खोला लेकिन आज 7-8 साल के बाद भी मुझे उस महकमे के अन्दर 2 % तरक्की भी नजर नहीं आई कि कम से कम उनकी कुछ मौलिक या आर्थिक हालत सुधरी हो या दूसरी कोई इस प्रकार की हालत सुधरी हो। उस महकमें के अन्दर आज की तारीख में मैं एक मामले में कहूंगा। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इस जन जाति के क्षेत्र के लिये मास्टर प्लान बनाया जाय। आदिवासियों के क्षेत्रीय विकास की बात होती है तो आदिवासियों के विकास के लिये आदिवासियों के जो गांव हैं उन गांवों के लिये इस प्रकार का मास्टर प्लान बनाया जाय, इस प्रकार की योजना बनायी जाय कि ये काम देंगे। इस प्रकार का जन जाति क्षेत्र के लिये कहीं कोई मास्टर प्लान नहीं है, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। जन जाति क्षेत्र का पैसा जितना है 55 करोड़, 60 करोड़ आता है

सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जन जाति क्षेत्र के अन्दर बीच में पैसा निकालने की एक माडा योजना और तैयार कर दी जिससे प्रभावशाली लोग अपने क्षेत्र में पैसा ले जाकर के वहां पर स्कूल का भवन बनवा लेते हैं, अपने वहां पैसा लगवा लेते हैं। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, 20–22–23 पंचायत समितियां उस जन जाति क्षेत्र के

(श्री थान सिंह)

अन्दर आती हैं, कोई उदयपुर नहीं आता, कोई कुशलगढ़ नहीं आता, कोई भिंडर जन जाति क्षेत्र के अन्दर नहीं आता लेकिन मुझे यह कहते हुए एक प्रकार का दुःख है कि जन जाति के पैसे से सलूम्बर में खुलने वाला रेफरल हास्पिटल सलूम्बर में न खुलकर कुशलगढ़ में खुल जाय, भिण्डर में खुल जाय यह तो एक तरह से हमारे साथ अन्याय है। इस प्रकार की बातें होते देख कर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो आपसे कहूंगा, जन जाति क्षेत्र के अन्दर सारी इस प्रकार की व्यवस्था है। जनजाति क्षेत्र के अन्दर आज की तारीख में ज्यादातर आदिवासी लोग हैं जिनकी वही की वही माली हालत है। आज की तारीख में उनके पास एक बीघा जमीन नहीं है। वहां बेरोज गारी है। मैट्रिक या आठवीं पास करने के बाद नौकरियां नहीं मिलतीं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी सरकारी मशीनरी है वह आदिवासियों का खून चूसने के सिवाय और कोई काम नहीं करती। मैं एक मामले में आपसे कहूंगा कि एक उद्योग हमारे जयसमंद के अन्दर खुला, आरा मशीन लगाई एक आदिवासी ने। जंगलात वाले सारे लोग उसको जाकर तंग करते हैं। उसके पास जाकर उससे पैसा मांगते हैं कि सालाना, मासिक हमको इतना पैसा दो तब जाकर तुम्हारी यह आरा मशीन चलने देंगे। दूसरे लोग लकड़ियां ला-ला कर लूट रहे हैं, सागवान और बबूल जंगल से काट कर लाकर बेच रहे हैं उनसे अफसर मिले हुए हैं। महीने का बंधा हुआ पैसा चलता है कोई किसी प्रकार से उनको तंग करते नहीं हैं। हमको इस प्रकार की तरकीब याद नहीं है इसलिए इस प्रकार से हमको तंग करते हैं। उसको यह कहते हैं कि तुम यहां से आरा मशीन हटा लो। इस प्रकार का इस सरकार का इरादा है जो जन-जाति क्षेत्र के अन्दर उद्योग लगाना चाहती है। मैं तो, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर कैसा कच्चा माल मिल सकता है और कैसा उद्योग लग सकता है। तब जाकर उद्योग लगा सकते हैं। आज की तारीख में मैं भी नहीं जानता कौन सा उद्योग किस प्रकार लगता है इसलिये आदिवासियों के पास प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए नहीं जा सकता। आज जनजाति क्षेत्र के अन्दर जितने भी आफिसर्स हैं उनका सिवाय तनख्वाह खाने के और कोई काम नहीं है। कहीं जाकर, गांव में यह कुछ नहीं कह सकते। सभापति महोदय, मैं भी एक जन-जाति कमेटी का मैम्बर हूं, मैं भी बोर्ड का मैम्बर हूं, मैं भी प्लानिंग कमेटी का मैम्बर हूं, मैं भी एजुकेशन कमेटी और प्लानिंग सब कमेटी का अध्यक्ष हूं लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज की तारीख में कहीं पर भी जनजाति क्षेत्र के अन्दर न तो प्लानिंग कमेटी में हमारा प्लान माना जाता है, किसी योजना के बारे में कोई सुझाव दें वह नहीं माना जाता है। आज मीटिंग हुई तो केन्द्र से फलां आ रहे हैं फिर मीटिंग केन्सिल हो जाती है। दूसरे दिन तार आता है कि फलां दिन मीटिंग होगी उस दिन कोई आ जाता है तो फिर मीटिंग केन्सिल हो जाती है। जनजाति की पिछले तीन चार सालों में जितनी भी मीटिंग तय हुई

(श्री थान सिंह)

वह नहीं हुई। मन्त्रीजी एक दो दिन मीटिंग करते हैं वह कहते हैं कि सैंक्शन दे दो तो कमिश्नर कहता है कि पैसा मैं तो निकालता नहीं,पैसा तो सरकार पास करती है। फिर मिनिस्टर भी कह देता है मेरे हाथ की बात नहीं। तिजोरी से पैसा निकालने वाला आदमी भी कह देता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो इस प्रकार जनजाति क्षेत्र के अन्दर पिछले 8–10 सालों में जो आर्थिक काम हैं, जो विकास के काम हैं वह नहीं हुए। जनजाति क्षेत्र के अन्दर, मैं कहता हूं, आदिवासियों को सड़क नहीं मिलती।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि माननीय हनुमान प्रभाकर जी जब मिनिस्टर थे, तब सलूम्बर क्षेत्र के लिए उन्होंने 22 सड़कें मंजूर की थीं लेकिन 22 सड़क की मंजूरी के बाद में पिछले दो सालों में आज तक किसी रोड की मंजूरी नहीं हुई. पुलिया की जितनी नींव भरी थी उससे एक इंच ऊपर नहीं चढ़ी। यह जरूर है कि मेरे घर वाला रूट चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, किसी प्रधान साहब का रूट चल सकता है, एम०एल०ए० का रूट चल सकता है बाकी किसी सड़क का नामोनिशान नहीं है। जनजाति क्षेत्र के अन्दर मैंने ज्यादातर यह देखा है कि कृषि उपज मंडी समिति का पैसा सरकार नहीं देती। इस प्रकार हमारे जितने भी फेमिन के पहले जो मिनिस्टर थे, सुखाड़िया जी के टाइम में, हमें फेमिन के अन्दर पक्की सड़क मिला करती थी लेकिन तीन चार साल से हमें कोई सड़क नहीं मिली है। प्लानिंग के अन्दर जो सड़क हैं, आज तीन चार साल से उसका भी काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा एक निवेदन है, सरकार की योजना सड़क बनाने की है, सड़कों का काम कराने की है लेकिन आज की तारीख में अनुसूचित जनजाति के विकास के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में, शाला भवनों के मामले में जितने भी काम चले वे सब अधूरे हैं। जो पंचायत घर बने थे वे अधूरे हैं। ग्रामों के विकास में आज ग्रामों की जनता यह नहीं देखती है कि राजस्थान कैनाल कहां बन रही है। गांव की जनता यह नहीं देखती कि माही डैम कहां बन रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करूं, गांव में शाला का भवन बन जाना चाहिये, पंचायत घर बन जाना चाहिये, इस प्रकार के छोटे मोटे काम गांव की जनता ज्यादा देखती है बनिस्बत बड़ी योजना के कामों के। मेरा एक ही निवेदन है, जनजाति क्षेत्र में सड़कों का ज्यादा से ज्यादा जाल बिछाया जाय, यह मेरी इच्छा है।

इसके बाद पशुओं के मामले में पशुपालन मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा। पहले उन्होंने सौ पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की थी मगर, सभापति महोदय, हमारे जनजाति क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला है, हां एकाध उन्होंने दे दिया। मैं एक ही निवेदन करूंगा, मैंने दस दरख्वास्त आपको लिख कर दी हैं एक दरख्वास्त लिख कर नहीं दी है, मैंने आपसे कहा था कि पशु चिकित्सालय होना चाहिये। पशु कोई जयपुर में ही नहीं बसते हैं हमारे इलाके मेवाड़ में भी रहते हैं, मेवाड़ में भी पशु का धन्धा आदिवासी

(श्री थान सिंह)

करते हैं। आदिवासियों का बहुत ज्यादा पशुओं का धन्धा है। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे यहां पशु चिकित्सालय खोलें हमारे जनजाति क्षेत्र का ज्यादा ख्याल रखें।

सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, स्कूल के मामले में सरकार ने यह प्रावधान किया है जनजाति क्षेत्र में कुछ ज्यादा पर्सेन्टेज में स्कूल खोले जायेंगे। प्राइमरी स्कूल के मामले में, ठीक है, हमें एकाध स्कूल ज्यादा मिलने हैं यह भी मैं मानता हूं लेकिन जहां पर सैकण्डरी स्कूल का सवाल आता है वह सबको बराबर मिलते हैं। बराबर जनरल सबको जा मिलते हैं वह मिलते हैं। गुलाबचन्दजी कटारिया को जो मिलते हैं, मेघराज जी तावड़ को जो गोगुन्दा में मिलते हैं वह का वह हमको सलूम्बर में मिलते हैं। मैं इस मामले में आपसे कहूंगा कि इनको मिला, उनको भी मिला लेकिन हम लोग रह गये सैकण्डरी स्कूल के मामले में, शिक्षा के विकास के मामले में। एक बात मैं आपसे कहूंगा, सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार ने इस साल 1400 प्राइमरी स्कूल खोले उसके अन्दर सलूम्बर तहसील में मुख्य मन्त्रीजी ने एक तरीका अपनाया कि 250–300 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी स्कूल देंगे। मैंने जिस स्कूल का नाम दिया वह स्कूल तो आया नहीं बल्कि उल्टा काम यह हुआ कि मेरे सामने जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था उसको प्राइमरी स्कूल मिल गया। मेरे सामने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए मेघराज जी, उसको वहां पर प्राइमरी स्कूल मिला। मेरे सामने जो दूसरी पार्टी खड़ी हुई उसको प्राइमरी स्कूल मिला तो लोगों को यह हुआ कि यहां के पुराने आदमी यह काम करा सकते हैं, यहां का एम०एल०ए० यह काम नहीं करा सकता है। इसी से मेरा एक ही निवेदन है कि स्कूल के बारे में इस प्रकार का क्राइटेरिया मत अपनाये जो हमारे से उल्टा पड़े, जो हमारे खिलाफ पड़े। आगे आने वाले समय में हमारी लिस्ट पर ध्यान देकर स्कूल खोले जायें, यही मेरा निवेदन है।

इसी के साथ विद्युत के मामले में निवेदन करूंगा कि विद्युत के मामले में हमारा सलूम्बर बहुत अच्छा रहा है। 12-13 गांव 83 84 में हो गये और अब क्या होगा, 119 गांवों की योजना है। मुझे विश्वास है कि सन् 85 तक सरकार सलूम्बर के गांवों का विद्युतीकरण कर देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट के भाषण, जो सदन में पेश किया गया है, का समर्थन करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, 84-85 का बजट पेश हुआ, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार के बजट से न किसी देश का विकास हो सकता है, न

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किसी प्रदेश का विकास हो सकता है न किसी ने इस प्रकार का बजट पेश किया होगा और न आगे कोई करेगा। इस प्रकार का बजट है जिससे विकास की सारी गति अवरुद्ध होगी, कोई काम इस बजट से नहीं होगा।

मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है, इस पंचवर्षीय में योजना में हमने क्या टार्गेट फिक्स किये थे, कितने पैसों का प्रावधान हमने किया था, कितना हमें खर्च करना था और उसके अगेन्स्ट कितने टार्गेट हमने अचीव किये, कितनी सड़कें बनानी थीं, कितने सिचाई के साधन उपलब्ध करवाने थे, कितने स्कूल खुलवाने थे, कितने कुएं खुदवाने थे, कितनी मेडिकल फेसिलिटी प्रोवाइड करानी थी इसका सारा जिक्र इस बजट में करना चाहिये था। लेकिन अफसोस है कि जिक्र करने के बजाय, क्योंकि इनकी कमजोरियां छुपी हुई हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पंचवर्षीय योजना का जिक्र किये बिना केवल मोटे-मोटे आंकड़े एक प्रकार के असत्य आंकड़े, एक प्रकार के झूठे आंकड़े पेश किये। इन्होंने जो स्पष्टीकरण खण्ड 5 है उसमें अलग प्रकार की व्यवस्था की है और बजट भाषण में अलग प्रकार की व्यवस्था की है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में इनकी योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये का था। प्रथम तीन वर्षों में 1005·15 करोड़ रुपये खर्च हुये। 1983-84 में 416·74 करोड़ का प्रावधान किया और बड़ी चालाकी से बजट के पैरा में यह कह दिया गया कि 416·74 का प्रावधान था। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने इस बजट में कमी की, 30 करोड़ रुपये की आपने इस बजट में कमी की और जो संशोधित अनुमान आ चुके हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया? संशोधित अनुमानों के अनुसार 387 करोड़ रुपये का आपने बजट आकार रहने दिया। जो 416·74 करोड़ रुपये का आपका बजट था वह बढ़ाने के बजाय आपने 387 करोड़ रुपये का बजट अनुमान किया। रिएस्टीमेट किया है उसमें केवल 387 करोड़ रुपये हैं और उसमें भी मेरी यह निश्चित मान्यता है, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जब आपके एक्चुअल फिगर आयेंगे तब वह भी 387 करोड़ रुपये घट जायेंगे क्योंकि राजस्थान का विकास करने का आपका कोई इरादा नहीं है, केवल धोखा देने का इरादा है। इस प्रकार के फरेब और धोखेबाजी से आप हमेशा प्रदेश को चलाना चाहते हैं।

आपने अभी 430·38 करोड़ रुपये का योजना व्यय का प्रस्ताव किया है। उसमें आपके पास 264·93 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध हैं और 165·45 करोड़ रुपये की व्यवस्था केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय करों से राज्य को मिलने वाले अंश में संभावित वृद्धि से आपने दर्शायी है। लोक सभा का बजट पेश हो चुका है और जैसा अभी पूर्व में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह जो 165·45 करोड़ की विशेष सहायता मिलने वाली है जिस का आपने अलग जिक्र किया है, आपको यह बताना चाहिये था कि इसका

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किस प्रकार का आश्वासन मिला है, कितने करोड़ का आश्वासन मिला है। यह भी आपको बताना चाहिये था कि केन्द्रीय करों में जो वृद्धि हुई है जिसका अंशदान हमको मिलेगा, उससे आपको कितनी इनकम होगी लेकिन आपने यह नहीं बताया क्योंकि इसमें पोल है। इस बजट में सारी जो घोषणायें की हैं स्कूल खोलने की, अस्पताल खोलने की, सड़कें बनाने की वह किस प्रकार फरेब और जालसाजी तरीके से आपने इस बजट में की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पेज क्रमांक 11 पर 1983-84 का जिक्र किया गया है। 30 करोड़ रुपये की कमी की, राजस्थान की जनता और इस सदन से आपने जान-बूझकर सारे तथ्यों को छिपाया है और छिपा कर राजस्थान की सारी जनता और पूरे सदन को अपमानित किया है।

बजट प्रावधानों में आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये थी जिस प्रकार एक लोकप्रिय सरकार, एक समाजवादी सरकार करती है। सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम का ढोल पीट चुकी है, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो हम पैसा कम लेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो पानी का पैसा कम लेंगे, खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे, लगान नहीं लेंगे। लेकिन मोटर चले न चले पीछे के दरवाजे से घुसने की आपकी आदत है रोड टैक्स और ट्रांसपोर्ट टैक्स के जरिये, जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार नान टैक्स रेवेन्यू और रेल किराये में वृद्धि करके टैक्स लगाती है। आपकी सरकार ने जो बजट प्रावधान रखा है उससे प्रदेश चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पीछे के दरवाजे से आकर जनता के ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाने वाले हैं। आपको लगता है इस साल में चुनाव होंगे, चुनाव के समय पर लोग नाराज न हो जायं केवल आपका दृष्टिकोण यही रहा इसलिये आपने घोषणायें कर दीं। घोषणायें करने से हमारा क्या जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने जो घोषणायें की हैं, जो कमिटमेन्ट किये हैं वह कौन से पूरे किये है? जितने टार्गेट्स सदन को बताये हैं, जितना पिछली बार बजट में खर्च करने करने की घोषणा की है क्या उसकी व्यवस्था की है? उस समय चन्दनमल जी बड़े अनुशासन की बात कर रहे थे, हम खर्च में कटौती करेंगे, अनुशासन का साल है, कर्मचारियों को अनुशासन का पाठ सिखाया था और आश्वासन दिया था सदन को कि हम खर्च में कटौती करेंगे, नॉन टैस रेवेन्यू बढ़ायेंगे। क्या आपने खर्च में कटौती की? क्या आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई? हम केवल कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं कि वह खर्च में कमी करेंगे और हमारा खर्च बढ़ता जाय। जब तक हम स्वयं कटौती नहीं करेंगे, हमारे रूल्स के अनुसार कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक सरकारी कर्मचारी किसी भी हालत में न खर्च कम करने वाला है और न लूट में कमी करने वाला है। आज सरे आम जनता को लूटने का जो अभियान चला रखा है उसको अगर बन्द नहीं किया तो जनता आपसे सड़कों पर निपटेगी, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं आज इस अवसर पर सदन के माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहता हूं कि वह किसी भी घोषणा के चक्कर में नहीं आयें। चेतराम जी साहब ने सड़कों के सम्बन्ध में सबसे फार्म भरवाये हैं 30-30, 40-40, 60-60 किलोमीटर सड़क बनायेंगे। सदस्यों को बेवकूफ बनाया गया है। सारे राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाया गया है। क्योंकि यदि एक-एक माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में 30–30 किलो मीटर सड़क बनेगी तो इसका मतलब 6 हजार किलोमीटर सड़क बनेगी। इनको बनानी पड़ेगी। और इन्होंने बजट में प्रावधान किया है 25 सौ किलोमीटर सड़क बनाने का। 14करोड़ रुपये सड़क निर्माण हेतु रखे हैं, 9 करोड़ रुपये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये रखे हैं। 9 करोड़ रुपये जो आपने सड़कों के लिये रखे हैं उसमें 6 सौ किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। स्पष्टीकारक परिशिष्ट है उसमें 6 सौकिलोमीटर की बात करते हैं और बजट भाषण में 25 सौ किलोमीटर की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सही क्या है और इस प्रकार की कौनसी आवश्यकता पड़ी कि आपको सदन को गुमराह करना पड़ा ? मैं मानता हूं कि इसमें एक शब्द आप और जोड़ देंगे कि कृषि उपज मण्डी समितियों में बनने वाली सड़कें भी इसमें जोड़ेंगे। लेकिन यह भी 1 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का प्रावधान किया है।

श्री देवेन्द्र सिंह : डेयरी की है, म्यूनिसिपैलिटी की है वह सब जोड़ेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन उसके बाद भी 25 सौ किलोमीटर सड़क नहीं बनेगी पी. डब्ल्यू. डी. के लिये जो बजट रखा है उसमें। बनेगी वह जो मास्टर प्लान में हैं। माननीय सदस्यों को जो इवान्इट किया है, प्राथमिकता मांगी है, सब सड़कें जोड़ी जायेंगी ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : जोड़ेंगे तब तो अच्छा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह केवल आपको बेवकूफ बनाने की कार्यवाही की है। 5 वीं पचवर्षीय योजना में 1980-81 में 1 हजार 25 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, 81-8 में 830 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, 82-83 में 630 किलोमीटर। 1983-84 में 5 सौ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया और 1984-85 में 6 सौ किलोमीटर सड़क बनाने का प्रावधान रखा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान को पीछे ले जा रहे हैं। इसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से पहले कहा कि 1 हजार की आबादी के 8 पर्सेंट गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, 15 सौ से ऊपर की आबादी के 49 पर्सेन्ट गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। उसमें भी भ्रमित करने की कार्यवाही की है क्योंकि एक हजार की आबादी के गांव 2608 पकड़ में आते हैं इसलिए पकड़ में से बाहर निकलने के लिये यह कहा कि एक हजार से अधिक की आबादी के सारे गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। इस प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है, यह माननीय सदस्यों को भ्रमित करने की कार्यवाही है। मैं आपको

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बताऊंगा, यदि जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम तारीफ करेंगे। लेकिन ये जोड़ नहीं सकते। पिछली बार जो इन्होंने घोषणायें की यदि वह पूरी कर दी होतीं तो हम निश्चित रूप से यह अनुमान लगाते कि ये तारीफ करने के लिए कोई न कोई काम करेंगे। लेकिन यह जानते हैं, आपने पढ़ा होगा अभी राजस्थान पत्रिका में बात करामात में कि वह पत्रकार महोदय घर पर गये बीवी ने भाषण सुना दिया और फिर तारीफ करवाली। क्योंकि डर के मारे घर में जाना आवश्यक था, माननीय सभापति महोदय, उनको घर में जाना है, घर में रहना है, इसलिए बीवी का भाषण सुनना पड़ा चाहे उनके पास पैसे का प्रावधान हो या नहीं हो। वाहवाही भी करनी पड़ी और उनको धन्यवाद भी देना पड़ा। तो इसलिए आप तो वह देंगे। आप तो उस बीवी की तरह हैं जैसे वह पत्रकार महोदय वहां पर गये और उनकी बीवी ने वह भाषण सुना दिया, बजट भाषण, और उसमें बड़ी-बड़ी कल्पनायें कर दीं, कार में भी जायेंगे, अच्छे कपड़े भी सिलवायेंगे और महलों में रहेंगे। वह जानते थे कि हम नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद उनकी मजबूरी थी, उनकी डांट डपट और उनकी आंख से उनको डर लगा। उन्होंने कहा, वाह साहब क्या आपने बजट पेश किया है। उसी प्रकार आपकी हालत है। आप तो उसी प्रकार वाहवाही करने वाले हैं। आप जानते हैं वाहवाही से आप शुरू करेंगे। जितने भी ट्रेजरी बेंचेज के लोग हैं, पहले आप वाहवाही से शुरू करेंगे, उसके बाद आप अपनी वाहवाही करेंगे, फिर अपने क्षेत्र की समस्यायें बतायेंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि हम तो क्षेत्र में जाने के काबिल नहीं। मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणायें कर दीं लेकिन उनका इस बजट में प्रावधान नहीं है। तो रोओ इनको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इसके अलावा कोई दूसरी आदत नहीं। आज भी आपने पढ़ा होगा, आज यह चिन्ता का विषय है कि प्रति व्यक्ति आय तो घट गई है और उनके ऊपर टैक्स लाद रहे हैं। यह कोई अच्छी स्थिति है ....

(व्यवधान)

जहां पर सन् 80-81 में 696.80 नये पैसे पर प्रति व्यक्ति आय थी वहां उस समय उनसे 190 रु. 93 पैसे का टैक्स लिया जाता था। आज 84-85 में जो आपने अनुमान पेश किये हैं उसमें 718 रु. तो उनकी आय है और 317.14 नये पैसे उनके ऊपर आपने टैक्सों का भार लाद दिया है। आपने उस उपभोक्ता की कमर तोड़ दी है। आपने आम आदमियों के ऊपर जितना टैक्स लगा दिया है उसके मुकाबले में उसकी आय के कोई स्रोत नहीं जुटाये हैं। यह आपके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि किस प्रकार अपने को अच्छी सरकार, समाजवादी सरकार, जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिये किस प्रकार आप सिद्ध करेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं कहना चाहता हूं सिंचाई विभाग में आपने पंचवर्षीय योजना में क्या टार्गेट रखे थे लेकिन 1980-81 में राजस्थान नहर से 3.53 लाख हैक्टयर में सिंचाई की आपने व्यवस्था की, 1981-82 में पानी के विभाजन का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के मध्य समझौता हुआ, इसका आपने जिक्र किया। आपने उस बजट में यह जिक्र किया था कि राजस्थान-पंजाब-हरियाणा का समझौता हो चुका है और नोहर और सिद्धमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए व्यास नदी से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की सहमति के फलस्वरूप अब ये परियोजनायें शीघ्र क्रियान्वित हो सकेंगी। उस समय आपने यह कहा 1981-82 में, फिर 1982-83 में आपने कहा कि अपने हिस्से का जल प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही है, समुचित और सुनिश्चित मात्रा में पानी मिलने का प्रावधान किया गया है, नोहर-सिद्धमुख परियोजनायें शीघ्र क्रियान्वित हो सकेंगी। फिर आपने 1983–84 में भी नोहर और सिद्धमुख परियोजनाओं के लिए उसी प्रकार से, यों का यों लिख दिया। 1984–85 में तो आपने क्या किया वह मैं बाद में बताऊंगा लेकिन 27000 हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त होने की आपने जो 1981-82 में संभावना व्यक्त की थी, 1982-83 में 17200 हैक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़नी चाहिये, जहां हमने सतही जल, जहां हमने सिंचाई के साधन के लिए यह स्वीकार किया है कि सिंचाई और विद्युत प्राइमरी स्टेज पर है जहां पर हमने 1980-81 में 1981-82 में 55. कुछ पर्सेन्ट ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : का लक्ष्य रखा था आज हम 47. कुछ पर आ गये 8 पर्सेन्ट हमने जहां प्राथमिकता तय की थी वह प्राथमिकता तय करके हमने एलान किया था वहां पर हमने उन प्राथमिकताओं को घटाया है और घटा कर सिंचाई के सम्बन्ध में हमने एक प्रकार से धोखा किया है। जिस प्रकार राजस्थान नहर के और ये सारे टार्गेट तय किये थे, आप ही की यह सारी किताबें आपकी नाकामयाबी सिद्ध करती हैं और आप भागीरथ बनने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने अन्तर में झाकें कि आपने क्या उपलब्धि की है, कितना रुपया आपने खर्च किया है, कितनी उपलब्धि आपको प्राप्त करनी थी, कितने हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करवानी थी ? आज वह बिल्कुल नहीं के बराबर हैं।

मैं आपको अब निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 6 परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य शुरू करने की यहां पर बात कही लेकिन 6 परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य, मैं जानता हूं, क्या करना है। आपको प्रारम्भिक कार्य करना है एक भाटे पर नाम लिखने का। बस वहां पर काम हो गया। आपने किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया। बड़ी बड़ी योजनायें जो हैं, बिसलपुर योजना छियानवे, साढ़े छियानवे करोड़ रुपये की योजना है लेकिन 96 करोड़ की योजना के लिये 96 लाख रुपये भी इन्होंने रखे नहीं तो क्या करेंगे। ये करेंगे, चुनाव आ रहा है, इसलिए ये सारी घोषणायें कर दो, सारे पत्थर अभी से लिखवा लिये, इनके द्वारा उद्घाटन करवा दो लेकिन उन भाटों को लोग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उखाड़कर फेंक देंगे। प्रदेश की जनता यह बरदाश्त नहीं कर सकती। इस प्रकार छल और फरेब उनके साथ किया गया है। आपने इस बजट भाषण में बहुउद्देशीय परियोजना के लिए सारा बजट अरेन्ज किया है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। 47 करोड़ रुपया आपने राजस्थान नहर के लिए, जाखम परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपया, 1.56 करोड़ रुपया गुड़गांवा कैनाल, ओखला बैराज और नर्बदा कैनाल लिए और मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 13·35 करोड़ रुपया रखा है। आपका जो स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र है उसमें 13.35 करोड़ रुपये है और बजट भाषण में आपने कहा है कि इसके लिए 14.35 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। यह मेरी समझ में नहीं आता, आपने यह सारा जो बजट भाषण में कहा है। आप ही की सरकार के द्वारा जो यह स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र दिया गया है उसमें और जो आपने बजट भाषण दिया है इसमें यह डिफरेन्स क्यों है। आपने बजट भाषण में 92·95 करोड़ के प्रावधान की बात कही है जब कि इस स्पष्टीकारक स्मृति पत्र में 82·45 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने की बात आपने कही है। मैं नहीं समझता कि आपका बजट भाषण में यह कहने के पीछे क्या उद्देश्य है और किस कारण से आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 82·45 करोड़ रुपयों को आपने अलग-अलग बांट दिया, इतना माडर्नाइजेशन के लिए होगा इतना इस नहर के लिए होगा इतना इस बांध पर होगा। उसके बाद आपने बजट भाषण में बड़ी लम्बी चौड़ी घोषणायें कर दीं और उनके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा। यह किस बात का द्योतक है? आपको यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, सिंचाई के साथ बिजली आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, बिजली के मामले में यह पहाड़ियाजी रहे उनसे भी निकम्मे साबित हुए। माननीय सभापति महोदय, ये शब्द मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं मैं आंकड़ों से साबित करना चाहता हूं कि 80-81 में बीस हजार कुओं को इन्होंने बिजली दी और 1800 बस्तियों का विद्युतीकरण किया। अब जनता पार्टी की सरकार की तो आप होड़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कमजोर मुख्य मन्त्री, जिसको आपने कहा है ...

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : आपकी होड़ तो कर ही नहीं सकते। आप तो ढाई साल में चले गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चले गये तो क्या हो गया। आज याद करते हैं। आज हमको याद करते हैं और × × × जाओ वहां क्षेत्रों में। आज हम गांव गांव में ..

एक माननीय सदस्य : आप कौनसा पट्टा लिखा कर आये हैं?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भेजा था गांव में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आंकड़ों के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा पहले मैं बजट भाषण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पहाड़िया जी को यह कमजोर मुख्य मन्त्री बताते थे उन कमजोर मुख्य मंत्रीजी के समय में, सन् 80–81 में 20 हजार कुओं को बिजली दी गयी और 12 सौ बस्तियों को बिजली दी गयी। 81–82 में 2500 कुओं को बिजली दी गयीथी और 1500 बस्तियों को बिजली से जोड़ा गया था। सन् 82–83 में ज्योंही इन मुख्य मन्त्रीजी का पदार्पण हुआ त्योंही, जैसा विरोधी दल के माननीय नेताजी कहते हैं कि इनका तो पग फेरा ही खराब है, इनका पग फेरा ऐसा है कि पहले तो बाढ़ आयी और तबाही हुई और उसके बाद में प्रदेश में अन्याय, अत्याचार बढ़े और सूखा पड़ा। इन बातों में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है सिंचाई और बिजली में कीर्तिमान स्थापित करना था वहां इन्होंने दस हजार कुओं को बिजली दी और एक हजार गांवों को बिजली से जोड़ा। 83–84 में 1100 कुओं को बिजली देने की चेष्टा की जायगी। बजट स्पष्टीकारक स्मृति इनके द्वारा दिये गया है उसमें यह लिखा है कि 1155 कुओं को बिजली देने की चेष्टा की जायगी किन्तु बजट भाषण में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। बजट स्टडी में, जो टार्गेट प्राप्त किये हैं इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि 1100 के मुकाबले 754 गांवों में बिजली दी गयी और 11 हजार कुओं के मुकाबले में 7976 कुओं को बिजली दी गयी। सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, यह बिजली किस प्रकार देना बताते हैं। जैसे एक बिजली की योजना स्वीकृत हुई टोंक में, वहां पर इन्होंने 14 गांवों को बिजली देने का तय किया था, तीन साल में 14 गांवों की योजना पूरी करनी थी। इस सारी योजना की कापी मेरे पास है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो टार्गेट इन्होंने गांवों को बिजली देने के लिये रखे उसमें क्या किया कि इन्होंने वहां पर लाइन खींच दी। न तो वहां पर ट्रांसफार्मर लगाये, न ही वहां पर लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया और यह बताया गया कि 9 गांवों को बिजली दी गयी। सभापति महोदय, इस प्रकार से नौ गांवों में बिजली देना बताया गया है जबकि कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। जहां बिजली गांव के पास होकर निकल गयी वहां पर इन्होंने यह कह दिया कि बिजली दे दी गयी है। जिस कुएं के पास बिजली के खम्भे लग गये वहां पर कह दिया कि बिजली दे दी गयी है। सभापति महोदय, इस प्रकार का व्यवहार यह सरकार इस प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। इस प्रकार का व्यवहार इस प्रदेश की जनता मैं नहीं समझता हूं कि बरदाश्त करेगी। मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रदेश की जनता इनकी खाल खींचेगी, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इन्होंने जो स्पष्टीकारक स्मृति पत्र दिया है उसमें दिखाया गया है कि एक हजार गांव और दस हजार

(159)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कुओं को बिजली दी गयी है। जो लक्ष्य निर्धारित किये थे वह पूरे नहीं किये। बजट भाषण में इन्होंने 1100 गांवों में और 11 हजार कुओं को बिजली देने की बात कही थी वह आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। सभापति महोदय, जो यह आंकड़े दिये गये हैं वह इन्हीं के विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। कि इनमें अलग अलग बातें क्यों कही गयी हैं। सभापति महोदय, जो आंकड़े 80–81 में थे उससे आगे इनको बढ़ना चाहिये था उससे आगे यह बढ़े नहीं हैं। बल्कि पीछे हटे हैं। यह पीछे ले जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा पेयजल की बात करना चाहूंगा। पेयजल की समस्या से ग्रस्त राजस्थान में 24037 गांव थे। पेयजल समस्या को दूर करने के लिए यह कमिटेड हैं। इन्होंने इस सदन में कमिट किया था कि हम पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की कठिनाई दूर करेंगे। इन्होंने, सभापति महोदय, आइडेन्टीफाई किया है उन गांवों को। हर बार सदन में कमिटमेंट करते है, जब भी बजट भाषण होता है उसमें यह कहते हैं कि हम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस पेयजल की समस्या को मिटा देंगे और गांवों में पानी पहुँचा देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 83–84 में यह बात कही थी कि हम 17490 गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सभापति महोदय, यह की यह बात इन्होंने सन् 84–85 के बजट भाषण में कही है। अब यह क्या पेयजल उपलब्ध करायेंगे यह तो आपने देख लिया।

पेयजल के लिये इन्होंने गांव में हैण्ड पम्प लगाये वह चल नहीं रहे हैं। आज हैण्ड पम्पों की यह हालत है कि वह बन्द पड़े हुए हैं। एक साल से नहीं बल्कि दो साल से बन्द पड़े हुए हैं पर इनको हैण्ड पम्प से क्या इन्ट्रेस्ट? इनका तो इन्ट्रेस्ट यह था कि हैण्ड पम्प की योजना शुरू हो जाये ताकि यह अपनी मन्शा पूरी करलें चाहे उससे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो या नहीं हो। यहां पर मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक हैण्ड पम्प के खुदवाने में 20–25 हजार रुपये लगे हैं, हजारों हैण्ड पंम्प खुदवाये गये हैं उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इसकी इनको चिन्ता नहीं है कि वह चलें या नहीं चलें। आज भी विधान सभा में एक प्रश्न आया उसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इसमें घोटाला हुआ है। पर इसमें अपराध किसी ने किया और सजा किसी को मिल रही है यह बात अलग है, यह तो समय आने पर ही मैं इसकी यहां पर चर्चा करूंगा।

इसके अलावा यहां पर एक बात यह कही गयी कि 500 की आबादी वाले गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह और कमिटमेन्ट इन्होंने किया है। अब यह कमिटमेन्ट सिर्फ भाषण के लिये ही है तब तो कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसे कमिटमेन्ट तो पहले कई भाषणों में इन्होंने किये हैं पर इन्होंने बजट में कोई प्रोविधान नहीं किया है।

अब, सभापति महोदय, मैं थोड़ा चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सभापति महोदय, आज राजस्थान की सारी जनता जानती है कि राजस्थान में चिकित्सा की क्या हालत है, किस प्रकार चिकित्सा के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ, जन जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चिकित्सा के बारे में बजट स्टडी में आप देखें....

श्री सभापति : एक मिनट । आप विराजिये।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की
बैठक के निर्धारित समय वृद्धि

सदन की अनुमति से सदन का समय श्री महावीर प्रसाद का भाषण समाप्त हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

अब आप जल्दी समाप्त करें।

आय-व्यय पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, पिछले बजट भाषण में इन्होंने 12 चिकित्सा केन्द्र और 500 सौ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की थी लेकिन अस्पताल खोलने तो दूर रहे इन्होंने कुछ नहीं किया, जो दवाइयां हैं वह भी नकली मिल रही हैं। जो दवा दो रुपये की है वह 20 रुपये में बेची जा रही है। आज स्थिति यह है कि कोई भी पूछने वाला नहीं है। जनता को लूटा जा रहा है। आज दो रुपये की दवा के लिये 50 रुपये का प्रेस्क्रिप्शन लिख जाता है। इस प्रकार का इन्तजाम किया जा रहा है कि किसी प्रकार से मरीज जल्दी से जल्दी मर जाय और इनका परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल हो। इस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है। मरीज को दो रुपये की दवा के लिये 50 रुपये का प्रस्क्रिप्शन लिखा जाता है। पांच रुपये की दवा के लिये 50 रुपये एक्सरे के जनता द्वारा खर्च किये जाते हैं। यह व्यवस्था हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, चूंकि समय आज बहुत कम है, हालांकि आप बार बार घटी बजा रहे हैं पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ घोषणा करने वाले हैं और आगे कुछ भी करने वाले नहीं हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, स्कूलों के बारे में भी इन्होंने बजट भाषण में कहा है। नये 20 सूत्री कार्यक्रम में इन्होंने गांव गांव में शिक्षा और शिक्षा के प्रसार के लिये 44.94 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है, तीन हजार अध्यापकों को नियुक्ति देने की भी घोषणा की है। इस सदन में कई बार चर्चा भी हुई है कि इन्होंने 150 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। होता यह है कि जब एक अध्यापक छुट्टी चला जाता हो तो फिर बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने औपचारिक शिक्षा के लिये 7600 औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की घोषणा की है। औपचारिक शिक्षा नहीं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र 7600 खोलने की घोषणा की है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने एक भी अनौपचारिक केन्द्र को नहीं देखा होगा।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, इन्होंने 36 सालों में लोगों को साक्षर तो करके दिखाया नहीं है। इन्होंने लोगों को साक्षर करने की बात कही है और यह भी कहा है कि हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पर यह क्या-क्या कर सकते हैं। आज गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी स्कूल भवन जर्जर अवस्था में हैं बच्चे सड़क के किनारे या पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ते हैं। हालत यह है कि बरसात में उन बच्चों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। 300 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं पर आज स्थिति यह है कि 500 की आबादी वाली ढाणियों में भी प्राइमरी स्कूल नहीं है।

(5.00 म. प.)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समय बढ़ाया है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : थोड़ा सा और है।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्कूलों की जो घोषणायें की हैं, पिछली बार जो जो स्कूल आपने खोले वह कब खोले? बजट सत्र के अन्त में खोले और उनमें अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। बजट सत्र के अन्त में खोले तो किस प्रकार वह स्कूल चलेंगे, किस प्रकार प्रवेश मिलेगा, यह किसी को कोई ख्याल नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन करके और एक बात जरूरी है वह कहना चाहता हूं गरीब को छप्पर। बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जिसमें आपने प्राथमिकतायें दी हैं। इन्दिरा गांधी का बड़ा नाम किया और बीस सूत्री कार्यक्रम में राजीव गांधी और इन्दिरा गांधी को बड़ा लेपा है, बहुत पोता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या है? आपने नाम बदल दिये....

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : 1300 मकान बनवाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह मैं बता रहा हूं किस प्रकार के मकान बनवाये गड्ढे खुद गये, माननीय सभापति महोदय। टौंक पंचायत समिति में 260 गांव हैं इन 260 गांवों में गड्ढे खुदे हुए हैं और पता नहीं वह किस का इन्तजार कर रहे हैं। वहां पर कब्र खुदवा दी और पैसे का इन्तजाम नहीं किया। गरीब लोगों के घर तुड़वा दिये और गड्ढे खुदवा दिये जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो श्री श्रीरामजी लेना चाहते हैं, टौंक में आपने बाढ़ग्रस्त इलाके में हुडको का लोन दिलाकर कुछ लोगों को पैसे की सहायता दिलवाई लेकिन उसमें क्या हुआ? अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रावधान है कि 750 रुपये का उनको अनुदान दिया जाये। अनुसूचित जाति में 340 परिवार मेरे यहां आते हैं उनमें से एक को भी अनुदान

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं दिया, यह है इनकी हुडको की योजना। उनको ऋण नहीं दिया और उसके पहले तो किस्त काटना शुरू कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको गरीब को छप्पर योजना के तहत बताऊंगा 1981–82 में इन्होंने कहा था 30 हजार मकान यहां पर बनाये जायेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

1983-84 में 50 हजार परिवारों को भू-आवंटन करने की बात कही है। गरीबों के मकान बनाने की बात तो इन्होंने छोड़ दी और अब भू-आवंटन की बात कर दी। कहने का मतलब यह है कि इस बजट के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है और वैसे तो इस बजट को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती यह इस प्रकार का बजट है। यह इस प्रकार का बजट है कि इसको रद्दी की टोकरी में भी फेंक दिया जाये तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा। इस कांग्रेसी शासन में यदि कोई चीज बढ़ी है, यदि किसी का विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। कांग्रेस के सब माननीय सदस्यों ने संकल्प कर लिया है और सब ने एक बात धार ली है, आज प्रजातंत्र की झलक कहीं नजर आती है तो चुनावों के समय आती है जिस समय इनको वोट मांगने होते हैं उस समय जनता के सामने जाकर कहते हैं आप मालिक हैं, आप देश के मालिक हैं, आओ हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद पांच साल तक इनके सारे नेता और सारे अधिकारी मिलकर किस प्रकार इन गरीबों की चमड़ी खींचते हैं वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. माननीय सभापति महोदय, और उसका वर्णन इस सीमित टाइम में नहीं किया जा सकता आगे कभी अवसर आयेगा तब करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सदन के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता का आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार का कार्य और जिस प्रकार की धोखाधड़ी इस सरकार ने और इन लोगों ने की है, आओ इन लोगों को उखाड़कर फेंक दो।

इन्ही शब्दों के साथ, जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.06 बजे मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1984 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूची)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि० जयपुर

दिनांक 31-1-84 तक भण्डारों की तरफ बकाया की सूची

क्रमांक	नाम भण्डार	राशि
1.	सीकर सहकारी उपभोक्ता भण्डार	614.35
2.	सिरोही ,, ,,	11,201.59
3.	बीकानेर ,, ,,	1,40,342.98
4.	टोंक ,, ,,	53,756.36
5.	झालावाड़ ,, ,,	73,571.27
6.	उदयपुर ,, ,,	20,548.09
7.	गंगानगर ,, ,,	39,386.27
8.	बी०एन०के०ब्यावर ,, ,,	25,143.49
9.	पाली ,, ,,	4,553.37
10.	नागौर ,, ,,	37,835.53
11.	जालौर ,, ,,	4,374.37
12.	चूरू ,, ,,	65,494.97
13.	भरतपुर ,, ,,	1,595.98
14.	कोटा ,, ,,	4,102.25
15.	बूंदी ,, ,,	22,452.39
16.	सवाई माधोपुर ,, ,,	11,191.24
17.	पीलीबंगा ,, ,,	20,534.91
		5,36,520.25

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर

दिनांक 31–1–84 तक मार्केटिंग सोसायटियों की तरफ बकाया की सूची (मुख्यालय)

क्रमांक	नाम मार्केटिंग सोसायटी			राशि
1	2			3
1.	अलवर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी			69.91
2.	अन्ता	,,	,, ,,	3,968.09
3.	आसीन्द	,,	,, ,,	371.34
4.	बिजयनगर	,,	,, ,,	30,074.95
5.	कोटपूतली	,,	,, ,,	68,624.70
6.	टौंक	,,	,, ,,	84,743.84
7.	बारॉ	,,	,, ,,	14,046.43
8.	बेगून	,,	,, ,,	12,300.42
9.	बाड़ी	,,	,, ,,	66,287.58
10.	बूंदी	,,	,, ,,	55,039.19
11.	बालोतरा	,,	,, ,,	10982.49
12.	ब्यावर	,,	,, ,,	2,947.86
13.	भादरा	,,	,, ,,	25,646.38
14.	डूंडलोद	,,	,, ,,	6,386.65
15.	पीलीबंगा	,,	,, ,,	13,413.03
16.	सवाईमाधोपुर	,,	,, ,,	4,956.71
17.	सिरसी ग्राम सेवा सहकारी समिति			4,794.34
18.	नोखा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी			12,957.00
19.	करनपुर	,,		39102.12
20.	चौमू	,,		55,584.79
21.	जहाजपुर	,,		9,924.31
22.	जैतसर	,,		1,457.86
23.	रायपुर	,,		22,927:20
24.	कोटा	,,		49,073.31
25.	विकास	,,		8,622.01
26.	गोलवाला	,,		30.591.58
27.	बीकानेर कोलायत	,,		55,920 61

1	2	3
28.	वेरी वाला मार्केटिंग सोसायटी	10,428.53
29.	जैतरन ,,	10,180.36
30.	रावला ,,	15,342.17
31.	नागौर ,,	7,151.74
32.	सीकर ,,	477.97
33.	राजगढ़ ,,	17,334.00
34.	उनियारा ,,	1,926.00
		7,53,655.47

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर

दिनांक 31–1–84 तक समाज कल्याण विभाग की तरफ बकाया की सूची

क्रमांक 1	विभाग का नाम 2	राशि 3
1.	लेप्रोसी होम समाज कल्याण विभाग	4,924.84
2.	बालक गृह हथरोई फोर्ट	3,305.97
3.	महिला सदन	43,096.80
4.	सेवा सदन	108.10
5.	निदेशक समाज कल्याण विभाग	3650.00
6.	सम्प्रेषण गृह	10,903.44
7.	कुष्ठ रोग चिकित्सालय	2,187.00
8.	बालक गृह बापू नगर	2,334.19
9.	एस० टी० छात्रा बजाज नगर	3,890.72
10.	एस० टी छात्रा बगरू	2,197.97
11.	एस० टी० छात्रा राडावास	1151.80
12.	कन्या छात्रावास	1,484.76
13.	पालना गृह हीदा की मोरी	399.78
14.	पालना गृह आमेर रोड	518.30
15.	राजकीय छात्रावास महापुरा	325.37

(166)

1	2	3
16.	राजकीय छात्रावास सांभर लेक	2,840.68
17.	राजकीय छात्रावास कोटपूतली	298.21
18.	राजकीय विमुक्ति छात्रावास आदर्श नगर	702.72
19.	राजकीय छात्रावास दौसा	4,009.72
20.	राजकीय छात्रावास बगरू	1,987.12
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,1?,332.85
		2,02,650.34

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, जयपुर

देनदारियों की सूची

क्रमांक 1	विवरण 2	राशि 2
1.	एग्रोकोन इण्डिया	4,175.54
2.	एडवर्ड मिल्स	30,668.68
3.	यू०पी० हैण्डलूम	2,42,255.93
4.	टैक्सटाइल्स कारपोरेशन	11.66
5.	आर० के० फैब्रिक्स	10,021.73
6.	भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार, भीलवाड़ा	10,013.99
7.	माही सहकारी उपभोक्ता भण्डार	256.00
8.	जयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार	3.308.40
9.	अलवर सहकारी उपभोक्ता भण्डार	4,751.41
10.	रतनगढ़ सहकारी उपभोक्ता भण्डार	200.00
11.	राजस्थान यूनिवर्सिटी	161.25
12.	मालपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०	208.25
13.	खैरली ,, ,, ,, ,, ,,	190.00
14.	शिवगंज ,, ,, ,, ,, ,,	3,635.05
15.	रामगंज मंडी ,, ,, ,, ,,	6,381.80
16.	सूरतगढ़ ,, ,, ,, ,,	9,324.30
17.	डीग ,, ,, ,, ,,	2,925.78
18.	सरदारशहर ,, ,, ,, ,,	377.33

(167)

1	2	3
19.	आबूरोड क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०	7,380.77
20.	नसीराबाद ,, ,, ,, ,,	1,138.70
21.	पदमपुर ,, ,, ,, ,,	20,000.00
22.	केकड़ी ,, ,, ,, ,,	1,161.18
23.	अटरू ,, ,, ,, ,,	1,240.60
24.	सवाईमाधोपुर ,, ,, ,, ,,	6,431.13
25.	दौसा ,, ,, ,, ,,	36,168.22
26.	कुम्हेर ,, ,, ,, ,,	2,489.60
27.	बयाना ,, ,, ,, ,,	63.27
28.	संजीवन ,, ,, ,, ,,	10,001.53
29.	पोकरण ,, ,, ,, ,,	384.00
30.	गंगधर ,, ,, ,, ,,	400.00
31.	जैतपुरा ग्राम सेवा ,, ,, ,,	2,942.28
32.	बांसको ,, ,, ,, ,, ,,	3,780.98
33.	रामपुरा ,, ,, ,, ,, ,,	151.63
34.	कानोता ,, ,, ,, ,, ,,	3,989.04
35.	वस्सी ,, ,, ,, ,, ,,	2,857.80
36.	सुलतानपुर क्रय विक्रय ,, ,, ,,	1,426.26
37.	चितौड़गढ़ ,, ,, ,, ,, ,,	3,636.30
38.	निम्बाहेड़ा ,, ,, ,, ,, ,,	3,691.28
39.	कोटपूतली ,, ,, ,, ,, ,,	12,123.29
40.	केशोरायपाटन ,, ,, ,, ,,	1,164.21
41.	सांगोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०	4,600.60
42.	जालौर ,, ,, ,, ,, ,,	5,631.94
43.	गुलाबपुरा ,, ,, ,, ,, ,,	7,077.72
44.	आर०एस०सी० द्वितीय	1,008.02
45.	आर०एस०सी० प्रथम	2,340.41
46.	देवली क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०	4,960.82
47.	कामां ,, ,, ,, ,, ,,	960.00
48.	मंडावा ,, ,, ,, ,, ,,	1,744.00
		480691.74

सीमेन्ट बकाया सूची जिला जयपुर दिनांक 31-1-84 तक

क्रमांक	नाम स्टाकिस्ट	सीमेन्ट देने की तिथि	सीमेन्ट मात्रा	बकाया राशि
1.	मैसर्स हिमांशु ट्रेडर्स, जयपुर	21-10-82	25	7750.00
2.	मैसर्स गोगी ट्रेडर्स, जयपुर	11-10-82	15	1748.15
3.	,, मीना ट्रेडर्स, जयपुर	13-10-82	15	2805.23
4.	मैसर्स जयपुर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	19-11-82	26	17648.80
5.	मैसर्स गणेश ट्रेडर्स, जयपुर	19-11-82	26	17648.80
6.	मैसर्स अग्रवाल इन्टर प्राइजेज, जयपुर	28-1-83	15	1362.94
7.	मैसर्स कमलेश कुमार प्रदीपकुमार, लालसोट	27-6-81	42	1736.84
8.	मैसर्स रामस्वरूप प्रकाश चन्द, लालसोट	27-6-81	56	2850.73
9.	मैसर्स रामवतार रामगोपाल, चौमू	26-11-82	29	20699.93
10.	मैसर्स महावीर कुमार देवेन्द्रकुमार, संथल	2-1-83	36	295.92
11.	मैसर्स अग्रवाल सीमेन्ट ट्रेडर्स, कानोता	15-6-83	30	3085.31
12.	मैसर्स चाकसू क्रय विक्रय, चाकसू	26-6-83	120	73030.00
13.	मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स. बांसीकुई	29-6-83	60	138.00
14.	मैसर्स मिश्रा ब्रादर्स, सिधराम	29-6-83	69	21889.07
15.	मैसर्स राधेश्याम गुप्ता, सांगानेर	29-6-83	30	344.98
16.	मैसर्स विष्णु ट्रेडर्स, जयपुर	29-6-83	26	13897.40
17.	मैसर्स नारायण लाल डगायत, सांगानेर	21-4-83	65	2530.86
18.	मैसर्स किशन सहाय हनुमानबक्स, चौमूं	18-4-83	31	377.26
19.	मैसर्स वैद्य ट्रेडर्स, जयपुर	25-4-83	24	9805.00
20.	मैसर्स शास्त्री नगर सह. उप. भण्डार, जयपुर	2-9-83	148	13375.00
21.	मैसर्स चौमूं क्रय विक्रय, चौमूं	1-9-83	4140	23168.90
22.	मैसर्स जयपुर क्रय विक्रय, जयपुर	17-3-83	76	17395.61
			योग	251239.09

सीमेन्ट बकाया सूची जयपुर-जिला अधिकारी
सहकारी समितियां दिनांक 31-1-84

क्रमांक	नाम समिति	सीमेन्ट भेजने की तिथि	बकाया राशि.
1.	अचरोल क्रय विक्रय, अचरोल	24-6-81	83662.45
2.	पूतली ग्राम सेवा सह. समिति, कोटपूतली	3-11-80	100491.25
3.	रामपुराबाड़ी ग्राम सेवा. सहकारी समिति, रामपुरा डाबडी	17-5-81	148.99
4.	रेनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति, रेनवाल	11-6-81	898.31
5.	शाहपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, शाहपुरा	9-7-81	883.70
6.	सांगानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगानेर	17-12-79	473.29
7.	लालसोट किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति, लालसोट	17-12-79	1395.77
8.	जयपुर क्रय विक्रय, बस्सी	17-12-79	176.47
9.	बांदीकुई क्रय विक्रय बांदीकुई	26-6-81	1385.93
10.	सांभर क्रय विक्रय, सांभर	28-5-81	3448.72
		योग	192963.88

सीमेन्ट बकाया सूची

क्रमांक	जिला	नाम स्टाकिस्टस	सीमेन्ट भेजने की तिथि	मात्रा टनों में	बकाया राशि
1—	जैसलमेर	जैसलमेर सह. उप. भण्डार, जैसलमेर	27-6-83	135	13887.74
2—	धौलपुर	धौलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति, धौलपुर	25-10-82	90	1376.70
3—	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति, चित्तौडगढ़	13-6-83	40	80.00
4—	कोटा	विजय राम अशोक कुमार, कोटा	8-9-82	39	140.00
5—	बांसवाड़ा	क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्थान अनु०जन जाति निगम लि०, बांसवाड़ा	1-7-82	40	2400.00
				योग	17884.44

सीमेन्ट बकाया सूची जिला झुन्झुनू

क्रमांक नाम पार्टी	सीमेन्ट भेजने की तिथि	मात्रा टनों में	बकाया राशि
2—रवि लाइप इन्डस्ट्रीज, झुन्झुनू	30-11-82	....	300.00
2—सिकन्दर ट्रेडिंग कम्पनी, खेतड़ी	3-8 82	44	13873.00
3—नवलगढ़ सह. उप. भण्डार, नवलगढ़	7-8-82 7-9-82	30	30.00
4—संत कुमार कृष्णा कुमार, झुन्झुनू	16-12-81	50	15.00
5—तारा चन्द डालमिया, चिड़ावा	12-12-81	70	70.00
6—गुप्ता सीमेन्ट एजेन्सी, बम्बई	25-1-83	1.30	1166.09
7—झुन्झुनू जिला सह. उप. भण्डार लि., झुन्झुनू	8-12-82	85	15[illegible]00.00
8—सुभाष एण्ड कम्पनी, झुन्झुनू	24-6-83	45	480.00
9—मूलचन्द्र आशा राम बगड़, बगड	12-6-83	15	100.05
10—प्रग एजेन्सी, खेतड़ी नगर	24-6-83	75	875.00
11—हरीराम एण्ड कम्पनी, रीबाबगई	22-6-83	45	395.00
			32594.54

सीमेन्ट की बकाया सूची जिला नागौर 31-1-84

क्रमांक नाम पार्टी	सीमेन्ट भेजने की तिथि	मात्रा टनों में	बकाया राशि
1—एग्रो ..ल्स मैन्यूफैक्चरिंग सोसायटी लि. मेड़ता, सिटी	3-9-82	28	85.30
2—राजेश एण्ड कम्पनी, कुमेरा	7-9-82	42	791.20
3—अल्लाबक्श अब्दुल सत्तार, नागौर	28-11-82	42	1745.93
4—गोविन्द आयल, डीडवाना	10-9-81	28	196.00
5—एम. सी. लोटा, नागौर	30-6-83	197	1000.00
			3818.42

जिला जालौर दिनांक 31-1-84

क्रमांक नाम पार्टी	सीमेन्ट भेजने की तिथि	मात्रा टनों में	बकाया राशि
1—एग्रो सर्विस सेन्टर, सायला	6-9-82	45	2722,60
2—आशापुरी आयल सेन्टर, सायला	11-10-82	56	4120.15
			6842.75

सीमेन्ट की बकाया की सूची जिला उदयपुर 31–1–84

क्रमांक नाम पार्टी	सीमेन्ट भेजने की तिथि	मात्रा टनों में	बकाया राशि
1—मैसर्स लेम्पस	12–8–82	48	11736.00
2—श्रीनाथ द्वारा क्रय विक्रय, श्रीनाथद्वारा	25–11–82	36	192.00
3—विजय सीमेन्ट एजेन्सी आयड, उदयपुर	30–6–83	30	210.00
4—सालोर ग्राम सेवा सह. समिति, सालोर	30–6–83	24	1920.00
5—उदयपुर सह. उप. होलसेल भण्डार उदयपुर	30–6–83	60	8424.32
			22482.32
जिला श्री गंगानगर			
1—श्री करणपुर क्रय विक्रय, करणपुर	28–6–83	54	23037.22
2—पदमपुर क्रय विक्रय, पदमपुर	27–6–83	75	....
3—गंगानगर किसान क्रय विक्रय, श्री गंगानगर	1–7–83	212	55218.40
4—भादरा क्रय विक्रय, भादरा	24–11–82	143	
	6–1–83	90	131535-25
			209790.87

बकाया राशि सीमेन्ट पेटे जिला बीकानेर
दिनांक 31-1-84 तक

क्रमांक नाम पार्टी	मात्रा टनों में	सीमेन्ट भेजने की तिथि	राशि
1. बीकानेर सह. उप. होलसेल भण्डार, बीकानेर	150	30-6-83	31788.46
2. आर.पी. ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर	60	28-11-82	202.61
		योग	31991.07

जिला सीकर

1. मैसर्स हेमन्त एण्ड हेमन्त कम्पनी, खण्डेला	30	13-6-83	454.97
2. सीकर सह.उप. भण्डार, सीकर	90	5-8-82	13238·00
3. पवन कुमार एण्ड कम्पनी, दातारामगढ़	15	16-4-83	3998.00
4. नीमकाथाना क्रय विक्रय, नीमकाथाना	30	30-6-83	5236.32
5. महेशचन्द्र अग्रवाल, नीमकाथाना	15	30-6-83	35.78
6. गंगाबक्श मालीराम, पलसाना	15	28-4-83	5697.34
7. पूजा एण्ड कम्पनी, लोथल	15	18-4-83	3912.60
8. कमल सीमेन्ट एजेन्सी खायरिया वास	15	16-4-83	3998.00
			36571.01

जिला सवाईमाधोपुर

1. मैसर्स महुवा सह. उप. भण्डार, महुवा	28	9-7-82	1528.59
2. मण्डावर क्रय विक्रय, मण्डावर	24	27-8-82	837.34
3. गंगापुर क्रय विक्रय, गंगापुर	84	28-6-83	110.65
4. सवाईमाधोपुर जिला सह.उप. भण्डार सवाई माधोपुर	39	17-6-83	4994.40
5. राजस्थान सीमेन्ट एजेन्सी, सवाईमाधोपुर	36	17-6-83	1154.20
			28625.18

सीमेन्ट फैक्ट्रियों में बकाया राशि

31-1-84 तक

क्रमांक	नाम फैक्ट्री	राशि
1.	दी जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर	15000.00
2.	जे०के० सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	424426.00
3.	बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	52104.00
4.	लक्ष्मी सीमेन्ट, जेकेपुरम	16737.17
5.	ए०सी०सी०, लाखेरी	386839.47
		895106.84

नोट : ए०सी०सी लाखेरी फैक्ट्री से लगभग 335 टन सीमेन्ट के फैक्ट्री बिल भी प्राप्त होना बाकी है।

विभिन्न मदों की बकाया राशियां

1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि० जयपुर	133188.31
2.	जिला रसद अधिकारी, जयपुर जमानत पेटे	13000.00
3.	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, जयपुर जमानत पेटे	30000.00
		176188.31

बकाया देनदारियों का विवरण

1.	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, जयपुर पी. ई. एफ. के पेटे	111933.12
		111933.12

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०, मेडिकल ब्रांच, जयपुर

दिनांक 31.1.84 तक विभिन्न विभागों में बकाया राशि का विवरण

क्रमांक	नाम विभाग	रकम	जमा	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	ई.एस.आई. हास्पिटल एण्ड डिस्पेन्सरी	1,62,356.50	98,504.75	63,851.75
2.	सी.जी.एच.एस, जयपुर	7,36,732.07	1,45,672.33	5,91,059.74
3.	अधीक्षक बालक गृह समाज विभाग	122.42	—	122.42
4.	कमान्डेंट तृतीय बटालियन	3,003.03	—	3,003.04
5.	पी.एच.ई.डी. विभाग	22,908.21	—	22,908.21
6.	ड्रग इन्सपेक्टर	276.80	—	276.84
7.	मोबाइल सर्जिकल यूनिट	21,976.86	17,974.75	4,002.11
8.	सी.एम. एण्ड एच.ओ., प्रतापगढ़	14,389.05	—	14,389.05
9.	सी.एम. एण्ड एच.ओ., कोटा	28,159.31	6,406.40	21,752.91
10.	लेप्रोसी गृह समाज कल्याण विभाग	144.34	—	144.34
11.	मेन्टल हास्पिटल	4,253 00	3,737.00	516.00

12.	जोइन्ट हास्पिटल; बीकानेर	88,719.24	34,845.30	53,873.94
13	अधीसिका जनाना अस्पताल, जयपुर	1,17,500.62	88,586.81	28,913.81
14.	सव एण्ड एच.ओ.पी.एम., जयपुर	--	--	—
15.	प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शनर्स, कार्यालय	1,04,636.33	--	1,04,636.33
16.	सी.एम. एण्ड एच. ओ., जयपुर	49,834.21	20,225.88	29,608.33
17.	सेन्ट्रल जेल, जयपुर	3,563.25	2,587.98	925.27
18.	लेप्रोसी हास्पिटल, जयपुर	203.14	--	203.14
19.	आई.ए.सी. बटालियन	1,844.25	--	1,844.25
20.	पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ	15,713.27	--	15,713.27
21.	आइसोलेसन हास्पिटल	765.60	386.60	459.00
22.	टी०बी०सेन्टर	2,478.12	--	2,478.12
23.	सी.एम.एच.ओ., सीकर	59.35	--	59.36
24.	अधीक्षक अस्पताल, जोधपुर	6,984.88	6,977.90	6.98
25.	सी.एम.एच.ओ. भीलवाड़ा	2,059.32	--	2,059.32
26.	गुलाटी मेडिकल स्टोर, सादुलपुर	2,376.99	--	2,376.99
27.	प्राचार्य, आर. पी. ए., जयपुर	784.76	--	784.76
28.	अधीक्षक एस.एम.एस.	23,530.34	14,722.85	8,807.49
29.	सी. एम. एच. ओ., झालावाड़	19,495.95	19,495.95	—

177

1	2	3	4	5
30.	सी. एम. एच. ओं, पाली	13,854.10	13,824.40	29.70
31.	,, ,, ब्यावर	4,928.00	4,620.00	308.00
32.	,, ,, अजमेर	29,903.37	—	29,903.37
				10,05.076.83

नोट :—प्रशासनिक अधिकारी पेन्शनर्स कार्यालय से माह फरवरी, 84 के प्रथम सप्ताह में 1,000/- रु. का चैक प्राप्त हो गया है।

प्रभारी अधिकारी,
मेडिकल ब्रांच, जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०,
मेडिकल ब्रांच

(देनदारियां 31-1-84)

क्र.सं.	नाम फर्म	राशि
1.	मैसर्स मनीष फार्मा	98268.81
2.	मैसर्स सन्त मेडीकोज	25903.25
		1,24,172.06

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ नि०, जयपुर
उपहार

बकाया सूची दिनांक 31-1-1984 तक

क्र.सं.	पास बुक नं.	विभाग/संस्था का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	3	महानिरीक्षक, पुलिस राज., जयपुर	780.00
2.	9	प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा	1,064.40
3.	12	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3, जयपुर, जि., जयपुर	363.00
4.	13	,, ,, क्रम-4, ,, ,, ,,	994.97
5.	14	अधीक्षण अभि. एवं तकनीकी सहायक, प्रथम, जन. स्वा. अभि.	3,359.28
6.	17	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय	2,597.20
7.	18	लेखाधिकारी, सेर्वे एवं जांच, रा.वि. म.	3,065.30
8.	19	कार्यालय अधि. अभि. विश्व बैंक, निर्माण खंड. जन. स्वा. अभि. विभाग, जयपुर	906.35
9.	20	भारतीय खाद्य निगम, जयपुर	7,290.20
10.	22	मुख्य नगर-नियोजन एवं वास्तविक सलाहकार	607.60

1	2	3	4
11.	24	वित्त सलाहकार एवं कन्ट्रोलर आफ एकाउन्टस, रा० वि० म०	17,275.55
12.	26	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर	644.00
13.	27	निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	1,042.00
14.	29	आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन	304.00
15.	32	आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग	1,355.20
16.	34	हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट	1,111.82
17.	35	मुख्य अंकेक्षक, आयकर	913.90
18.	39	अति. महाप्रबन्धक प्रशासक, रा.रा.प.प. निगम	8,222.60
19.	40	अधीक्षक, जनाना अस्पताल	7,447.62
20.	41	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र आयुर्वेद	2,642.08
21.	42	सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी (प्लान)	1,471.63
22.	44	उपनिदेशक कृषि विस्तार	2,007.90
23.	45	होटल जयपुर अशोका	1,552.12
24.	46	डिप्टी सी.एम.एच.ओ. (एफ डब्लू-1)	1,112.90
25.	47	अधी. अभि. जयपुर वृत (भूजल विभाग)	216 30
26.	49	नेशनल आरचीव आफ इण्डिया, रिकार्ड सेन्टर	172.20
27.	50	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग	14,007.60
28.	52	अधि. अभि. योजना एवं परियोजना वृत रा.वि.म.	13,155.56
29.	56	सर्वे आफ इण्डिया	16,752.73
30.	58	आवासीय चिकित्सा अधि. आरोग्य शाला आयु. संस्थान	2,770.25
31.	59	निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें (ई.एस.आई.)	224 00
32.	65	राज. स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन	205.10
33.	66	लेखाधिकारी राज. हाउसिंग बोर्ड	1,852.50
34.	67	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादक शुल्क मण्डल	1,736.86
35.	68	शासन सचिवालय, जयपुर	4,106.80
36.	69	अधि. अभि. मोनेटर सेल-1, जन. स्वा. अभि. विभाग	526.55
37.	71	उपायुक्त प्रशासन द्वितीय वाणिज्य कर	1,186.16
38.	72	राज. स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन	7,197.99
39.	73	राजस्थान खादी बोर्ड	14,534.94

1	2	3	4
40.	74	व्यवस्थापक जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ	2,767.36
41.	75	ओ.एस.डी. कृषि भूमि रूपांतरण	2,057.11
42.	76	राजस्थान वित्त निगम	213.35
43.	78	निदेशक, राज. बीज निगम	332.00
44.	82	निदेशक, मूल्यांकन संगठन	350.70
45.	83	अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय चिकित्सालय	467.50
46.	86	को. आपरेटिव यूनियन	2,784.19
47.	87	विशिष्ट पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	172.50
48.	88	मैनेजर सर्किट हाउस	22,085.55
49.	89	स्टेशन निदेशक, कार्मशियल ब्राडकास्टिंग सर्विस ए. आई. आर	337.00
50.	90	म्यूनिसपल कोन्सिल	61,067.29
51.	91	राज. रा. सह. भूमि विकास बैंक	3,317.85
52.	92	निदेशक, ए.एम.एस. ईविर जी.एस.आई.	688.16
53.	93	केमिकल्स एक्जामिनल एम. एम. एस. हास्पिटल	1,792.00
54.	95	राज. पर्यटन निगम	1,700.86
55.	97	सहायक अधीक्षिक बालिका गृह सामाज कल्याण विभाग	2,835.00
56.	98	अतिरिक्त जिलाधीश, विकास लघु कृषक विकास अभिकरण	449.00
57.	99	उपनिदेशक, उप. प्रादेशिक नियोजन कार्यालय	528.00
58.	100	उग्राम उधार योजना पशुपालन विभाग	78.00
59.	101	डिप्टी डायरेक्टर, स्टेट पुलिस वायरलस	371.74
60.	103	महाप्रबन्धक, जयपुर मिल्स सप्लाई स्कीम.	16,419.85
61.	104	उपनिदेशक यू.एफ.एफ.पी.ए. प्रोजेक्ट चिकित्सा स्वा. सेवाएं	747.82
62.	105	मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं वायरलस	479.98
63.	106	ओ.सी. सप्लाई डिपो ए.एस.सी.	6,112.38
64.	107	अधीक्षक, जे.के. लोन अस्पताल	3,85 .71
65.	108	सचिव, राज्यपाल राजस्थान	6,018.56
66.	109	हैण्डीक्राफ्टस मार्केटिंग सर्विस एकसटेंशन सेन्टर	711.16
67.	114	निदेशालय, जिला गजेटि	62.25
68.	115	उपनिदेशक, पौध संरक्षण कृषि विभाग	443.70
9.	116	उद्यान विशा. सार्वजनिक निर्माण विभाग	168.40

1	2	3	4
70.	118	अधीक्षक एवं तकनीकी सहायक–II सी. एफ. पी. एच. ई. डी.	3,985.17
71.	119	पागलखाना अस्पताल	2,178.50
72.	120	रजिस्ट्रार होमियोपैथिक बोर्ड	1,896.82
73.	122	प्रोजेक्ट निदेशक, सहकारी समितियाँ राज. जयपुर	167.00
74.	124	अधि. अभि. विश्व बैंक शहरी पी.एच.ई.डी.	6,033.49
75.	125	प्रधानाचार्य, जन. स्व. प्रशि. संस्थान	1,039.00
76.	126	अधि.अभि. सर्वे एवं अनुसंधान रा. वि. म.	5,165.16
77.	127	सहायक आयुक्त, देव स्थान	2,575.00
78.	128	राज. रा. सह. उप. संघ लि.,	1,[illegible]71.36
79.	131	उप निदेशक (तृतीय) सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर	147.00
80.	132	भू–प्रबन्धक आयुक्त	730.20
81.	134	मुख्य मेडिकल आफिसर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं	4,271.10
82.	135	अधीक्षक मेन्टीनेंस स्टोर, केन्द्रीय कारागार	2,858.25
83.	136	पुलिस सुरक्षा एवं ट्रेनिंग स्कूल (विशेष शाखा) राज. पुलिस अकादमी	232.60
84.	138	प्रधानाचार्य, इण्डस्ट्रीज ट्रेनिंग सेन्टर	2,587.87
85.	139	निदेशक (ड्रिलिंग) डब्लू ओ. आर. जियालाजिकल सर्वे आफ इण्डियाँ	208.20
86.	141	नेशनल सीड्स कारपोरेशन	578.63
87.	142	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक–ख) अनु० सचिवालय	5,859.02
88.	143	विधान सभा, शासन सचिवालय	5,254.10
89.	145	उद्योग निदेशालय	63.60
90.	147	निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति	76.50
91.	148	सहा. अभि. ओ. एण्ड एम. रां. वि. म. सांगानेर	894.35
92.	150	आयकर अपीलेंट ट्रिब्यूनल	25.00
93.	152	लेखाधिकारी, जे.पी.डी.सी. रा.वि.म.	5,974.20
94.	155	टी.ए. टू सुपरिटेण्डिग इंजीनियर, पी.एम.टी. सिविल सर्कल	222.05
95.	155	समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क	4[illegible]4.45

1	2	3	4
96.	156	मेडिकल ऑफिसर, लेप्रोसी हास्पिटल	4,525.90
97.	158	जिलाधीश (सहायता) जिलाधीश कार्यालय, जयपुर	290.40
98.	159	राज० पंचायत एवं शासन अधीनस्थ सेवा आयोग	587.80
99.	160	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	267.75
100.	161	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राज.	10,199.32
101.	162	मौसम केन्द्र	1,186.38
10[illegible].	163	उप समादेष्टा गृह रक्षा प्रशि. केन्द्र	399.25
103.	164	सहायक अभि.ओ. एण्ड एम.रा.वि.म., वी.के.आई.	371.28
104.	165	क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियां, जयपुर	969.50
105.	170	अधि. अभि. प्रोक्यूरेंट–1 रा.वि.म.	7,73,842.49
106.	171	संयुक्त निदेशक, प्राथमिक पशु चिकित्सा जेविक इकाई	642.50
107.	173	डिप्टी सी.एम.एच.ओ, एफ डब्लू–11	932.46
108.	177	संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र	180.65
109.	100	जिला आबकारी अधिकारी, ग्रामीण	1,086.40
110.	101	सहकारी पशु आहार फैक्ट्री	2,956.79
111.	102	पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. विशेष शाखा	4,221.84
112.	103	यातायात विभाग	4,188.10
113.	104	टी.ए.टू एस सी. (टी.सी.सी.)–111, रा.वि.म.	968.20
114.	187	महाप्रबन्धक, दूर संचार परिमंडल	1,315.52
115.	193	उप निदेशक, हरिशचन्द माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान	341.00
116.	195	नेहरू पार्क केन्द्र	917.50
117.	196	सहा. अभि., मानेटिंग पी.एच.ई.डी.	2,589.75
118.	197	सहायक भविष्य निधि आयुक्त	3,289.39
119.	199	राजस्थान वित्त निगम प्रधान कार्यालय	1,157.15
120.	200	रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर	7,462.87
121.	201	उपनिदेशक, कृषि (सांख्यकी)	214.88
122.	202	अधि. अभि. योजना एवं अभिरूप, पी.एच.ई.डी.	2,574.32
123.	203	राज. स्टेट इण्डिस्ट्रीयल को. बैंक	911.85
124.	206	सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक	113.60
125.	207	जिलाधीश (स्टोर), जयपुर	7,369.84
126.	212	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,	419.22
127.	214	प्रभारी अधिकारी–83 भारतीय सर्वेक्षण विभाग	106.80
128.	215	लेखाधिकारी, आन्तरिक अंकेक्षक, रा.वि.म.	338.00

1	2	3	4
129.	216	वरिष्ठ जल भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान भूजल विभाग	125.65
130.	218	कृषि केमिस्ट, यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर, दुर्गापुरा	3,699.46
131.	220	सहायक निदेशक, कृषि भूजल सर्वेक्षण	252.95
132.	222	तकनीकी सलाहकार, रा. उपक्रम विभाग	32.20
133.	223	उपमुख्य नियंत्रण, आयात निर्यात	1,374.90
134.	224	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा. संगठन रा.रा. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक	499.90
135.	226	अन्तर राजकीय वेतार पुलिस सेवा	310.00
136.	227	क्षेत्रीय अधिकारी, पशुपालन निदेशालय	307.50
137.	231	अधि.अभि.ओ. एण्ड एम.,रा.वि.म.	1,417.68
138.	233	श्रम आयुक्त राज, जयपुर	610.87
139.	235	निदेशक पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र	7,451.00
140.	238	मुख्य परियोजना अधिकारी एवं पदेन सचिव पुनर्वास विभाग	2,030.17
141.	243	सहायक अभियंता, आर.ई.सी.रा.वि.म.	298.90
142.	244	अधि. अभि. सिंचाई आधुनिकरण खण्ड	1,879.25
143.	245	वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत–2	63.75
144.	246	भू सर्वेक्षण अधिकारी, कृषि विभाग	985.40
145.	251	अधीक्षक, गार्डन रामनिवास बाग	3,145.00
146.	252	अधि. अभि. भवन व पथ सार्वजनिक नि. विभाग वृत–2	60.00
147.	253	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा	132.00
148.	254	अधि. कृषि उपज मंडल समिति अनाज–अ	1,463.56
149.	255	समाज कल्याण विभाग	463.64
150.	257	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–अ	74.90
151.	258	प्रधानाचार्य, सेठ आनन्दीलाल पोद्दार मूक संस्थान	1,055.23
152.	259	निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला	1,482.85
153.	260	राजस्थान को-आरेटिय डेयरी फैडरेशन	7,2 0.95
154.	263	राज० नहर मंडल	295.40
155.	264	प्रशासनिक अधिकारी, पशुपालन विभाग	782.95
156.	265	अधि. अभि. पी. एल. सी डी.–(रा.वि.म.)	216.00
157.	267	सहायक निदेशक, कर्मचारी निदेशक दूर संचार	1,024.10
158.	269	प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर	3,027.90

1	2	3	4
159	270	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध)	1,652.26
160	272	वाणिज्य कर अधिकारी ई सर्किल	500.00
161	273	आयकर अधिकारी स्पेशल सर्वे सर्किल	227.17
162	274	स्टेशन निदेशक, आल इण्डिया रेडियो	2,728.50
163	276	अधि. अभि. पी. डब्लू डी.	5,493.60
164	277	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	3,493.60
165	278	स्पेशल आडिटर को-आपरेटिव सोसायटी	100,00
166	200	सहा. निदेशक–1 नगर भूमि एवं भवन कर विभाग	363.80
167	202	सहा. अभि., रा.वि.म., आमेर	39.40
168	206	राज.को-आपरेटिव ट्रेनिंग बोर्ड	1,739.75
169	287	कर वसूली अधिकारी, आयकर	75.20
170	289	प्रिन्सीपल एस, एम, एस, मेडिकल कालेज	3,200,25
171	290	निदेशक, सामान भारतीय भू० वैज्ञानिक सर्वेक्षण क्षे०	1,891.90
172	292	मुख्य लेखा अधिकारी राजस्थान	174.05
173	294	सहायक निदेशक राज. रिसर्च इन्स्टीटयूट आयुर्वेद	261.60
174	296	राज. भूमि विकास कारपोरेशन	103.40
175	290	ई. एस. आई नं. 7	126.60
176	300	अति. जुडिशियल मजिस्ट्रेट ईस्ट जयपुर सिटी	210.95
177	301	न्यायिक मजिस्ट्रेट नं० 5	68.87
178	303	उपनिदेशक, कृषि तिलहन	152.60
179	305	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	2,205.50
180	308	न्यायिक मजिस्ट्रेट नं० 11	1,432.40
181.	309	खाद्य विभाग, भारत सरकार	4,042.00
182.	310	सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय	1,761.72
183.	312	अधि. अभि.–1 पी. एच. ई. डी.	1,389.00
184.	313	सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें (पुरुष)	2,852.46
185.	314	सहायक निदेशक, खाद्य एवं चारा विभाग	61.50
186.	315	पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर	2,654.19
187.	317	भू प्रवन्धक, अधिकारी	434.20
188.	324	बुनकर सेवा संघ	47.74
189.	325	अतिरिक्त रजिट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय	1,278.35
190.	326	प्रधानाचार्य, भेड एवं ऊन संस्थान	735.20
191.	327	एन. सी. सी. एफ. जयपुर	7,675.42

(कै)

1	2	3	4
192.	320	सहायक निदेशक, स्टेट लाटरीज	2,830.94
193.	332	रीको	889.25
194.	333	अधी. अभि. (प्रोकक्यूमेंट) रा.वि.म.	1,533 30
195.	339	समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	2,343.29
196	342	लिक्यूटेटर एटेच्च टू राज० हाईकोर्ट, जयपुर	123.24
197.	343	परि. अधि. जयपुर दुग्ध उत्पादक स. समिति	968.10
198.	344	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मलेरिया	198.00
199	346	अधी. अभि. राज० राज्य कृषि विपणन बोर्ड	2,292.80
200.	347	लेखाधिकारी ए. ओ. सी. डी. एम्पलाइज प्राविडेंट फण्ड	68.48
201.	350	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर	1,315.00
202.	351	सेठ सूरतमल बम्बई वाला अस्पताल	15,420.30
203.	354	भारतीय खाद्य निगम (डिविजनल मैनेजर)	821.50
204	355	सहा. अभि. एस. डी.–I रा. वि. म.	1,72,698.47
205.	357	उप विकास आयुक्त प्रशासन–I, सामुदायिक विकास पंचायत	787.60
206.	359	राजस्थान सिविल सेवा अपील	987.00
207.	361	यूनिवर्सिटी एम्पलाइज यूनियन	3,340.70
208.	366	सहायक निदेशक–II भूमि एवं भवन कर	498.05
209.	367	प्राचार्य राज. महिला पोलीटेक्निक विद्यालय	288.30
210.	368	वरिष्ठ चिकित्सक यूनानी चिकित्सालय	177.00
211.	371	आबकारी अधिकारी निरोधक दल	2,324.00
212.	373	मत्स्य विकास अधिकारी	906.60
213.	374	अधी. अभि. जिला संभाग–II रा. वि. म.	3,112.60
214.	375	उपनिदेशक अपील्स नगर भूमि एवं भवन कर	286.75
215.	376	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग–10	332.06
216.	377	सहायक निदेशक (प्रशासक) भेड़ व ऊन निदेशालय	3,264.32
217.	381	वनस्पति विशेषज्ञ पौध प्रशिक्षण कृषि विभाग	84.00
218.	384	ए. ई. एन. ओ. एण्ड एम. रा. वि. म.	984.84
219.	389	तहसीलदार भू अभिलेख, जयपुर	200.75
220.	395	संस्थापन अधिकारी, रा. वि. म.	4,680.[illegible]2
221.	399	जिलाधीश पूल	210.45
222.	402	कमाण्डेंडेट–II बटालियन आर. ए. सी.	701.75
223.	405	निदेशक विजीलेन्स (वन)	2,813.42
224.	408	सहायक अभि. 132 के. वी. जी. एस. एस. ओ. एण्ड एम., रा. वि. म.	1,636.00

1	2	3	4
225.	410	जिला क्षय चिकित्सा अधिकारी जि. क्षय निवारण	1,148.45
226.	412	अधी. सवाई मानसिंह चिकित्सालय	9,098.00
227.	415	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	456.80
228.	416	तकनीकी सहायक अति. मुख्य अभि. (यांत्रिक) पी. एच. ई. डी.	1,163.00
229.	418	कार्यालय अधि. अभि. पी. एच. ई. डी.	6,843.18
230.	420	सहा. अभि. आर. ई. सी., रा. वि. म., दूदू	1,679.25
231.	422	अधी. अभि. डी. डी.–I, रा. वि. म.	400.00
232.	428	अधीक्षिका शिशु गृह समाज कल्याण विभाग	6,316.50
233.	434	राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय	1,458.52
234.	436	अति. शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सांभरलेक	225.71
235.	439	अधी. राज्य महिला सदन	646.87
236.	443	निदेशक स्थानीय निकाय	1,800.70
237.	446	सहायक विपणन अधिकारी विपणन बोर्ड	1,924.05
238.	450	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	455.24
239.	451	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 16	1,159.10
240.	455	एग्रोनोमिस्ट सिंचाई खण्ड	1,823.00
241.	458	निदेशक इन्स्टीट्यूट आफ डवलपमेंट स्टेटरीज	1,967.63
242.	459	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य बीमा–I	958.41
243.	462	प्रिन्सिपल महारानी कालेज	464.00
244.	464	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	407.00
245.	468	सहायक अभि. ओ. एण्ड ऐम., रा. वि. म.	955.09
246.	470	राज. को. डेयरी फैडरेशन	6,121.16
247.	471	सहायक अभि. ओ. एण्ड एम. रा. वि. म. झांकरोटा	1,924.58
248.	476	मार्केटिंग आफिसर सब आफिस, निदेशक आफ निरीक्षण	760.00
249.	472	टी. ए. टू. एस. ई ट्रांसमिशन सर्किल–I रा. वि. म.	1,993.60
250.	485	अधी. अभि सिविल सिविल रिकार्ड सेन्टर विंग ए. आई. आर.	703.19
251.	486	स्टेट हैल्थ एजूकेशन ब्यूरो स्वास्थ्य सेवायें	1,112.48
252.	488	कोर्ट आफ अति, मजिस्ट्रेट जूडिशियल मजिस्ट्रेट–2	701.65
253.	489	एग्रोनोमिस्ट, यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर दुर्गापुरा	977.90

1	2	3	4
254.	495	निदेशक (डोरिज) डेयरी डिवीजन, जियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया	1,932.92
255.	496	जूडिशियल मजिस्ट्रेट नं0 3	549.35
256.	498	सहा. पब्लिक प्रोसिसटेक्टर -I	608.42
257.	501	लेखाधिकारी कृषि सी. आर. स्पेशल स्कीम आगनाइजर	961.90
258.	502	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी -8	531.17
269.	504	जयपुर विकास प्राधिकरण	25,841.22
260.	506	अति. जिला मजिस्ट्रेट, भूमि रूपांतरण	1,077.52
261.	511	अति. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर	830.35
262.	512	सचिव, राज. ललित कला अकादमी	4,279.12
263.	513	अधी. संप्रेक्षण समाज कल्याण विभाग	1,505.98
264.	516	अधीक्षक स्टेट इन्श्योरन्स अस्पताल	6,965.24
265.	521	अति. जूडिशियल एवं अति. मजि. स्पेशल	784.75
266.	524	स्वास्थ्य एवं गृह वेलफेयर सोसायटी	2,603.55
267.	625	अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट	529.00
268.	529	फार्म इन्चार्ज यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर कृषि रिसर्च स्टेशन	1,914.20
269.	536	महालेखाकार राज. जयपुर	2,710.25
270.	546	अधी. अभि. राज. वि. म.	16,551.50
271.	547	एग्रोनोमिस्ट (कार्य) एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, दुर्गापुरा	1,276.66
272.	550	उप मुख्य इंजीनियर मिनी मकोहाडल, रा. वि. म.	2,543.48
273.	557	सहा. अभि. आ. इ. सी., रा. वि. म. लालसोट	1,473.12
274.	558	अधी. अभि. ओ. एण्ड एम. रा. वि. म. टोंक	31,318.35
275.	564	बिजली निरीक्षक, राज्य सरकार	1,178.44
276.	569	स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल	4,853.39
277.	572	इकानामिक वोटनिस्ट (आयल सीड) कृषि निरीक्षक	956.25
278.	573	गेहूं विशेषज्ञ, दुर्गापुरा	510.90
279.	582	मुख्य अभियन्ता सिंचाई	3,312.50
280.	583	सेन्टर एक्साइज एवं कस्टम कैन्टीन	8,460.15
281.	591	कृषि उपज समिति दुर्गापुरा	1,972.34
282.	589	म्यूनिसिपल कौंसिल (स्टेशनरी स्टोर) सेन्ट्रल	2,190.47
283.	597	राज. संगीत संस्थान	719.88
284.	598	अति. एण्ड जिला सेशन जज कोर्ट -2	511.08

1	2	3	4
285.	613	अधी. अभि. सिटी –2 रा. वि. म.	1,949.75
286.	615	प्रोजेक्ट आफिसर चीफ प्रोजेक्ट	3,625.26
287.	629	अधी. अभि. 423 के. वी., रा. वि. म.	4,763.24
288.	633	रिटायरिंग आफिसर, सी. सी. जे. एम. सलेक्शन	8,342.24
289.	635	सहा. अभि. ओ. एण्ड एम. मालपुरा	3,798.68
290.	639	सहा. अभि. आर. ई. सी., रा. वि. म. बांदीकुई	1,131.00
291.	644	राज. स्टेट भारत स्काउट हैडक्वार्टर	1,523.25
292.	652	सीड्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर	1,429.60
293.	659	सुखाडिया एग्रीकल्चर सेन्टर, दुर्गापुरा	3,847.15
294.	668	टौंक सह· जिला भूमि विकास बैंक, टौंक	7,990,22
			17,20,366.96
295.		राज, राज्य पथ परिवहन निगम	44,000.00
			17,64,366.96

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 उपहार, जयपुर।

बकाया सूची जयपुर के बाहर की

क्र. 1	नाम विभाग 2	राशि 3
1.	अधी. अभि. विश्व बैंक, पी. एच. ई. डी., सीकर	10,954.64
2.	टौंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, टौंक	5,641.10
3.	नगर पालिका, फुलेरा	702.18
4.	सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सीकर	14,467.96
5.	मेडिकल अधिकारी, एस. आर. बी. बी. एण्ड आर., उदयपुर	188.20
6.	जिला भेड़ एवं ऊन अधिकारी, सीकर	3,045.00
7.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शेरगढ़, जोधपुर	25,618.68
8.	जिलाधीश, सीकर	904.78

1	2	3
9.	नगर पालिका, करौली	2,159.84
10.	भेड़ प्रजनन अधिकारी,	1,836.00
11.	सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सीकर	11,551.25
12.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, बून्दी	5,241.50
13.	अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार	21,564.87
14.	नगर परिषद, गंगानगर	11,434.50
15.	नगरपालिका, सुमेरपुर	24,897.60
16.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सोदाशपुरा	3,732.80
17.	नगर परिषद, भरतपुर	40,744.80
18.	जालौर होलसेल भंडार, जालौर	450.00
19.	सहायक अभियन्ता, राज. राज्य विद्युत मंडल, सीकर	959.11
20.	नगर पालिका, हनुमानगढ़	2,686.63
21.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, झुन्झुनू	297.00
22.	अधी. अभि. एस. सी., सीकर	880.00
23.	नगर पालिका, सांगानेर	1,980.00
24.	नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	5,491.70
25.	जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1,870.00
26.	नगरपालिका, रायसिंह नगर	4,268.00
27.	अधी. अभियन्ता, रा. वि. म., टोंक	1,980.00
28.	झुन्झुनू सहकारी विकास बैंक	850.00
29.	कोटा थर्मल प्रोजेक्ट, कोटा	4,170.00
30.	अति. जिला विकास जिलाधीश, झालावाड़	18,987.15
31.	सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली	1,620.00
32.	नगर परिषद, पाली	22,129.52
33.	राजकीय कालेज, गंगानगर	2,582.00
34.	अधी. अभि. पी. एच. ई. डी., बीकानेर	4,317.15
35.	अधी. अभि. रा. वि. म., कोटा	27,986.00
36.	सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, टोंक	8,783.35
37.	जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा संस्थायें, सिरोही	5,575.00
38.	अधी. अभि. पी. एच. ई. डी. चूरू	2,780.92
39.	,, ,, ,, डूंगरपुर	27,07[illegible].24
40.	नगर परिषद, कोटा	4,169.52
41.	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, फलौदी	974.00

1	2	3
42.	चूरू सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, चूरू	2,342.52
43.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रादे. शिक्षा, गंगानगर	31,850.00
44.	जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्था, झालावाड़	5,173.00
45.	रामसिंह नगर क्रय विक्रय सहकारी समिति, रायसिंहनगर	8,570.00
46.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा, सीकर	31,918.62
47.	प्रधानाध्यापक उ. मा. विद्यालय, समदड़ी, बाड़मेर	4,970.00
48.	सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, कोटा	2,200.00
49.	उप. जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर	1,800.00
50.	प्रयोजना अधिकारी, डी. आर. डी. ए., सवाई माधोपुर	6,904.96
51.	नगर पालिका, चूरू	4,074.00
52.	नगर पालिका, शिवगंज	1,984.50
53.	नगर परिषद्, बीकानेर	2,134.00
54.	कगर पालिका रतनगढ़	1,940.00
55.	नगर पालिका, पिण्डवाड़ा	3,969.00
56.	प्रधानाचार्य-आई. टी. आई., कोटा	4,968.00
57.	,, रा. उ. मा. वि., रानी (पाली)	4,002.00
58.	नगर पालिका, भीनमाल	1,940.00
59.	नगर पालिका, नरेना	3,134.00
60.	एस. बी. डी. विश्वविद्यालय, सरदारशहर	5,893.00
61.	नगर पालिका, भीलवाड़ा	5,420.00
62.	चूरू जिला सह. दुग्ध उत्पादन संघ, सरदारशहर	1,829.16
63.	नगर पालिका, सरदार शहर, चूरू	1,940.00
64.	नगर परिषद, अजमेर	9,700.00
65.	नगर पालिका, जोधपुर	9,700.00
66.	नगर पालिक, खैरथल	3,939.76
67.	नगर पालिका, किशनगढ़	1,399.68
68.	एस. ई. (निर्माण) आर. एस. ई. बी., जोधपुर	95,060.00
69.	नगर पालिका, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	2,767.00
70.	नगर पालिका, विराट नगर	1,940.00
71.	नगर पालिका, आदरा	6,204.16
72.	परियोजना अधिकारी एवं पदेन, मूर्तिकला परिषद, सीकर	2,390.00
73.	नगर पालिका, कोटवाड़ा	4,980.00
74.	डी. एफ. ओ. करौली	19,608.00

192

1	2	3
75.	सचिव, कृषि उपज मंडी, मंडावर	6,932.40
76	जनजाति विकास सह. संघ, उदयपुर	42,489.00
77.	सहा. अभि. डी. एल. डी. सी.-III, रा. वि. म., अलवर	5,000.00
78.	परि. अधिकारी, जालौर, सह. भूमि विकास बैंक, जालौर	6,227.01
79.	नगर पालिका, अनूपगढ़	1,940.00
80.	नगर पालिका, मुकुन्दगढ़	25,148.40
81.	अधी. अभि. पी डब्ल्यू. डी., सवाई माधोपुर	12,730.00
82.	अधी. अभि. ओ. एण्ड एम., रा. वि. म., बून्दी	8,815.00
83.	जिलाधीश, बांसवाड़ा	2,325.43
84.	नगर पालिका, सलूम्बर	1,984.50
85.	बाल विकास परियोजना अधिकारी समाज कल्याण विभाग, जोधपुर	4,900.00
		7,56,682.79

RAJASTHAN RAJAY SAHKARI UPBHOKTA SANGH LTD,

UPHAR Jaipur.

List of Creditors as on 31.1.84

S. No. 1	NAME OF PARTIES 2	BILL NO. 3	DATE 4	AMOUNT 5
1.	Popli Bros, (regd.)	4007	4,6.83	732.25
2	Shri Agrawal Bros.	11035	27-1-84	11917.50
3.	Chelaram Jain & Co.	4475,4497	13-1-84	3997.45
4.	Shyam Printers & Allied	2034	24-11-84	3036.00
5.	Narsinghdas Kisan lal	596	7-10-83	18582.80
6.	Aswani Enterprise	971	8-10-83	3881.08
7.	Pinkcity distributors	523	20-10-83	6870.00

1	2	3	4	5
8.	Indra & co.	11305	24-10-83	1833.00
9.	Rajasthan Handloom proj. Board	95	19-8-83	8272.75
10.	Modi Industries	189	2-11-83	7961.40
11.	The Sarolina Electricals	452	7-1-84	5458.11
		436	11-11-83	1303.50
		380,381	20-8-83	2949.42
12.	Triveni Manufacture	317	12-10-83	12954.00
13.	Narsinghdas Kisanlal	628	19-10-83	22559.52
14.	Agrawal Bros.	7486	30-9-83	4227.95
15.	Bengal Ele. Lamp p. Ltd.	9184	20-1-84	8462.43
		2183	"	24066.20
16.	Telvista Electronic p. Ltd.	5249	17-1-84	3038.20
17.	Rajesh Silk Mills, Bombay	693	24-9-83	2606.53
		855	13-12-83	3750.32
18.	Edward Mills, Beawar	10070	21-11-83	50470.00
		1300	3-1-84	48954.60
		1116	6-12-83	30470.00
19.	Kota Saree Bhandar,	14	25-8-83	1854.90
20.	Bombay Sales Corpn.	360	27-8-83	2167.41
21.	N.C.C.F. LTD.	2708	19-1-84	14998.74
22.	Makkar Handloom Panipat	2148	30-12-83	17182.92
23.	B.C.R.Mfc. Co.	19	20-7-83	16848.00
24.	Gulab Agencies	2058	30-1-84	2670.00
25.	Bharat Agencies	1908	16-1-84	8179.44
		1805	16-1-84	10,745.28
26.	Shailly Enterprises,	234, 235	2-11-83	8425.95
27.	Modi Industries	108/83	"	12972.40
		107/83	"	10159.72
28.	Babulal Virendra Kumar	6494	19-9-83	9215.00
		6607	15-11-83	4607.50
29.	Klenzer Industries	1896	20-12-83	1833.30
30.	Barkati Pharmacy	33	3-6-83	336.60
31.	Indra & co.	10987	7-10-83	2462.50

(१९४)

1	2	3	4	5
32.	Indra & Co.	11397	12-12-83	625.00
33.	—do—	11398	"	276.00
34.	K. C. Plastic	2378	28-5-83	1972.00
35.	Shyam Printers & Allied	2056	24-10-83	3195.00
36.	"	1998	10-13-83	3658.82
37.	"	1991	20-9-83	9666.83
38.	"	2035	24-10-83	4490.00
39.	Rastogi & Co.	1202	21-11-83	12700.00
40.	"	1203	22-11-83	17200.00
41.	"	1172	11-11-83	17139.60
42.	"	1190	17-11-83	2332.80
43.	Ahand Industries	432	22-11-83	1698.85
44.	Agrawal Bros.	7617	21-11-83	1449.00
45.	"	7616	22-11-83	588.84
46.	Laxmi Agencies	198	13-9-83	3841.35
47.	"	206	19-9-83	4309.20
48.	"	262	14-11-83	3412.15
49.	"	274	23-11-83	5762.01
50.	Rastogi & Co.	4368	8-10-83	1955.30
51.	"	4664	14-12-83	956.15
52.	"	1308	6-10-83	5647.86
53.	"	4412	17-10-83	6750.00
54.	"	4490	23-10-83	13528.08
55.	"	4205	16-9-83	4668.84
56.	"	4149	10-9-83	8748.00
57.	"	4148	10-9-83	5508.00
58.	Trade Ways	5852	27-12-83	5130.00
59.	Indira & Co.	11260	22-11-83	2627.70
60.	"	11259	20-11-83	857.85
61.	"	11269	22-11-83	752.40
62.	Delux Paper Convetor	3169	23-12-83	7373.00
63.	Narsinghdas Kisanlal	656	27-10-83	4306.46
64.	"	938	29-12-83	5534.55
65.	"	937	"	12022.25

1	2	3	4	6
66.	Trade Ways	5848	22-12-83	5130.00
67.	Dilip Enterprise	33	1-12-83	828.00
68.	"	328	1-12-83	993.60
69.	"	329	1-12-83	993.60
70.	"	330	"	993.60
71.	"	327	"	993.60
72.	Anand Industries	440	8-12-83	505.45
73.	Narsinghdas Kisan lal	845	6-12-83	14417.28
74.	"	846	"	1060.06
75.	Barkati Pharmacy	35	4-6-83	673.20
76.	"	34	"	336.60
77.	Durdesh Enterprises	208	11-6-83	146.40
78.	J. M. Food products	21	15-7-83	62.50
79.	Falldeal Chemical Product	623	18-8-83	5475.60
80.	"	625	20-8-83	1372.56
81.	Babulal Virendra Kumar	6484	17-9-83	2027.30
82.	Dereelesh Enterprises	210	11-6-83	73.20
83.	Kalanzer Industries	1881	17-5-83	1833.30
84.	Babulal Virendra Kumar	6357	4-6-83	3841.20
85.	"	6272	4-5-83	1920.60
86.	"	6252	29-4-83	5761.80
87.	"	6285	10-5-83	1920.60
88.	"	6379	15-6-83	8730.00
89.	"	6380	"	8730.00
90.	"	6340	3-6-83	1920.60
91.	"	6411	11-7-83	1843.00
92.	"	6419	"	9215.00
93.	"	6482	12-9-83	1843.00
94.	Kumar Agencies	4055	24-1-83	213.00
95.	Karanchi Moderb Ag.	3973	30-1-84	2102.67
96.	Sidhuram Tirthdas	2045,2046	12-1-84	2193.40
				684472.44

(196)

S. No. 1	NAME OF PARTIES 2	BILL No. 3	DATE 4	AMOUNT 5
1.	Bajaj Electrical Ltd.	A/30948	28.12.82	440.00
2.	Space Systems	65/S1/82–83,	27.1.82	455.91
3.	Ganga Traders	460	21.3.83	1565.40
4.	Indokrates P. Ltd;	353	2.2.83	2509.88
5.	,,	362	24.2.84	1214.40
6.	Jaina Watch Company	1473	11.4.83	120.00
7.	Ambar Electricals	4224	28.1.84	1730.40
8.	Televista Electronics	5212	5.1.84	8022.71
9.	Genelec Ltd;	5436	14.12.83	7784.70
10.	,,	5437	,,	9531.48
11.	,,	5619	27.1.84	685.41
12.	,,	5622	30.1.84	1309.00
13.	The Sarolina Electricals	268	22.9.82	25334.65
14.	,,	393	4.8.83	3011.09
15.	,,	416	22.10.83	6442.77
16.	,,	415	,,	14529.68
17.	,,	438	14.11.83	3104.76
18.	,,	797	20.12.83	963.70
19.	United Engineers	294	4.6.83	26408.84
20.	,,	299	16.7.83	27426.44
21.	,,	323	4.10.83	18479.32
22.	,,	325	19.10.83	400.00
23.	,,	330	6.1.84	25508.84
24.	,,	328	6.1.84	68566.10
25.	,,	329	6.1.84	8494.34
26.	Omega Electronics	2240	22.3.82	3847.50
27.	,,	2777	13.9.83	3078.00
28.	,,	2863	19.11.83	492.48
29.	,,	2959	23.1.84	1138.86
30.	,,	2957	,,	12235.05
31.	Heerese Corporation	802	30.4.82	1430.34
32.	,,	793	,,	1216.95

(197)

1	2	3	4	5
33.	Heerese Corporation	1054	17.7.83	1140.00
34.	,,	1053	,,	2821.50
35.	,,	835	27.5.83	1947.50
36.	,,	797	30.4.82	863.28
37.	,,	893	14.6.82	2505.58
38.	,,	1090	3.8.82	1756.06
39.	,,	335	23.12.83	1756.06
40.	,,	311	14.12.83	29641.55
41.	,,	387	10.1.84	1134.30
42.	,,	384	,,	783.94
43.	,,	411	31.1.84	2898.15
44.	Rajasthan Electronics	31/RE/83	5.11.83	8272.00
45.	,,	36	11.1.84	32157.40
46.	,,	37	,,	35569.60
47.	,,	38	,,	23885.40
48.	,,	39	,,	19646.00
49.	Anp. Ele. Ind.	2866	2.12.83	14357.61
				1180635.96

RAJASTHAN RAJYA SAHAKARI UPBHOKTA SANGH LIMITED JAIPUR

Outstanding list of mills as on 31.1.83

S No	Name of mills	Amount.
1	2	3
1.	Ashok SSK	29,268.53
		1,30,481.47
2.	Belganga SSK	1,29,000.00

1	2	3
3.	Bazpur Coop. Sugar Factory	50,000.00
4.	Daurala Sugar Works	90,432.00
5.	Gangapur SSK	1,80,969.78
6.	Godawari ,, Sakarwadi	50,000.00
7.	,, ,, Laxmiwadi	50,000.00
8.	Gobind Sugar Mill	1,00,000 00
9.	Gangaeshwar Ltd., Deoband	59,116.68
10.	Hindustan Sugar Mill Gola	50,075.00
11.	Jaswant Sugar Mills	50,075.00
12.	Kopargaon SSK	52,433.84
		75,000.00
13.	Kannad ,,	1,289.46
		75,000.00
14.	Khedoot Sahkari Khand Udyog	58,479.42
15.	Kisan Coop. Kaimganj	54,912.21
16.	L.H. Sugr. Factory Kashipur	51,640,00
17.	Madhi Vibhag Khand	43,195.46
18.	Maharashtra Sugar Mills Tilaknagar	1,78,600.00
19.	Sangamner SSK	1,00,000.00
20.	Madhukar ,,	1,12,497.16
21.	Mula SSAK	1,41,000.00
22.	Niphad SSK	3,70,405.25
23.	Oudh Sugar Mills	14,400.00
24.	Kisan Coop. Sugar mills Majhola	50,000.00
25.	Rahuri SSK	1,00,000.00
26.	Satpurada Tapi SSK	95,245.84
27.	Sanjivni ,,	60,000.00
28.	Sidheshwar SSK Ltd. Sillod	1,35,211.28
29.	Dhanpur ,,	30,000.00
30.	Simbholi Sugar Mills	50,000.00
31.	Sharda Sugar Mills Palia Kalan	30,000.00
32.	Upper Doab Sugar Mills	50,000.00

(199)

1	2	3
33.	Upper Ganesh Sugar Mills	—
34.	Rawalgarh Sugar	50,000.00
35.	Rai Bahadur Naraya Sangh	7,751.00
36.	Belapur Sugar Allied Industries	50,000.00
37.	Sadhi Sugar General Industries	30,000.00
38.	Lord Krishna Sugar Mills	25,200.00
39.	Amritsar Sugar Mills Rohana kalan	9,495.00
		30,000.00
40.	Triveni Engineering Works	25,000.00
41.	U. P. State Guar	25,000.00
42.	Vasant SSk	1,33,389.49
43.	Genesh ,, Ltd.	50,000.00
44.	Kicheha Sugar	59,230.00
45.	Jaswant SSK (Akluj)	2,38,888.71
46.	Karvameer Kaka Sahila SSK	4,094.85
47.	Nasik SSK	21.82
48.	Chandpur Sugar Co.	1,281.32
49.	Vijayak SSK	58,933.57
50.	Chaltban Vibhag khand Udyog Mandli	1,13,638.00
51.	State T. C. Bcmbay	63,408,87
52.	Laxmi Sugar Mills MA	1,515.00
53.	L. H. Sugar Factory Pilibhit	1,17,022.15
54.	Parwara SSK	1,34,623.32
55.	Kishan Coop. Mills	2,285.00
56.	Janki Sugar Mills	3,000.00
57.	Marathwada SSK	78,428.07
	Total	40,82,503.29
		78,428 07
	Net Total	41,60,931.36

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0,

ग्रो–13, अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर 1

(शुगर एवं सीमेन्ट अनुभाग)

समिति भण्डार से लेने वालि राशि की सूची

क्रमांक	नाम समिति	राशि
1	2	3
1.	अजमेर भण्डार	3860.51
2.	विजय नगर क्रय विक्रय	140606.13
3.	अलवर भण्डार	123635.94
4.	अलवर क्रय विक्रय	48159.85
5.	फलोदी भण्डार	71963.16
6.	अन्ता क्रय विक्रय	36495.58
7.	अटरू क्रय विक्रय	163068.78
8.	एग्रो सेल क्रय विक्रय	256919.03
9.	ब्यावर क्रय विक्रय	141714.10
10.	ब्यावर भण्डार	98872.38
11.	भरतपुर भण्डार	513533.91
12.	बयाना क्रय विक्रय	192551.19
13.	बाडी क्रय विक्रय	120703.36
14.	भीलवाड़ा भण्डार	365075.98
15.	बीकानेर भण्डार	233837.58
16.	बून्दी भण्डार	40092.89
17.	बारां क्रय विक्रय	377780.92
18.	भादरा क्रय विक्रय	561398.24
19.	चूरू भण्डार	42082.07
20.	बासवाड़ा भण्डार	9600.00
21.	चाकसू क्रय विक्रय	154824.49
22.	छबड़ा क्रय विक्रय	223766.89
23.	छीपाबडोद क्रय विक्रय	248178.01
24.	धोलपुर क्रय विक्रय	195[illegible]83.39
25.	डीग क्रय विक्रय	138917.81

1	2	3
26.	डूंगरपुर क्रय विक्रय	748628.75
27.	डूंडलोद क्रय विक्रय	405127.07
28.	डीडवाना क्रय विक्रय	56472.87
29.	डूंगरपुर भण्डार	101256.75
30.	गढ़ी क्रय विक्रय	129492.75
31..	गंगापुर क्रय विक्रय (भीलवाड़ा)	2492.49
32.	गुलाबपुरा क्रय विक्रय	10298.38
33.	गंगधर क्रय विक्रय	245704.29
34.	गच्छीपुरा क्रय विक्रय	117380.40
35.	गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर	162452.72
36.	गणेश क्रय विक्रय	171627 46
37.	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय	6186.36
38.	हिण्डोन क्रय विक्रय	422015.67
39.	हिण्डोन भण्डार	185152.28
40.	जहाजपुर क्रय विक्रय	88576.31
41.	जालोर क्रय विक्रय	270454.08
42.	जोधपुर भण्डार	12692.92
43.	झूंझनू भण्डार	258874.25
44.	झालावाड़ क्रय विक्रय	262515.24
25.	झालावाड़ भण्डार	209654.76
46.	केकड़ी क्रय विक्रय	9313.50
47.	खेडलीगंज क्रय विक्रय	123438.33
48.	खेरथल क्रय विक्रय	105577.18
49.	कामा क्रय विक्रय	23348.09
50.	कुम्हेर क्रय विक्रय	301618.14
51.	कोटपूतली क्रय विक्रय	125528.42
52.	कोटा क्रय विक्रय	59819.38
53-	कोटा भण्डार	200646.52
54.	माण्डल क्रय विक्रय	67633.01
55.	मण्डावर क्रय विक्रय	97820.57
56.	मालपुरा क्रय विक्रय	120892.97
57.	नसीराबाद क्रय विक्रय	21595.52

1	2	3
58.	नदबई क्रय विक्रय	193360.80
59.	नीमका थाना क्रय विक्रय	65013.34
60.	नगर क्रय विक्रय	394045.00
61.	पीलीबंगा क्रय विक्रय	13032.87
62.	पाली भण्डार	379725.25
63.	रावतसर क्रय विक्रय	15468.87
64.	राजगढ़ क्रय विक्रय	127779.66
65.	रूपवास क्रय विक्रय	253325.10
66.	सूरजगढ़ क्रय विक्रय	106241.79
67.	रामगंज मण्डी क्रय विक्रय	97009.40
68.	सुमेरु कुर क्रय विक्रय	30495.32
69.	सीकर भण्डार	211957.72
70.	श्री माधोपुर क्रय विक्रय	96905.06
71.	सिरोही भण्डार	161676.66
72.	शिवगंज क्रय विक्रय	30541.16
73.	स्वरूपगंज क्रय विक्रय	23121.08
74.	सादुलशहर क्रय विक्रय	73776.51
75.	सागोद क्रय विक्रय	217093.26
76.	सवाई माधोपुर भण्डार	274141.92
77.	आर. टी. ए. डी. सी डूंगरपुर	152269.67
78.	टोंक भण्डार	342194.73
79.	उदयपुर भण्डार	40927.53
		12830275.95

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०,
ओ-13 अशोक मार्ग, "सी" स्कीम-जयपुर
(शुगर एवं सीमेन्ट अनुभाग)
समिति एवं भण्डार को देने वाली राशि की सूची

क्रमांक	नाम समिति/भन्डार	राशि
1	2	3
1.	अजमेर क्रय विक्रय	1,78,610.42
2.	अनूपगढ़ क्रय विक्रय	1,08,547.07

1	2	3
3.	आबू रोड क्रय विक्रय	1,38,487.39
4.	आसीन्द क्रय विक्रय	3,128.91
5.	जैसलमेर भण्डार (आदर्श)	57696.06
6,	बांसवाड़ा क्रय विक्रय	1,84,380.01
7.	बाड़मेर क्रय विक्रय	2,15,391.35
8.	बाड़मेर भण्डार	1,84,003.71
9.	बालोतरा क्रय विक्रय	87,336.95
10.	बायतु क्रय विक्रय	33,091
11.	बसेड़ी क्रय विक्रय	5,984.79
12.	भीलवाड़ा क्रय विक्रय	23,385.46
13.	बीकानेर कोलायत क्रय विक्रय	61,653.03
14.	बेगू क्रय विक्रय	1,27,779.00
15.	बांदीकुई क्रय विक्रय	67,758.61
16.	भीनमाल क्रय विक्रय	1,37,923 60
17.	बिलाड़ा क्रय विक्रय	52,931.48
18.	बिजोलिया क्रय विक्रय	59,470.65
19.	चित्तौड़गढ़ भण्डार	1,74,003.09
20.	चित्तौड़गढ़ क्रय विक्रय	1,41,777.17
21.	बूंदी क्रय विक्रय	1,67,907.44
22.	बड़ी सादड़ी क्रय विक्रय	67,191.39
23.	भिनडर क्रय विक्रय	2,14,291.57
24.	चौमू क्रय विक्रय	2,28,310.33
25.	चिड़ावा भण्डार	2,15,432.87
26.	दौसा क्रय विक्रय	1,82,771.75
27.	देवली क्रय विक्रय	54,909.30
28.	फतेहपुरा क्रय विक्रय	1,02,488.03
29.	गंगानगर भण्डार	1,95,325.81
30.	गंगानगर क्रय विक्रय	1,658.00
31.	गजसिंह पुर क्रय विक्रय	84,933.39
32.	जयपुर क्रय विक्रय	1,44,060.83
33.	जोधपुर क्रय विक्रय	1,87,108.45
34.	झुंझुनू क्रय विक्रय	2,37,589.66

1	2	3
35.	जैतारण क्रय विक्रय	5,980.17
36.	कसेरीसिहपुर क्रय विक्रय	68,319.53
37.	किशनगढ़ क्रय विक्रय	2,18,336.12
38.	कांकरोली	1,67,815.01
39.	केशवरायपाटन क्रय विक्रय	2,92,271.38
40.	लूनकरनसर क्रय विक्रय	51,929.83
41.	महालक्ष्मी क्रय विक्रय	66,464.36
42.	नागौर भण्डार	3,98,758.68
43.	नागौर क्रय विक्रय	1,17,240.00
44.	निमेड़ा क्रय विक्रय	3,38,195.39
45.	नोहर क्रय विक्रय	1,25,752.63
46.	नाथद्वारा क्रय विक्रय	2,03,567.51
47.	नोखा क्रय विक्रय	67,003.13
48.	पदमपुर क्रय विक्रय	32,207.62
49.	पीपाड़ सिटी	9,392.69
50.	पोकरण क्रय विक्रय	1,460.14
51.	रानी क्रय विक्रय	70,102.86
52.	रायपुर क्रय विक्रय	42,474.77
53.	रायसिंह नगर क्रय विक्रय	94,680.94
54.	सरदार शहर क्रय विक्रय	2,13,900.40
55.	सांगरिया क्रय विक्रय	59,016.88
56.	सूरतगढ़ क्रय विक्रय	48,428.04
57.	सुमेरगंज क्रय विक्रय	31,531.42
58.	सुलतानपुर क्रय विक्रय	14,828.50
59.	सोजत रोड क्रय विक्रय	20,995.36
60.	सीकर क्रय विक्रय	30,713.89
61.	सवाई माधोपुर क्रय विक्रय	43,290.33
62.	संजीवनी क्रय विक्रय	2,13,000.00
63.	सांभर क्रय विक्रय	33,440.45
64.	शाहपुरा क्रय विक्रय (जयपुर)	2,19,743.89
65.	श्रीविजयनगर क्रय विक्रय	57,892.18
66.	शाहपुरा भीलवाड़ा क्रय विक्रय	35,805.30

(205)

1	2	3
67.	श्रीकरनपुर क्रय विक्रय	38,164.06
69.	आर.टी.ए.डी.सी. बांसवाड़ा	95,336.51
70.	आर.टी.ए.डी.सी. उदयपुर	1,88,791.66
71.	टोंक क्रय विक्रय	2,31,656.57
72.	विकास क्रय विक्रय	73,825.80
73.	रामदेव क्रय विक्रय	1,36,352.31
74.	उदयपुर क्रय विक्रय	63,125.33
75.	बड़ी सादड़ी क्रय विक्रय	1,10,429.75
76.	लालसोट क्रय विक्रय	3,670.23
77.	कमल किशोर सत्यनारायण गांधी	58,426.32
78.	तारानगर क्रय विक्रय	38,745.97
79.	आमेर क्रय विक्रय	84,538.71
80.	किसान रायपुर क्रय विक्रय	8,998.20
		86,47,660.07

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 72 की दरें

वर्ष 1983–84 में विभिन्न जिलों में हैण्ड पम्प के कार्य के लिये स्वीकृत दरें :—

क्र. स.	जिला	खुदाई की दरें रु. प्रति मीटर			सिविल कार्य (प्लेट फार्म व सोकपिट) रु०
		एल्यूवियल		चट्टानी	
		10 मीटर तक	10 मीटर के बाद		
1.	अलवर	150.00	175.00	180.00	1821.16
2.	जयपुर	150.00	175.00	180.00	1821.16
3.	जालौर	150.00	175.00	201.60	1821.16
4.	जोधपुर	150.00	175.00	201.60	1821.16
5.	जैसलमेर	150.00	175.00	201.60	1821.16
6.	बाड़मेर	150.00	175.00	201.60	1821.16
7.	सीकर	150.00	175.00	180.00	1821.16
8.	धौलपुर	150.00	175.00	180.00	1821.16
9.	भरतपुर	150.00	175.00	180.00	1821.16
10.	बूंदी	142.50	166.25	189.60	1214.11
11.	डूंगरपुर	126.00	147.00	158.40	1214.11
12.	श्रीगंगानगर	147.00	171.50	168.00	1189.92
13.	चूरू	180.00	210.00	240.00	1456.91
14.	झालावाड़	163.50	190.75	201.60	1821.16
15.	सिरोही	135.00	148.75	192.00	1214.11
16.	बांसवाड़ा	135.00	157.50	141.60	1821.16
17.	नागौर	180.00	210.00	240.00	1821.16
18.	भीलवाड़ा	135.00	157.50	139.20	1821.16
19.	उदयपुर	142.50	166.25	158.40	1214.11
20.	पाली	135.00	157.50	177.60	1821.16
21.	सवाई माधोपुर	135.00	148.75	167.60	1821.16
22.	टौंक	135.00	157.50	166.80	1821.16

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं. 1	नाम मण्डी समिति 2	अवधि जिससे चुनाव बाकी है 3
1.	बून्दी	12-4-74
2.	पाली	15-5-74
3.	कपासन	18-8-74
4.	चिड़ावा	11-9-74
5.	नाथद्वारा	11-9-74
6.	सूरजगढ़	23-2-75
7.	बांसवाड़ा	3-6-75
8.	देवली	21-6-75
9.	प्रतापगढ़	21-6-75
10.	जोधपुर	27-6-75
11.	मालपुरा	12-7-75
12.	हनुमानगढ़	1-8-75
13.	बाड़ी	17-8-75
14.	उदयपुर	18-8-75
15.	बीकानेर	19-8-75
16.	टोंक	29-8-75
17.	निवाई	12-9-75
18.	सादुलपुर	12-9-75
19.	सांगरिया	12-9-75
20.	नोहर	12-9-75
21.	सीकर	25-10-75
22.	खैरथल	5-11-75
23.	खेड़ली	15-3-76
24.	भीलवाड़ा	6-4-76
25.	बाड़मेर	17-4-76
26.	भिण्डर	18-5-76
27.	बालोतरा	18-5-76

1	2	3
28.	श्रीकरनपुर	29-6-76
29.	गजसिंहपुर	21-7-76
30.	जयपुर (फल सब्जी)	26-8-76
31.	श्रीगंगानगर	6-9-76
32.	विजयनगर	10-9-76
33.	रायसिंहनगर	11-9-76
34.	नीमकाथाना	21-9-76
35.	गुलाबपुरा	21-9-76
36.	श्रीविजयनगर	21-9-76
37.	सादुलशहर	21-9-76
38.	भरतपुर	4-12-76
39.	केकड़ी	12-12-76
40.	मदनगंज	11-4-77
41.	बयाना	20-4-77
42.	जयपुर (अनाज)	30-4-77
43.	ब्यावर	20-5-77
44.	चौमूं	23-5-77
45.	कोटपूतली	26-6-77
46.	निम्बाहेड़ा	1-6-77
47.	आबूरोड	14-6-77
48.	नागौर	14-6-77
49.	बारां	30-6-77
50.	अलवर	15-7-77
51.	फतेहनगर	17-7-77
52.	भीनमाल	19-7-77
53.	नरायना	20-7-77
54.	अजमेर	22-7-77
55.	धौलपुर	31-7-77
56.	चौमहला	31-7-77
57.	माण्डलगढ़	25-7-77
58.	नदबई	1-8-77
59.	श्रीमाधोपुर	1-8-77
60.	सवाईमाधोपुर	1-8-77

1	2	3
91.	हिण्डौन	1–8–77
62.	कोटा	1–8–77
63.	सुमेरपुर	1–8–77
64.	मेड़ता सिटी	1–8–77
65.	पदमपुर	1–8–77
66.	केसरीसिंहपुर	1–8–77
67.	पीलीबंगा	1–8–77
68.	भादरा	5–8–77
69.	रामगंजमण्डी	7–8–77
70.	कामा	8–8–77
71.	कुचामन सिटी	26–8–77
72.	गंगापुर सिटी	31–8–77
73.	पीपाड़ सिटी	12–9–77
74.	डीग	25–9–77
75.	जैजारण	25–9–77
76.	चाकसू	26–9–77
77.	बांदीकुई	8–10–77
78.	बेगूं	8–10–77
79.	लिडा	8–10–77
80.	ग्रासीन्द	22–10–77
81.	अन्ता	30–10–77
82.	इटावा	31–10–77
83.	खानपुर	13–11–77
84.	महुवा मण्डावर	16–11–77
85.	नोखा	7–12–77
86.	शिवगंज	315–12–77
87.	रानी	30–12–77
88.	सुमेरपुर	1–12–77
89.	सोजतरोड	1–1–78
90.	नगर	10–1–78
91.	भुसावर	10–1–78
92.	छबड़ा	10–1–78
93.	केशवरायपाटन	10–1–78

1	2	3
94.	झुंझुनू	10-1-78
95.	झालरापाटन	10-1-78
96.	चित्तौड़गढ़	10-1-78
97.	शाहपुरा	10-1-78
98.	जहाजपुर	10-1-78
99.	डूंगरपुर	10-1-78
100.	डीडवाना	10-1-78
101.	चूरू	10-1-78
102.	तारानगर	10-1-78
103.	सरदारशहर	10-1-78
104.	सुजानगढ़	10-1-78
105.	डूंगरगढ़	10-1-78
106.	दौसा	1-2-78
107.	नवलगढ़	17-8-78
108.	भवानीमण्डी	21-8-78
109.	फतेहपुर	6-11-78
110.	सांगोद	4-4-80
111.	उनियारा	4-4-80
112.	टोडारायसिंह	4-4-80
113.	आमेट	4-4-80
114.	रावतभाटा	4-4-80
115.	बनेड़ा	4-4-80
116.	डेगाना	4-4-80
117.	सांचौर	4-4-80
118.	लूणकरणसर	4-4-80
119.	रावतसर	4-4-80
120.	अनूपगढ़	4-4-80
121.	जालौर	4-4-80
122.	राजगढ़	16-7-80
123.	लालसोट	16-7-80
124.	देवगढ़	16-7-80
125.	बडी सादड़ी	16-7-80
126.	सूरतगढ़	16-7-80
127.	गोविन्दगढ़	24-1-84
128.	रतनगढ़	2-2-84

211

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 80 की प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान् गृह राज्य मंत्री जी,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :-प्रार्थी के साथ नसीराबाद थाना-सदर में थानेदार रामरतन, हैड कानि० श्री नवल सिंह, सिपाही श्री लाडूसिंह व दो अन्य सिपाही द्वारा मारपीट करने की कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

प्रार्थी इस विषय में सानुरोध निम्न निवेदन करता है कि :—

(1) यह कि दिनांक 8/1/84 को ग्राम लच्छीपुरा में ग्राम से करीब तीन-चार किलोमीटर दूर जंगल में श्री उदा पुत्र हालू व मदन पुत्र लाला रावत के कुएं से नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने एक वृद्धा उम्र लगभग 60 जाति चीती निवासी गांव विठुर की होना बताई गई का शव बरामद किया।

(2) यह कि इस केस की तफतीश करने थानेदार श्री रामरतन दिवान, श्री नवल सिंह एवं सिपाही लाडूसिंह दिनांक 14-1-84 को लच्छीपुरा आये। वे प्रार्थी के घर आये एवं समय 4 पी.एम. को प्रार्थी को गिरफ्तार कर नसीराबाद ले गये। जहां ले जाकर प्रार्थी को बन्द कर दिया।

(3) यह है कि दिनांक 14/1/84 को रात में थानेदार, दिवान नवल सिंह, सिपाही लाडूसिंह व दो अन्य सिपाहियों ने प्रार्थी से पूछा कि खून किसने किया। प्रार्थी ने कहा कि प्रार्थी को इसकी जानकारी नहीं है। इतना कहने पर दिवान श्री नवल सिंह ने कहा कि यह ऐसे नहीं बतायेगा, और प्रार्थी को नीचे पटक कर नंगा कर दिया। इसके बाद प्रार्थी के कूलों पर खूब डंडों से पीटा। प्रार्थी के पैरों के नीचे डंडों से पीटा। उन्होंने प्रार्थी के सीने पर दोनों तरफ हाथों की अंगुली व पैरों की अगुली में बिजली के तार बांधकर करंट लगाया। प्रार्थी की गुप्तांग (इंद्री) पर भी बिजली का करंट लगाया। प्रार्थी की गुदा में पैट्रोल की बोतल डाली। प्रार्थी को दिनांक 15/1/84 को दिन भर भूखा रखा गया। रात्रि को फिर प्रार्थी के साथ उन्होंने मारपीट की।

(4) यह कि प्रार्थी का रिमाण्ड नहीं लिया गया। बिना किसी कानूनी औचित्य के लगातार 48 घंटे तक पुलिस थाने में बंद रखा, भूखा रखा व मारपीट करी। दि० 16/1/84 को गांव वाले प्रार्थी को छुड़वाने के लिये थाना पर गये। तब दिन में 3 पी.एम. पर प्रार्थी को छोड़ा। पहले दिवान श्री नवलसिंह ने धमकी दी कि इस बारे में किसी की शिकायत की तो फिर बंद कर दूंगा।

(5) यह कि रात्रि को प्रार्थी दर्द से कराहने लगा तब प्रार्थी के परिवारजनों को प्रार्थी के साथ थाने में मारपीट करने

(212)

की जानकारी मिली। दि० 16-17/1/84 की रात्रि को प्रार्थी के परिवार के श्री ऊंकार पुत्र मोटा व उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी कहीं नहीं जा सका। आज दिनांक 18-1-84 को प्रार्थी राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर आकर श्रीमान् मेडिकल ज्यूरिष्ठ साहब से अपनी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था। जिसकी प्रति साथ में संलग्न है।

(6) यह कि प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसे आखों से बहुत कम दिखता है एवं गरीब व्यक्ति है प्रार्थी के साथ इस प्रकार थाने में मारपीट करने से, बिजली का करंट लगाने से एवं गुदा में पैट्रोल डालने से शरीर में काफी कमजोरी आ गयी है एवं कार्य करने के काबिल नहीं रहा है।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी,-

दिनांक 18/2/84 अगूंठा निशानी

(छोटू पुत्र सवाई जाति रावत)

निवासी गांव लच्छीपुरा, पी एस

नसीराबाद-सदर, जिला अजमेर (राज०)

(213)

परिशिष्ट-5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जिला व नगर खण्ड उदयपुर में खोदे गये हैण्ड पम्प

81. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) एव श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला खण्ड उदयपुर एवं नगर खण्ड उदयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में कितने हैण्ड पम्प खोदे गये ?

(2) इन हैण्ड पम्पों की खुदाई के लिये प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति कब जारी की गई ?

(3) क्या इन हैण्ड पम्पों को ठेकेदारों द्वारा खुदवाने के लिये निविदाएं आमंत्रित कीं गई थीं ? यदि हां, तो कब कब और उनका प्रचार व प्रसार किस माध्यम से किया गया था ?

(4) क्या ये हैण्ड पम्प खोदने का कार्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों के अनुसार ही किया गया है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में 1693 हैण्ड पम्प नगर खण्ड उदयपुर के माध्यम से खुदवाये गये ।

(2) इन हैण्ड पम्पों की खुदाई के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23.10.80 को तथा तकनीकी स्वीकृति दिनांक 23.1.81 एवं 2.5.81 को जारी की गई है ।

(3) उदयपुर जिले के लिये अलग से निविदायें आमंत्रित नहीं की गई थीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 80 में जो दरें सम्पूर्ण राज्य के लिये अनुमोदित की गयी थीं, उन्हीं दरों पर उदयपुर में भी कार्य करवाया गया ।

(4) जी हां ।

अजमेर नगर में शराब की दुकानों का लाईसेन्स

82. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में नशाबन्दी समाप्ति के बाद दि. 14-5-82 से नीलामी पद्धति से लाईसेन्स देने की नीति के तहत अजमेर नगर के लिए 5 थोक दुकानों का लाईसेन्स एवं 33 रिटेल दुकानों के लाईसेन्स देना तय किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त 1983-84, 1984-85 दो वर्षों के लिए न्यूनतम बोली की राशि कितनी तय कर रखी थी? प्रत्येक दुकान

(214)

(श्री भगवान दास शास्त्री)

के पृथक–पृथक आंकड़ों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 व वर्ष 1984–85 के लिए लाईसेन्स प्राप्त करने वाले 5 थोक दुकानों के लाइसन्स एक ही व्यापारी को देने से राज्य कोप को हानि हुई है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की की गई है? कृपया की गई कार्यवाही व घाटे की सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, इन दुकानों को 15–5–82 से नीलामी पद्धति से अनुज्ञापत्र देना निश्चित किया गया था। उक्त नीति के अनुसार इन दुकानों की वर्ष 1983–84 के लिये न्यूनतम राशि प्रत्येक थोक दुकान के लिये 1,20,700 रु. तथा प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 7,51,800 रु. तय की गई थी। वर्ष 1983–84 की प्राप्त राशि पर 10% वृद्धि कर वर्ष 1984–85 के लिए दिया जाना तय किया गया है। प्रत्येक दुकान के पृथक–पृथक आंकड़े सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) जी नहीं।

अजमेर जिले की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक दुकानों की न्यूनतम राशि की सूची :—

क्र. सं.	दुकानों का नाम	दिनांक 1–4–83 से 31–3–84 तक की अवधि के लिये न्यूनतम आरक्षित एकाकी विशेषाधिकार की राशि
	थोक दुकानें जिला अजमेर	न्यूनतम राशि
1.	अजमेर नम्बर 1	1,20,700
2.	अजमेर नम्बर 2	1,20,700
3.	अजमेर नम्बर 3	1,20,700
4.	अजमेर नम्बर 4	1,20,700
	योग	4,82,800

(आबकारी मंत्री)

अजमेर जिले की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों की न्यूनतम राशि की सूची :—

क्र. सं.	खुदरा दुकानें	न्यूनतम रशि
1.	अजमेर नम्बर 1	7,51,800
2.	अजमेर नम्बर 2	7,51,800
3.	अजमेर नम्बर 3	7,51,800
4.	अजमेर नम्बर 4	7,51,800
5.	अजमेर नम्बर 5	7,51,800
6.	अजमेर नम्बर 6	7,51.800
7.	अजमेर नम्बर 7	7,51,800
8.	अजमेर नम्बर 8	7.51,800
9.	अजमेर नम्बर 9	7,51.800
10.	अजमेर नम्बर 10	7,51,800
11.	अजमेर नम्बर 11	7,51,800
12.	अजमेर नम्बर 12	7,51,800
13.	अजमेर नम्बर 13	7,51,800
14.	अजमेर नम्बर 14	7,51,800
	योग	1,05,25,200

नगर सुधार न्यास, जोधपुर में रबड़ हौज पाइप की खरीद

83 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982-83 में रबड़ हौज पाइप की खरीद में रुपये 9,150/- एवं लोहे के कांटेदार तार एवं एंगल की खरीद में रुपये 11,150/- की हानि पहुँचाई, जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदन में भी की गई ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत उपरोक्त धनराशि की वसूली कर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही करने का इरादा रखती

216

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया सम्बन्धित आडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास जोधपुर की वर्ष 1982–83 की आडिट रिपोर्ट में रबड़ पाइप खरीद में रुपये 9,180/– एवं लोहें के कांटेदार तार एवं एंगल की खरीद में रुपये 11,150/– की न्यास कोष को हानि होना बताया है।

(2) आडिट रिपोर्ट के परिक्षण के पश्चात ही उचित कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। सम्बन्धित पैरा की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

नगर विकास न्यास जोधपुर के 82–83 अंकेक्षण
प्रतिवेदन की प्रति

पैरा सं० 44 व 45

44. रबड़ हौज पाइप] [साइज एक इंची के खरीद में न्यास कोष कोष रुपये 9180/- की हानि

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने निविदा सूचना दिनांक 17-12-82 को आमंत्रित करके रबड़ हौज पाइप एक इंची के चार निविदाएं दिनांक 5-1-83 को प्राप्त करके मैसर्स विशाल एन्टरप्राइजेज जोधपुर से रुपये 29.40 प्रति मीटर के हिसाब से खरीद करके उक्त फर्म से 1700 मीटर हौज पाइप प्राप्त करके निम्नानुसार प्राप्त किया है :—

	बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व दिनांक	तादाद	दर	राशि
1.	122/7-2-83	78/7-2-83	500 मीटर	29.40 प्र०मी०	147,00-
2.	130/26-2-83	35/4-3-83	1200 मीटर	29.40 प्र०मी०	35,280/-
			1700 मीटर		49980/-

उक्त खरीद की पत्रावली का अवलोकन करने से निम्न आक्षेप पाये हैं—

(क) उक्त खरीद हेतु न्यास के बजट 82-83 में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था, अतः न्यास के संबंधित अधिकारियों ने राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम 1961 के नियम 17 की पूर्ण अवहेलना की है। अतः उक्त मामले में न्यास की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके उक्त मामले को नियमित किया जावे।

(ख) उक्त रबड़ होस पाइप बरकतुल्ला स्टेडियम हेतु खरीदने का उल्लेख किया गया है लेकिन उक्त स्टेडियम उक्त खरीद के समय निर्माणाधीन था। तथा उक्त स्टेडियम का कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है जहां पर उक्त पाइप की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है फिर भी उक्त पाइप की खरीद करके अधिकारियों ने न्यास राशि को बिना किसी उचित कारण के अवरुद्ध किया है, अतः इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा जावे।

(ग) राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार उक्त खरीद हेतु निविदा सूचना में कम से कम एक माह का समय दिया जाना आवश्यक था, लेकिन न्यास कार्यालय ने उक्त निविदा सूचना में मात्र 20 दिन का समय दिया है, जिससे विस्तृत प्रचार का अभाव रहा है तथा प्रतियोगी दरों का पूर्ण अभाव रहा है। अतः इस संबंधी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांग करके उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाय।

(घ) उक्त खरीद की पत्रावली के नोट सीट में संबंधित कनिष्ठ लेखाकार ने चारों फर्मों से धरोहर राशि जमा कराने का उल्लेख किया है, लेकिन वास्तविकता यह कि मैसर्स विशाल एण्टरप्राइजेज जोधपुर, जिससे रबड़ होस पाइप खरीदा गया है, उसे धरोहर राशि के रुपये 1360/- नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में उसके टेण्डर पर विचार किया जाना भी नियमानुकुल नहीं था। लेकिन न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त फर्म को उक्त माल प्रदाय करने में सहयोग देने का प्रयास किया है अतः इनका स्पष्टीकरण वांछनीय है।

(ङ) उक्त खरीद में निम्नानुसार चार निविता दाताओं ने अपनी दरों का उल्लेख किया है :

स्टार रबड़ पाइप

1.	मैसर्स विशाल एण्टरप्राइजेज	29.40 प्रति मीटर
2.	मैसर्स रिगल स्पोर्ट्स	29.00
		2.32
		31.32

अन्य के लिए

1.	मैसर्स रिगल स्पोर्ट्स	23.00 प्रति मीटर

1.84 एस०टी०

24.84

2. मैसर्स मोहम्मद अली 24.00 प्रति मीटर

न्यास के उक्त रबड़ होस पाइप के लिये निम्न स्पेसीफिकेशन का उल्लेख किया है ।

12/ Supply of water delivery rubber hose pipe 1" dia two Branded Dunlop or Sttre Brand or Equivelent 1700 metter

मैसर्स मोहम्मद अली ने अपनी दर रुपये 24.00 प्रति मीटर के साथ में उल्लेख किया है कि A Specification इसके स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म की दर सबसे न्यूनतम है तथा न्यास ने भी मैसर्स रिगल स्पोर्टस एवं मैसर्स मोहम्मद अली की धरोहर राशि जमा करके अग्रिम अवधि के लिये रखी थी। जिससे ये प्रमाणित होता है कि इन विक्रेताओं कि दरों को न्यूनतम माना जाकर निर्णय न्यास के विचाराधीन था। वैसे मोहम्मद अली ने अपने पत्र 6.1.83 के द्वारा न्यास से निवेदन भी किया था कि मेरी दर सबसे कम है तथा मुझे प्रदाय आदेश दिया जावे। इस खरीद की पत्रावली में उपलब्ध नोट सीट का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ है कि संबंधित कनिष्ठ लेखाकार ने उक्त फर्म का टेण्डर इस आधार पर निरस्त माना है कि उक्त फर्म ने अपने टेण्डर में ब्राण्ड का उल्लेख नहीं किया है तथा अधिकारियों ने भी इस संबंध में जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया है तथा उक्त फर्म के पत्र दिनांक 6.1.83 के संबंध में नोट शीट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है तथा उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्टार ब्राण्ड के रबड़ होस पाइप में प्रतियोगी दरों का पूर्ण अभाव रहा है तथा न्यास के अधिकारियों ने बिना समुचित जांच के मैसर्स विशाल एन्टरप्राइजेज से 29.40 प्रति मीटर से खरीदा है जिससे न्यास को रुपये 5.40 प्रति मीटर के हिसाब से रुपये 918.00 का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ा है। अगर न्यास के अधिकारी अपने दायित्व एवं विवेक से उक्त क्रय के संबंध में निर्णय लेते तो इस प्रकार की हानि से सुगमता से बचा जा सकता था।

अतः उक्त मामला सचिव नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाकर अनुरोध है कि दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियो के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जावे एवं उक्त हानि की प्रतिपूर्ति इन अधिकारियों से की जावे। परिणाम से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

---

45. लोहे के कांटेदार तार एवं एंगल खरीद में गभीर अनियमितताओं से न्यास कोष को रु० 11150 -रु० की हानि ।

/

(219)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र स० 889 दिनांक 16-7-82 के द्वारा मैसर्स इक्युपम इण्डिया, जोधपुर से टेण्डरों के आधार पर निम्नानुसार लोहे के कांटेदार तार एवं एगल खरीद कर भुगतान किया है।

बिल सं०	वाउचर सं० व दिनांक	वस्तु का नाम	मात्रा	दर	राशि
1. 60/7-8-82	895/4-9-82	ऐंगल 40,40,5	1750 किग्रा०	5:75	10,062:50
2. 61/23-9-82	177/27-9-82	,, ,, ,,	3250 किग्रा०		18,687.50
3. 80/25-2-83	255/30-3-83	,,	5000 किग्रा०	5.75	28,750
4. 65/9-10-82	87/11-10-82	कांटेदार तार	5000 किग्रा०	8.88	44,400
			कुल योग		1,01,900

उक्त खरीद की पत्रावली का अवलोकन करने से निम्न आक्षेप पाये हैं :—

(क) न्यास ने उक्त खरीद हेतु दि० 10-5-82 को निविदाएं आमंत्रित की है जिसमें कांटेदार तार हेतु सबसे कम दर मैसर्स मारवाड़ ग्रामोद्योग लोहा वस्तु उत्पादक, जोधपुर की रुपये 6.65 प्रति किलो ग्राम आई है तथा उक्त फार्म ने अपने टेण्डर में उक्त दर का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है लेकिन अधिशासी अभियन्ता ने उक्त टेण्डरों पर अन्तिम निर्णय लेते समय उक्त खरीद की पत्रावली के नोट शीट पैरा सं. *15* में उल्लेख किया है कि उक्त फर्म ने गलत तरीके से दरों का उल्लेख किया है तथा उक्त फर्म ने एगल व कांटेदार तार की विपरित तरीके से दरों का उल्लेख किया है तथा उक्त खरीद हेतु इक्युपस इण्डिया जोधपुर से कांटेदार तार रु० 8.88 प्रति किलो ग्राम से खरीदने हेतु अपनी सहमति अध्यक्ष को उक्त नोट शीट के जरिये प्रस्तुत की है तथा अध्यक्ष महोदय ने भी उक्त कम्पनी से कांटेदार तार रु० 8.88 प्रति किलो ग्राम की दर से खरीदने हेतु नोट शीट के पैरा सं. 22 में आदेश दिनांक 26-6-82 को जारी किया है जब कि कांटेदार तारों के लिये सबसे कम दर मैसर्स मारवाड़ ग्रामोद्योग लोहा वस्तु उत्पादन जोधपुर की रुपये 6·65 प्रति किलो ग्राम आई थी। इन दोनों की दरों में रुपये 2·23 प्रति किलो ग्राम का अन्तर है। न्यास के तकनीकी अधिकारी द्वारा इस अन्तर से बचने के लिये अपने पत्र सं० 788 दिनांक 1-3-82 के द्वारा मैसर्स मारवाड़ ग्रामोद्योग, जोधपुर को लिखा गया कि आपने दोनों आइटमों की दरों का उल्लेख गलत तरीके से किया है तथा

अपनी स्थिति स्पष्ट की जावे तथा अपना उत्तर दिनांक 7-7-82 तक प्रस्तुत किया जावे अन्यथा आपके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। उक्त पत्र की प्राप्ति की रसीद उक्त पत्रावली में उपलब्ध नही है तथा उक्त पत्र के अवलोकन से ऐसा आभास होता है कि न्यास अधिकारी उक्त दर पर कांटेदार तार खरीदने के इच्छुक नहीं थे तथा नियमानुसार उक्त फर्म को इस प्रकार का पत्र जारी न करने के स्थान पर सीधा प्रदाय आदेश जारी करना उचित था लेकिन न्यास के अधिकारियों ने उक्त खरीद में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जिससे न्यास को उक्त तारों की खरीद में बिना उचित कारणों के 2.23 × 5000 = 11150 का अधिभार वहन करना पड़ा जिससे न्यास कोष को उक्त राशि की हानि हुई है।

(ख) उक्त मशीन के प्रदाय आदेश सं० 889 दिनांक 16-7-82 के अनुसार मैसर्स इक्युपस इण्डिया जोधपुर को कांटेदार तार एवं एंगल का प्रदाय एक माह की अवधि में पूर्ण करना था यानि उक्त फर्म को सामान प्रदाय दिनांक 15-8-82 तक पूर्ण करना था लेकिन उक्त फर्म ने उक्त सामान की प्रदाय दिनांक 9-10-82 को पूर्ण की है जैसा कि उक्त पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट होता है इस प्रकार उक्त फर्म ने उक्त प्रदाय 55 दिन विलम्ब से की है। अतः उक्त प्रदाय के अनुबंध के अनुसार उक्त फर्म से कम से उक्त क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त न होने की अवस्था में संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके प्रतिपूर्ति की जावे।

(ग) उक्त कम्पनी के कांटेदार तार प्रदाय करने के सम्बन्ध में बिल सं० 65 दिनांक 9-10-82 रु० 44,400/- का प्रस्तुत करके भुगतान की मांग की है। उक्त बिल का एवं एम.ए.एस. अकाउण्ट व माप पुस्तिका संख्या 317 के पृष्ठ सं. 63 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उक्त बिल का भुगतान करते समय सहायक अभियन्ता विद्युत ने उक्त बिल पर उल्लेख करते हुए भण्डार अभियन्ता को लिखा है कि उक्त फर्म से कितना माल प्राप्त हुआ है उसका विवरण भेजे एवं अगर जल्दी भुगतान करना हो तो फिलहाल 90 प्रतिशत भुगतान करे। उक्त टिप्पणी दिनांक 11-10-82 को की गई है। उक्त टिप्पणी पर श्री मोहन लाल शर्मा ने उल्लेख किया कि माल प्राप्त हो गया है लेकिन वजन करना बकाया है अतः दस प्रतिशत राशि रोक कर भुगतान किया जावे एवं उक्त बिल को माप पुस्तिका सं० 317 के पृष्ठ सं. 63/1 पर अंकित कर उल्लेख किया है लेकिन उक्त माल का इन्द्राज भण्डार पंजिका एवं एम.ए.एस. लेखों में करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया है तथा भण्डार पंजिका में भण्डारपाल के द्वारा उक्त माल का इन्द्राज दिनांक 1 -11-82 को किया है जिससे एवं सहायक अभियन्ता विद्युत की रिपोर्ट दिनांक 11-10-82 तक न्यास के भण्डार में एवं एम.ए.एस. अकाण्डट में नहीं आने के उपरान्त भी उक्त अधिकारियों ने उक्त ठेकेदार को आर्थिक सहायता पहुंचाने की दृष्टि से 90 प्रतिशत यानि रु० 39,960 का भुगतान उक्त ठेकेदार को बिना माल प्रदाय के दिनांक 11-10-82 को किया है जो पूर्णता नियम विरुद्ध है तथा लेखा-

कार एवं लेखाधिकारी ने भी उक्त खरीद की पत्रावली में उपलब्ध नोट शीट के पैरा सं. 53 व 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उक्त माल के प्रदाय आदेश में 90 प्रतिशत तक भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी बिना माल के भुगतान करके आर्थिक सहयोग दिया है, अतः नियम विरुद्ध भुगतान के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करके दण्डित किया जावे ।

(ब) न्यास के कार्य आदेश सं० 788 दिनांक 1–7–82 के अनुसार मैसर्स इक्युपस इण्डिया जोधपुर को एंगल आईरन 50 × 50 × 6 के माप की प्रदाय करना था लेकिन उक्त कम्पनी ने उक्त एंगल 40 × 40 × 5 के माप की प्रदाय की है अर्थात् उक्त कम्पनी उक्त एंगल आइरन माफिक नमूना के प्रदाय नही की है । तथा अधिशासी अभियन्ता ने उक्त एगल आइरन की प्रदाय लेने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि एंगल आइरन की दर प्रति किलो पर है अतः कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा । लेकिन दोनों एंगल में मोटाई का अन्तर है तथा कार्य आदेश में उल्लेखित एंगल ज्यादा मजबूत एवं लम्बे समय तक चलने वाली है जब कि प्रदाय प्राप्त की एंगल की मोटाई कम है तथा प्रथम से कम चलने वाली है । इस प्रकार उक्त वृतान्त से स्पष्ट होता है कि सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता ने उक्त एंगल माफिक स्पेसिफिकेशन एक पर डिमाण्ड स्पेसिफिकेशन के प्राप्त न करके घटिया किस्म की प्राप्त की है तथा न्यास से लेखाशाखा के सबंधित कर्मचारी ने भी इस ओर अपनी लेखनी को मौन रख कर भुगतान करने में सहयोग दिया है ।

उक्त मामला अध्यक्ष, नगर विकास न्यास और सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाकर अनुरोध है कि उक्त एंगल एवं कांटेदार तार की खरीद रु० 101900 में गंभीर अनियमितताएं एवं न्यास कोष को 11150/– की स्पष्ट हानि पहुंचाई है अतः इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित किया जावेगा एवं हानि एवं व्याज राशि की प्रतिपूर्ति की जावे एवं परिणाम से इस विभाग को अवगत करावें ।

पीपल्दा क्षेत्र में कन्दरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण योजना

84. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में कन्दरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण योजना पर कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा कुल कितने रुपये की योजना थी ?

(2) उक्त योजना पर प्रतिवर्ष कितनी धन राशि व्यय की जानी थी तथा कितनी की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) वर्ष 1983–84 में इस योजना पर कुल कितनी रकम खर्च की गई तथा किस प्रकार ?

(4) उक्त महत्वपूर्ण योजना को सरकार कब तक पूर्ण कर देगी तथा इस हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, पीपल्दा क्षेत्र में पठार-संरक्षण एवं कन्दरा स्थिरीकरण योजना का कार्य वर्ष 1980–81 छठी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ किया गया । इस योजना में पीपल्दा क्षेत्र के लिये इस कार्य के लिए 1 करोड़ रु० की राशि प्रस्तावित की गई थी ।

(2) उक्त योजना पर प्रति वर्ष जो राशि व्यय की गई है उसका विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है ।

(3) वर्ष 1983–84 में इस योजना के लिये 11.74 लाख रु. आवंटित हुये तथा 10,52,954.00 रुपये की राशि जनवरी, 84 तक व्यय की गई है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) योजना की क्रियान्विति धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगी ।

विवरण तालिका

विवरण तालिका लक्ष्य एवं उपलब्धियां वित्तीय वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 एवं 1983–84

वर्ष	बजट आवंटन रुपये	वित्तीय उपलब्धियां रुपये
1980–81	2500000	2030700
1981–82	2594000	2608000
1982–83	2438000	2430000
1983–84	1174000	1174000

वर्ष 83-84 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तालिका

वर्ष	बजट प्रावधान रु०	प्रस्तावित कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य रु०	भौतिक उपलब्धियां रु०	वित्तीय उपलब्धियां रु०	योग रु०
1983–84 जनवरी 84	1174000	प्रस्थावना वेतन/भत्ता/मेडिकल कार्यालय व्यय/मशीनरी व टूल्स प्लान्ट्स 6 लघु कार्य ए यांत्रिकी कार्य	—	778000	—	701940.59	701940.59
		1. सर्वे प्लानिंग व डिजाईनिंग	—	—	—	—	—
		2. पुराने भवनों का संधारण		7000	—	2599.00	42641.09
		3. पुराने कंदरा सुधार कार्यों का संधारण।		40000	—	40042.09 42641.09	
		4. शैल्टर हट का निर्माण	—	—	—	—	—
		बी. वृक्षारोपण					
		1. बीज बुआई व वृक्षारोपण	400 हैक्टेयर	240000	400 हैक्टेयर	199546.74	308372.52
		2. पुराने प्लान्टेशन का संधारण।	4075 हैक्टेयर	109000	4075 हैक्टेयर	108825.78 308372.72	
योग :				1174000		1052954.20	1052954.20

निदेशक परियोजनायें (भू० स०),
वन विभाग, कोटा–2

223

ग्राम देवीकोट में पशु डिस्पेंसरी

85. **श्री अमीन खां** (शिव) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुनर्वास विभाग की तरफ से जैसलमेर जिले के ग्राम देवीकोट में पशु डिस्पेन्सरी व रहने के भवन तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार इस डिस्पेन्सरी में पूरा स्टाफ रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या बाड़मेर, जैसलमर जिलों के पशु चिकित्सालयों में दवाइयां हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और कब से हैं ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर–जैसलमेर जिलों के पशु स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर व स्टाफ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

माह 10/82 में ।

(2) जी, हां ।

वर्तमान में पूरा स्टाफ कार्यरत है ।

(3) जी, हां ।

अनुमोदित सूची में अंकित / उपलब्ध दवाइयां मांग के अनुसार जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं ।

(4) जी हां ।

कुछ केन्द्रों पर कुछ स्टाफ नहीं है ।

राजकीय कृषि फार्म

86. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं ?

(2) इनमें से कितने फार्म घाटे में चल रहे हैं ?

(3) इन फार्मों पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है और कितनी आय होती है ?

(4) इन फार्मों के अधीन कुल कितनी एकड़ जमीन है और उसमें से कितनी एकड़ भूमि पर अभी तक खेती नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 16 राजकीय कृषि फार्म हैं ।

(2) उक्त फार्म सर्वप्रथम राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के पास 5–8–76 से थे जो अधिकांशतः घाटे में रहे ।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) गत 3 वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यय लाख रुपयों में	आय लाख रुपयों में
1980-81	28.14	21.25
1981-82	23.71	21.12
1982-83 (जून-जुलाई 82 तक)	13.02	9.56

(4) इन फार्मों के अन्तर्गत कुल 772.32 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें से खरीफ 1983 में 593.52 हैक्टेयर व वर्तमान रबी में 392.07 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई नहीं की गयी है ।

कुशलगढ़ क्षेत्र में मोर नदी पर पुल की स्वीकृति

87. **श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला के कुशलगढ़ क्षेत्र में मोर नदी के पुल की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो पुल निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बरसात में बांसवाड़ा-कुशलगढ़ का आवागमन कई दिनों तक रुक जाता है ? क्या राज्य सरकार पुल का कार्य प्रारम्भ करायेगी ?

(3) क्या राजस्थान सरकार को ट्रायबल फंड से कोई बजट अलाट हुआ है ? यदि नहीं, तो मोर नदी पुल निर्माण के लिये ट्रायबल फंड से राशि अलाट की जावेगी ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में सड़कों के विकास हेतु दी जाने वाली तदर्थ सहायता के अन्तर्गत इस कार्य को सम्मिलित किया गया है । राज्य के योजना एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य हाथ में लिया जावेगा ।

(2) जी हां । आवागमन अधिक वर्षा के दिनों में अवरुद्ध हो जाता है । पुल बनाने का कार्य शीघ्र हाथ में लिए जाने की सम्भावना है ।

(3) जी नहीं । वित्तीय वर्ष 1983-84 में इस विभाग को इस कार्य हेतु अभी कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है ।

आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतनमान

88. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 31-10-83 द्वारा आयुर्वेद विभाग में कार्यरत चिकित्सकों के वेतनमान में संशोधन किया है ? यदि हां, तो कृपया दिनांक 31-10-83 के आदेश व संशो-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

धित वेतनमानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश के तहत चिकित्सकों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो उनको कौन-कौन से नये वेतनमान दिये गये हैं ?

(3) क्या आयुर्वेद निदेशालय ने आदेशों का गलत अर्थ लगाकर भारी संख्या में ऐसे चिकित्सकों को भी उच्च वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जा रहा है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पांच वर्ष डिग्री कोर्स की योग्यता नहीं रखते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

दिनांक 31–10–83 के आदेश एवं दिनांक 17–11–83 द्वारा संशोधित वेतनमानों के आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

चिकित्सकों की तो एक ही श्रेणी रखी गई है, किन्तु योग्यतानुसार निम्नांकित दो प्रकार के वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं :—

1. सम्बन्धित विषयों में 5 वर्षीय पाठ्यक्रम योग्यताधारी आशार्थियों को। 860–1750

2. अन्य आशार्थियों को जो कि 5 वर्षीय पाठ्यक्रम योग्यताधारी नहीं है। 740–1420

(3) जी नहीं।

उक्त आदेशों में उल्लिखित योग्यताधारी आशार्थियों को ही उच्च वेतन श्रृंखला दी जा रही हैं।

Copy of NOTIFICATION No. F. 17 (10) FD (Gr. 22)/82–I dated 31-10-1983 issued from Deputy Secy, to Govt., Finance (Gr. 2) Department, Raj., Jaipur.

NOTIFICATION

Sub :–Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983 namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Amendment Rules, 1983.

2. They shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-9-81

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983 in Section "B"—Schedule I—Ayurved Department—

(a) The existing entry at S. No. 1 appearing under heading (i) "Rajasthan Ayurved Service" shall be substituted by the following, namely :—

1	2	3	4	5	6
1.	Ayurved/Unani Homeopath/ Natureopath Chikitsak.	620–1100) 550–1010) 470–830) 440–770 .)	860–1750	(18)	For those who possess the qualification of 5 years' degree course in relevant subject.
			740–1420	(15)	for those who do not possess the qullification of 5 years' degree course in relevant subject.

Note : —Existing nomenclature Vaidya, Homeopath and Natureopath Gr. I and II have been changed as Adurved, Unani, Homeopath and Natureopath Chikitsak respectively.

(b) The existing entry at S. No. 9 appearing under heading "(ii) Rajasthan Ayurvedic Subordinate Service" shall be deleted.

(c) The existing entry at S. No. 1 appearing under heading "(iii) Other posts", shall be substituted by the following, namely :—

1	2	3	4	5	6
1.	Demonstra tor	620–1100	860–1750	(18)	For those who possess the qualification of 5 years' degree course in relevant subject.

(d) The existing entry at S. No. 15 and 17 appearing under heading "(iii) Other posts" shall be deleted.

By. Order of the Governor
Sd./-S. S. Parnami.
Dy. Secy. to Govt.

Copy of NOTIFICATION No. F 17 (10) FD (Gr. 2)/82-II dated 31.10.1983 issued from Dy. Secy. to Govt., Finance (Gr. 2) Deptt., Rajasthan, Jaipur.

NOTIFICATION

Sub :–Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 983

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Raj., is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Amendment Rules, 1983.
2. They shall be deemed to have come into force w.e.f. 1.9.1981.
3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983–in Schedule IV–Ayurvedic Department—

(a) the existing entry appearing under heading "(i) Rajasthan Ayurvedic Service", shall be substituted by the following, namely :—

2	3	4
Ayurved/ Unani/ Homeopath/ Natureopath Chikitsak.	860–1750 (18)	(i) Higher initial pay of Rs. 950/– shall be allowed to P.G. degree holders in relevant subject. (ii) Those who acquire P.G. degree in relevant subject while in service shall be allowed two advance increments or higher initial pay whichever is beneficial to them. (iii) Those who have already done P. G. in relevant subject and have not received higher in it ial pay or any advance increment previously shall also be allowed two advance increments

(b) the existing heading "(ii) Rajasthan Ayurvedic Subordinate Service" alongwith item appearing there-under shall be deleted.

(c) Under new heading "(ii) Other posts", the following new entry shall be inserted, namely :—

2	3	4
Demonstrator.	860–1750 (18)	(i) Higher initial pay of Rs. 950/–shall be allowed to P. G. degree holders in relevant subject. (ii) Those who acquire P. G. degree in relevant subject

2	3	4
		while in service shall be allowed two advance increments or higher initial pay whichever is beneficial to them.
		(iii) Those who have already done P. G. degree in relevant subject and have not received higher initial pay or any advance increment previously shall also be allowed two advance increments.

By Order of the Governor,
Sd./–S. S. Parnami.
Dy. Secretary to Govt.

Copy of NOTIFICATION No. F. 17 (85) FD (Gr. 2)/82 dated 17.11.1983 from Deputy Secy. to Govt., Finance (Gr. 2) Department, Raj., Jaipur.

Sub :–Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1983.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1980, namely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Amendment Rules, 1983.
2. They shall be deemed to have come into force with effect from 1.9.81

3. In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1.9.81 in Sheduled III

(a) New Table No. 10 (A), 13 (A) and 18 (A) shall be inserted as follows :—

TABLE No. 0 (A)

Existing Pay Scale (No. 10) 440–10–490–20–770.

Revised Pay Scale (No. 15) 740–20–900–25–1000–30–1300–40–1420.

Sl. No.	Stage in existing Pay scale	Fixation benefit	Amount of D.A. merged in basic Pay	Pre-fixation emoluments under Rule (4)	Pay fixation under Rule 11
1	2	3	4	5	6
1.	440	30.00	130.00	600.00	740
2.	450	30.00	130.00	610.00	740
3.	460	30.00	130.00	620 00	740
4.	470	30.00	130.00	630.00	740
5.	480	30.00	130.00	640.00	740
6.	490	30.00	130.00	650.00	740
7.	510	30.00	130.00	670.00	740
8.	530	30.00	160.00	720.00	740
9.	550	30.00	160.00	740.00	760
10.	570	30.00	160.00	760.00	780
11.	590	30 00	160.00	780.00	800
12.	610	30.50	160.00	800.50	820
13.	630	31 50	160.00	821.50	840
14.	650	32.50	160.00	842.50	860
15.	670	33.50	160.00	863.50	880
16.	690	34.50	160.00	884.50	900
17.	710	35.50	160.00	905.50	925
18.	730	36 50	160.00	926.50	950
19.	750	37.50	180.00	967.50	975
20.	770	38.50	180.00	988.50	1000 1030

1	2	3	4	5	6
					1060
					1090
					1120
					1150
					1180
					1210
					12[illegible]0
					1270
					1300
					1340
					1380
					1420

TABLE No. 13 (A)

Existing Pay Scale (No. 13) 470–10–490–20–830.

Revised Pay Scale (No.18) 860–20–900–25–1000–30–1300–40–1500–50–1750.

Sl. No.	Stages in existing Pay scale	Fixation benefit	Amount of D.A. merged in basic Pay	Pre-fixation emoluments under Rule (4)	Pay fixation under Rule 11
1	2	3	4	5	6
1.	470	30.00	130.00	630.00	860
2.	480	30.00	130.00	640.00	860
3.	490	30.00	130.00	650.00	860
4.	510	30.00	130.00	670.00	860
5.	530	30.00	160.00	720.00	860
6.	550	30.00	160.00	740.00	860
7.	570	30.00	160.00	760.00	860
8.	590	30.00	160.00	780.00	860

1	2	3	4	5	6
9.	610	30.50	160.00	800.50	860
10.	630	31.50	160.00	821.50	860
11.	650	32.50	160.00	842 50	860
12.	670	33.50	160.00	863.50	880
13.	690	34.50	160.00	884.50	900
14.	710	35.50	160.00	905.50	925
15.	730	36.50	160.00	926.50	950
16.	750	37 50	180.00	967.50	975
17.	770	38.50	180.00	988 50	1000
18.	790	39.50	180 00	1009.50	1030
19.	810	40 50	180.00	1030.50	1060
20.	930	41.50	180.00	1051.50	1060
					1090
					1120
					1150
					1180
					1210
					1240
					1270
					1300
					1340
					1380
					1420
					1460
					1500
					1550
					1600
					1650
					1700
					1750

TABLE No. 18 (A)

Existing Pay Scale (No. 17) 620–20–760–25–1010–30–1010

Revised Pay Scale (No. 18) 860–20–900–25–1000–30–1300–40–1500–50–1750.

Sl. No.	Stages in existing pay scale	Fixation benefit	Amount of D.A. merged in basic pay	Pre-fixation emoluments under Rule (4)	Pay fixation under Rule 11
1	2	3	4	5	6
1.	620	31.00	160.00	811.00	860
2.	640	32.00	160.00	832.00	860
3.	660	33.00	160.00	853.00	860
4.	680	34.00	160.00	874.00	880
5.	700	35.00	160.00	895.00	900
6.	720	36.00	160.00	916.00	925
7.	740	37.00	160.00	937.00	950
					975
8.	760	38.00	180.00	978.00	1000
9.	785.00	39.25	180.00	1004.25	1030
10.	810	40.50	180.00	1030.50	1060
11	835	41 75	180.00	1056 75	1060
					1090
12.	860	43.00	215.00	1118.00	1120
13.	885	44.25	215.00	1144.25	1150
14.	910	45.50	215.00	1170.50	1180
15.	935	46.75	215.00	1196.75	1210
16.	960	48.00	225.00	1233.00	1240
17.	985	49.25	225.00	1259.25	1270
18.	1010	50.50	225.00	1285.50	1300
19.	1040	52.00	225.00	1317.00	1340
					1380
20.	1070	53.50	260.00	1383 50	1420
21.	1100	55.00	260.00	1415.00	1420
					1460
					1500
					1550
					1600
					1650
					1700
					1750

NOTE :—

1. An existing Govt. servant shall, on fixation of his pay at

or on reaching subsequently at the stage of 950/-, 1060/- and 1340/-, have his pay fixed at the stage of 1000/-, 1120/-and 1420/-respectively on the date of his next annual increment.

2. The provisions of note 1 above shall also apply in case of an existing Govt. servant who is entitled to advance increments under Rule 13 of these rules."

(b) in Table No. 25 the existing words and figures "Revised Pay Scale (No. 24) 1750-50-1800-60-2100-75-2400-100-2500" shall be substituted by the words and figures "Revised Pay Scales (No. 25) 1920-60-2100-75-2400-1000-2500."

By order of the Governor,
Sd./-S. S. Parnami
Dy. Secy to Govt.

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची

90. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ. 11 (227) एस.पी.एच./ग्रुप-4/77, दिनांक 26-9-81 को सहायक अभियंताओं की एक वरिष्ठता सूची निकाली थी और उसके आधार पर पदोन्नति भी की गई थी ? यदि हां, तो कब और किसकी ?

(2) क्या उक्त वरिष्ठता सूची को प्रकाशित किया गया और उसकी प्रति विभाग को भेजी गई थी ? यदि हां, तो किस क्रमांक व तारीख द्वारा ?

(3) इसके पश्चात् क्या उक्त वरिष्ठता सूची को गलत मानते हुए इसके पूर्व की वरिष्ठता सूची के आधार पर भी पदोन्नति व पद स्थापन किये गये ? यदि हां, तो कब ?

(4) उपरोक्त परिस्थिति में 26-9-81 को प्रकाशित आदेशों के तहत की गई पदोन्नति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक करने का विचार है ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(5) क्या विभाग ने उपरोक्त सारी कार्यवाही की जांच करवाई है ? यदि हां, तो कब और किससे और इसका निष्कर्ष क्या निकला ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) क्योंकि आदेश दिनांक 26-9-81 वरिष्ठता सूची नहीं थी अतः प्रकाशित नहीं की गई।

(3) उक्त आदेश वरिष्ठता सूची नहीं थी परन्तु विभाग में तदर्थ रूप से पदोन्नतियां सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर स्थाईकरण आदेश दिनांक 13-6-80 के आधार पर वर्ष 82 में की गई।

(4) एवम् (5) दिनांक 26-9-81 के आदेश के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण किया गया जिसके विषय में अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन हैं।

ए. डागा स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज फैक्ट्री अजमेर रोड को हटाने का प्रकरण

91. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ए-डागा स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज नामक फैक्ट्री अजमेर रोड मदरामपुरा में स्थित है ?

(2) क्या उक्त फैक्ट्री को हटाने हेतु दिनांक 24-7-80, 24-9-81 व 18-2-82 को मंत्री महोदय ने जन-प्रतिनिधियों के बीच आदेश दिये थे ? यदि हां, तो नहीं हटाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री के अतिक्रमण सम्बन्धी फाइल गायब होने की स्वीकारोक्ति मंत्री महोदय द्वारा की गई थी ? क्या इस प्रकरण की जांच हुई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ?

(4) क्या जनहित में सरकार अब उक्त फैक्ट्री को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक हटा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 24-7-80, 26-9-81 को तहसीलदार नगर विकास न्यास ने फैक्ट्री हटाने के आदेश दिये थे किन्तु न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण नहीं हटाया गया है।

(3) जांच जारी है।

(4) न्यायालय से निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही कर दी जावेगी।

पीपलियां कलां गांव में हरी लकड़ी की चिराई की रोकथाम

92. श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) एवं श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के पीपलियां कलां गांव में रात को लकड़ी चीरने के आरे पर भारी मात्रा में हरी लकड़ी चीरने हेतु आती है ? यदि हां, तो इन आरों पर पिछले एक साल से कितनी लकड़ी चीरने हेतु प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, पाली को समय पर इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं, इसके उपरान्त भी उक्त आरे पर हरी लकड़ियों के चीरने का कार्य चालू रहा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके प्रति राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(3) क्या सरकार भविष्य में हरी लकड़ी की कटाई को रोकने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले के ग्राम पीपलियां कलां में दो लकड़ी चीरने की आरा मशीन लगी हुई हैं। आरा मशीनों पर चीरने के लिए जो लकड़ी आती है वह राजस्व भूमियों से आती है। उसका रिकार्ड वन विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

(2) जिलाधीश, पाली को माननीय विधायक श्री सुखलाल सेणचा द्वारा सम्बोधित शिकायत दिनांक 26-2-84, जिसकी एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, पाली को भी प्राप्त हुई थी, पर नायब तहसीलदार, रायपुर द्वारा दिनांक 4-3-84 को दोनों आरा मशीनों की आकस्मिक जांच की गयी। एक आरा मशीन (श्री अल्लादीन की आरा मशीन) पर कोई अवैध हरी लकड़ी नहीं पायी गयी और दूसरी आरा मशीन (श्री सलीम की आरा मशीन) पर लगभग 100 से 125 क्वि 0 हरी लकड़ी पायी गयी। जिसे पटवारी हल्का, पीपलियां द्वारा पूर्व में ही दिनांक 21-1-84 को चैकिंग पर अवैध पायी जाने पर कब्जा राज्य में ले लिया गया था। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 4-3-84 को जांच के समय लगभग 5 क्विंटल लकड़ी चीरते हुए पाया गया जिसे अलग से सुरक्षित रखवा दिया गया है।

(3) जी हां। हरी लकड़ी की कटाई रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं:—

1. वन विभाग में गश्ती दलों का गठन।

2. राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 84 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में संशोधन।

3. वन अधिनियम के तहत आरा मशीनों के लगाने पर नियंत्रण।

(राज्य मंत्री वन)

4. वन अधिनियम के तहत बने ट्रांजिट रूल्स में संशोधन।

5. वन अधिनियम के तहत वन अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों को निश्चित अधिकार प्रदान करना।

6. वन अपराधों में मुआवजा वसूल करने के कठोर मापदण्ड निश्चित करना।

चौमूं बाई पास के लिए भूमि अवाप्ति

93. श्री तेजपाल यादव (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या चौमूं बाई पास के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

चौमूं बाई पास के लिये भूमि अवाप्ति की अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बालोतरा सब-डिवीजन में कालेज खोलने की योजना

94. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में वर्तमान में प्रत्येक जिले में कितने कालेज है? क्या सरकार की सब डिवीजन बालोतरा, जिला बाड़मेर में कालेज खोलने की कोई योजना है?

उत्तर

महाविद्यालयों की जिलेबार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है, अतः सब डिवीजन, बालोतरा, जिला बाड़मेर में कालेज खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

राजस्थान के प्रत्येक जिले में राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा असहायता प्राप्त महाविद्यालय जो चल रहे हैं, उनकी सूची जिलेवार निम्न प्रकार है :-

जिले का नाम	क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्तर	विवरण
1	2	3	4	5
अजमेर	1.	राजकीय महा., अजमेर	पी.जी.	राजकीय

1	2	3	4	5
	2.	एस डी. महा., ब्यावर	पी. जी.	राजकीय
	3.	राजकीय महा., किशनगढ़	,,	,,
	4.	राजकीय महा., नसीराबाद	डिग्री	,,
	5.	राजकीय महा., केकड़ी	,,	,,
	6.	दयानन्द महा., अजमेर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	7.	सावित्री कन्या महा., अजमेर	,,	,,
	8.	विजयसिंह पथिक श्रमजीवी महा., अजमेर	डिग्री	,,
	9.	आदर्श डिग्री कन्या महा., अजमेर	,,	,,
	10.	प्रवज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर	पी.जी.	,,
	11.	सोफिया कन्या महा. अजमेर	डिग्री	,,
अलवर	1.	राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय कला महा, अलवर	,,	,,
	3.	राजकीय कन्या महा. अलवर	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़	,,	,,
	5.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	,,	,,
	6.	आर्य कन्या महा. अलवर	,,	असहायता प्राप्त
बांसवाड़ा	1.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	पी.जी.	राजकीय
बाड़मेर	1.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर	,,	,,
भरतपुर	1.	एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर	,,	,,
	2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, डीग	,,	,,
	4.	आर्य विद्यापीठ कन्या महा., भुसावर	,,	असहायता प्राप्त
भीलवाड़ा	1.	एम.एल.वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय कन्या महा., भीलवाड़ा	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा	,,	,,

1	2	3	4	5
बीकानेर	1.	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	पी.जी.	राजकीय
	2.	एम.एस. महिला महा. बीकानेर	डिग्री	,,
	3.	बी जे एस आर महाविद्यालय, बीकानेर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	4.	श्री जैन पी.जी. महा., बीकानेर	,,	,,
	5.	नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर	डिग्री	,,
बून्दी	1.	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	पी.जी.	राजकीय
चितौडगढ़	1.	राजकीय महाविद्यालय, चितौडगढ़	,,	,,
	2.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेडा	,,	,,
चूरू	1.	लोहिया महाविद्यालय, चूरू	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महा., सरदारशहर	डिग्री	,,
	4.	मोहता कालेज, सादुलपुर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	5.	सोनादेवी सेठिया कन्या महा., सुजानगढ़	डिग्री	,,
	6.	कन्या महाविद्यालय, चूरू	,,	सहायता प्राप्त
	7.	श्रीमती कमला देवी गोरीदत्त मित्तल महिला महा., सरदारशहर	,,	,,
डूंगरपुर	1.	राजकीय महा., डूंगरपुर	पी.जी.	राजकीय
धौलपुर	1.	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	डिग्री	,,
श्रीगंगानगर	1.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	पी.जी.	,,
	2.	राजकीय कन्या महा., श्रीगंगानगर	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महा. सूरतगढ़	,,	,,

1	2	3	4	5
	4.	एम.डी. महा., श्रीगंगानगर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	5.	ज्ञानज्योति महा., श्रीकरणपुर	,,	,,
	6.	नेहरू मैमोरियल महा., हनुमानगढ़	,,	,
	7.	जी.वी. महा., सांगरिया	,,	,,
	8.	एस.जी.एन. खालसा महा., श्रीगंगानगर	,,	,,
	9.	जी.एल. बिहाणी महा., श्रीगंगानगर	,,	,,
	10.	एम.जी. सांध्य महा., श्रीगंगानगर	डिग्री	सहायता प्राप्त
	11.	शहीद भगत सिंह महा., रायसिंह नगर	,,	,,
	12.	जी.वी. कन्या महा., सांगरिया	,,	,,
	13.	मीरा कन्या महा. सांगरिया	,,	,,
	14.	कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़	,,	,,
जयपुर	1.	राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई	डिग्री	राजकीय
	2.	राजकीय महा., चिमनपुरा	,,	,,
	3.	राजकीय महा., कालाडेरा	,,	,,
	4.	राजकीय महा., साम्भरलेक	,,	,,
	5.	राजकीय महा., दौसा	पी.जी.	,,
	6.	राजकीय महा., कोटपूतली	,,	,,
	7.	अग्रवाल महा., जयपुर	डिग्री	सहायताप्राप्त
	8.	एल.बी.एस. महा., जयपुर	,,	,,
	9.	एस.एस.जी. पारीक महा., जयपुर	,,	,,
	10.	एस.एस. जैन सुबोध, महा., जयपुर	,,	,,
	11.	सतसांई कन्या महा., जयपुर	,,	,,
	12.	कनोड़िया महिला महा., जयपुर	,,	,,
	13.	वीरबालिका कन्या महा., जयपुर	,,	,,

242

1	2	3	4	5
	14.	इन्स्टीट्यूट आफ हायर स्टेडीज, जयपुर	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	15.	राजस्थान इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टो-रिसर्च, जयपुर	,,	,,
	16.	श्री खण्डेलवाल वैश्य सांध्य महा., जयपुर	डिग्री	असहायता प्राप्त
	17.	अग्रवाल सांध्य महा., जयपुर	,,	,,
	18.	संत गयाचार्य महिला महा., (कला एवं वाणिज्य) रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर	,,	,,
झुन्झुनू	1.	जी.बी. पोदार महा., नवलगढ़	पी.जी.	सहायता प्राप्त
	2.	इन्दिरा गांधी बालिका निकेतन, अडावता	डिग्री	,,
	3.	चिड़ावा महाविद्यालय, चिड़ावा	,,	,,
	4.	एम.के. साबु महा., पिलानी	,,	,,
	5.	गोमती देवी महा., बड़ांगांव	,,	,,
	6.	मोती लाल महा., झुन्झुनू	पी.जी.	,,
	7.	शारद सदन महा., मुकन्दगढ़	डिग्री	,,
	8.	बाबा मोगिया कालेज आफ लॉ, पिलानी	,,	असहायता प्राप्त
	9.	श्रीमती इन्द्रमणि मांडलिया गृह विज्ञान शिक्षा निकेतन, पिलानी	,,	,,
	10.	केसरीदेवी ज्ञान मन्दिर महा., मुकन्दगढ़	,,	,,
	11.	जे.बी शाह कन्या महा., झुन्झुनू	,,	,,
जैसलमेर	1.	राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	डिग्री	राजकीय

(243)

1	2	3	4	5
झालावाड़	1.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	पी.जी.	राजकीय
	2.	बिड़ला महाविद्यालय, भवानीमण्डी	डिग्री	असहायता प्राप्त
जालौर	1.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल	डिग्री	,,
कोटा	1.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय वाणिज्य महा., कोटा	,,	,,
	3.	राजकीय कन्या महा., कोटा	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महाविद्यालय, बारां	,,	,,
	5.	हितकारी श्रमजीवी महा., कोटा	डिग्री	असहायता प्राप्त
	6.	एस.सी. महाविद्यालय आर्ट्स लॉ, कोटा	,,	,,
नागौर	1.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	,,	,,
	3.	कुचामन महाविद्यालय, कुचामनसिटी	डिग्री	असहायता प्राप्त
जोधपुर	1.	लाचू मेमोरियल महा., जोधपुर	,,	सहायता प्राप्त
	2.	ओंकारमल सोमानी महा., जोधपुर	,,	,,
	3.	लादू अगरचन्द गोलेछा महा., खींचन	,,	असहायता प्राप्त
पाली	1.	राजकीय महाविद्यालय, पाली	पी.जी.	राजकीय
	2.	श्री जैनतेरापंथी महा. राणावास	डिग्री	सहायता प्राप्त

२४५

1	2	2	4	5
	3.	एस.पी.यू. महाविद्यालय, फालना	डिग्री	सहायता प्राप्त
सिरोही	1.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	डिग्री	,,
सीकर	1.	एस.के. महाविद्यालय, सीकर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महा., नीमकाथाना	डिग्री	,,
	3.	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़	,,	,,
	4.	चमड़िया महाविद्यालय, फतेहपुर	,,	सहायता प्राप्त
	5.	बी.डी. तोदी महा. लक्ष्मणगढ़	,,	,,
	6.	श्री कृष्ण सतसंग बालिका महा., सीकर	,,	,,
	7.	रामकृष्ण धानुका महा, फतेहपुर	,,	असहायता प्राप्त
सवाई माधोपुर	1.	राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	डिग्री	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, करौली	पी.जी.	,,
	3.	राजकीय महा, गंगापुर सिटी	डिग्री	,,
	4.	राजकीय महा, हिण्डोन सिटी	,,	,,
टौंक	1.	राजकीय महाविद्यालय, टौंक	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महाविद्यालय, देवली	डिग्री	,,
	3.	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली	पी.जी.	सहायता प्राप्त
उदयपुर	1.	मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	पी.जी.	राजकीय
	2.	राजकीय महा., नाथद्वारा	,,	,,
	3.	बी.एन. महाविद्यालय, उदयपुर	,,	सहायता प्राप्त
	4.	उदयपुर स्कूल आफ सोशिल वर्क्स, उदयपुर	,,	,,
	5.	विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर	,,	,,

1	2	3	4	5
	6.	जवाहर विद्यापीठ कानोड़	डिग्री	सहायता प्राप्त
	7.	एम.एल.वी. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर	पी.जी.	,,

राजकीय महाविद्यालय	62
सहायता प्राप्त महाविद्यालय	46
गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय	22
कुल योग :	130

यमुना नदी से पेरीनियल सिंचाई

95. **श्री राजबहादुर (भरतपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य को यमुना नदी से पेरीनियल सिंचाई के लिए, तनिक सा भी जल नहीं मिल रहा है और न उस जल में राजस्थान राज्य का न्यायोचित भाग ही निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या राजस्थान राज्य को जो बरसात के दिनों में गुडगांव नहर व भरतपुर फीडर के लिये जिस मात्रा में पानी मिलने का करार हुआ था, वह भी नहीं मिल रहा है ?

(3) सन् 1977-78 से लेकर 1983-84 तक उक्त दोनों नहरों में किस किस मात्रा में कितने कितने दिनों के लिये पानी उत्तर प्रदेश अथवा हरियाणा से दिया गया है ?

(4) यदि उक्त करार पर अमल नहीं हो रहा है, तो क्यों और कौन इसके लिये जिम्मेदार है ?

(5) इन वर्षों में जो भी पानी मिला है उससे कितने एकड़ की सिंचाई हो सकती है और इन नहरों के जरिये से उक्त बरसाती पानी के द्वारा कितनी कितनी सिंचाई की क्षमता निश्चित की गई थी ?

उत्तर

(1) यमुना नदी के जल का राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश एवं देहली राज्यों में बंटवारा निर्धारित करने का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। अतः राजस्थान को यमुना नदी से बारामासी सिंचाई हेतु पानी न मिलने एवं न्यायोचित भाग को निर्धारित न करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) यह सही नहीं है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) वर्ष 1977-78 से 1983-84 तक गुडगांव नहर भरतपुर फीडर द्वारा राजस्थान को मिले पानी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	भरतपुर फीडर			
1977–78	4440	क्यूसेक दिन	32	दिनों में
1978–79	4648	,,	34	,,
1979–80	2575	,,	17	,,
1980–81	4824	,,	35	,,
1981–82	12711	,,	280	,,
1982–83	9505	,,	89	,,
1983–84	2520	,,	24	,,

	गुड़गांव नहर			
1977–78	शून्य			
1978–79	,,			
1979–80	,,			
1980–81	1056	क्यूसेक दिन	44	दिनों में
1981–82	750	,,	35	,,
1982–83	800	,,	103	,,
1983–84	855	,,	63	,,

(4) क्योंकि यमुना के पानी के बंटवारे का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, अतः यह प्रश्न अभी नहीं उठता।

(5) वर्ष 1977–78 से जो पानी की मात्रा प्राप्त हुई उससे जितनी सिंचाई हो सकती थी वास्तविक सिंचाई उतनी ही है जो कि इस प्रकार है :—

(सिंचाई मंत्री)

वर्ष	गुड़गांव नहर सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)	भरतपुर फीडर योग सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)
1977–78	744	2387
1978–79	48	1926
1979–80	—	1428
1980–81	1961	2487
1981–82	1591	7351
1982–83	2398	2112
1983–84	1250	4292

तखमीनों में निश्चित की गई वार्षिक सिंचाई क्षमता इस प्रकार है :—

भरतपुर = 18000 एकड़
गुडगांव नहर = 70000 एकड़

जयपुर में अवाप्त शुदा भूमि

96. **श्री जगनसिंह (बयाना) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)** : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में अवाप्त शुदा कितनी भूमि ऐसी है जिसका कब्जा नहीं लिया गया और क्यों ?

(2) क्या किसी अवाप्त भूमि पर कब्जा लेने में रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो किस किस भूमि पर किस किस स्तर से, कब से और क्यों ?

(3) उक्त भूमि किस किस व्यक्ति की है ?

उत्तर

(1) जयपुर में 1496-19 विस्वा अवाप्त शुदा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है जिसके निम्न कारण रहे हैं :—

(अ) विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश ।

(ब) राज्य सरकार से स्थगन आदेश ।

(स) अवार्ड जारी नहीं होने से कब्जा नहीं लिया ।

(द) कच्ची बस्ती बसी होने के कारण ।

(ई) कुछ मामलों में भूमि का कब्जा लेने हेतु आवश्यक कानूनी नोटिस जारी किए जा चुके । अब शीघ्र ही कब्जा लिया जावेगा ।

(2) जी हां । जिस-जिस भूमि पर जिस-जिस स्तर में जिस कारण से कब्जा लेने में रोक लगी है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) प्रश्न के भाग संख्या (2) के उत्तर के साथ दिए गए विवरण में खातेदार के नाम का उल्लेख है ।

जयपुर में अवाप्त शुदा भूमि का विवरण जिसका अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है–

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	ग्राम	कुल रकबा बी. वि.	कब्जा नहीं लेने का कारण स्थगन आदेश	दिनांक	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जय चामुंडा गृह निर्माण	20	हथरोई	4–12	अति. मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 2 जयपुर शहर से स्थगन आदेश	13-4-81	कानूनी मुद्दे
2.	श्रीमती प्रकाश महरा	244/1,246/2	मदरामपुरा	1–09	डी. बी. स्पेशल अपील नं. 5/72 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।	13–9–74	,, ,,
3.	ले. के. श्री भवानीसिंह जी पुत्र भू. पूर्व महाराजाधिराज श्री मानसिंह, राज. जयपुर।	111 112 113	भोजपुरा ,, ,,	(9–06 18–18 0–10	मा. उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मा. उच्च न्यायालय में डी. बी. स्पेशल अपील विचाराधीन।	10–10–74 14–9–78 10–11–82	,, ,,
4.	मैसर्स एस. एम. एस. लैण्ड	115	,,	1–10	,, ,,	,,	,, ,,

	डवलपमेन्ट कारपोरेशन, देहली	117	भोजपुर	0–04	मा. उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मा. उच्च न्यायालय में डी.बी. स्पेशल अपील विचाराधीन	10–10–74 14–9–78 10–11–82	कानूनी मुद्दे
5.	गांधी गृह निर्माण समि. लि.	118 मि.	,,	2–10	,, ,,	,,	,,
	दुर्गा निवास, गोखले मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर	120	,,	48·01	,, ,,	,,	,,
6.	राजस्थान पोलो क्लब, जयपुर	72 मि.	भवानी शंकरपुरा	126–17	,, ,,	,,	,,
7.	राजस्थान गोल्फ क्लब, जयपुर	73	,,	0–10	,, ,,	,,	,,
		74	,,	0–08	,, ,,	,,	,,
8.	फील्ड क्लब, जयपुर होर्स	75	,,	14–05	,, ,,	,,	,,
9.	होर्स ब्रीडिंग एण्ड राइडिंग	76	,,	0–10	,, ,,	,,	,,
	एसोसिऐशन, जयपुर	77	,,	.24–12	,, ,,	,,	,,
10.	प्लाव्र इन्टरनेशनल, जयपुर	85	,,	4–17	,, ,,	,,	,,
11.	ले.क. श्री भवानीसिंह जी	17: मि.	हथरोई	13–04	,, ,,	,,	,,
	पुत्र भू. पूर्व महाराजाधीराज	179	,,	4–05	,, ,,	,,	,,
	श्री मानसिंह, राजस्थान, जयपुर	180	,,	0–08	,, ,,	,,	,,
		181	,,	8–08	,, ,,	,,	,,
12.	मैसर्स एस.एम.एस. डवलपमेन्ट	182	,,	0–15	,, ,,	,,	,,

249

1	2	3	4	5	6	7	8
		183 मि,	हथरोई	2–16	मा. उच्च न्यायालय	10-11-82	कानूनी मुद्दे
		184 मि.	,,	4–13	से स्थगन आदेश मा.	14–9–78	,,
13.	गांधी गृह निर्माण समिति	185 मि.	,,	2–03	उच्च न्यायालय में डी.	10–11-82	,,
	लि. दुर्गा निवास, गोखले	187 मि.	,,	0–03	बी. स्पेशल अपील	,,	,
		188	,,	3–13	विचाराधीन	,,	,,
		189	,,	0–04	,, ,,	,	,,
		190	,,	0–03	,, ,,	,,	,,
		191 मि.	,,	0–19	,, ,,	,	,,
		193	,,	1–11	,, ,,	,,	,,
		194 मि.	,,	7–07	,, ,,	,,	,
		195 मि.	,,	0–08	,, ,,	,,	,
		196	,,	5–08	,, ,,	,,	,,
		197	,,	0–07	,, ,,	,,	,,
		198 मि.	,,	9–01	,, ,	,,	,,
14.	श्री सवाईसिंह पुत्र हरिनारायण जैठी, माली कारखाना की कोठी	110	हसनपुरा	0–16	मुआवजा स्वीकृति हेतु दि. 30–12–77 से राज्य सरकार के विचाराधीन	30- 2-77	,,
	पुरानी बस्ती, जयपुर	111	,,	0–06	,, ,,	,,	,,

		112	हसनपुरा	0–17	मुआवजा स्वीकृति हेतु दि. 30–12–77 से राज्य सरकार के विचाराधीन	30–12–77	कानूनी मुद्दे
		113	,,	3–19			
		114	,,	1–03			
		115	,,	0–04			
		116	,,	0–04			
		117	,,	0–05			
		112/182	,,	0–18			
		112/183	,,	0–04			
		113/184	,,	1–02			
15.	श्री हेरचन्द राम पुत्र भोरीलाल माली, हसनपुरा खातीपुरा रोड	103	खातीपुरा रोड	1–17	जिलाधीश जयपुर के समक्ष दि. 22–8–77 से मुआवजा निर्धारण विचाराधीन होने के कारण।	22–3–77	,,
		104	,,	0–12			
		105	,,	0–02			
16.	मैसर्स स्वेका प्रोपर्टीज लि.	383	मदरामपुरा	14–16	कब्जा लेने हेतु 30 दिवसीय नोटिस दि. 18–2–84 जारी किया जा चुका है। जिसकी अभी मियाद है।		
17.	गणेश पुत्र महादेव	233	,,	0–18	राज्य सरकार से स्थगन आदेश हैं।	19–8–74	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	अजमेर रोड कच्ची बस्ती	198 से 200, 202 से 207,214,226 245,133से134 136,137,139 141,143,147 135,21,24,32 33,270,271 293,297,298, 301,302	हसनपुरा बड़ोदिया	68–06	अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण एवं कच्ची बस्ती होने के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका		
19.	रामपुरा हाउसिंग का. सोसाइटी	22,23,25,26 27,28,29,30, 31	हसनपुरा मदरामपुरा	19–18	राज्य सरकार से	14.12.76	
20.	जैम टेलर	230	,,	2–05	अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण होने के कारण		
21.	वैद्य रामप्रताप	234,235,236	,,	1–11	,, ,,		
22.	दूलीचंद टांक	1,1/192	रामजीपुरा	17–00	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 2 से	24.10.83	कानूनी मुद्दे
23.	राज. समग्र सेवा संघ	47/227,47/228, 47/225,47/277,	चैनपुरा	09–01	,, ,,	20.10.84	,, ,,

	47/278,47/279					
24. गोकुल वाटिका	45,44,46,47, 47/229,47/230 47/231,47/226	,,	51–02	,, ,,	,,	,, ,,
25. महावीर हाउसिंग/ जयकुमार वगैरह	11,11/820से11/824	झालाना डूंगर	29–09	न्यायालय एडीशनल मुंसिफ मजि. जयपुर	24.2.83	,, ,,
26. महालेखापाल गृह निर्माण सह. समिति	110,109,111	मानपुरदेवरी	39–16	अपर मुंसिफ एवं न्या. मजिस्ट्रेट, जयपुर से	4.10.83	,, ,,
27. जयपुर इण्डस्ट्रियल स्टेट गृह निर्माण	19मि., 1/200, 1/200/223	रामजीपुरा	41–08	,, ,,	29.9.83	,, ,,
28. जयपुर ग्लास फैक्ट्री	461से463	रामपुराख्पा	23–17	राज्य सरकार से	22.10.83	उद्योग होने के कारण
29. प्रताप गेंदा वगैरह	24 21/122 से 24/124,24/128 से 24/134	रामजीपुरा	17–12	मा. उच्च. न्यायालय से	703/75	,, ,,
30. मोती चंद	105,105/184 से 105/90	मानपुरदेवरी	9–05	राज्य सरकार से	22.10.83	उद्योग होने के कारण
31. जय जवान गृह निर्माण	1/205,1/206,197 1/203,1/198,1/ 199,1/202	रामजीपुरा	34–15	,, ,,	7.1.83	रूपान्तरण के बाद
32. रमाकांत, जगन्नाथ	126,128,129,138, 139,146से150,163 164	चैनपुरा	8–02	मा. उच्च न्यायालय से	23/75	कानूनी मुद्दे

253

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	छाजू राम	16/219	रामजीपुरा	1–15	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	14.4.82	कानूनी मुद्दे
34.	राजहंस हा. सोसाइटी	69,72,73,82 83,12	रामजीपुरा दुर्गापुरा	20–04	राज्य सरकार से	24.12.80	—
35.	रघुनाथ पुत्र ज्ञाना	214,227,219 214/ 262,215,263	चैनपुरा	4–11	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,	5.7.82	कानूनी मुद्दे
36.	जगन्नाथ खडगा	212/260,199,202 210,198/256,205/ 258,220/265	,,	4–10	,, ,,	,,	,, ,,
37.	जानक्या रामकमार वगैरह	203	,,	0–03	,, ,,	,,	,, ,,
38.	जानक्या रामकवार वगैरह	192	,,	1–04	,, ,,	,,	,, ,,
39.	नानगा पुत्र महादेव	151 से 162	,,	7–14	,, ,	,,	,, ,,
40.	जानक्या पुत्र खडगा	197,189,195,200 212,216,220,220/ 267	,,	5–10	,, ,,	,,	,, ,,
41.	तारिया पुत्र भोरिया	68,166,169,170	,,	7–09	,, ,,	,,	,, ,,

42. रामकंवार पुत्र रूडगा	193,196,211,204/ 257,212/,261,220/ 266,220/268	,,	5-03	,, ,,	,,	,,	,,
43. लादू पुत्र लाला	206/208,209	,,	4-15	,, ,,	,,	,,	,,
44. लादू वगैरह	201	,,	0-05	,, ,,	,,	,,	,,
45, महालक्ष्मी हाउसिंग	21	रामजीपुरा	23-06	राज्य सरकार से	14.12.76	—	
46 बजाज नगर हाउसिंग	107 × 192	मानपुरदेवरी	2-17	,, ,,	,, ,,	कानूनी	मुद्दे
47. कल्याण मल मुरली वगैरह	322,323,325	रामपुराल्पा	2-04	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	12.8.83	,,	,,
48. अभयकुमारी	1/199	रामजीपुरा	6-00	राज्य सरकार से	27.8.82		
49. उतमल/परमेश्वरी देवी	372,373,374, में से	किशनपोल	5840 वर्गगज	अपरमुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर	6.7.81		
50. मुस्लिम हाई स्कूल	350/2	,,	0-18	कच्ची बस्ती होने के कारण			
51. ईश्वरलाल पुत्र चुन्नीलाल	268,269	संतोष सागर विजयमहल	2-06	अनधिकृत निर्माण एवं कच्ची बस्ती निर्माण होने के कारण कब्जा	—		
52. भौरीलाल पुत्र सेठू	262,263,265	,,	2-03	लेने का मामला अभी	—		
53. मोहन सिंह मेहता	11,12,13,14	,,	2-04	विचाराधीन है।	—		
54. भौंरीलाल, राधेश्याम वगैरह	7,8,10	,,	0-14	,, ,,	—		

258

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	श्यामलाल पुत्र जगमोहन	4,5,6	संतोष सागर विजय महल	0-14	अनधिकृत निर्मान एवं कच्ची बस्ती निर्मान होने के कारन कब्जा लेने का मामला विचाराधीन है	6.7.81	कानूनी मुद्दे
56.	श्रीमती ठुकरानी प्रेमकुमारी वगैरह	259,260	,,	2–06	,, ,,	—	
57.	श्योनारायण व नाथूलाल	274से276	,,	2–04	,, ,,		
58.	हीरा पुत्र जमुना	277से280	,,	0–16	,, ,,	—	
59.	रामगोपाल, रामानन्द	256,258	,,	1–07	,, ,,	—	
60.	मनमोहनलाल गोयल	270से276	,,	4–08	,, ,,	—	
61.	ग्राम विजय महल आबादी के कच्चे मकानात	259,260	,,	2–06	,, ,,	—	
62.	कल्लू व अब्दुल्ला	318 मिन	सोडाला	3–12	संबधित खातेदारों को कब्जा देने हेतु 30 दिवस का नोटिस जारी हो चुका है कब्जा शीघ्र लिया जायेगा		
63.	उमाशंकर पुत्र शिवनारायण रामगोपाल पुत्र भगवानदास	278	सोडाला	24–00	संबंधित खातेदारों को कब्जा देने हेतु 30 दिवस		

				का नोटिस जारी हो चुका है कब्जा शीघ्र लिया जायेगा।	
64. मोहरू पुत्र खुशाला	319 मि.	,,	0–05	,,	,,
65. देवी सिंह व समन्दर सिंह	324	,,	1–00	,,	,,
66. राजकुमार रामेश्वर सिंह पुत्र महारावल सिंह	328 मि.	,,	12–07	,,	,,
67. देवी सिंह पुत्र जवाहर सिंह	330 मि.	,,	0–06	,,	,,
68. भूरा व छगना पुत्र जूथा	236,237,238 239,240	सुशीलापुरा	1–11	,,	,,
69. घासी पुत्र हरदयाल, दोलतराम पुत्र कन्हैयालाल	309	,,	0–16	,,	,,
70. नाथू पुत्र बीजा	312	,,	0–03	,,	,,
71. मोरिया पुत्र कुसाला	313/344	,,	0–10	,,	,,
71. श्रीमती निर्मला देवी	138 मि., 139	करतारपुरा	1–14	,,	,,
72. श्योबक्श पुत्र नारायण	133,132,131 283 मि.	,,	2–05	,,	,,
73. कृपा शंकर व उमाशंकर विजय शंकर नाबालिग पुत्र विशंभर दयाल 3–19 सिवाय चक	284 मि. 284/2	,,	1–07	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	राधेश्याम पुत्र मीठालाल	289 मि. 290,295 294,296	,,	2–00	संबंधित खातेदारों को कब्जा देने हेतु 30 दिवस का नोटिस जारी हो चुका है। कब्जा शीघ्र लिया जायेगा		
76.	रामगोपाल पुत्र मांगीलाल	448,449,451 452 मिन	,,	1–11			
77.	ग्रान्या पुत्र गणेश	454,455,464 मिन	,,	2–18	,, ,,		
78.	मेवा नारायण वगैरह	463 मिन	,,	2–00	,, ,,		
79.	लच्छया छोट्या पुत्र चंदा प्रभु पुत्र कजोड	142.144,149 151,153	गोपालपुरा	5–07	,, ,,		
80.	रामसहाय वगैरह	192 मि.	,,	2–06	,, ,,		
81.	विजय लाल कल्याण वगैरह	182,185,183 मि.	,,	0–10 1/2	,, ,,		
82.	छोटू पुत्र ग्यारसीलाल	203,204,208 209	,,	2–16	,, ,, ,, ,,		
83.	लालाराम पुत्र भौरिया	210 मि.	,,	2–16	,, ,,		
84.	चंदा पुत्र मोहनलाल	211 मि.	,,	0–01	,, ,,		
85.	नानगराम गोपीलाल वगैरह	269 मि.	,,	1–04	,, ,,		
86.	सुन्देव पुत्र जनकराज आदि	271 मि.	,,	2–04	,, ,,		

87. ओम प्रकाश सेठी	178 मि.	,,	0–08	,,	,,		
88. गोपाल लाल वगैरह	145 मि.	,,	0–1 1/2	,,	,,		
89. श्रीमती राजेश्वरी देवी	24,25 मि.	,,	0·09	,,	,,		
90. पी.एच. अलेक्जेण्डर	372 से 375	किशनपोल	11153 व. ग.	अवार्ड हेतु विचाराधीन है मा. उच्च न्यायाय से	169/75	कानूनी मुद्दे	
91. भंवर लाल वगैरह	120,120/199 120/200/121 122,59,60,61 से 67	दुर्गापुरा मानपुरदेवरी	28–09				
92. होटल क्लार्क आमेर	7,8,5/177,13/169,13/170, 13/171 से 13/173,5/174 से 5/177,15/169,3/180, 4,5,16	रामजीपुरा	44–19	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर	14.4.82	,,	,,
93. ट्रक स्टेट (गोटेवाली की बगीची)	-4	जामडोली	1581 व.ग.	मा. उच्च न्यायालय से	1104/75	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	केपस्टन मीटर्स						
95.	जय ड्रिंक्स	16,18,521, 522,524,528, 530,115,115/ 195,118/196, 118/197,118/ 198,119,14, 15,126,525, 527	झालाना डूंगर मानपुरदेवरी	225–10	राज्य सरकार से	22.10.83	उद्योग स्थापित होने के कारण
96.	प्रताप नगर हाउसिंग सोसायटी	103/183,103/ 202	मानपुरदेवरी	13–07	राज्य सरकार से	14.12.76	17 सोसायटी के बाबत
97.	मालवीय इंजीनियरिंग कालेज	1,4,6,21,22	झालाना डूंगर	78–04	राज्य सरकार के विचाराधीन है	21.8.74	
98.	जयपुर भवन निर्माण सहकारी समिति	53,54/59,52/ 232,55,56,58, 56/270, 53/260	चैनपुरा	16–12	राज्य सरकार से	14.12.76	17 सोसाइटियों के मामले
99.	न्यू लाइट हाउसिंग सोसायटी	106,107,107/ 191,114	मानपुरदेवरी	38–11	राज्य सरकार से	29.5.74	

100. हरवक्ष पुत्र फतेहराम	372/527	भोजपुरा	00–03	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 जयपुर	20.7.83	कानूनी मुद्दे
101. श्रीमती सज्जन देवी	174/ 00	,,	00–04	,, ,,	26.2.83	,, ,,
102. महेन्द्र कुमार जैन	80/486	,,	00–03	,, ,,	26.2.83	,, ,,
103. मंगला पुत्र टेका	204/503,210/	,,	00–08	,, ,,	9.3.83	,, ,,
	504			,, ,,	9.3.83	,, ,,
104. अपोलो हाउसिंग सोसायटी	267/521,266/ 520	,,	00–06			
105. मूलचंद वगैरह	389	,,	03–07	न्यायालय अपर मुंसिफ कोर्ट नं० 2, जयपुर	30.5.81	,, ,,
106. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जोशी	82/495	,,	00–11	,, ,,	20.4.83	,, ,,
107. महाराजकुमार भवानीसिंह	85	,,	00–10	राजस्थान उ० न्यायालय	4.6.76	,, ,,
108. श्रीमती लक्ष्मी देवी	235/570	,,	00–01	अपर मुंसिफ एवं न्यायिक जूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 2	20.7.83	,, ,,
सोगानी	236/512		00–05			
109. राजेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री रामप्रकाश गहलोत	240/514	,,	00–11	राज. उच्च न्यायालय	26.5.72	,, ,,

261

२९८

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	सरदार लाभसिंह	18	रामजीपुरा	11–17	अपर मुंसिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर	22.6.81	कानूनी मुद्दे
					” ”		
111.	सरदार लाभसिंह	18 मिन, 91/276	”	21–02	अवार्ड हेतु विचाराधीन है।		
112.	श्रीमती तारा देवी	235	रामजीपुरारूपा	0–03	राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।		
		304	”	0–03			
			कुल	1496–19			

राज्य में कारखानों से वायु प्रदूषण

97. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :** क्या पर्यावरण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में लगे हुए कारखानों से वायु प्रदूषण हो रहा है, जमीनें खराब हो रही हैं तथा पेयजल भी दूषित हो रहा है जो मनुष्यों एवं जानवरों के लिए घातक है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिये अब तक क्या प्रयास किये और कहां क्या सफलता मिली ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि राज्य में कारखानों से वायु प्रदूषण होने, जमीनें खराब होने व पेयजल दूषित होने की आशंका बनी रहती है।

प्रदूषण को रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

प्रदूषण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण

प्रदूषण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 क्रमशः मार्च, 1974 एवं मई, 1981 में राज्य में लागू किये गये जो क्रमशः अगस्त, 1975 एवं नवम्बर, 1983 में उक्त अधिनियमों के अधीन नियम जारी होने के साथ प्रभाव में आ गये। उक्त अधिनियमों के अधीन राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल का गठन फरवरी, 1975 में हो चुका है।

राज्य मण्डल के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप जलप्रदूषण करने वाले 131 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में से 34 उद्योगों में उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित हो चुके हैं व अन्य 6 में योजना निर्माण स्तर पर है। प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण 70 टैक्सटाइल लघु उद्योगों के अतिरिक्त 10 वृहद व 6 मध्यम श्रेणी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम की कार्यवाही वायु अधिनियम, 1981 के अधीन बनाये गये नियमों के नवम्बर 83 में जारी होते ही तेज हो गयी है। उद्योगों को पत्राचार व बैठकों में आमंत्रित कर उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार 24 मार्च, 84 तक सम्मति आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने व वायु प्रदूषण के लिए समुचित कार्यवाही करने को कहा गया है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। प्राथमिकता को देखते हुए मण्डल ने सीमेन्ट, खाद व रसायन उद्योगों, पावर प्लांट व माइनिंग उद्योगों की ओर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है।

विजवा माता से टेकरा वाय जोधपुर सड़क

98. **श्री कमला भाई मीणा (लसा-**

(२६४)

ड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सड़क विजवा माता से टेकरण वाया जोधपुर, ग्रामलवा, मानपुर पाडा, बिडावल; देवलीया, ग्रगड़, धोलीया, ग्रारणिया तक प्लान में लेकर बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यह बताने की कृपा करें कि ये सड़क बन जाने से कितने गांव के ग्रादिवासियों को लाभ मिल सकता है।

उत्तर

(1) विजवा माता से टेकरण सडक वाय जोधपुर, ग्रामलवा, मानपुर पाडा, बिडावल, देवलीया, ग्रगड, धोलीया, ग्रारणिया की कुल लम्बाई 72 कि०मी० है। मास्टर प्लान के मापदण्डों मे नहीं ग्राने के कारण इस सड़क को निकट भविष्य में बनाये जाने की कोई योजना नहीं है।

(2) इस सड़क के बन जाने से दस गांवों के ग्रादिवासियों को लाभ मिल सकता है।

रीको यूनिटों में लाभ-हानि

99. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले पांच वर्षों में "रीको" की कौन-कौन सी यूनिट लाभ व हानि में थी? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि "रीको" द्वारा निर्मित टेलीविजन निर्माण के लिए किसी उद्योगपति से कोई सौदा किया गया है? यदि हां, तो किससे, कब एवं किन शर्तों पर ?

उत्तर

(1) रीको की दो इकाइयां हैं (1) टेलीविजन फैक्ट्री (2) वाच एसेम्बली यूनिट।

(1) टेलीविजन फैक्ट्री की स्थापना सन् 1974 में की गई थी और तभी से यह इकाई लाभ दर्शाती आ रही है। पिछले पांच वर्षों के लाभ का ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :—

वर्ष	लाभ (रु० लाखों में)
1978-79	12.75
1979-80	18.40
1980-81	17.66
1981-82	18.22
1982-83	12.82

(2) वाच एसेम्बली यूनिट की स्थापना सन् 1979 में हुई थी। इसके लाभ-हानि का ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :—

(रु० लाखों में)

वर्ष	लाभ	हानि
1979-80	—	2.36
1980-81	—	0.54
1981-82	6.21	—
1982-83	3.25	—
योग :—	9.46	2.90

शुद्ध लाभ रु० 6.56

(2) जी नहीं।

जोधपुर शहर के हैण्ड पम्पों की स्थिति

100. **श्री नाथू सिंह** (बांदीकुई) एवं

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में कितने हैण्ड पम्प कब कब लगाये गये ?

(2) इनमें से कितने हैण्ड पम्प इस समय चालू स्थिति में हैं ?

(3) क्या इन हैण्ड पम्प्स के पानी की जांच की गई है ? यदि हां, तो कब ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन सभी हैण्ड पम्प्स का पानी पीने योग्य है ? यदि नहीं, तो कितनों का पानी पीने योग्य नहीं है ?

(5) हैण्ड पम्प पीने के पानी हेतु लगाये जाते हैं या किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी ? यदि अन्य प्रयोजन हेतु भी लगाये जाते हैं, तो राजस्थान में अन्य प्रयोजन हेतु कहां-कहां लगाये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) कुल 440 सफल हैण्ड पम्पों में से दिनांक 2 मार्च, 1984 को 403 हैण्ड पम्प चालू स्थिति में थे।

(3) जी हां, 440 सफल हैण्ड पम्पों में से 436 सफल हैण्ड पम्पों के पानी की जांच की गई है। हैण्ड पम्पों के पानी की जांच सितम्बर, 1981 से सितम्बर, 1983 के मध्य की गई है। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, इनका पानी पीया जा सकता है। परन्तु 78 प्रतिशत हैण्ड पम्पों का पानी, पीने के पानी के लिये निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं है।

(5) हैण्ड पम्प दैनिक आवश्यकताओं की जलपूर्ति हेतु लगाये जाते हैं। जिसमें पानी पीने हेतु, खाना बनाने हेतु, कपड़े व बर्तन धोने, नहाने व अन्य कार्य हेतु काम में आता है।

विभागीय एवं प्राइवेट पार्टीज द्वारा खोदे गये हैण्ड पम्प का माहवारी विवरण

माह	विभागीय रिग		प्राइवेट पार्टीज		योग		महायोग
	सफल	असफल	सफल	असफल	सफल	असफल	
1. सितम्बर, 1981	56	21	—	—	56	21	77
2. अक्टूबर, 1981	59	15	—	—	59	15	74
3. नवम्बर, 1981	64	11	8	—	72	11	83
4. दिसम्बर, 1981	7	1	10	—	17	1	18
5. जनवरी, 1982	16	2	9	—	25	2	27
6. फरवरी, 1982	76	13	34	1	110	14	124
7. मार्च, 1982	3	—	55	—	58	—	58
8. अप्रेल, 1982	10	—	8	—	18	—	18
9. मई, 1982	10	—	8	—	18	—	18
10. जून, 1982	3	—	5	—	8	—	8
11. जुलाई, 1982	—	—	3	—	3	—	3
12. अगस्त, 1982	—	—	3	—	3	—	3
13. सितम्बर, 1982	—	—	1	—	1	—	1
14. दिसम्बर, 1982	2	—	—	—	2	—	2

(269)

जोधपुर शहर के हैण्ड पम्पों के पानी के नमूनों की जांच का मासिक विवरण

क्र. सं.	माह	नमूनों की संख्या
1.	सितम्बर, 81	12
2.	अक्टूबर, 81	4
3.	नवम्बर, 81	55
4.	दिसम्बर, 81	9
5.	जनवरी, 82	17
6.	फरवरी, 82	16
7.	मार्च, 82	11
8.	अप्रेल, 82	17
9.	मई, 82	9
10.	जून, 82	10
11.	जुलाई, 82	6
12.	जनवरी, 83	1
13.	मई, 83	43
14.	जून, 83	29
15.	अगस्त, 83	29
16.	सितम्बर, 83	168
	कुल :-	436

क्र. संख्या	हैण्ड पम्प का स्थान	वार्ड स०	क्लोराइड	टी०डी०एस०	नाइट्रेट	फ्लूराइड	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महवीर नगर हड्डी फैक्ट्री के पीछे औद्योगिक क्षेत्र	1	780	3190	264	0.6(0.6)	
2.	मिल्क मैन कालोनी थाना के पास	1	180	780	198	0.3	
3.	सिंधी मुसलमान कालोनी मसुरिया मदरसा के बीच में	1	330	940	297	0.5	
4.	भाटों का बास 12 वी रोड सरदारपुरा	1	280	1120	297	0.3	
5.	बासनी गांव कुम्हारों का वास	1	2550	6300	—	शून्य	
6.	बासनी गांव मेघवाल बस्ती	1	1650	4950	—	—	
7.	सिंधी मुसलमान कालोनी दलेखां की चक्की के पास	1	100	780	110	0.7	
8.	शिव बस्ती श्रमिकपुरा मसुरिया नाला के हास	2	320	1200	22	0.5	
9.	बरगी बस्ती मसुरिया गौरिशंकर के मकान के पास	2	1460	2980	66	0.7	
10.	श्रमिकपुरा 1 मदरसा के पास	2	1560	3780	110	0.3	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्रमिकपुरा II तेल की घाणी के पास	2					
12.	नटिया बस्ती मसुरिया सरपंच के मकान के पास	2	280	1120	440	0.7	
13.	शिव बस्ती II मसुरिया श्रमिक पुरा मन्दिर के पास	2	230	400	22	—	
14.	मिल बस्ती I मसुरिया रामदेवरा सड़क के पास	2	530	2250	550	1.7	
15.	मिल बस्ती II मसुरिया	2	540	1660	209	2.1	
16.	लंगा कोलोनी मसुरिया	2	310	1260	66	—	
17.	दुर्गादास कालोनी मसुरिया	2	660	1640	22	0.8	
18.	बालाजी के मन्दिर के सामने वाली गली मसुरिया	2	160	620	66	0.7	
19.	कुम्हारों की बगेची के सामने रामदेवरा सड़क	2	330	1680	209	5.0	
20.	बलदेव नगर मसुरिया महादेव मंदिर के पास	2	410	900	22	0.7	
21.	बाबु राजेन्द्र मार्ग मसुरिया	2	340	1280	187	2.6	

(269)

22. संतोषपुरा रामदेवरा सड़क मसुरिया	2	540	2180	495	1.6
23. मेघवाल बस्ती मसुरिया	2	410	2070	250	2.2
24. राव बस्ती मसुरिया	2	360	2360	330	0.9
25. ग्वारीया बस्ती	2	320	1700	209	1.4
26. सुन्दर हिल चौपासनी	3	340	1800	242	—
27. चानणा भाकर स्कूल के पास	3	70	500	110	0.2
28. चानणा भाकर महादेव मन्दिर के पास	3	200	1070	230	शून्य
29. चानणा भाकर III ज्योति नगर	3	70	500	48	—
30. कमला नेहरू नगर रेलवे गली नारायण लाल जी के मकान के पास	3	290	1070	46	—
31. गांव चौपासनी चौक	3	280	1270	154	—
32. अखेराजजी का तालाब	3	770	1870	13	1.3
33. भहजी बावड़ी फिल्टर हाउस के सामनें वाली गली	3	150	700	48	—
34. गुरों का तालाब	3	600	2150	200	—
35. चौपासनी मंदिर के पास	3	440	1960	287	—
36. चौपासनी गांव के बाहर बालाजी के मंदिर के पास	3	80	480	154	—
37. सोडों की ढाणी सडक पर सूरसागर	4	300	1010	40	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	छोटजी का बेरा सूरसागर						
39.	रूपावलों का बेरा सूरसागर प्याऊ के पास	4	60	430	44	—	
40.	,,	4	250	1080	88	1.6	
41.	काली बेरी वेलदार वस्ती	4	70	470	22	0.3	
42.	विजयसिंह के नोहरे के पार सूरसागर	4	100	580	4	1.0	
43.	भाकरी बास सूरसागर	4	620	2030	154	—	
44.	न्यू कालोनी सूरसागर	4	1220	4500	459	0.7	
45.	गनबा स्कूल सूरसागर	4	660	1770	13	—	
46.	हुकमारामजी जी प्याऊ सूरसागर	4	80	430	44	0.9	
47.	हनुमानजी का बाड़ीया सूरसागर	4	100	540	22	—	
48.	तिवरी चौराया सूरसागर	4	710	1480	44	0.7	
49.	बिचला बास सूरसागर	4	900	1350	459	—	
50.	काली बेरी पानी को टंकी के पास	4	100	540	9	1.5	
51.	रूपावतों का बास सूरसागर	4	300	1330	110	0.7	
52.	सोडों की ढाणी गांव में सूरसागर	4	120	580	120	1.8	
53.	गोयलों की ढाणी सूरसागर	4	370	1480	110	1.5	
54.	मंडेरों की ढाणी सूरसागर	4	310	1550	33	1.3	

(271)

55. भूरी बेरो सूरसागर	4	40	315	4	1.2
56. शिव मंदिर कुत्तों के बाड़े के पास	4	70	420	9	—
57. जाकीर हुसैन कालोनी मसुरीया काजीजी रहमान के मकान के पास	5	170	1260	>220	1.0
58. लाला लाजपत राय कालोनी मसुरिया	5	110	500	22	—
59. जाकिर हुसैन कालोनी I आसी बाई की मस्जिद के पास मसुरिया	5	190	800	>220	1.0
60. ,, II काबूतो की गली के पास मसुरिया	5	470	3780	>220	0.9
61. सरगरा कालोनी खालसा बस स्टेन्ड के पास	5	190	1420	>230	1.0
62. सकिना कालोनी महेश स्कूल के पीछे	5	560	2730	>550	0.5
63. जगदम्बा कालोनी हरिजन बस्ती पीलीया हाउस के पीछे	5	180	940	88	0.9
64 5वीं सड़क हनुमानजी के मंदिर के पास सरदारपुरा	5	520	2150	330	1.1
65. चौपासनी रोड हाजी बिल्डिंग गली के पास	5	100	700	209	0.9
66. सरगरा कालोनी मिस्त लालाजी का मकान	5	190	760	88	0.6
67. इकलिंग जी	6	140	760	18	--

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	गोर प्रस्तुती गृह चांदपोल के बाहर	6	170	760	100	0.8	
69.	बरकत कालोनी गली के अन्दर चेयरमेन के मकान के पास	6	240	880	4	—	
70.	बरकत कालोनी I आकलीया चौराया	6	230	1230	178	—	
71.	रामदेव पैट्रोल पम्प सुरसागर	6	150	880	99	—	
72.	अम्मेदकर कालोनी प्रताप नगर	6	200	1340	187	—	
73.	भिल बस्ती संजय स्मारक के पास (कच्ची बस्ती प्रताप नगर)	6	270	1420	264	—	
74.	बड़ी भिल बस्ती चांदपोल	6	590	2500	330	0.5	
75.	रघुनाथ बस्ती चांदपोल	6	100	500	22	0.1	
76.	राजबाग मेघवाल बस्ती सुरसागर	6	190	680	22	0.1	
77.	प्रतापनगर आवास मण्डी क्वाटर ई के पास	6	90	730	176	—	
78.	,, एफ सैक्टर वार्ड नं.	6	130	880	132	—	
79.	सांखलो का बास विद्याशाला	7	140	760	77	0.9	
80.	पुलिस थाने के पास सुरसागर	7	220	1230	132	0.9	
81.	व्यापारियों का मोहल्ला सुरसागर	7	170	790	66	—	
82.	मालियों का वास ब्रह कुण्ड के पास सूरसागर	7	40	460	22	0.5	

273

83. मयारडियों की घाटी चांदपोल के बहार	7	490	2030	264	0.9
84. सुरतियान I हनुमान जी के मंदिर के पास	7	270	860	44	—
85. ,, II सूरसागर	7	100	500	66	0.2
86. ,, III सूरसागर बडला पीपल	7	270	1190	88	0.4
87. सुभाष चौक सूरसागर	7	170	650	66	—
88. शंकर लाल जी के मकान के पास सूरसागर	7	200	1070	132	0.9
89. छोटी मिल बस्ती चांदपोल के पास	7	360	2070	495	0.7
90. बकतावरजी का बैरा सूरसागर शंकर मशीन के पास	7	680	2760	495	0.6
91. ऊंटों की ढाल सूरसागर रेलवे क्रोसिंग	7	110	540	22	1.3
92. खेतानाड़ी I महामंदिर	8	280	900	88	—
93. खेतानाड़ी II रेलवे क्रोसिंग के पास	8	170	720	88	0.2
94. भियाली बेरा मंडोर	8	650	1550	66	0.1
95. ,, हवाला बैंक के पास मंडोर	8	160	840	59	—
96. बेजनाथ	8	230	610	22	1.6
97. बाल समन्दका गली के अन्दर	8	260	1010	8	शून्य
98. रेलवे स्टेशन मण्डोर	8	130	770	77	शून्य
99. सांगी स्कूल मण्डोर	8	270	860	22	0.6
100. आमली बेरा मण्डोर	8	580	1960	187	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	मण्डावता स्कूल मं. 2 मण्डोर	8	240	830	66	0.2	
102.	गोपी वेरा मण्डोर	8	1210	2380	154	0.1	
103.	नागोरी वेरा स्कूल के पास मण्डोर	8	130	500	43	0.9	
104.	चतुरावतों का वेरा मण्डोर	8	1000	2160	66	1.0	
105.	बी.एस.एफ. केन्द्रीय विद्यालय के पास	8	100	470	22	0.1	
106.	बी. एस. एफ. क्वाटर गार्ड	8	50	300	22	0.1	
107.	बी. एस. एफ. दईजी रेंज	8					
108.	बी. एस. एफ. ग्राउण्ड	8	70	470	22	0.2	
109.	बी. एस. एफ. I आई. एस. टी. सी. सेन्टर	8	80	690	22	0.3	
110.	आर. ए. सी. I (सिक्स)	8	90	610	22	0.7	
111.	आर. ए. सी. II	8	130	770	22	0.9	
112.	कच्ची बस्ती डिस्टोलरी अमरपुरा मण्डोर	8	80	610	22	0.4	
113.	हरिजन बस्ती मण्डोर टेंक के पास	8	570	2380	550	0.6	
114.	बड़ी मण्डावता मण्डोर	8	330	1460	44	2.1	
115.	पहाड़गंज मण्डोर	8	140	770	66	0.8	
116.	मण्डोर बांध जसवन्त सागर	8	480	1920	22	1.6	
117.	गौशाला मण्डोर सड़क	8	120	610	22	0.4	

(275)

118. कृषि मण्डी मण्डोर पोस्ट ऑफिस के पास	8	190	880	22	0.8
119. ,,........ के पीछे चौक में	8	420	1650	242	1.1
120 बी. एस. एफ. II एम. टी.	8	150	500	22	0.3
121. मेघवाल बस्ती बासनी तम्बोलीया	9	150	1000	176	1.0
122. भिल बस्ती पूंजला	9	170	1080	187	0.8
123. बासनी मंगरापूंजला II स्कूल के पास	9	90	540	88	0.7
124. बासनी मंगरापूंजला स्कूल के पास	9	270	970	22	0.7
125. व्यायामशाला मंगरा पूंजला	9	100	880	66	0.3
126. पूंजला मण्डोर रोड	9	160	880	154	1.1
127. बाकिया बेरा मंगला पूंजला	9	1750	4950	110	0.7
128. बासनी मालियान धानाराम के मकान के पास	9	680	2570	440	1.1
129. बासनी तम्बोलिया माधोसिंह के मकान के पास	9	600	3570	550	1.1
130. मदेरणा कालोनी राजकीय स्कूल	10	80	610	66	0.5
131. ..... ,, ... नाड़ी बाला	10	100	680	110	0.6
132. ....,,........ नाड़ी बाला मदरसा	10	160	830	110	1.1
133. सगनचन्द्र के मकान के पास मन्दिर मदेरणा कालोनी	10	260	1460	242	2.3
134. मदेरणा कालोनी सड़क पर जगदीश के मकान के पास	10	620	3230	550	2.7

1	2	3	4	5	6	7	8
135.	मच्छु खां तकिया मण्डोर रोड	10	330	1270	187	0.8	
136.	रेगर मोहल्ला मदासिया 1 मंदिरवाला	10	120	610	66	0.7	
137.	........,, ... बेरा वाला सवा	10	690	2300	385	0.9	
138.	मदासिया स्कूल के पास	10	430	1570	330	0.5	
139.	भांड कालोनी मदासिया	10	190	1220	210	0.3	
140.	मदरतेरेसा स्कूल मदेरणा कालोनी	10	290	1650	495	0.8	
141.	महामंदिर मानसागर	11	550	1940	440	1.0	
142.	............,, ... धान मण्डी	11	770	2060	440	0.4	
143.	... .,, मेघवाल बस्ती भालवा	11	300	1420	187	0.9	
144.	महामन्दिर खटिकों का बास	11	550	2090	440	0.6	
145.	महामन्दिर ब्रह्मपुरी	11	460	1840	440	0.6	
146.	महामन्दिर मेघवाल बस्ती	11	540	2300	>550	1.6	
147.	महामंदिर सांसी कालोनी	11	400	1800	495	0.7	
148.	............,,............ क्रोसिंग	11	1160	3118	≥550	0.8	
149.	महामंदिर जाटावास रेडियो स्टेशन गली	11	990	5400	550	1.0	
150.	............,,........ जुनी बागर ब्रह्मसिंह के मकान के पास	11	710	3190	>550	1.1	
151.	मानसिंह जी का हत्था मंडोर रोड	11	1120	3300	550	1.3	

277

152. रोडवेज बस स्टेन्ड	12	340	1480	132	3.5
153. पांवटा "ए" रोड	12	400	1880	176	1.5
154. लक्ष्मी नगर I भण्डारी के मकान के पास प्लोट नं. 116	12	430	1910	330	>3.5
155. ....,,......... II दयाल भवन के पास प्लाट नं. 258 ए	12	390	1760	330	2.1
156. लक्ष्मी नगर 4 हरीसिंह के मकान के पास प्लाट नं. 157	12	490	1940	385	0.9
157. ....,,.........शक्ति सिंह के मकान के पास प्लाट नं. 252ए	12	420	2030	132	4.0
158. गांधी पुरा	12	440	1510	770	1.7
159. उदयमंदिर गब्बू खां का चौक	13	930	4500	>550	2.2
160. ....,,......... हरिजन वस्ती	13	940	4950	>550	>4.0
161. ....,,....... ....तेलियो का बास	13	1200	5400	>550	1.4
162. ....,,.............रानीजी मन्दिर मेडता गेट के बाहर	13	580	2050	550	0.9
163. उदयमंदिर मदरसा इस्मालिया	13	890	4500	>550	1.2
164. ....,,.............हरिजन बस्ती थाने के पास	13	950	4500	>550	1.0
165. ....,,.............भिस्तियों का मोहल्ला ग्रासन	13	920	3270	374	0.4
166. ....,,......... घोसियों का बास	13	620	3076	≥550	1.8

1	2	3	4	5	6	7	8
167.	उदय मंदिर मदरसा मोचियों का मोहल्ला	13	700	3150	≥550	1.0	
168.	....,, ...आसन मस्जिद याकूब के मकान	13	270	1380	110	0.6	
169.	कागड़ी I भंवरलाल जी के मकान के पास शीतला मंदिर	13	80	500	44	—	
170.	रामोला महामंदिर	14	690	2840	≥550	1.2	
171.	तेजा होस्टल	14	530	2150	307	1.5	
172.	भारत कालोनी तेजा होटल के पीछे	14	320	1150	220	1.2	
173.	कागा कागड़ी मेघवाल व मिल बस्ती	14	310	1150	242	0.6	
17'.	छीपा कालोनी कागा सड़क पर	14	1000	3570	≥550	1.3	
175.	पीलवा हाउस	14	540	2300	≥550	1.1	
176.	जटिया कालोनी III शिप हाउस	14	500	1550	110	0.2	
177.	कागड़ी कालोनी सुथारों की बगीची	14	140	840	44	0.8	
178.	जटिया कालोनी II नागौरी गेट विजय निवास के पास	14	1120	4950	550	1.1	
179.	इन्द्रा कालोनी रामबाग कोर्नर-मण्डोर	14	80	460	22	0.8	
180.	इन्द्रा कालोनी कागा रामबाग की गली	14	100	580	44	0.7	
181.	समाज कल्याण गर्ल्स होस्टल नागौरी गेट	15	210	1110	110	0.7	
182.	भील बस्ती नागौरी गेट	15	710	3260	≥550	1.6	

183. सिंधी साहीद जाटों की मस्जिद नागोरी गेट	15	320	1570	242	1.1
181. नागौरी गेट के अन्दर नन्दकिशोर साही वास के मकान के पास	15	1120	5000	>1100	1.3
185. रावत बिल्डिंग बागर	15	380	1550	495	0.2
186. महावीर चक्की भतेहसागर नहर के पास	15	360	1370	330	0.8
187. पुलिस थाने के सामने भुरा बस्ती नागौरी गेट	15	1200	3960	1100	1.3
188. कलाल कालोनी बागर गली के पास	15	600	3190	550	1.1
189. कलाल कालोनी बागर चौक	15	370	1330	330	0,7
190. कुलदीप टाइप राइटर नया तालाब	15	670	2340	580	शून्य
191. उम्मेद चौक वार्ड नं.	16	170	830	130	0.5
192. बड़लो का चौक	16	140	720	88	0-1
193. नगोरियों का बास नागोरी गेट	16	210	970	240	0.3
194. शिव मंदिर अजय चौक	16	590	2270	770	0.7
195. विजय चौक	16	636	2450	≥1100	1.1
196. बागर चौक पीपली गली	16	150	610	110	1.0
197. बागर चौक	16	410	2190	550	0.9
198. नागोरियों का बास गली में	16	480	1800	495	0.7
199. वैदिक कन्या स्कूल बागर	16	420	1620	594	0.1
200. हरिजन बस्ती बागर चौक	16	580	1910	352	1.7
201. भटजी की हवेली	16	520	2840	>550	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	ओल सुथारों का वास	16	480	2730	>550	0.7	
203.	पुरबीयों का बास हाथी नोहरा बागहर	16	400	2420	495	0.6	
204.	गोलनाड़ी बागर	16	70	580	22	0.7	
205.	खेजड़ली चौकं	16	150	1270	132	0.6	
206.	मेहरा की मंडी	16	230	1460	352	1.0	
207.	आचारियों का वास	17	760	3760	>550	0.7	
208.	लायकाना मोहल्ला नीचला बास (लायबान)	17	440	2500	>550	0.7	
209.	,, संजयबस्ती उपरला बास	17	740	4500	>550	0.6	
210.	हाजी जी का नोहरा	17	360	1820	>550	0.6	
211.	किल्लीखाना	17	590	2920	550	0.7	
212.	चित्रा सिनेमा के पास लखारा मस्जिद	18	650	2690	>550	शून्य	
213.	लखारा हरिजन बस्ती	18					
214.	मेहरों का चौक	18	540	2460	550	0.9	
215.	पचदेरियों की गली पुगलपाड़ा	18	40	460	22	0.3	
216.	डंडियों का चौक नया बास	18	840	4500	>550	1.0	
217.	डोडीदारों का मोहल्ला	18	130	500	110	0.3	
218.	जुनी धान मण्डी I	18	520	2050	468	1.0	
219.	टैंक के पास कजर वेटरी लाइन	18	520	2090	>550	0.7	
220.	जुनी धान मण्डी स्कूल के पास II	18	440	1760	44	0·9	

221. शनिश्चर जी का मंदिर नया सास	18	582	3232	>255	0.7
222. सिटी पुलिस	18	560	2720	440	0.1
223. कटला बाजार	18	910	3350	935	1.0
224. सुनारों की घाटी	19	450	2180	231	0.3
225. नाइयों का चौक	19	460	1840	275	1.1
226. बनावतों का चौक सिटी पुलिस	19	1110	3600	880	1.9
227. गांधीयों की गली	19	480	2440	>550	0.5
228. रामदेवजी का मंदिर सिंधियों का वास	19	130	440	110	0.5
229. सिंह पोल सेवकों की गली	19	320	1570	>550	0.5
230. ,, II	19	660	2500	>220	0.7
231. नाइयों का घूपा	19	560	2300	374	1.2
232. गुडी मोहल्ला	19	110	500	154	0.6
233. जैन मन्दिर के पीछे पचेटिया	19	1190	3150	66	0.2
234. नथावतों की बाड़ी	19	130	480	187	0.1
235. सुनारों की घाटी वार्ड नं.	19	70	460	44	0.3
236. चांदपोल चौखा	20	660	280	132	0.7
237. चांदपोल गेट के पास	20	130	560	154	0.7
238. कसाइयों का बास	21	120	2840	>220	0.4
239. बकरा मण्डी	21	1140	4220	432	0.3
240. रामदेवजी के मन्दिर के पास बाल किशन लाल जी का मंदिर	21	70	380	88	0.3
241. मदन मंजिल फ़ला रोड़	21	540	3070	>550	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
242.	गंगलाव टैंक के पास	21	420	1700	132	1.1	
243.	गंगलाव कसाईयों की मस्जिद के पास	21	440	1550	44	1.4	
244.	अली प्यादों का चौक	22	180	900	88	1.9	
245.	मियों का चौक कुम्हारियों कुआ के पास	22	210	1010	132	0.6	
346.	पिरों का छला	22	360	1480	267	0.1	
247.	कालिया दूका I चौक में	22	200	560	220	0.3	
248.	जोगियों का वास नाथों की गली	22	230	920	154	0.1	
249.	कालिया दूका II हरिजन बस्ती	22	920	5360	>550	0.3	
250.	टेलिनी की हवेली	22	270	1460	242	0.6	
251.	सिवाची गेट गौशाला	22	450	1660	330	0.7	
252.	,, मिडिल स्कूल	22	410	3100	550	0.1	
253.	सिवाची गेट सिन्धियों का न्याति नोहरा समदड़ी हाउस	22	280	1040	198	0.1	
254.	,, जोगियों का वास	22	550	2760	>550	0.8	
255.	,, खतरियों का चौक	22	190	800	154	0.2	
256.	बोहरों की पोल	23	130	720	66	शून्य	
257.	भीमजी की हथाई	23	160	580	352	1.1	
258.	बनिया बाड़ा	23	140	790	66	शून्य	

284

259. नाथावतों का चौक	23	130	850	66	0.6
260. महादेव मन्दिर भजन चौकी	23	120	840	88	0.7
261. सर्राफों की पोल	23	370	1620	385	0.6
262. नागौरी सलावटों का बास	24	130	920	440	0.9
263. सौदागरों का मौहल्ला	24	190	970	132	1.3
264. पुरा मोहल्ला	24	220	970	132	1.0
265. राखी हाउस	24	160	650	118	1.0
266. गोलन दादों की मस्जिद	25	970	3490	760	0.6
267. मौती चौक खा पटा	25	850	3600	50	0.8
268. भिस्तीयों का वासा	25	360	1920	>220	0.9
269. फर्राशों का बंगला	25	230	1010	>220	1.0
270. ग्राहोर की हवेली	25	250	1460	308	0.8
271. चांदी हाल	25	280	1690	88	1.1
272 सुनारों का बास पीपली गली	25	250	1100	>220	1.0
273. ,, गर्ल्स स्कूल के पास	25	360	2230	385	1.4
274. जाटावास	25	200	900	200	0.9
275. इसकिया स्कूल	25	170	1110	44	1.4
276. ग्रोसवालों के न्याति नोहरे के सामने	25	260	1540	220	1.6
277. ओसवालों के न्याति नोहरे के पीछे मोदिया की गली	25	130	960	22	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
278.	सुनारों का बास II डंडीयों का चौक	26	300	2020	>200	1.6	
279.	मेड़ती सिलावटों का बास इस्माइल का० म०	26	330	2270	330	1.6	
280.	... .,,........मस्जिद	26	540	3030	>550	1.3	
281.	काजीवाड़ा मोती चौक	26	910	4950	495	0.7	
282.	पेटी का नोहरा	26	470	2090	440	0.4	
283.	मोती चौक काजीवाड़ा	26	900	3380	1100	0.6	
284.	गोरीन्दा बावड़ी	26	540	3070	440	1.0	
285.	आदर्श मोहल्ला	26	560	2480	480	0.9	
286.	गुलाब सागर चौक	27	300	1220	462	0.7	
287.	राजमहल गर्ल्स स्कूल	27	690	1340	550	1.3	
288.	—....,,........के अन्दर	27	800	3920	650	0.8	
289.	सत्यनारायण मन्दिर की गली	27	1090	5850	550	1.1	
290.	जुनादारू का ठेका	27	790	2920	990	1.4	
291.	राजमहल मिडल स्कूल	27	550	2160	550	1.4	
292.	माणक चौक	27	440	1910	550	1.2	
293.	बच्चा की गली	27	990	3490	1100	1.0	

294. नागौरीगेट मियों की मस्जिद फतहसागर	27	670	2230	680	3.0
295. सुमेर मार्केट धान मण्डी	27	680	2990	660	1.1
296. मियों का चौक महावतों की मस्जिद	27	1500	5400	880	2.1
297. सकरी गली कसाईयों का बास	27	400	2150	>550	1.2
298. मरीयम पोल पान गली सब्जी मण्डी	27	500	2260	—	1.3
299. मोती कुंज संजय कालोनी	28	500	2410	440	0.7
300. घांचियों का चौक नया तालाब	28	540	1840	275	1.1
301. कुचामन की हवेली मेड़ती गली	28	1320	5000	1290	0.7
302. फतहसागर ओटा	28	1260	4220	>550	0.7
303. महावतों की मस्जिद बिस्कुट फैक्ट्री	28	740	3420	>550	1.6
304. बम्बा	29	840	3130	660	0.3
305. मेड़तीया गेट गु छियों की गली	29	1170	4320	>1210	0.7
306. पातरीयों का अखाड़ा	29	730	3530	>550	1.7
307. सुथारखाना काजी के मकान के पीछे	29	760	2770	880	शून्य
308. महावतों का चौक हाथी राम का ओड़ा	29	500	1520	132	0.8
309. बड़ी मस्जिद बम्बा	29	1970	8530	>550	1.4
310. गुलजारपुरा अमीर खां के मकान के पास	29	760	2770	880	शून्य
311. तेलियों की मस्जिद	30	710	3690	>550	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8
312.	रावतों का बास I	30	330	1920	264	3.1	
313.	———,,——— II	30	270	1580	275	शून्य	
314.	रावतों का बास III	30	840	3720	>550	1.0	
315.	कविराज का बाड़ा	30	880	3100	900	0.2	
316.	थलियों का बास नई सड़क के पास	30	1000	5400	>550	1.3	
317.	कविराजजी का बाड़ा चारभुजा सिनेमा	30	730	3710	>550	0.7	
318.	घास मण्डी	30	570	2200	660	1.0	
319.	बैलदारों का मोहल्ला कृष्णा सिनेमा के पास	30	590	3220	>550	1.1	
320.	सोजती गेट के अन्दर मेड़ी सिलावटों का बास	30	570	1840	396	1.1	
321.	जवार खाना	30	880	3310	720	2.1	
322.	घोड़ों का चौक हरिजन बस्ती	30	680	2700	660	0.2	
323.	घोड़ों का चौक	30	410	1690	330	0.7	
324.	नई सड़क कुम्हारों की ढाल	30	1000	4680	>220	0.1	
325.	बाईजी का तालाब स्कूल के पास रामदेव मन्दिर	31	200	720	88	0.5	
326.	बाईजी का तालाब नवल आश्रम	31	510	2230	660	1.3	

327. सोजती धांचियों का बास II .	31	710	2880	>220	1.3
328. ———,,———दूदेश्वरजी	31	610	2700	>220	1.3
329. राजरंचोर जी का मंदिर बाईजी का तालाब	31	300	1760	198	1.1
330. तेजसिह की हवेली	31	740	4240	>220	0.5
331. मेघवालों की बास घोड़ा का चौक	31	300	1800	264	1.6
322. बंशीलाल जी के मकान के पास बाईजी तालाब	31	370	2150	462	1.4
333. भिस्तीयों का बास I	31	190	820	66	1.4
334. ———,,——— II	31	220	1400	220	1.3
335. कल्लों की गली	32	140	790	66	शून्य
336. बनावटों का बास पुन्दीकर स्कूल के पीछे	32	180	1070	> 44	0.6
337. जालप बावड़ी	32	240	1420	>220	0.7
338. सोजती गांचियों का बास I	32	310	1660	>220	शून्य
339. ———,,——— II	32	310	1480	550	0.6
340. जालोरी गेट रोग निदान के पास	32	460	2620	>220	0.9
341. ——,,——नृसिंह मकान के पास	32	230	1140	>220	0.7
342. हाथी चौगान जालोरी गेट	32	150	600	132	0.7
343. जोसीयों का खुर्रा	32	170	780	132	0.6
344. निहारियों की मस्जिद	32	130	580	110	0.7
345. कबूतरों का चौक जाल नीचे	32	100	700	132	0.9

1	2	3	4	5	6	7	8
346.	जालोरी गेट के अन्दर बाल निकेतन के पास	32	180	1150	88	0.3	
347.	नृसिह दड़ा नाजरजी की बावड़ी	32	140	1120	176	0.7	
348.	चाणोद हवेली	32	160	700	+110	1.2	
349.	कबूतरों के चौक के पास घोड़ों का चौक	32	190	1380	220	1.3	
350.	कबूतरों का चोक	32	180	700	66	1.3	
351.	मोची बस्ती सिवान्ची गेट	32	560	2450	770	1.9	
352.	मोलियों की चौकी सिवान्ची गेट	32	310	1900	>220	0 9	
353.	हनुमन्त स्कूल खण्डा फलसा	33	130	650	88	शून्य	
354.	महेश्वरीयों का न्याति नोहरा	33	240	1150	230	0.5	
355.	सिंधियों की सेज सिवांची गेट	33	460	2860	>220	0.6	
356.	सिंधियों की सेज	33	380	2400	>220	0.9	
357.	सिंधियों का मोहल्ला सिवांची गेट नाड़ी	33	530	3740	>220	0.9	
358.	सिवांची गेट मन्नीखां के मकान के पास	33	440	2740	>220	0.7	

359. कोरना हाउस पीपली गली	33	400	2100	88	1.3
360. सिवांची गेट के अन्दर फिरोज खां एस.बी. के मकान के पास	33	370	2230	374	0.8
361. गांधी हास्पिटल आई वार्ड के पीछे	34	290	1540	>550	1.9
362. घांचियों की बगीची जालोरी गेट	34	560	2840	>550	1.2
363. महात्मा गांधी अस्पताल के पीछे हकीमों का वास	34	1320	6750	>550	1.6
364. स्टेशन के पास एल.आई.सी. आफिस	34	2450	5800	660	1.7
365. सरदार हा० सै० स्कूल के पास ईदगाह	34	650	3190	>550	>4.0
366. जुलाहों का बास भामाशाह पान वाले के पास	35	410	2460	495	>4.0
367. उम्मेद अस्पताल	36	440	2150	440	0.9
368. सिवांची गेट बस स्टेण्ड	36	460	2150	440	0.8
369. कबाड़ियों का मोहल्ला सरदारपुरा	36	590	3110	>550	>4.0
370. गोल बिल्डिंग शिव मन्दिर	36	870	4950	>550	2.2
371. सिंधी धर्मशाला सरदारपुरा	36	460	2760	440	0.3
372. लक्ष्मी डीजल 12 वीं रोड सरदारपुरा	37	430	1480	330	5.1
373. गौतम टिम्बर 12 वीं रोड सरदारपुरा	37	390	2340	495	2.0

1	2	3	4	5	6	7	8
374.	मिल्क बुत के पास 5 वीं छठी रोड के अन्दर	37	250	1800	380	>4.0	
375.	6ठी सड़क सत्संग भवन सरदारपुरा	37	280	2200	264	>3.5	
376.	11वीं सी रोड सिंधियों का रामदेव मंदिर	37	330	2460	384	>4.0	
377.	10वीं रोड 'ई'' सरदारपुरा	37	390	1300	308	शून्य	
378.	——''——ई०एस०आई० डिस्पेन्सरी के निकट	38	210	1620	385	0.4	
379.	डा० देसाई के मकान के सामने सरदारपुरा	38	360	2269	>550	0.4	
380.	झूलेलाल मन्दिर सरदारपुरा	38	230	1420	176	>4.0	
381.	सरदारपुरा प्रथम सी रोड	38	350	2260	550	1.3	
82.	प्रथम डी० रोड सरदारपुरा	38	530	2840	>550	0.5	
383.	परिहार रेजीडेन्सी रोड	38	480	1870	550	0.3	
384.	हणमन्त स्कूल सैक्टर सी शास्त्री नगर	39	190	880	176	1.6	
385.	शास्त्री नगर सैक्टर डी पार्क में नया मन्दिर	39	250	1760	297	>0.4	
386.	ईसाइयों के कब्रिस्तान के बाहर कमला नेहरू नगर प्रथम	39	280	1420	198	3.5	

387. ईसाइयों के कब्रिस्तान के बाहर कमला नेहरू नगर प्रथम रेलवे क्वार्टर के पास II	39	510	2500	250	>4.0
388. मेडिकल कालेज होस्टल	39	190	1730	154	>4.0
389. हाई कोर्ट कालोनी	40	580	2450	66	>3.5
390. अमर चन्द फतहचन्द कालोनी	40	140	1330	90	>3.5
391. लठ्या कालोनी I	40	830	4300	550	>3.5
392. ——"——II गली के अन्दर	40	250	2300	220	>4.0
293. ——"—— अमरसिंहजी की हत्या	40	390	2000	350	3.0
294. सोफिया स्कूल	40	550	3610	>550	>4.0
395. कार्नसिंह जी जज के मकान के पास पब्लिक पार्क के बाहर	41	2230	2040	—	2.6
396. हाई कार्ट	41	670	2920	>220	>4.0
397. पुलिस कंट्रोल रूम	41	1080	4950	>550	0.9
398. महात्मा गांधी अस्पताल मच्छी बाजार	41	310	1500	297	0.8
399. अरूण होटल के पास बेरियों का का मोहल्ला I	41	720	2190	>550	0.9
400 जसवन्त सराय स्टेशन रोड	41	930	5400	>550	0.1
401. स्टेडियम	41	590	2960	>550	1.0
402. भाटिया चौराहा हरिजन बस्ती गणेश चौ0	42	400	1800	220	0.6
403. बैंक कालोनी एम0एच0 के पास	42	3550	9000	308	1.3

1	2	3	4	5	6	7	8
404.	बाल निकेतन सर्किट हाउस के पास	42	1050	6370	>550	>4.0	
405.	मोहनपुरा प्रथम	42	1690	7450	>550	1.2	
406.	मोहनपुरा II उम्मेदपुरा	42	1120	5400	>550	1.4	
407.	मोतीलाल बिल्डिंग	42	1250	6300	>550	2.9	
408.	पृथ्वीपुरा रसाला रोड	42	410	1660	>550	4.0	
409.	अजीत कालोनी बाल निकेतन स्कूल के पास	42	370	2340	264	>4.0	
410.	बाबुपुरा	42	1750	4680	154	>3.5	
411.	कमला नेहरू कालेज	42	330	2180	220	2.4	
412.	पृथ्वीपुरा रसालारोड रेलवे कालोनी के पीछे	42	300	1580	132	1.4	
413.	गौशाला के पास	42	970	3100	880	0.8	
414.	रातानाड़ा सुभाष चौक	43	500	1730	132	1.4	
415.	——,,——केसर बास	43	310	1880	330	3.4	
416.	रातानाड़ा शिव रोड	43	1330	4600	1100	2.7	
417.	——,,——सिरिया बाई मन्दिर	43	550	1750	330	1.5	
418.	——,,——शिव मन्दिर के पास	43	570	2020	>550	3.0	
419.	पुराना पावर हाउस	43	360	1600	88	0.8	
420.	रातानाड़ा खड़ हाउस	43	600	2690	242	4.0	

421. रातानाड़ा खड़ हाउस मुस्लिम मदरसा	43	560	2150	220	0.1
422. रातानाड़ा बाल गृह शिव रोड	43	200	1300	88	3.5
423. पटेल नगर गणेशपुरा	44	370	1370	225	3.2
424. 5 किलो मोटर एम.ई.एस. डिपो	44	890	2560	187	0.7
425. नटियों की ढाणी बिलाड़ा रोड	44	350	1040	110	0.6
426. इन्द्रा कालोनी एयरफोर्स	44	690	2050	88	3.1
427. ब्राह्मणों का मोहल्ला डिगाडी I	44	3800	7120	—	3.0
428. डिगाड़ी II स्कूल के पास	44	12700	17100	220	>8.0
429. डिगाडी गांव का चौक	44	2950	6840	—	3.3
430. कुम्हारों की ढाणी डिगाड़ी	44	10750	16400	—	>6.0
431. नैनों की ढाणी I सड़क पर	44	10350	—	—	>7.0
432. सारणों की ढाणी	44	700	1910	66	3.0
433. सांसी कालोनी एयर फोर्स	44	1590	3420	132	2.5
434. व्यास कालोनी एयर फोर्स	44	1210	3060	66	>3.5
435. रातानाड़ा गणेश मंदिर	44	1070	2816	31	1.4
436. पाबुपुरा II	44	510	2090	>220	>3.5
437. बनाड़ रोड एम.ई.एस. क्वार्टर	44	920	2560	110	1.3
438. भाटिया चौराहा	45	480	1960	242	शून्य
439. भगत की कोठी	45	300	2030	176	0.5
440. ढण्ड की ढाणी	45	280	1840	352	1.4

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा बिजली खम्भों की खरीद

101. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या नगर आयोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वर्ष 1982–83 में एम. एस. पाइप के विजली के खम्भों की खरीद में न्यास कोष को रुपये 60,449/– की हानि पहुंचाई जिसका आक्षेप लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदन में भी किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 93 (ए) के अन्तर्गत उपरोक्त हानि की राशि वसूल कर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? कृपया सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जोधपुर की वर्ष 1982–83 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में आडिट में एम. एस. पाइप पोल की खरीद में न्यास कोष को रुपये 60,449/– की हानि होना बताया है ।

(2) आडिट रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात् इस पर उचित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । संबंधित आडिट रिपोर्ट के पैरा की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है ।

नगर विकास न्यास, जोधपुर के 82–83 अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति पैरा–7

ड्राफ्ट पैरा

(7) एम. एस. पाइप पोल की खरीद में न्यास कोष को रुपये 60,440/– की हानि एवं खरीद में अनियमिततायें :–

अधिशासी अभियन्ता, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 25–9–82 के द्वारा एम.एम. पाईप पोल की खरीद हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 11/82–83 जारी करके दिनांक 5–10–82 को निविदा प्राप्त की है । उक्त अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन के सम्बन्ध में उक्त खरीद की पत्रावली में जलते दीप व हिन्दू सन्देश का उल्लेख किया गया है लेकिन उक्त प्रकाशन के सम्बन्ध में पत्रावली में पेपर कटिंग आदि का अभाव है । दिनांक 5–10–82 को तीन निविदा प्राप्त की गई हैं । जिसमें सबसे न्यूनतम दर मैसर्स रिषी इंजोनियरिंग वर्क्स जोधपुर की रुपये 11.25 प्रति किलो आने का उल्लेख

(२५)

(राज्य मन्त्री, नगर आयोजन)

किया गया है। उक्त अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 1683 दिनांक 19–10–82 के द्वारा प्रथम न्यून दरदाता से नेगोशियेशन करके पुनः दर दिनांक 20–10–82 को प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त फर्म ने इसी पत्र पर अपनी दर रुपये 10-80 प्रति किलो ग्राम का उल्लेख किया है। अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1719 दिनांक 21–10–82 के द्वारा मैसर्स रिषी इंजीनियरिंग वर्क्स जोधपुर को 100 पोल माफिक स्पेसिफिकेशन के प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त फर्म ने उक्त प्रदाय आदेश के अनुसार निम्नानुसार पोल्स की प्रदाय की है—

वाउचर सं० व दिनांक	एम.एस.पोल की सं०	वजन	दर	राशि	बिल सं० दिनांक
1. 232/23.10.82	70 सिंगल	8281 कि०ग्रा०	10.80 प्रति कि०ग्रा०	89,424.80	27/23.10.82
2. 150/12.11.82	20 ,,	2366 कि०ग्रा०	,,	25,552.80	29/11.11.82
3. 232 (व) 29.11.82	5 ,,	991–500 कि०ग्रा०	,,	10,693.20	30/27.11.82
4. 239/27.1.83	95 ,,	5111 कि०ग्रा०	,,	55,198.80	10 /25.1.83
5. 236/26.3.83	80 ,,	3200 कि०ग्रा०	,,	34,560.00	3/25.3.83
योग	270 ,,	20,949.500 कि. ग्रा.		2,15,429.60	

इसके अतिरिक्त न्यास ने उक्त फर्म से इसी प्रदाय आदेश संख्या 1719 दिनांक 21.10.82 के अनुसरण में निम्नानुसार एम. एस. पाइप पोल बड़ी साइज के प्राप्त किये हैं :—

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

वाउचर सं० व दिनांक	पोल की संख्या	वजन	दर	राशि	बिल सं० व दिनांक
1. 239 —— 27.1.83	30 बड़ी साईज	3774 कि.ग्रा.	10.80 कि.ग्रा.	40,759.20	102/25.1.83
2. 238 —— 26.3.83	25 ,,	2500 ,,	,,	27,000.00	3/25.3.83
3. 150 —— 12.11.82	12 छोटी साईज	589-300	,,	6,364.44	29/11.11.82
	5	991	,,	1,0708.20	,, ,,
4. 232 —— 29.11.82	30 ,,	1473-600	,,	15,914.88	30/27.11.82
योग	102	8327-900		1,007,46-72	
कुल योग	372	29274-400		1,00,746.72	
				3,16,186.32	

उपरोक्त एम. एस. पाइप पोल की खरीद में निम्नानुसार आक्षेप हैं :-

(क) राज्य सरकार के आदेश संख्या प० 2 (1) वित्त/व्यय/111/1061 दि० 11.9.78 के अनुसार उक्त खरीद हेतु निविदा सूचना में कम से कम एक माह का समय प्रकाशन हेतु आवश्यक था लेकिन अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उक्त प्रदाय हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करके मात्र 10 दिन का समय प्रकाशन हेतु दिया गया है। इसके अलावा इसका प्रकाशन राज्य सरकार के किसी भी समाचार पत्र में नहीं कराया गया है। अतः उक्त खरीद में प्रतियोगी दरों का पूर्ण अभाव रहा है

(ख) न्यास ने अपने पत्र संख्या 1719

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

दिनांक 21.10.82 के द्वारा उक्त फर्म को 100 पोल्स प्रदाय करने हेतु आदेश दिया था, लेकिन उक्त फर्म ने 372 पोल विभिन्न साईज के प्रदाय किये हैं। इस प्रकार उक्त फर्म ने 272 पोल बिना न्यास के विधिवत् आदेश के प्रदाय किये हैं जैसाकि उक्त खरीद की पत्रावली से स्पष्ट होता है। उक्त खरीद की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारियों ने उक्त फर्म से पोल की प्रदाय लेने के पश्चात् स्वीकृति प्राप्त की है जो पूर्णतः अनिनमित है।

(ग) उक्त फर्मों से कोई धरोहर राशि नहीं ली गई है तथा उक्त खरीद की पत्रावली के नोट शीट पैरा संख्या 3 में उल्लेख किया गया है कि उक्त तीनों फर्में एस. एस. आई. यूनिट की होने के कारण धरोहर राशि नहीं ली गई है लेकिन उक्त पत्रावली में इस सम्बन्ध का कोई प्रमाण पत्र की प्रति आदि उपलब्ध नहीं है तथा संबंधित फर्मों ने भी इस संबंध का अपने टेण्डरों में कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार की सत्यता की जांच करना नियमानुसार आवश्यक है। ऐसी स्थिति से न्यास के अधिकारियों ने इन फर्मों से धरोहर राशि न लेकर गंभीर अनियमितता की है।

(घ) उक्त खरीद की निविदा सूचना के अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की गई हैं, लेकिन उक्त खरीद में तीनों प्राप्त निविदाओं के साथ मोहरबन्द को स्पष्ट करने के संबंध में लिफाफे संलग्न नहीं है तथा शिड्यूल्ड "जी" एवं अनुबन्ध की प्रति से स्पष्ट होता है कि उक्त निविदायें किसी बन्द लिफाफे में प्राप्त नहीं हुई हैं। अगर बन्द लिफाफे में प्राप्त होतीं तो इसमें फोल्ड आवश्यक होते। इसके अलावा तीनों फर्मों के दरों का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि दरों में नाम मात्र का अन्तर है जैसे दरों का उल्लेख 11.25, 11.50, 13.50 का है। इस प्रकार की स्थिति से स्पष्ट होता है कि उक्त खरीद में तीनों फर्मों ने मिल कर अपनी दरों का उल्लेख किया है, जिससे प्रतियोगी दरों का अभाव रहा है तथा न्यास के अधिकारियों ने भी उक्त खरीद में उचित दर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है। बी. एस. आर 1979 के पृष्ठ संख्या 38 चेप्टर 16 के आइटम संख्या 4 में एम. एस. पोल की दर रुपये 875/– प्रति पोल (पोल की ऊंचाई 10 मीटर) का उल्लेख किया है तथा बी. एस. आर. में अंकित एम. एस. पोल की साईज 5.5019 × 139.7 व 2.25 एम 114.3 व 2.25 एम 88.917 एम का उल्लेख किया है तथा न्यास ने एम. एस. पोल की साईज 114.3 × 6 एम व 88.9 एमएम × 4 एम व 60.3 × 2 एम के प्राप्त किये हैं। इससे स्पष्ट है कि बी. एस. आर. में उल्लिखित पोल बड़े प्रतीत होते हैं तथा बी. एस. आर. में उल्लिखित दर के आधार पर न्यास द्वारा क्रय किये पोल की दर रुपये 1050/– प्रति पोल आती है जिसमें पोल को लगाने आदि का समस्त व्यय सम्मिलित है। लेकिन न्यास ने उक्त पोल रुपये 10.80 प्रति कि० ग्रा० के हिसाब से क्रय किये हैं तथा प्रत्येक 12 मीटर लम्बे एम. एस पोल का वजन 118.50 कि० ग्रा० माना। इस प्रकार मात्र एक पोल की कीमत रुपये 1279.80 होते हैं, जिसमें पोल लगाने का

(राज्य मंत्री, नगर आयोजन)

व्यय सम्मिलित नहीं है। अगर पोल के खड़ा करने का व्यय रुपये 150/- प्रति पोल सम्मिलित किये जाने पर प्रति पोल की कीमत रुपये 1429.80 होते हैं, इस प्रकार दोनों दरों में प्रति पोल अन्तर रुपये 1429.80-1050.0 = रुपये 379.80 आता है। इसमें 20 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ कम करने पर 379.80-210/-= रुपये 169.80 प्रति० पोल अन्तर होता है अर्थात न्यास कोष पर रुपये 169.80 प्रति पोल अतिरिक्त अधिभार पड़ना प्रतीत होता है। इस प्रकार न्यास ने मैसर्स रिधी इंजीनियरिंग कम्पनी जोधपुर से 335 पोल बड़े एवं 42 पोल छोट खरीदे हैं, जिससे न्यास कोष से रुपये 60,443/- का अधिभार वहन करना पड़ा है। टेण्डर दरों पर अन्तिम निर्णय पूर्व बाजार दर तथा दरों का विश्लेषण तैयार किया जाता तो उनकी औचित्यता प्रमाणित हो सकती थी और अतिरिक्त अधिभार का सन्देह नहीं रहता।

अतः उक्त मामला अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, जोधपुर के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाकर लेख है कि उक्त पोल खरीद में विस्तृत प्रकाशन के अभाव में प्रतियोगी दरों का अभाव रहना प्रतीत होता है जिससे न्यास कोष को विना किसी उचित कारण के रुपये 60,449/- की हानि होना प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की जांच वर्तमान अधिशासी अभियन्ता से कराई जावे एवं हानि होना पाये जाने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जावे एवं उक्त हानि की प्रतिपूर्ति की जावे एवं इस विभाग को पालना से अवगत कराया जावे।

पाली जिले में वन विभाग के अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूर

102. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खाचरौली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में वर्ष 1982-83 व 1983-84 के तहत चलाये गये वन विभाग के अकाल राहत कार्यों पर कुल कितने मजदूर लगाये गये ?

(2) क्या इन मस्टर रोल का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा जांच के बाद किया गया ?

उत्तर

(1) पाली जिले में वन विभाग द्वारा चलाये गये अकाल राहत कार्यों पर वर्ष 82-83 एव 83-84 में निम्न प्रकार मजदूर लगाये गये।

अप्रैल,	1982	4500
मई,	1982	4104
जून,	1982	1704
जुलाई,	1982	1698
मार्च,	1983	1472
अप्रैल,	1983	2858
मई,	1983	2943
जून	1983	2842
जुलाई,	1983	1972

(2) कार्यालय उप वन संरक्षक, पाली में लेखाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

(राज्य मंत्री, वन)

अतः लेखाधिकारी द्वारा मस्टर रोलों की जांच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कृषि उपज की बीमा योजना

103. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज की बीमा करने की राज्य सरकार की योजना है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या कृषि उपज की बीमा योजना लागू करने से प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी?

उत्तर

(1) कृषि उपज की बीमा योजना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) बीमा योजना लागू होने से किसानों को लाभ मिलने की सम्भावना है।

सवाई माधोपुर के ग्राम शिवाड़ से जामडोली सड़क

104. श्रीचुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर के ग्राम शिवाड़ से जामडोली तक बनाये जाने वाली सड़क का टेण्डर किस सन में किस ठेकेदार को दिया गया? अनुबन्ध शर्तों के अनुसार उक्त सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था?

(2) अब तक उक्त ठेकेदार द्वारा कितना कार्य किया गया? अब उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब से बन्द पड़ा है? इसके बन्द होने का क्या कारण है?

(3) राज्य सरकार अब इस सड़क का निर्माण कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाने का इरादा रखती है अथवा उसी ठेकेदार से कार्य पूर्ण कराना चाहती है? ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर राज्य सरकार ने ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

(4) यदि दीगर ठेकेदार से उक्त सड़क का कार्य कराना है तो इस सड़क के टेण्डर दुबारा कब तक लिए जाकर सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) शिवाड से जामडोली तक सड़क बनाने का कार्य वर्ष 1982–83 में श्री बजरंग लाल श्रीमाल ठेकेदार को दिया गया था। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 30·9-83 थी।

(2) अब तक ठेकेदार द्वारा कुल 2,06,778/- का कार्य किया गया है। सड़क निर्माण कार्य माह जून, 1983 से ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण बन्द है।

(3) अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाकर ही आगे कार्य कराये जाने का निर्णय किया जायेगा। अब तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण उस पर 1 % की दर से क्षतिपूर्ति लगाई जा चुकी है।

(4) अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात् ही कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जा सकेगा

(301)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

सूची "क"

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. को वर्ष 1983-84 में पुलों के अतिरिक्त आवंटित निर्माण कार्यों का विवरण

क्रम. सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्थान	प्रकार	अनुमानित लागत मूल्य (लाख रु. में)
1.	मस्टर्ड सीड प्रोसेसिंग प्लांट	भरतपुर	प्रोसेसिंग प्लांट	55.00
2.	जोधपुर विश्वविद्यालय में कला संकाय का निर्माण	जोधपुर	भवन	16.00
3.	जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास का निर्माण	जोधपुर	भवन	6.50
4.	कृषि भवन	जयपुर	भवन	325.00
5.	इंजीनियरिंग कालेज	कोटा	इंजीनियरिंग कालेज	700.00
6.	पाठ्य पुस्तक मण्डल भवन	जयपुर	भवन	100.00
7.	गांधी नगर में 24 फ्लैट्स का निर्माण कार्य	जयपुर	आवास गृह	26.00
			योग :-	1228.50

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के प्रपत्र

प्रपत्र "क"

कुशलगढ़ क्षेत्र में सा0 नि0 वि0 द्वारा रक्षित सड़कों की सूची :–

क. सं.	सड़क नाम
1.	मलिकुआ कुशलगढ़ सड़क
2.	कुशलगढ़ उदयगढ़
3.	कलिंजरा कुशलगढ़
4.	कुशलगढ़ बाजना
5.	कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाया कोटरा रांग
6.	छोटा डूंगरा से बोरा वड़ा वाया कसारवाडी
7.	सज्जनगढ़ तामेसरा सड़क
8.	कुशलगढ़ मोहनघाटी
9.	मगरदा के कलिन्जरा लिंक रोड
10.	उकाला अप्रोच रोड
11.	अप्रोज रोड अन्देश्वर

(303)

प्रपत्र "ख"

पूर्व में विभिन्न मदों के अन्तर्गत बनाई गई परन्तु अपूर्ण रही सड़कों की सूची जिन्हें अब मास्टर प्लान में लिया गया है (जिला बांसवाड़ा–क्षेत्र कुशलगढ़)

क्र० सं०	पंचायत समिति कुशलगढ़
1.	कुशलगढ़ से मोयनघाटी वाया बड़वास
2.	कुशलगढ़ से महेशपुरा वाया कोटरांग
3.	पाटलवाडा से हिम्मतगढ़ वाया उंकाला
4.	पाटन से बड़ो सरवा
5.	कुशलगढ़ से कलिन्जरा
6.	अप्रोच रोड बस्सी
7.	अप्रोच रोड कुशलपुरा
8.	कुशलगढ़ बाजना रोड अपग्रेडिंग
9.	कुशलगढ़ दोहद रोड रामगढ़ पर जीरो 7 कि0 मी0
10.	अप्रोच रोड कुशलगढ़ रोड (4 नये पुलियाओं का निर्माण)
	पंचायत समिति सज्जनगढ़
11.	छोटा डूंगरा से हिम्मतगढ़ वाया कसारवाडी
12.	छोटा डूंगरा से जालीमपुरा
13.	सज्जनगढ़ से ईटाला
14.	कसारवाडी से टान्डा बड़ी
15.	नसीराबाद झालोद रोड पर 30 से 55 के बीच में अनास पुल व कलिन्जरा पुल को चौड़ा करने का कार्य
16.	हैजामाल से महुडी
17.	अप्रोच सड़क रतवनराज
18.	भीलकुवा कुशलगढ़ रोड कि० मी० 30 पर पुलिया का निर्माण
10.	सज्जनगढ़ ताम्बेसरा (माइन रोड) अपग्रेडिंग कार्य
20.	सज्जनगढ़ से ताम्बेसरा लिंक रोड 1 कि० मी०

प्रपत्र "ग"

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत मुख्यालय जिन्हें जोड़ना है	सड़क की लम्बाई	अनुमानित लागत लाखों में
1	2	3	4	5
पंचायत समिति सज्जनगढ़				
1.	छोटा डूंगरा से हिम्मतगढ़ वाया कसारवाडी	हिम्मतगढ़, मासकावाला व कसारवाडी	16 कि. मी. एवं पुलिया	38.50
2.	छोटा डूंगरा से जालिमपुरा	जालिमपुरा	पुलियाओं का निर्माण कार्य	6.00
3.	सज्जनगढ़ से ईटाला	ईटाला	3 कि. मी. एवं पुलिया	10.65
4.	कसारवाडी से टान्डा बड़ा	टांडा बड़ा	2 कि. मी. एवं पुलिया	9.35
5.	हैजामाल से महुडी	महुडी	1 कि. मी. एव पुलिया	6.55
6.	अप्रोच रोड रातधनराजजी	रतधनराज	1 कि. मी. एवं पुलिला	4.15
पंचायत समिति कुशलगढ़				
1.	कुशलगढ़ से महेशपुरा वाया कोटड़ा राणा	कोटड़ा राणा मुदडी,	6 कि. मी. पुलिया	36.80

1	2	3	4	5
2.	कुशलगढ़ से मोयन घाटी वाया बड़वास	सबलपुरा, लिडी	12 कि. मी. एवं पुलिया	46.10
3.	पीपलीवाला से हिम्मतगढ़ वाया उंकोला एवं राज्य सीमा तक	हिम्मतगढ़ एवं उंकाला	9 कि. मी. एवं पुलिया	21.95
4.	पाटन से बड़ी सरवा	बड़ी सरवा	8 कि. मी. एवं पुलिया	18.00
5.	अप्रोच सड़क बस्सी	बस्सी	3 कि. मी. एवं पुलिया	6.85
6.	अप्रोच सड़क कुशलपुरा	कुशलपुरा	2 कि. मी. एवं पुलिया	5.60

३०५

१०६

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी वसूली विभिन्न न्यायालय अधिकारियों द्वारा स्थगित है। अति० आयुक्त/राजस्व मण्डल/

क्र. सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम.	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.A	जोधपुर जोन	विशम्भर लाल एण्ड कं०	24–9–82	83,500.00
1.B	जोधपुर जोन	गुलाब दास देवकिशन	24–6–82	59,823.00
2.	,,	सकलेचा ब्रदर्स	28–8–75	1,81,784.43
3.	,,	नर्दन रेल्वे	28–2–82	40,387.93
4.	,,	राजस्थान मेटल इण्डस्ट्रीज	1–4–82	2,06,219.04
5.	,,	अरुण इण्डस्ट्रीज सुमेरपुर	15–2–77	1,14,951.13
6.	,,	केशोराय ऐरन, पाली	22–10–81	1,00,000.00
7.	,,	भूत आयल मिल्स, जोधपुर	15–10–66	80,295.07
8.	,,	लक्ष्मीचन्द रामचन्द्र, जोधपुर	17–1–83	71,867.31

1	2	3	4	5
9.	जोधपुर जोन	जोधपुर, वुलन मिल्स, लि., जोधपुर	31-12-81	85,000.00
10.	,,	जिप्सम डवलपमेन्ट ग्राफिसर, जोधपुर	1-11-83	61,905.95
11.	कोटा जोन	जैन ग्रायल कम्पनी, गंगापुर	1-10-80	1,11,274.02
12.	,,	सूरजमल श्री कृष्ण, मंडावर	24-6-83	51,661.71
13.	,,	जे०के० सिन्थेटिक्स लि०, कोटा	31-10-80	1,67,71,280.84
14.	,,	एल्विन मा०सा०नि० सवाई माधोपुर	1-12-75	2,95,794.76
15.	,,	जयपुर उद्योग लि०.	22-9-80	2,31,13,254.18
16.	,,	इण्ढो इन्जि० प्रा०लि०, कोटा	17-5-78	1,53,544.23
17.	,,	एसोसियेट स्टोन इण्डस्ट्रीज, रामगंज मण्डी	5-10-79	50,378.80
18.	,,	इण्डिया ग्रायल कारपो० कोटा	24-1-80	10,63,257.77
19.	,,	हंसमुख भाई पुरषोत्तमदास	24-2-83	55,891.36
20.	,,	कोटा वार्क्स मेन्यु० कं०	21-9-83	1,46,094.24
21.	,,	नेमीचन्द नरपतसिंह	77-78	86,315 50
22.	,,	कन्हैयालाल इंन्दरमल		50,183.55
23.	,,	केसरीमल रतनलाल छाबंड़ा		88,015.13
24.	,,	भारत ग्रोवरसीज प्रा०लि०	7-7-71	3,05,70,989.21
25.	,,	शाह एण्ड कं०		1,45,950.40
26.	,,	श्रीनिवास केमिकल्स		59,159.03

27.	कोटा जोन	मानकचन्द ठेकेदार	7–7–71	1,19,700.00
28.	,	लूघाराम रालूमल	23–6–81	5,43,698.45
29,	बीकानेर जोन	वजीरचन्द करमचन्द, सूरतगढ़	28–1–82	1 95,543.26
30.	,,	सियारा घनश्याम दास, बैंगलोर	(–3–82	91,794 13
31.	,	ओमप्रकाश प्रेमकुमार, अनुपगढ़	26–3–83	1,35,701.02
32.	,,	संतोष कुमार दुदवाखारा	25–8–82	69,490.82
33.	,,	डागा बन्धु, सरदारशहर	6–12–82	1,05,774.50
34.	,,	गोपाल ट्रेडिंग कं०, सरदारशहर	17–8–82	5,02,371.53
35.	,,	पवन ट्रेडिंग कं०, सरदारशहर	17–8–82	2,69,270.43
36.	,,	झुन्झुनू स्टोर केसिंग कं०, झुन्झुनू	28–3–81	75,900.00
37.	,,	जय श्री कोल कं०, बीकानेर	27–4–83	54,259.57
38.	,,	रीजनल बोर्डर डवलपमेन्ट खादी एण्ड यू०ग्रोई०कमीशन	27–11–81	51,840.00
39.	,,	मोर्डन इलेक्ट्रोनिक्स, बीकानेर	26–11–81	1.50,992.19
40.	,,	विश्वनाथ शर्मा,	12–10–78	2,06,790.34
41.	,,			
42.	जयपुर जोन–द्वितीय	डिप्टी कन्ट्रोलर ग्राफ स्टोर्स, रेल्वे	15–12–82	91,53?.03
43.	,,	डिप्टी चीफ कार्मशियल सु० कं०, अजमेर	14–12–81	99,363.28
44.	,,	गणेश ग्राटो मोबाईल्स, अजमेर	26–2–83	1,93,555.77
45.	,,	मिलन वाईन स्टोर,	31–5–83	2,63,323.93
46.	,,	कुमार ब्रदर्स, अजमेर	31–5–83	1,54.163.32

1	2	3	4	5
47.	जयपुर जोन द्वितीय	पारसमल विमलचन्द	9-6-83	1,42,315.25
48.	,,	महेश बन्धु, अजमेर	23-7-83	1,31,967.52
49.	,,	स्वदेशीय आयल मिल्स, ब्यावर	3-9-79	1,89,431.42
50.	,,	गणेश काटन वीविंग फैक्ट्री, किशनगढ़	28-2-83	1,06,708.17
51.	,,	अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक	31-3-83	52,672.05
52.	,,	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर	20-9-83	5,00,000.00
53.	,,	बालमुकुन्द नेनुराम,	23-4-79	2,99,448.54
54.	,,	वी०पी० मिल एण्ड कं०	28-9-81	98,224.13
55.	,,	सुमेर टाकिज, किशनगढ़	2-3-78	64,517.64
56.	,,	यूनाईटेड फेल्ट प्रोडक्ट	20-11-81	53,693,53
57.	,,	सी०एस० मोहता फेल्ट	23-12-81	1,88,648.95
58.	,,	जयपुर सहकारी क्रय विक्रय सघ समिति	17-1-83	1,00,473.89
59.	,,	राजस्थान क्रय विक्रय संघ	15-9-82	4,90,000.00
60.	,,	देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स	13-9-82	38.84,546.29
61.	,,	राजस्थान क्रय विक्रय संघ	24-9-83	1,09,961.92
62.	,,	जयपुर वियरिंग कारपोरेशन	10-3-83	29,91,239.99
63.	,,	जयपुर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लि०	17-2-83	1,46,014.01
64.	,,	राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपो०	29-3-83	27,89,506.97

65.	,,	गंगानगर शुगर मिल	26-3-83	2,25,0'7.84
66.	,,	ब्लो प्लास्ट, जयपुर	26-6-81	1,00,000.00
67.	,,	बंजीलाल ठोलिया एण्ड सन्स	4-6-82	70,083,64
68.	,,	ए०ई०एन० इन्चार्ज, सी०टी०एस०डी जी०एम० कम्नयूकेशन	31-12-82	6,29,845.00
69.	,,	उमा एन्टर प्राईजेज, प्रा० लि०	28-2-83	1,14,589.62
70.	,,	रेलिस इण्डिया लि०	11-3-83	1,05,000.00
71.	,,	ए० डाग स्टील इण्ड० कारपो०	4-4-83	80,000.00
72.	,,	न्यू इन्दिरा इण्ड० कारपो०	69-74	1,92,893.04
73.	,,	पुष्करमल चौधरी कोट०	78-79	11,02,26'.98
74.	उदयपुर जोन	एडवान्स पेपर मिल्स लि०		95,987.32
75.	,,	एसोशिऐटेड इन्जिनियरिंग धारा-07बी		51,479.04
76.	,,	प्रेमसुख श्याम सुख, प्रतापगढ़	24-9-80	78,594.00
			16-11-81	89,694.00
			15-9-82	
77.	,,	ईश्वरचन्द चांदमल एण्ड कं०	30-4-81	9,20,483.88
			22-7-82	
78.	,,	क्वालीटी बम्बु ट्रेडर्स, चित्तौडगढ़	70-73-74	57,704.27
79.	,,	भारतीय उद्योग संघ, भीलवाड़ा	28-10-78	6 ,843.00
			29-10-78	
80.	,,	लक्ष्मी आयल मिल्स, जहाजपुर	81-82	52,500.00
			82-83	

1	2	3	4	5
81.	,,	भूपाल माईनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा	81–82	1,92,736.35
			82–83	
82.	,,	मयूर कोसिंग मिल्स मण्डल	15–11–81	58,665.77
83.	,,	भीलवाड़ा प्रोसेसर्स लि०	9–8–83	53,000.00
84.	,,	अधिशाषी अभियंता, केन्द्रीय भण्डार माही परियोजना बांसवाड़ा	74–75	2,35,000.00
85.	,,	राजस्थान स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स भीलवाड़ा	27–3–82	4,10,000.00
			28–2–83	3,65,506.13
86.	,,	राजस्थान स्पनिंग एण्ड विविंग मिल्स गुलाबपुरा	15–2–82	1,64,412.44
87.	,,	बिड़ला सिमेन्ट वर्क्स चित्तौडगढ़	3–9–82	66,419.10
88.	,,	हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर	19–9–83	1,56,79,098.86
89.	,,	मेवाड़ टेक्टाईल्स मिल्स,	31–8–81	33,105.86
90.	,,	,,	10–10–82	81,208.41
91.	,,	निदेशक, खनन एवं भूगर्भ विभाग,	19–2–83	4,09,455.71
92.	,,	जे०के– इण्डस्ट्रीज, कांकरोली	11–3–83	5,33,100.18
93.	,,	महाराना भूपालसिंह इन्जि० कं०	30–6–82	7,33,579.16
			1–10–82	9,26,630.00

311

94.	उदयपुर जोन	गणपतलाल रमेशचन्द्र	82–83	50,880.03
95.	,,	सेठी स्टोन इण्डस्ट्री	82–83	88,263.00
96.	,,	प्रोजेक्ट डवलप० श्रोर्गो० दरीबा खण्ड, उदयपुर	82–83	5,27,109.55
97.	जयपुर जोन प्रथम	अधिशाषी अभियंता, पी०डब्ल्यू०डी धौलपुर		8,14,856.39
98.	,,	नेशनल एयर प्रोडक्ट, अलवर	76–79	1,36,000.00
99.	,,	बाबूप्रसाद भगवान सहायक, अलवर	26–6–82	81,286.95
100.	,,	श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स, लि०	19–9–82	3,60,422.10
101.	,,	विमल चन्द गोलेछा	31–3–83	7,19,330.00
102.	,,	सज्जन उद्योग	21–12–83	55,400.00
103.	,,	बम्बई सेल्स कार्पो०	28–7–73	71,885.00
104.	,,	सोहन सोप फैक्ट्री धूला हाउस, जयपुर	83–84 24–11–83	1,24,985.68
105.	,,	शिवकाशी गोल्ड, जयपुर	9–9–82	1,06,823.89
106.	,,	सवाईसिंह शिल्पकला मंदिर, रामबाग रोड, जयपुर	30–9–83	88,740.85
107.	,,	प्रीमियम वेजीटेबल प्रोडक्ट	26–7–82	5,27,806.83
108.	,,	,, ,,	16–8–82	1,54,602.68
109.	,,	,, ,,	30–9–82	25,000.00
110.	,,	,, ,,	30–9–82	25,000.00
111.	,,	,, ,,	9–2–83	25,000.00
112.	,,	,, ,,	9–2–83	3,00,000.00

1	2	3	4	5
113.	जयपुर जोन प्रथम	जयपुर एन्टरप्राइजेज झोटवाड़ा, जयपुर	1–10–82	80,000.00
114.	,,	राजस्थान राज्य सह० मुद्रणालय, जयपुर	21–8–81	1,22,639.00
			11–12–81	
115.	,,	सिम्पलेक्स ग्लास (सेफ्टी) इण्ड०	30–9–81	22,512.50
			7–8–82	91,310.00
116.	,,	प्रिमीयर वेजीटेबल प्रोडक्ट	26–7–82	5,27,806.83
			16–8–82	1,54,602.68
			29–9–82	2,13'402.75
			30–9–82	5,96,247.40
			9–2–83	3,51,796.96
			9–2–83	11,43,590.57
			9–2–83	88,727.96
			9–2–83	2,57,891.14
117.	,,	जयपुर एण्टरप्राइजेज, जयपुर	1–10–82	80,000.00
118.	,,	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर	31–3–83	6,16,000.00
119.	,,	राजस्थान राज्य सह० मुद्रणालय, जयपुर	11–12–81	82,150.62
120.	,,	जोरास्टर एण्ड कं०	23–6–79	5,772.08

313

			14–12–81	27,729.10
			22–12–81	40,280.95
			21–8–82	5,106.94
121.	जयपुर जोन प्रथम	आसाम रोलर एण्ड फ्लोर मिल	18–10–79	2,72,966.51
122.	,,	रेलिस इण्डिया लि०	19–8–81	52,550.00
123.	,,	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल		1,33,47,313.96
124.	,,	आदित्य मिल्स, जयपुर	72–78	13,94,204.50
125.	,,	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर	69–78	11,83,960.26
126.	,,	हिन्दुस्तान कोपर	6–3–82	29,03,149.76
			1–3–82	89,61,437.67
127.	,,	मानसत्र इलेक्ट्रिकल्स लि० जयपुर	15–11–75	60,202.49
128.	,,	कालाराम गोबिन्द नारायण	24–11–79	50,000.00
			7–12–79	18,344.23
129.	,,	गेंदालाल कपूरचन्द	8–1–82	15.518.05
130.	,,	,, ,,	9–7–83	2,11,393.01
			14–7–81	19,866.66
131.	,,	आर०एस० मेटल प्रा० लि०	73–78	1,34,500.00
132.	,,	लक्ष्मी आयल एक्स० इण्ड०	18–2–82	6,86,693.53
			19–2–82	5,47,749.86
133.	,,	राज० एग्री० इन्जी० कार्पो०	1–3–82	1,63,477.45
			3–4–82	1,39,655.91

1	2	3	4	5
134.	जयपुर जोन प्रथम	कमानी इन्जी० कार्पो०	26-4-82	1,91,600.00
135.	,,	अम्बिका आयल मिल० जयपुर	4-12-82	17,437,30
			4-12-82	37,159.29
136.	,,	नेशनल इन्जी० इण्ड०	1-1-83	60,000.00
137.	,,	राज० वायर. प्रोडक्ट, जयपुर	1-1-83	85,000.00
138.	,,	लक्ष्मी आयल एण्ड एक्स०	28-2-83	3,08,324.15
139.	,,	राज० एग्रो०	11-3-83	2,86.997.00
			28-1-83	18,?6,788.51
140.	,,	श्रीराम इण्ड० एण्ड आयल मिल्स	11-3-83	2,86,997.00
141.	कोटा जोन	मै० कुन्दनमल मुकन्दमल झालरापाटन	—	4,83,469.39
				13.77,50 507.67

३१८

बकाया विवरण पत्र (जिसकी वसूली की कार्यवाही भू राजस्व के अन्तर्गत चल रही है)

क्रम सं.	जोन का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण दिनांक/वर्ष	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	मैसर्स आदिनाथ आयल इण्डस्ट्रीज, खरोदा	31-10-81	1,29,519.58
	,,	,, ,, ,,	2-11-81	89,390.06
			31-10-81	1,35,833.28
2.	,,	,, सवाई राम शंकर लाल, प्रतापगढ़	65-से66, से 68-69	84,507.10
3.	,,	,, अमर चन्द दाऊक चन्द, प्रतापगढ	78-79 से 79-80	1,09,102,88
4.	,,	,, विजय आयल मिल्स, भीलवाड़ा	29-9-82	2,03,986.55
5.	,,	,, पर्वतसिंह राजपूत,	17-4-70, 18-2-82	75,205.32
6.	,,	,, आदिनाथ आयल इंजिनियरिंग फैक्टरी	14-5-75, 1-11-75, 1-5-80	1,15,537.82
7.	जोधपुर	,, जोधपुर आर्म्स	5-11-81	1,10.542.00
8.	,,	,, राजपुरोहित टी कारपो०	3-4-81	1,62,054.00
9.	,,	,, तरूण साल्ट क०	23-2-82	68,775.54
10.	,,	,, कोपरेटिव स्टोर, 13 वी बटालियन	4-12-81	53,178.73
11.	,,	,, जसवंत राज किशोरमल	30-10-81	55,200.00
12.	,,	,, सम्पत इण्ड०	24-9-82	56,447.40
13.	,,	,, प्रकाश आयल मिल	2--6-83	72,748.00

1	2		3	4	5
14.	जोधपुर	मै.	न्यू डिजाइन मारबल मार्ट	76–78	97,564.10
15.	कोटा	,,	भीखा राम कस्तूर चन्द	10–8–83	73,210.60
16.	,,	,,	राम भरोसी लाल	19–10–83	2,20,872.75
17.	,,	,,	नारायण गिर्राज	21–3–83	76,200.00
18.	,,	,,	लक्ष्मी नारायण हरी शंकर	74–78	1,11,254.99
19.	,,	,,	अनिल बीडी क०	75–77	78,259.00
20.	,,	,,	प्रदीप ट्रेडिंग क०	73–78	68,175.83
21.	,,	,,	मनोहर लाल आशा भाई	76–77	1,25,039.78
22.	,,	,,	भोलाशंकर एण्ड ब्रादर्स	—	66,138.00
23.	,,	,,	कन्हैया लाल राम गोपाल	75–78	62,639.61
24.	,,	,,	रिषभ चन्द जैन	69–74	93,000.00
25.	,,	,,	जगदीश प्रसाद बन्सीधर	1–2–82	1,10,504.13
26.	जयपुर प्रथम	,,	किठानिया ट्रेडिंग क०	27–3–80	1,12,558.48
27.	,,	,,	पुरुषोत्तम एण्ड क०	21–1–81	1,51,656.52
28.	,,	,,	राजेन्द्र प्रसाद दाल मिल	21–1–81	1,06,276.08
29.	,,	,,	सालिग राम रमेश चन्द	4–3–82	75,583.57
30.	,,	,,	जयपुर कली उद्योग	2–4–83	91,121.22
31.	,,	,,	किरोडी लाल नरेन्द्र पाल		2,87,235.31
32.	,,	,,	जमना आयल मिल	19–9–83	1,43,876.19

33.	जयपुर प्रथम	मै०	कमला इण्ड०	2-12-83	67,959.64
34.	,,	,,	फूल आयल इन्ड०	19-9-83	4,14,872.00
35.	,,	,,	न्यू कर्मशियल कैमिक्ल	6-3-82	77,959.41
36.	,,	,,	हरि शंकर रितेश कुमार	24-7-82	4,27.800.00
37.	,,	,,	जय भारत आयल मिल	29-7-82	1,81,743.26
38.	,,	,,	तुलसीराम पन्नालाल	56-58	1,62,856.80
39.	,,	,,	मुरली धर हरी प्रसाद	77-78	56,263.20
40.	,,	,,	जयपुर आयल प्रोडक्ट प्रा० लि०	78-79	8,47,375.50
41.	,,	,,	तिवाडी झूमर लाल स्वरूप लाल	60-75	5,36,911.18
42.	,,	,,	चुन्नी लाल श्याम लाल	23-9-66	1,60,864.18
43.	,,	,,	एस. जोरास्टर एण्ड क. प्रा. लि.	9-2-82	13,51,873.15
44.	,,	,,	बजाज ट्रेडिंग क.	1-10-81	60,492.98
45.	,,	,,	बोरोमेक फार्मसिटिकलम	9-3-83	57,064.09
46.	,,	,,	जुहार मल श्रीनिवास	30-10-81	1,[illegible]0,545.82
47.	,,	,,	बाबू लाल नेमी चन्द	28-9-81	58,012.56
48.	,,	,,	शक्ति स्टीलमेटल इण्ड.	30-9-81	6,85,87[illegible].17
49.	,,	,,	मोहता ट्रेडिंग क०	28-11-81	1,16,754.69
50.	,,	,,	अडम्स फार्मसिटिकल्स	28-8-80	73,790.17
51.	,,	,,	राज. रा. विद्युत मण्डल	31-3-83	6,16,000.00
52.	,,	,,	अग्रसेन आयल एण्ड दाल मिल	20-4-83	2,28,083.96
53.	,,	,,	तोता राम बनवारी लाल	29-6-83	1,07,750.00
54.	,,	,,	राज. सिडीकेट एण्ड ग्लास इण्ड.	30-10-81	1,64,262.88

1	2		3	4	5
55.	जयपुर प्रथम	मै०	सुन्दर लाल एण्ड सन्स	9-5-74	10,07,653.84
56.	बीकानेर	,,	मनोज कुमार अनिल कुमार	8-11-82	2,21,819.10
57.	,,	,,	मनीष कुमार एण्ड क.	31-12-82	1,85,202.30
58.	,,	,,	लक्ष्मी ट्रेडिंग क.	21-1-83	54,054.90
59.	,,	,,	श्री दुर्गा ट्रेडिंग क.	6-12-83	68,690.00
60.	,,	,,	नवीन कुमार एण्ड क.	9-3-83	92,400.00
61.	,,	,,	सुल्तानसिंह राजपूत	21-3-83	54,729.07
62.	,,	,,	अमृत राज रमेश चन्द	31-3-83	54,539.07
63.	,,	,,	अशोका ट्रेडिंग क.	13-7-82	59,978.78
64.	,,	,,	हंस राज सुरज मल	14-9-82	1,49,165.32
65.	,,	,,	जगदीश अग्रवाल एण्ड ब्रादर्स	5-10-83	64,392.25
66.	,,	,,	स्पेन पाइप एण्ड इन्सटेक्शन	12-4-81	1,26,005.59
67.	,,	,,	शिव दत्त लिखमी चन्द	17-1-83	1,85,584.35
68.	,,	,,	डागा प्रतिष्ठान	2-2-83	1,34,751.04
69.	,,	,,	सुभाष चन्द सुरेश कुमार	22-2-83	1,17,942.92
70.	,,	,,	राज. वूल प्रोसेसर	21-10-82	4,20,127.80
71.	,,	,,	रासलन वूल मोडरेट	21-10-82	1,77,640.18
72.	जयपुर द्वितीय	,,	लाल चन्द तीर्थदास	7-6-82	71,815.18

73.	जयपुर द्वितीय	मैं० विकास थियेटर	12-3-73	53.451.70
74.	,,	,, रामप्रकाश टाकीज	18-4-83	69,885.08
				2,60,90,172.53

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी कार्यवाही न्यायालय में चल रही है
(प्रोसीक्यूशन एवं उजरदारी)

क्र. सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जयपुर जोन प्रथम	मुरारी लाल दामोदर लाल कामा	26-4-71 व 29-11-82	3,26,952.57
2.	,,	नन्द वनस्पति प्रा. लि. इन्दौर	8-11-71 व 1-9-72	19,26,261.25
3.	,,	रामदयाल हरिचरण लाल नदबई	2-4-74 व 2-3-76	51,270.77
4.	,,	भगवान स्वरूप गोपाल दास नदवई	5-4-80	58,471.30
5.	,,	नालन्दा इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	2-3-76 व 1-1-82	1,01,761 93
6.	,,	बी.बी. आयल मील, जयपुर	30-10-77	91,297.27
7.	,,	घासी लाल सुवा लाल, जयपुर	1-7-82	50,422.35
8.	,,	प्रेमचन्द विनोद कुमार, जयपुर	23-9-82 व 20-1-83	2,88,409.76

1	2	3	4	5
9.	जयपुर जोन प्रथम	जैन एण्ड कम्पनी, राजाखेड़ा	16–12–81	1,53,234.00
10.	,,	रामजीलाल एण्ड सन्स, धौलपुर	—	51,006.74
11.	,,	पिंक सिटी केमिकल्स, जयपुर	27–11–80	52,694.25
12.	,,	बी. बी. ग्रायल मिल्स, जयपुर	भिन्न-भिन्न	7,49,173.45
13.	,,	ग्रतुल ट्रेडिंग कारपोरेशन, जयपुर	30–11–81	52,017.59
			28–12–82	68,240.50
14.	जयपुर जोन द्वितीय	बालाबक्स भंवर लाल, जयपुर	2–6–81 व 11–9–81	66,22,182.69
15.	,,	इण्डिया इलेक्ट्रिक कारपोरेशन	18–8–80 व 20–9–82	1,69,483.15
16.	,,	सी.एल. गुप्ता एण्ड कम्पनी,	7–12–81	1,57,077.60
17.	,,	मुकुल ट्रेडिंग प्रा. लि.	30–7–75 व 27–1–82	37,62,494.75
18.	,,	राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी, ग्रजमेर	31–12–71	4,84,456.24
19.	,,	चौधरी मिनरल्स, मंगलियावास	5–11–74	68,541,22
20.	,,	केडिया ब्रदर्स, पिलानी	30–11–78 से 30–3–83	2,69,967.51
21.	जोधपुर जोन	भंवर लाल एण्ड कम्पनी	31–5–75 से 1–4–82	2,04,136,23
22.	,,	जोधपुर ग्राइल प्रोडक्टस	22–10–81 से 27–1–83	19,52,522.00
23.	,,	,,	20–10–81 से 30–12–81	3,71,537.84
24.	,,	लक्ष्मण दास एण्ड ब्रदर्स	17–9–81	8,42,285.31
25.	कोटा जोन	वृद्धिचन्द जगन्नाथ गंगापुर	8–6–71	2,79,945.18
26.	,,	मोतीलाल छाजूलाल, हिण्डोन	3–12–74 से 25–6–78	2,54,849.30

322

27.	बीकानेर जोन	त्रिलोचन सिंह जसवीर सिंह	16–8–78	1,30,135.32
28.	,,	केसरीचन्द कन्हैया लाल सूरतगढ़	23–2–83	84,005.78
29.	उदयपुर जोन	विजय आयल मिल्स, भीलवाड़ा	13–4–76 से 29–9–82	2,03,986.55
30.	,,	नरेन्द्र आयल मिल्स, भीलवाड़ा	10–1–79 से 8–4–81	59,250.31
31.	,,	बन्शीलाल प्रहलादराम, चित्तौड़गढ़	30–11–82	65,964.84
32.	,,	अमर दाऊचन्द,	—	1,09,'02.88
33.	जयपुर प्रथम.	राजस्थान इन्जिनियरिंग इण्ड. जयपुर	2–5–68	1,36,833.58
				2,02,49.892.07

मानचित्र बकाया मांग राशि जिसकी वसूली किश्तों में हो रही है (आदेश राजस्व मण्डल, अतिरिक्त आयुक्त, अपील एवं अन्य सक्षम अधिकारी की पालना में)

क्र.स.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जयपुर द्वितीय	सेनी कन्डेक्ट, जयपुर	9-6–83	53,009.10
2.	जयपुर प्रथम	आर. वाई. दुर्लभजो, जयपुर	27–11–82	90,418.00
3.	,,	रोहतास इण्डस्ट्रीज	27–9–82 से 4–10–82	20,96,597.54

1	2	3	4	5
4.	जयपुर प्रथम	प्रीमियर वेजीटेबल प्रोड. जयपुर	26-7-82	5,27,806.83
5.	,,	सुरेन्द्र इण्डस्ट्रीज	14-7-82	68,204.41
6.	,,	बाबू प्रसाद भगवान प्रसाद. अलवर	17-8-83	84,000.00
7.	कोटा जोन	कोटा वर्क्स	15-8-83	51,000.00
8.	बीकानेर जोन	जगजीत कोटन टेक्सटाइल मिल.	17-2-83	87,200.00
				30,58,231.88

बिक्रीकर बकाया विवरण पत्र (जिसकी कार्यवाही अपलेखन में चल रही है)

क्र.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	करदाता का नाम	कर निर्धारण की तिथि	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर जोन	गणेश आयल मिल. बड़ी सादड़ी	65-70	90,398.93
2.	बीकानेर जोन	नरेस कुमार एण्ड कम्पनी	1.4.82	1,18,900.00
3.	जयपुर जोन-द्वितीय	विजय काटन मिल्स	67-68 से अब तक	3,78,891.81
4.	,,	राजस्थान स्माल स्केल इण्ड. कार्पो.	18.2.68	87,139.81

३२५

5.	जोधपुर जोन	रानीदत्त तावड़ी	14.9.81	54,927.29
6.	,,	किशनाजी चैला जी, आबूरोड	27.1.77	74,173.90
7.	कोटा जोन	—	—	—
8.	जयपुर जोन-प्रथम	भौंरीलाल एण्ड कम्पनी	75-76	2,92,600.00
9.	,,	इलक्ट्रो हार्ड वेयर	18.2.82	51,602.00
10.	,,	किशनसहाय लक्ष्मी चन्द	27.4.75	75,579.00
				12,24,272.74

मानचित्र बकाया मांग राशि जो सत्यापन में है।

क.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	कर दाता का नाम	कर निर्धारण दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	गुलाब दास जगन्नाथ दास प्रा. लि.	22.9.83	2,25,425.21
2.	जयपुर-प्रथम	मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर	17.5.69	91,184.88
3.	,,	जिला कृषि अधिकारी, भरतपुर	1.8.74 से 31.12.81	1,69,057.23
4.	,,	यूनियन कारबाइन इण्डिया	16.2.82	2,24,584.25
5.	,,	आसाम रोलर एण्ड फ्लोर मिल	4.9.81 से 19.4.82	3,38,665.65

1	2	3	4	5
6.	जयपुर प्रथम	जयपुर बोटलिंग कम्पनी	25.8.82 से 6.11.82	2,32,474.69
7.	,,	एसिस्टेन्ट कन्जर्वेटर फोरेस्ट	19.10.80 से 10.12.82	6,13,583.83
8.	,,	राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ	2.2.82	66,867.00
9.	,,	श्री कन्टेनर्स	16.2.81 से 1.9.81	58,544.03
1L.	,,	एम. बी. आयल मिल्स	16.5.81 से 2.9.82	1,37,032.68
11.	,,	डब्ल्यु. आई. एम. कम्पनी	22.5.81 से 19.11.82	75,606.12
12.	,,	पोद्दार स्पीनिंग मिल्स	18.7.75 से 7.2.83	11,83,960.00
13.	,,	डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर. अलवर	14.10.81 से 6.9.82	3,76,027.73
14.	,,	एसोसियेटेड सोप		2,77,125.78
15.	,,	संतोष इण्डस्ट्रीज अलवर	6.7.83	73,117.85
16.	,,	भारत मिनरल्स, अलवर	3.12.82	1,15,703.00
17.	,,	प्रकाश प्रेवेराइजिंग मिल्स	3.12.82	2,79.369.32
18.	जयपुर–द्वितीय	भारत एजेन्सीज	16.6.83	83,567.35
19.	,,	लारसन्स एण्ड ट्युब्रो लि.	15.9.83	68,256 85
20.	,,	एच.एम.टी. लि.	28.10.83	3,28,496,64
21.	,,	पंजाब आनन्द बेट्रीज	16.11.83	2,06,476.83
22.	कोटा जोन	रीजनल फोरेस्ट आफिसर, कोटा	31.7.81	1,34,444.81
23.	,,	डायरेक्टर कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स	20.9.82	1,58,898.89

(325)

24,	कोटा जोन	जिला आबकारी अधिकारी	12.3.82	44,68,823.03
25.	जयपुर–द्वितीय	जयपुर जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	9.6.81 से 29.11.83	404,64,446.94
26.	,,	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर	16.3.81 से 24.2.83	294,52,995.13
				801,94,736.72

बकाया विवरण पत्र (जिसकी वसूली की कार्यवाही विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत है)

क्र.सं	जोन का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण दिनांक वर्ष	बकाया राशि
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	मैसर्स शिवा कैमिकल्स	77-78 से 78-79	54,370.53
2.	,,	,, अमर इन्डस्ट्रीज	68-69,69-70 78-79,79-80	58,838.59
3.	,,	,, आर एस चण्डावत एण्ड क.	80-81,81-82	55,780.90
4.	,,	,, बिडला सीमेन्ट वर्क्स, चितौड़गढ़	30-8-83	8,87,338.69
5.	,,	,, चिरंजी लाल फूल चंद बांसबाड़ा	2-3-83	1,10,878.55
6.	,,	,, मेहता वेजीटेबिल प्रोडक्ट, चितौड़गढ़	4-4-83	•1,25,118.50

1	2	3	4	5
7.	उदयपुर	,, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा	1-6-83	82,819.75
8.	,,	,, ,, ,, ,, ,,	18-8-83	77.857.13
9.	,,	,, मेवाड़ मोटर्स, उदयपुर	28-9-83	2,22,263.00
10.	,,	,, बद्री लाल होरा लाल, गुलाबपुरा	28-12-83	2,36,593.69
11.	,,	,, परियास आरा मशीन, बांसवाड़ा	70-71,71-72	61,846.98
12.	,,	,, वन श्रमिक समिति, ग्राम भरा	81-82	54,244.34
13.	,,	,, लक्ष्मी आयल टेडर्स, धानमण्डी	जुलाई 83	62,981.22
14.	,,	,, शिव नारायण राम नारायण छोटी सादड़ी	5-4-82,30-7-82, 24-8-8	1,77,641.00
15.	,,	,, विनित कुमार एण्ड क.	15-10-83	72,501.00
16.	उदयपुर	मै0 विनोद कुमार राज मल, अरनोद	16-10-83	72,200.00
17.	कोटा	,, भागचन्द लालचन्द	30-12-83	70,000.00
18.	,,	,, संतोषकुमार जुगल किशोर भवानी मण्डी	76-77	74,795.39
19.	,,	,, आर.'सी दालीवाल एण्ड क0 मण्डी	76-77	4,74,004.73
20.	,,	,, गुलाबचन्द गिरधारी लाल	73से75	1,23,7983.28
21.	,,	,, सुखलाल चौथमल रामगं जमण्डी	74-75	74,302.09
22.	,,	,, चतर एण्ड क0	75-77	1,06,028.71
23.	,,	,, शिव नारायण सत्य नारायण	73-76	81,000.00

24.	कोटा	मै0 बच्चन लाल कस्वाथना वनवारी लाल कृपा चन्द बारां	75-76	1,96,697.91
25.	,,	,, फार्म सुपरी0 यान्त्रिक कृषि फार्म		1,30,000.8:
2 .				
27.	,,	,, कानपुर स्टील कोटा	30.9.82	1,79,554.08
28.	जौधपुर	,, आशा आटोमोबाइल्स	26.10.83	80.542.00
29.	,,	,, संजय एण्ड क0	19.11.82	1,03,965.00
30.	,,	,, जोधपुर वुलन मिल	18.3.83	1,47,696 00
31.	,,	,, राधावल्लभ नारायण दास	28.5.83	1,51,558.53
32.	,,	,, भंवर लाल सर्राफ	4.6.83	60,896.15
33.	,,	,, धूत ब्रादर्स	6.1.78	98,826.31
34.	,,	,, बी. के. सिन्थेटिक्स	16,1.86	2,15,037.25
35.	,,	,, गुलाबदास जगन्नाथ प्रा0 लि0	22.9.83	2,25,485.21
36.	,,	,, देवाजी मण्डूपजी	26.12.83	78,075.72
37.	,,	,, गम्भीरमल मोहनलाल	30 12.81	94,554.72
38.	,,	,, मदनलाल नागजी जेतारण	28.12.83	1,04,074.93
39.	,,	,, ठाकुर विजय सिंह एण्ड क0	82-83	62,000.00
40.	,,	,, विपिन कुमार मनोज कुमार	18.7.83	56,786.00
41.	,,	,, हिन्दुस्तान कैमिकल इन्ड.	1.4.82	2,61,316.58
42.	,,	,, महेन्दा मेटिल इण्ड0	13.4.83	97,007.18
43.	,,	,, शेष मल भीकम चन्द	25.11.83	1,27,934.73
44.	,,	,, श्याम सुन्दर एण्ड बादर्स	28.12.83	74,039.00

1	2	3	4	
45.	बीकानेर	मै० पवन कुमार प्रहलाद राय	16.11.83	5,04,085.04
46	,,	,, प्रकाश टेडिंग क.	31.12.83	61,814.23
47.	,,	, राज. श्रमिक ठेका सह. स.	16.2.82	76,190.37
48.	,,	,, नेमी चन्द ओम प्रकाश	17.6.83	82,519.64
49.	,,	,, गंगा वूल टेडर्स	30.7.83	77,298.73
50.	,,	,, दशमेश टेक्टर	2.7.82	1,26,714.11
51.	,,	,, मिकम चन्द भंवर लाल	25.8.81	1,33,934.87
52.	जयपुर-प्रथम	सज्जन कुमार सुशील कुमार	25.7.83	1,66,642.00
53.	,,	,, राज. कामशि. कारपो.	16.9.82	4,14,697.16
54.	,,	,, भाटिया ब्रादर्स	20.9.82	1,27,118.80
55.	,,	,, चोथ मल राम निवास	22.3.83	68,489.04
56.	,,	,, अधि, अभि. सा. नि. वि.		8,14,856.39 (1,45,808.00 पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा स्थगन व आंशिक स्थगन राजस्व मण्डल अजमेर)
57.	,,	,, जिला आबकारी अधि.	13.4.81	4,72,748.08
58.	,,	,, चिरंजी लाल किरोडी मल	25.1.82	2,25,771.78

1	2	3	4	5
59.	जयपुर–प्रथम	मै० गोपाल लाल गोविन्द शरण	19.1.76	71,353.75
60.	,,	,, मंडल वन अधि.	17.5.79	91,184 88
61,	,,	,, जिला कृषि अधिकारी	5.4.80	1,69,057.23
62.	,,	,, गुरू नानक स्टील रोलिंग मिल	20.4.81	72,653.40
63.	,,	,, लक्ष्मी बूट हाउस	7.12 81	1,23,941.38
64.	,,	,, छेदी लाल गया प्रसाद	30.4.77	1,56,795.13
65.	,,	,, भोरी लाल एण्ड क.	72-77	2,92,600.00
66.	,,	,, बन्सल पाइप प्रा. लि.	10 10.83	59,261.21
67.	,,	,, कृष्णा एण्ड कं.	30.12.83	98,776.35
68.	,,	,, अमर मिनरल	82–83	1,00,000.00
69.	,,	,, फतेह लाल राजेन्द्र कुमार	14.9.82	72,396.00
70.	,,	,, राज. फैल्ट्र मै. क.	12.4.78	83,823.21
71.	,,	,, अग्रवाल ब्रादर्स	6.10.83	56,482.50
72.	,,	,, पदम चन्द विनयचन्द	21.11.83	56,000.00
73.	जयपुर जोन द्वितीय	रामप्रकाश टाकीज, जयपुर	18–4–83	69,825.08
74.	,,	बजरंगलाल अनीलकुमार	21–6–83	34,46,669.94
75.	,,	प्रिमीयर मेटल इण्ड. जयपुर	28–6–83	90,363.28
76.	,,	अशोका इन्जि. वर्क्स	20–12–83	61,369.12
77.	,,	रिचर्डसन हिन्दुस्तान	30–12–83	1,73,455.44
78.	,,	बिलो ग्लास प्रा. लि.	30–12–83	76,553.57

1	2	3	4	5
79.	जयपुर जोन द्वितीय	यूनिडोर केब्रिल्स	28–10–83	1,77,794.50
80.	,,	भीखमचन्द भंवरलाल	77–78	65,352.00
81.	,,	कर्नाटक स्कूटर लि. एम. आई रोड	81–82	59,383.23
82.	,,	इण्डिया फेल्ट मेन्यु. कं.	71–74	58,525.00
83.	,,	इण्डस्ट्रीयल एण्ड मर्केन्टाइल	73–77	72,607.74
84.	,,	स्वदेशी फेल्ट मेन्यु. क.	73–78	1,27,583.18
85.	,,	खण्डेलवाल बर्तन भण्डार,	1–4–83	88,000.00
86.	,,		31–5–83	1,68,900.00
87.	,,	निमको टाइल्स	25–2–81	63,644.02
88.	,,	सोभाग एजेन्सीज	13–7–81	5,48,044.69
89.	,,	इण्डस्ट्रीयल ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	9–2–83	3,66,607.17
90.	,,	जयपुर इलेक्ट्रो. प्रा. लि.	17–3–83	99,347.08
91.	,,	क्राम्पटन ग्रीवज प्रा. लि.	19–3–83	88,687.80
92.	,,	राज. स्माल इण्ड	24–3–83	2,18,459.12
93.	,,	रोहतास इण्ड.	25–3–83	74,662.08
94.	,,	गंगानगर शुगर मिल्स	26–3–83	1,30,364.14
95.	,,	फुड कारपोरेशन ऑफ इण्डीया	26–3–83	2,50,505.72
96.	,,	गोधा मेडिकल हाल	30–3–83	7,07.228.37
97.	,,	रामनगर जन. एण्ड शुगर मिल. 7 बी		9,61,630.82

98.	जयपुर जोन द्वितीय	लिपटन टी इण्डिया	31–5–83	65,388.65
99.	,,	जयपुर इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	31–5–82	1,01,408.82
100.	,,	,,	23–9–82	3,64,339.64
101.	,,	पदम चन्द एण्ड कं. शिवदासपुरा	81–82	1,41,029.87
102.	,,	महाराजा किशनगढ़ मिल्स	15–10–58	1,23,975.64
103.	,,	महेश मेटल वर्क्स, किशनगढ़	14–6–83	77,708.68
104.	,,	किस्तूर चन्द गुलाबचन्द किशनगढ़	23–12–83	1,61,624.47
105.	,,	कुमार ब्रदर्स अजमेर	16–6–83	87,950.24
106.	,,	लक्की मिनीमेट, प्रा. लि.	83–84	63,061.87
				2,05,62,692.47

(333)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची)

SALIENT FEATURES OF BASSI PROJECT

MAIN DAM

S. No.	Particulars.	M.K.S.	F.P.S.
1	2	3	4
1.	Location		
	Latitude		25°–2′–o″
	Longitude		74°–49′–3°″
2.	Gross catchment area	453.2 Sq. km	
3.	Intercepted catchment area		
	a. Orai 85 Sq. mile		
	b. Bijaipur nallah 43		
	128 Sq. mile.	331.5 Sq. km	130 Sq. mile
4.	Free catchment area	121.70 Sq. km	47 Sq. mile
5.	Type of catchment	Good	Good
6.	Average monsoon rainfall adopted.	736.6 mm	29 inches
7.	a. Estimated normal yield from free catchment area	22.25 mcum	794.82 moft
	b. carry over from dead storage	2.00 ,,	70.0 ,,
	c. Total available normal yield.	24.25 ,,	864.82 mcft.
8.	Gross storage capacity	23.2 cum	820 mcft.
9.	Dead storage capacity	2.96 mcum	105 moft.

1	2	3	4
10.	Live storage capacity	20.24 mcum	715 mcft.
11.	Duty of irrigation	143.0 ha/mucm	10 acres/mcft
12.	a. Expected annual irrig. in a normal year (When tank is full)	2893 ha	7150 acres.
	b. In an average year	2177 ,,	5383 acres.
13.	Length of by wash portion	230 m	754 ft.
14.	Length of earth dam	337.5 m	1187 ft.
15.	Full tank level	409 m	—
16.	maximum water level	411.5 m	—
17.	Top bund level	413.5 m	—
18.	Sluice sill level	398.0 m	—
19.	free board	2.00 m	6 56 ft.
20.	Maximum flood discharge	1415 cusecs	49000 cusecs
21.	Flood lift	2.50 m	8.20 ft.
22.	Top width of bywash bed bar	1.0 m	3.28 ft.
	Top width of earth dam	9.0 m	29.52 ft.
23.	Life of reservior	111 year	
24.	Dependability	62%	
25.	**LEFT MAIN CANAL**		
	1. Length of main Canal	16 Km	9.94 miles
	2. Discharge at head	2.05 cusecs	72.39 cusecs
	3. Type of Canal	Trapezidal section	
	4. Bed width	1.77	5.80 ft.
	5. Bed slope	1 in 4000	1 in 4000
	6. Side slope	1:1	1:1
	7. G. C. A.	5077 ha.	12546 acres
	8. C. C. A.	4452 ha.	11000 acres
	9. Intensity of Irrigation	65%	
	10. Proposed irrigation 65% of C. C. A	2893 ha.	7150 acres

335

1	2	3	4
26.	Total cost of the project		Rs. 23756000/-
27.	Cost of Irrigation.		Rs. 3320 per acres
28.	Financial return	0.510%	
29.	B. C. Ratio	1.96:1	

BASSI IRRIGATION PROJECT

ABSTRACT OF COST

DIRECT CHARGES

1. Head Works 'DAM'

A—Preliminary	1,27,300.00
B—Land	1,53,000.00
C—Works	1,01,03,500.00
K—Building	8,32,700.00
M—Plantation	10,000.00
O—Miscellaneous	4,85,300.00
P— Maintenance	1,15,800.00
G—Special Tools & Plants	8,84,000.00
M—Communication	60,000.00
Total of 1st Head Works	1,28,61,600.00

2. Main Canals & Branches

A—Preliminary	41,400.00
B—Land	2,35,000.00
D—Regulator	60,000.00
F—Cross drainage works	3,00,000.00
G—Bridges	1,09,400.00

336

	H—Escapes	30,000.00
	K—Building	2,14,000.00
	L—Earth work	17,76,500.00
	Li—Lining	11,80,400.00
	M—Plantation	40,000.00
	O—Miscellaneous	1,57,800.00
	P—Maintenance	38,700.00
	Total Main Canal and Branches:—	1,70,44,800.00
3.	Disiributories and Miners	3,08,100.00
4.	Drainage and protective works	30,000.00
5.	Water Crosses	55,000.00
8.2	I —Establishment	19,35,500.00
8.3	III—Ordinary Tools and plants	1,74,400.00
8.4	IV—Suspense	(–) 20,000.00
8.5	V — Receipt and Capital Outlay—	7,20,500.00
8.6	Total of Direct Charges :–	1,88,27,300.00
8.7	**Indirect Charges** :–	
	(i) Provision for abutment of land revenue.	3,450.00
	(ii) Audit and account charges	1,74,400.00
	Total of Indirect Charges :–	1,77,850.00
8.8	**Total Cost**	
	(i) Direct Dharges	1,88,27,300.00
	(ii) Indirect charges.	1,77,850.00
	Total Cost of the Project :	1,90,05,150.00
	Say :	1,90,05,000.00
	Add 25% for excalation in cost :	47,51,250.00
	Total :	2,37,56,250.00
	Say :	2,37,56,000.00

(परिशिष्ट-10)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूचियों का ब्यौरा)

जिला चित्तौड़गढ़ में माह जनवरी, 81 तक उपलब्ध कराये गये शुद्ध पेयजल वाले गांवों का तहसीलवार विवरण :—

क्र सं.	तहसील का नाम	वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार आबाद गांवों की संख्या	माह जनवरी, 82 तक गांवों में उपलब्ध कराये गये पेयजल वाले गांवों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	राशमी	75	26
2.	गंगरार	156	20
3.	बेगू	366	13
4.	चित्तौड़गढ़	187	31
5.	कपासन	180	27
6.	भदेसर	161	19
7.	निम्बाहेड़ा	149	14
8.	छोटी सादड़ी	132	12
9.	बड़ी सादड़ी	137	9
10.	डूंगला	100	11
11.	प्रतापगढ़	480	32
	योग :—	2123	214

जिला चित्तौड़गढ़ में माह जनवरी, 81 से जनवरी, 84 तक कराये गये शुद्ध पेयजल वाले गांवों का तहसीलवार विवरण :—

क्र.सं.	तहसील का नाम	माह फरवरी, 81 से जनवरी, 84 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये गये गांवों की संख्या
1.	2.	3.
1.	राशमी	25
2.	गंगरार	35
3.	बेगू	83
4.	चित्तौड़गढ़	113
5.	कपासन	54
6.	भदेसर	32
7.	निम्बाहेड़ा	13
8.	छोटी सादडी	26
9.	बड़ी सादड़ी	33
10	डूंगला	35
11.	प्रतापगढ	102
	कुल :-	551

जिला चित्तौड़गढ़ में अब शेष बचे समस्याग्रस्त गांवों की संख्या का तहसीलवार विवरण :—

क्र.सं.	तहसील का नाम	शेष समस्याग्रस्त गांवों की संख्या जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शेष है
1	2	3
1.	राशमी	1

339

1	2	3
2.	नंगरार	1
3.	बेगूं	4
4.	चित्तौड़गढ़	2
5.	कपासन	1
6.	भदेसर	—
7.	निम्बाहेड़ा	1
8.	छोटी सादड़ी	1
9.	बड़ी सादड़ी	1
10.	डूगला	—
11.	प्रतापगढ़	14
	योग	26

जिला चित्तौड़गढ़ में कनिष्ठ रसायनिज्ञ प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा संशोधित उन हैण्ड पम्पों की सूची जिनका पानी पीने योग्य नहीं है ।

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	कोड नं.	घोषित हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	बारावरदा	प्रतापगढ़	63	4
2.	संगथली	,,	512	1
3.	ऊंचा	राशमी	11	6
			योग	11

(परिशिष्ट 11)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 111 की रिपोर्ट)

ENQUIRY REPORT

As desired by the Addl. Chief Engineer (HQ), I have examined the whole records on the complaint of Shri Dwarka Prasad a candidate for the post of Helper before the Executive Engineer, Bhratpur in the year 1975.

It is true that Shri Dwarka Prasad was a candidate for the post of Helper and he was called for Interview held from 20-2-75 to 26-2-75 by the Selection Committee at Bharatpur.

It is wrong to say that the Merit List was for 58 persons only 16 persons were selected by the committee at Bharatpur in which Shri Dwarka Prasad was never selected. It is totally wrong that his name was at S. No. 26 of the selected candidates.

14 helpers who were departmental candidates and for them interview was held at Dholpur by the Selection Committee consisting of Executive Engineer, Bharatpur & Assistant Engineer, Dholpur on 17-2-75, and hence these 14 helpers who were departmental candidates and were appointed as helpers. I have gone through the records and found that all the persons were duly selected by the Selection Committee at Dholpur and at Bharatpur.

Shri Dwarka Prasad was also in interview for the post of Pump Driver-III and the selection list consists of 15 persons, and his name was also not in the selection list and hence he was not appointed.

Only the departmental candidates were selected at Dholpur.

After going through the whole record I came to the conclusion that the charges against the Executive Engineer, Bharatpur are unfounded and the complaint is totally false.

(आवेदन की प्रति)

सेवामें

श्रीमान मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :—अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, भरतपुर द्वारा सहायक द्वितीय एवम् पंप

ड्राइवर III (सहायक प्रथम) के लिये किये गये साक्षत्कार में अनियमिततायें ।

मान्यवर,

उक्त विषय में बडे दुःख के साथ निवेदन है कि श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग, भरतपुर द्वारा उक्त पदों के लिये माह 8.1.75 में विज्ञापन निकाला गया था । उस विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने में हर उम्मीदवार को अपना काफी समय एवम् रुपया खर्च करना पड़ा जैसाकि मेरा स्वयं का अनुभव है । आवेदन पत्रों की जांच किये जाने के बाद सक्षम पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया । यह साक्षात्कार दिनांक 20.2.75 से आरम्भ होकर 26.2.75 तथा 4.3.75से6.3.75तक क्रमशः सहायक द्वितीय एवम् सहायक प्रथम के पद हेतु लिये गये साक्षात्कार श्रीमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा लिया गया, जिसमें कि दो सहायक अभियन्ता एवम् एक कनिष्ठ अभियन्ता सम्मिलित थे । तथा चयन समिति ने 58 आवेदकों को चुनकर (मैरिट लिस्ट) सूची अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु दे दी । परन्तु श्रीमान अधिशासी अभियन्ता श्री दीवान सिंह दर्दी द्वारा यह सूची रद्दी की टोकरी में डाल दी गई और उन्होंने अपने मनमाने ढंग से दिनांक 4.3.75 को 31 आदमियों की सूची जारी कर दी जो कि सभी प्रकार से अवैध एवम् निरस्त करने योग्य है ।

श्री अधिशासी अभियन्ता ने वैसे तो न मालूम इस विषय में क्या–क्या अनियमिततायें की होंगी वैसे मैं खास खास मुद्दे निम्न प्रकार पेश करता हूं :—

1. अधिशासी अभियन्ता द्वारा चयन कमेटी के साक्षात्कार जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है दिनांक 20.2.75 से भरतपुर में आरम्भ किये लेकिन कुछ व्यक्तियों को इससे पूर्व ही दर्दी साहब ने शायद 17.2.75 को ही धौलपुर में चुन लिया था जो कि पूर्णरूपेण अवैध था ।

2. जैसा कि मुझे मालूम हुआ है चुने हुए व्यक्तियों में एक दो आदमी ऐसे भी हैं जिनको साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा गया था और उन्हें चुनकर नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है ।

3. धौलपुर के जितने भी आदमियों को चुना गया हैं उनमें से एक भी साक्षात्कार को भरतपुर में नहीं बुलाया गया । जबकि नियमानुसार हर व्यक्ति को चयन समिति के सामने भरतपुर में उपस्थित होना आवश्यक था ।

4. उक्त बातों के अलावा चयन समिति की सूची की पूरी तरह से अवहेलना कर दी गई । श्री दर्दी साहब द्वारा अपनी मनमानी करके नियुक्ति पत्र जारी किये गये ।

5. मैं स्वयं अपने बारे में इतना कह सकता हूं कि मेरा साक्षात्कार पूरी तरह अच्छा रहा व चयन समिति द्वारा तैयार की गई 58 आदमियों की सूची

में मेरा नाम 26 आदमियों से पहले था। मुझे नियुक्ति पत्र आज तक नहीं दिया गया है। जबकि 31 आदमियों को नियुक्ति पत्र दे दिये गये हैं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर द्वारा किये गये अन्याय की जांच कर गरीब एवम् साधनहीन व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कृपा करें। मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा लिखी गई सभी बातें पूर्णरूपेण सत्य हैं।

प्रार्थी,

ह.

(द्वारका प्रसाद)

द्वारका प्रसाद पुत्र श्री अमर सिंह

गांव पोस्ट आबऊ वाया नदबई

जिला भरतपुर (राजस्थान)

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूचियां)

वर्ष 1980–81 को विभिन्न मदों में आवंटित एवं व्यय की राशि का मानचित्र "अ"

क्र. सं.	विस्तृत मुख्य, उपलेखाशीर्ष		आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1.	304–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें :—				
	ख–माप तौल विनियमन (आयोजना भिन्न)	1. वेतन	17,000/–	16,965/–	सम्पूर्ण राशि का उपयोग हो गया है।
		2. यात्रा भत्ता व्यय	2,000/–	1,998/–	,, ,,
		3. चिकित्सा व्यय	700/–	505/–	कोई चिकित्सा व्यय बिल विचाराधीन नहीं होने के कारण,
		4. कार्यालय व्यय	2,000/–	1,780/–	कोई भी क्लेम विचाराधीन नहीं होने के कारण।
		योग	21,700/–	21,247/–	
2.	320–उद्योग क–सामान्य (का) निर्देशन एवं प्रशासन (III) जिला उद्योग केन्द्र (आयोजन व्यय)	1. वेतन	1,91,000/–	1,89,357/–	पद रिक्त होने के कारण
		2. यात्रा व्यय	17,000/–	16,329/–	,, ,,

1	2		3	4	5
		3. चिकित्सा व्यय	4,000/-	3,003/-	क्लेम पेंडिंग नहीं रहे।
		4. कार्यालय व्यय	50,000/-	36,077/-	कोई व्यय किये जाने हेतु अपेक्षित नहीं था।
		5. सहायतार्थ अनुदान	10,000/-	8,621/-	पूर्ण क्लेम नहीं होने के कारण।
		योग	2,72,000/-	2,53,387/-	
3.	320-उद्योग क-सामान्य औद्योगिक उत्पादकता उत्पादन उद्देश्य हेतु उपभोग की गई वस्तु शक्ति पर अनुदान (योजना)	1. वि. अनुदान	2,500/-	2,500/-	
		2. औ. इकाइयों को अनुदान/अंशदान	25,000/-	839/-	इस योजना में नियमों के अन्तर्गत वांछित औपचारिकतायें समय पर पूर्ण नहीं हो सकने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका था। अतः ऐसे मामलों को आगामी वर्ष में पूर्ण कर उन्हें भुगतान कर दिया। गया
		3. प्रयोगात्मक औजारों की परी. अंशदान/अनुदान	2,000/-	—	कोई क्लेम विचाराधीन नहीं होने से।

4. 321 ग्राम और ल. उ. (ख) लघुस्तर के उद्योगों की गणना (सी.एस.एस.)	1. संवेतन	—		
	2. यात्रा व्यय			
	3. चिकित्सा व्यय			
5. 720 ओद्यो. गृवेशष एवं विकास के लिये कर्जे (ख) अन्य ऋण I–उद्योग एवं उद्योगपत्तियों को ऋण II–जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण (केन्द्र प्रवर्तित योजना	1. जिला उद्योग ऋण	1,00,000/-	94,500/-	उपयुक्त और पूर्ण क्लेम न होने के कारण।
	2. आयोजना विभिन्न ब्याज मुक्त ऋण	15,000/-	—	कोई क्लेम विचाराधीन नहीं होने से।

"ब"

वर्ष 1981-82 को विभिन्न मदों में आबंटित एवं व्यय की गई राशि का मानचित्र

क. सं.	विस्तृत मुख्य/उपलेखाशीर्ष		आबंटित राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1.	304 अन्य सामान्य आर्थिक	1. सवेतन	18,200/-	19,593/-	

1	2		3	4	5
	सेवायें : – ख–मापतौल विनियमन (आयोजना भिन्न)	2. यात्रा व्यय	2,000/–	1,898/–	कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इतनी अल्प राशि व्यय ।
		3. चिकित्सा व्यय	300/–	205/–	,, ,,
		4. कार्यलय व्यय	2,000/–	1,915/–	,, ,,
		योग	22,500/–	23,601/–	
2.	320 उद्योग क–सामान्य (क) निर्देशन एवं प्रशासन (III) जिला उद्योग केन्द्र (आयोजना व्यय)	1. संवेतन	1,64,100/–	1,44,420/–	पद रिक्त रहने एवं माह मार्च में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ।
		2. यात्रा व्यय	16,000/–	5,149/–	,, ,,
		3. चिकित्सा व्यय	5,000/–	1,727/–	,, ,,
		4. कार्यालय व्यय	50,200/–	22 821/–	,, ,,
		5. सहायतार्थ अनुदान	10,000/–	3,355/–	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ।
		योग	2,45,300/–	1,77,472/–	

3. 320 उद्योग (क)–सामान्य औद्यो. उत्पादकता उद्देश्य हेतु उपभोग की गई शक्ति पर अनुदान (योजना)	1. विद्युत अनुदान	2,000/–	—	25,000 से अधिक आबादी क्षेत्र नहीं होने से ।
	2. औद्यो. इकाइयों को अनुदान/अंशदान	25,000/–	20,163/–	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ।
	3. प्रयोगात्मक औजारों पर अनुदान/अंशदान	1,000/–	—	कोई मामला विचाराधीन नहीं होने के कारण ।
4. 321 ग्राम और लघु उद्योग (ख) (1) लघुस्तर के उद्योगों की गणना (सी.एस.एस.)	1. संवेतन	—	—	
	2. यात्रा व्यय	—	—	
	3. चिकित्सा व्यय	—	—	
5. 720 औद्यो. गवेषण एवं विकास के लिये कर्ज (ख) अन्य ऋण				
I) उद्योग एवं उद्योगपतियों को ऋण	1. जिला उद्योग ऋण	50,000/–	38,600/–	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ।
II) जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	2. आयोजना भिन्न ब्याज मुक्त ऋण	10,000/–	—	उपयुक्त क्लेम विचाराधीन नहीं होने के कारण ।

("स")

वर्ष 1982-83 को विभिन्न मदों में आवंटित एवं व्यय की गई राशि का मानचित्र

क.सं.	विस्तृत मुख्य/उप लेखा शीर्ष		आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1.	304–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ख–माप तौल विनियम (आयो. भिन्न)	1. संवेतन	23,000	23,030	प्राय: सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है। यात्रा व्यय में कोई क्लेम बकाया न होने के कारण।
		2. यात्रा व्यय	25,000	1,917	
		3. चिकित्सा व्यय	400	399	
		4. कार्यालय व्यय	1,800	1,917	
		योग	27,700	27,263	
2.	320–उद्योग क–सामान्य (का) निर्देशन एवं प्रशासन (II) जिला उद्योग	1. संवेतन	1,60,000	1,48,100	पद रिक्त होने के कारण
		2. यात्रा व्यय	14,000	12,448	" "
		3. चिकित्सा व्यय	3,000	3,000	

केन्द्र (आयोजना व्यय)	4. कार्यालय व्यय	18,700	26,213	
	5. सहायतार्थ अनुदान	5,000	4,992	
	योग	2,00,700	1,94,753	
3. 320–उद्योग क–सामान्य औद्योगिक उत्पादकता उत्पादन उद्देश्य हेतु उपभोग की गई शक्ति पर अनुदान (योजना)	1. वि. अनुदान	2,000	1,901	इतनी कम राशि का कोई क्लेम बकाया न होने के कारण।
	2. औ. इकाइयों को अनुदान/	2,20,000	2,19,786	" "
	3. प्रयोगात्मक औजारों पर अनु./अंशदान	10,000	10,000	
4. 321–ग्राम और लघु उद्योग (ख)(1) लघु स्तर के उद्योगों की गणना (सी.एस.एस.)	1. संवेतन	12,000	8,565	संशोधित गत भुगतान प्रमाण पत्र के अभाव में
	2. यात्रा व्यय	1,300	645	क्लेम बची हुई राशि बहुत अधिक होने के कारण
	3. चिकित्सा व्यय	700	304	कोई क्लेम बकाया नहीं होने के कारण।

349

1	2		3	4	5
5.	720–औद्योगिक गवेशण एवं विकास के लिये कर्ज अन्य ऋण .				
	(I) उद्योग एवं उद्योगपतियों को ऋण	1. जिला उद्योग ऋण	25,000	24,500	
	(II) जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	2. आयोजना भिन्न ब्याज मुक्त ऋण	10,000	10,000	इकाइयों द्वारा बन्धक पत्र निष्पादन एवं नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न करने के कारण

(351)

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची) "अ"

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०

ओ-13, अशोक मार्ग, सी स्कीम-जयपुर

(शुगर अनुभाग)

समिति/भण्डार की सूची वर्ष 81-82 एडवांस दी गई राशि की सूची

क्रमांक	दिनांक	नाम समिति/भण्डार	राशि
1	2	3	4
1.	13-7-80	अजमेर भण्डार	50000.00
2.	7-7-80	आसिन्द क्रय विक्रय	3000.00
3.	7-7-80	बून्दी क्रय विक्रय	100000.00
4.	22-7-80	बसेड़ी क्रय विक्रय	15000.00
5.	17-7-80	बाड़ी क्रय विक्रय	50000.00
6.	3-7-80	बांदीकुई क्रय विक्रय	128000.00
7.	3-7-80	चाकसू क्रय विक्रय	140000.00
8.	8-8-80	चिड़ावा भण्डार	30000.00
9.	5-8-80	डीग क्रय विक्रय	75000.00
10.	3-7-80	गंगानगर भण्डार	30000.00
11.	11-9-80	फतेहपुर क्रय विक्रय	50000.00
12.	2-8-80	जयपुर क्रय विक्रय	200000.00
13.	16-1-81	जयपुर क्रय विक्रय	200000.00
14.	19-1-81	जयपुर क्रय विक्रय	200000.00
15.	3-7-80	जोधपुर क्रय विक्रय	100000.00
16.	3-7-80	झुंझुनूं भण्डार	30000.00
17.	15-7-80	कांमा क्रय विक्रय	320000.00
18.	2-8-80	कांमा क्रय विक्रय	250000.00
19.	3-8-80	बीकानेर कोलायत क्रय विक्रय	50000.00
20.	3-8-80	महालक्ष्मी प्रतापपुर क्रय विक्रय	25000.00

1	2	3	4
21.	3–7–80	मालपुरा क्रय विक्रय	20000.00
22.	1–8–80	नागौर भण्डार	150000.00
23.	10–9–80	नोहर क्रय विक्रय	8000.00
24.	3–7–80	पाली भण्डार	75000.00
25,	3–7–80	रूपबास क्रय विक्रय	125000.00
26.	4–8–80	सीकर भण्डार	400000.00
27.	3–7–80	सवाईमाधोपुर भण्डार	130000.00
28.	18–7–80	टौंक भण्डार	680000.00
		योग	2689000.00

Sd–
रमेशचन्द्र शर्मा
लेखाधिकारी (शुगर)

"ब"

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., वर्ष 81–82

ओ 13, अशोक मार्ग, सी स्कीम–जयपुर "शुगर अनुभाग"

क्रमांक	नाम समिति/भण्डार	राशि	दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्शभण्डार (जैसलमेर)	50000.00	1–12–81
2.	भरतपुर भण्डार	50000.00	18–11–81
3.	बसेड़ी क्रय विक्रय	75000.00	3–7–81
4.	अलवर भण्डार	212000.00	30–6–82
5.	डीग क्रय विक्रय	14,0000.00	22–6–82

1	2	3	4
6.	डूंडलोद मण्डी क्रय विक्रय	230000.00	17-5-8?
7.	फतेहपुर क्रय विक्रय	300000.00	3-6-82
8.	फतेहपुर क्रय विक्रय	300000.00	9-6-82
9.	गंगानगर भण्डार	35000.00	20-8-81
10.	झुंझुनूं भण्डार	35000.00	15-6-82
11.	गंगानगर भण्डार	30000.00	11-9-81
11.	झुंझुनूं क्रय विक्रय	100000.00	15-6-82
13.	गंगापुर सिटी क्रय विक्रय	400000.00	31-5-82
14.	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय	150000.00	22-6-82
15.	खेडली गंज क्रय विक्रय, खेडली	280000.00	16-6-82
16.	नीमकाथाना क्रय विक्रय	200000.00	3-6-82
17.	रामसिंहनगर क्रय विक्रय	25000,00	17-11-81
18.	सुरजगढ़ क्रय विक्रय	550000.00	20-5-82
19.	सुरजगढ़ क्रय विक्रय	400000.00	8-6-82
20.	सरदार शहर क्रय विक्रय	350000.00	29-5-82
21.	श्रीमाधोपुर क्रय विक्रय	250000.00	17-6-82
22.	श्रीमाधोपुर क्रय विक्रय	250000.00	18-6-82
2?.	सादुल शहर क्रय विक्रय	35000.00	20-8-81
24.	शाहपुरा क्रय विक्रय, जयपुर	150000.00	24-5-82
25.	सीकर भण्डार	90000.00	12-8-82
26.	टी ए डी सी उदयपुर	150000.00	23-10-81
27.	उदयपुर भण्डार	400000.00	12-1-82
28.	नागोर भण्डार	500000.00	28-6-82
29.	हिन्डोन क्रय विक्रय	200000.00	24-4-82
30.	अलवर क्रय विक्रय	400000.00	20-5-82
31.	धौलपुर क्रय विक्रय	300000.00	3-6-82
32.	सीकर भण्डार	270000.00	2-8-82
33.	दौसा क्रय विक्रय	300000.00	29-5-82
	योग	7207000.00	

Sd–
लेखाधिकारी
(शुगर)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., "स"
श्री 13 अशोक मार्ग, सी स्कीम–जयपुर

समिति/भण्डारों को वर्ष 82–83 में एडवांस दी गई राशि की सूची

क्रमांक	दिनांक	नाम समिति भण्डार	राशि
1.	7–10–82	आसिन्द क्रय विक्रय	180000.00
2.	17–9–82	बयाना क्रय बिक्रय	200000.00
3.	5–7–82	बून्दी भण्डार	340000.00
4.	1–9–82	बांदीकुई क्रय विक्रय	200000.00
5.	10–8–82	डीग क्रय विक्रय	100000.00
6.	9–9–82	दौसा क्रय विक्रय	250000.00
7.	12–7–82	फतेहपुर क्रय विक्रय	300000.00
8.	8–11–82	जयपुर क्रय विक्रय	575000.00
9.	23–9–82	जालौर क्रय वियक्र	300000.00
10.	5–7–82	झुंझुनुं क्रय विक्रय	250000.00
11.	5–7–82	,, भण्डार	250000.00
12.	14–7–82	नागौर भण्डार	800000.00
13.	16–2–82	,, ,,	300000.00
14.	अग., 21	,, ,,	100000.00
15.	अग., 23	,, ,,	400000.00
16.	सितम्बर, 18	नीमकाथाना क्रय विक्रय	50000.00
17.	जुलाई, 2	उदयपुर भण्डार	500000.00
18.	11–11–82	सुरजगढ़ क्रय विक्रय	200000.00
19.	सित., 10	सुरजगंज मण्डी क्रय विक्रय	150000.00
20.	अगस्त, 9	उदयपुर भण्डार	500000.00
21.	14–2–83	बयाना क्रय विक्रय	150000.00
22.	16–5–83	,, क्रय विक्रय, भादरा	150000.00
23.	31–12–83	बांदीकुई क्रय विक्रय	48877.72
24.	12–4–83	सांभर क्रय विक्रय	500000.00
25.	9–6–83	सवाईमाधोपुर भण्डार	400000.00
26.	21–6–83	सवाईमाधोपुर भण्डार	25000.00
		योग	8218877.72

Sd–
लेखाधिकारी
(शुगर)

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूचना)

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष 1982–83					वर्ष 1983–84 (15 फर० 1984)				
		चोरी	डकेती	हत्या	आगजनी	बलात्कार	चोरी	डकेती	हत्या	आगजनी	बलात्कार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	नागौर	33	3	3	3	1	20	–	1	2	–
2.	मूण्डवा	13	–	–	1	1	13	–	3	–	–
3.	पाचोड़ी	5	–	1	1	–	10	–	1	2	–
4.	भावडा	6	–	–	–	–	4	–	–	–	–
5.	श्रीबालाजी	4	–	2	1	2	7	–	–	–	–
6.	खाटू	4	–	1	1	1	4	–	1	–	–
7.	जायल	9	–	1	1	–	13	–	2	–	–
8.	खींवसर	6	–	–	–	1	5	–	3	1	1
9.	सूरपानिया	5	–	1	–	–	6	–	–	–	–
10.	डीडवाना	17	–	1	3	–	19	–	1	–	–
11.	लाडनू	9	–	–	2	–	8	–	–	4	–
12.	बरड़का	11	–	2	1	1	7	–	1	–	–
13.	छानखुना	6	1	1	1	–	7	–	1	2	–
14.	जसवन्तगढ़	3	–	1	3	–	6	–	–	4	–
15.	मेड़ता	51	1	–	1	1	30	–	4	–	1
16.	मेड़तारोड	19	–	3	2	2	21	–	2	–	–
17.	डेगाना	17	–	2	–	1	9	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	पादू	13	—	2	—	1	11	—	1	2	1
19.	थावला	6	—	2	1	—	19	—	3	—	—
20.	मकराना	23	—	3	3	3	14	—	6	2	—
21.	परबतसर	8	—	3	—	—	18	—	2	—	—
22.	गच्छीपुरा	5	2	—	3	—	4	1	1	—	1
23.	नावां	2	2	—	1	—	8	—	—	1	—
24.	कुचामन	12	1	—	2	—	12	—	—	1	—
25.	पीलवा	7	—	—	—	—	2	—	1	—	1
26.	मारोठ	3	1	—	1	—	7	1	1	4	—
27.	चीतावा	3	1	1	1	—	5	—	—	2	—
	योग :—	300	12	30	33	15	289	3	36	27	8

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूचना)

क्र. सं.	वर्ष	नाम थाना मय जिला जिसमें घटना हुई	मुकदमा संख्या मय धारा	नाम मुलजिमान	जैर तफतीश	चालान	जैर तजवीज न्यायालय	सजा	बरी
1.	1982	थाना मांगरोल जिला कोटा	मु.नं. 10 धारा 376 ता. हि.	श्री हिम्मतपाल सिंह एसआई	—	चालान 30–9–82	—	—	बरी 11-5-83
2.	1982	थाना चेचट जिला कोटा	मु.नं. 9 धारा 376 ता. हि.	श्री मदनलाल एस.आई. श्री रामदेव एच.सी. श्री चतुर्भुज कानि. श्री जयभगवान कानि.	— —	चालान 24–4–82	— —	— —	बरी 16–2–83
3.	1982	थाना पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा	मु.नं. 35 धारा 363 365,376,342 ता.हि.	श्री मोहम्मद सैयद श्री जनकी राम का. जनता के (1) भामूडी (2) गिरधारी (3) कंचना	— —	चालान 15–5–82	—	—	बरी 15–11–83
4.	1983	थाना खमनौर जिला उदयपुर	मु.नं, 95 धारा 376 ता.हि.	श्री गणेशमल एच.आई.	जैर तफतीश	—	—	—	—

357

358

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की सूची)

जिलेवार सूची

जिले का नाम	गृह जिलों में पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या				
	कांस्टेबिल	हैड कानि.	सहायक उप निरी. पुलिस	उपनिरी. पुलिस	निरीक्षक पुलिस
जयपुर	65	11	2	5	2
कोटा	1	—	—	1	1
अलवर	6	1	—	—	—
सीकर	4	1	—	—	—
गंगानगर	2	—	—	—	—
चित्तौड़गढ़	3	—	—	—	—
भरतपुर	5	—	—	—	—
बीकानेर	1	—	—	—	—
जोधपुर	6	—	—	—	—
नागौर	4	—	—	—	—
अजमेर	1	—	—	—	—
सवाईमाधोपुर	1	—	—	—	—
पाली	1	—	—	—	—
बाड़मेर	3	—	—	—	—
कुल	103	13	2	6	3

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जिला उद्योग केन्द्र कोटा

पंचायत समिति अन्ता से वर्ष 83-84 में विभिन्न ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत प्राप्त मांग पत्रों की सूची :-

क्र.	दिनांक	नाम कामगार व पिता का नाम	ग्राम	उद्योग	ऋण	सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.8.83	भवानी शंकर पुत्र					
2.	,,	अमर लाल	मांगरोल	चर्मरंगाई	3750	750	4500
	,,	प्रताप/टोडू	,,	चर्म जूता	2250	250	2500
3.		कमला बाई पत्नी धन्नालाल	,,	चर्म रंगाई	3750	750	4500
4.	,,	कालूलाल/किशनलाल	,,	चर्म रंगाई	3750	750	4500
5.	,,	अमरलाल/गंगाराम	,,	,,	3750	750	4500
6.	,,	चतरा/पाचू रैगर	,,	,,	3750	750	4500
7.	,,	कालूलाल/कन्हैयालाल	,,	,,	3750	750	4500
8.	,,	शिवजी/ओंकार	,,	चर्मजूता	2250	250	2500
9.	,,	धन्नालाल/परमानंद रैगर	,,	,,	2250	250	2500
10.	,,	श्रीकिशन/ओंकार रैगर	,,	,,	2250	250	2500
11.	22.12.83	श्री हीरालाल/लक्ष्मीनारायण	दीगोद	सुथारी	1600	600	2200
12.	,,	श्री छीतरलाल पुत्र श्री माधोलाल	बमोरी	चर्म रंगाई	3750	760	4500
13.	,,	हीरालाल/कालूलाल	,,	,,	3750	750	4500
14.	,,	रेवडीलाल/रामकरण	रातडिया	,,	3750	750	4500

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	22.12.83	पूरणमल/किशनलाल	मोलकी	सुथारी	1600	600	2200
16.	,,	छोटूलाल/माधोलाल	अन्ता	बांसबेत	1100	100	1200
17.	,,	बंसीलाल/मूलचन्द	,,	,,	1100	100	1200
18.	,,	रमेश/केसरीलाल	पाटोन्दा	,,	1100	100	1200
19.	,,	बजरंगलाल/ गोपीलाल	अन्ता	,,	1100	100	1200
20.	,,	कालूलाल/किशोर	,,	,,	1100	100	1200
21.	,,	ओमप्रकाश/छोटूलाल	,,	,	1100	100	1200
22.	,,	गणपत/मोटूलाल	,,	,,	1100	100	1200
23.	,,	मदनलाल/रामनारायण	आटोन्दा	लुहारी	2200	1200	3400
24.	,,	नाथूलाल/माधोलाल	पाटोन्दा	सुथारी	1600	600	2200
25.	,,	बाबूलाल/छीतरलाल	सीसवाली	चर्म रंगाई	3750	750	4500
26.	,,	केशव/छगनलाल	पाटोन्दा	कुम्हारी	2275	1275	3550
27.	7.1.84	श्यामलाल/घनश्याम	सीसवाली	बांसबेत	1100	100	1200
28.	,,	बाबूलाल/केदार	,,	,,	1100	100	1200
29.	,,	हजारीलाल/गेन्दीलाल	,,	,,	1100	100	1200
30.	,,	नारंगीबाई/पत्नी रेवड़ीलाल	,,	,,	1100	100	1200
31.	,,	पन्नालाल/घासीलाल	,,	चर्म जूता	2250	250	2200
32.	,,	किशनलाल/घासीलाल	,.	,,	2250	250	2500
33.	,,	बजरंगलाल/जयकिशन	,,	,,	2250	250	2500
34.	,,	सूरजमल/श्रीलाल	मांगरोल	बांसबेत	1100	100	1200
35.	,,	रामदयाल/सुखलाल	,,	,,	1100	100	1200
36.	,,	मांगीलाल/भैरूलाल	,,	चर्म जूता	2250	250	2500
37.	,,	नाथूलाल/केशरीलाल	,,	कुम्हारी	2275	1275	3550
38.	,,	नारायण/केवरलाल	सोरखण्ड	चर्म जूता	2250	250	2500
39.	,,	बैनाराम/कालूलाल	बमोरी	,,	2250	250	2500
40.	18.1.84	प्रभूलाल/किशनलाल	सीसवाली	कुम्हारी	2400	1400	3800
41.	,,	रामचन्द्र/भैरूलाल	,,	,,	2400	1400	3800
42.	,,	देबीलाल/भोलाराम	काचरी	चर्मजूता	2500	250	2500
43.	,,	कन्हैयालाल/गेन्दीलाल	बालतड़ा	आंदाल	750	250	1000
44.	,,	केदारलाल/ आनन्दीलाल	अन्ता	मसाला	3500	500	4000

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	18.1.84	गेन्दीलाल/गिरधारी	रूपपुरा	चर्म जूता	2250	250	2500
46.	,,	रतन/गिरधारी	,,	,,	2250	250	2500
47.	,,	मदन/गिरधारी	,,	,,	2250	250	2500
48.	,,	हरलाल/गिरधारी	,,	,,	2250	250	2500
49.	,,	डूगरीलाल/कंवरलाल	बालदड़ा	कुम्हारी	2275	1275	3550
50.	,,	खलील/कल्लू खां	अन्ता	लुहारी	2200	1200	3400
51.	,,	परमानन्द/हीरालाल	मांगरोल	चर्मरंगाई	3750	750	4500
52.	25.11.84	कान्याबाई पत्नी नारायण	मांगरोल	,,	3750	750	4500
53.	,,	जवाहरलाल/नारायण	मांगरोल	,,	3750	750	4500
54.	,,	लक्ष्मीचन्द/पन्नालाल	मांगरोल	,,	3750	750	4500
55.	,,	मदनलाल/घासीलाल	मांगरोल	चूनाभट्टा	5000	—	5000
56	28.1.84	तोलाराम/कंवरलाल	मांगरोल	चर्म रंगाई	3750	750	4500
57.	,,	धन्नालाल/पेमा	मांगरोल	,,	3750	750	4500
58.	,,	बूचीलाल/हरदेव	मांगरोल	चर्म जूता	2250	250	2500
59.	,,	बंसीलाल/घासीलाल	अन्ता	,,	2250	250	2500
60.	,,	मांगरलाल/सुवजी	अन्ता	,,	2250	250	2500

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जिला उद्योग केन्द्र कोटा

पंचायत समिति अन्ता में वर्ष 83-84 में विभिन्न ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत स्वीकृत मांग पत्रों की सूची :-

क्र.	दिनांक	नाम कामगार मय पिता का नाम	गांव	उद्योग	ऋण	अनु.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	25.11.83	भवानीशंकर/अमरलाल	मांगरोल	चर्म रंगाई	3750	750	4500
2.	18.12.83	कालूलाल/किशनलाल	,,	,,	3750	750	4500

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	25.11.83	कमलाबाई/पत्नी धन्नालाल	मांगरोल	चर्म रंगाई	3750	750	4500
4.	23.12.83	प्रताप/टोड़ रैगर	,,	चर्मजूता	2250	250	2500
5.	,,	कालूलाल/कन्हैयालाल	,,	चर्मरंगाई	3750	750	4500
6.	,,	धन्नालाल/परमानंद	,,	चर्मजूता	2250	250	2500
7.	,,	चतरा/पाथू	,,	चर्मरंगाई	3750	750	4500
8.	,,	छीतरलाल/माधोलाल बमोरी		चर्मरंगाई	3750	750	4500
9.	,,	हीरालाल/कालूलाल बमोरी		,,	3750	750	4500
10.	,,	रेवड़ीलाल/रामकरण रातड़िया		,,	3750	750	4500
11.	,,	पूरणमल/किशनलाल मोलकी		सुथारी	1600	600	2200
12.	,,	हीरालाल/लक्ष्मीनारायण दीगोद		,,	1600	600	2200
13.	,,	गणपतलाल/माटूलाल अन्ता		बांसबेंत	1100	100	1200
14.	,,	कालूलाल/किशोरीलाल	,,	,,	1100	100	1200
15.	,,	ओमप्रकाश/छोटूलाल	,,	,,	1100	100	1200
16.	,,	रमेश/केसरीलाल	पाटोन्दा	,,	1100	100	1200
17.	,,	मदनलाल/मोहनलाल	,,	लुहारी	2200	1200	3400
18.	,,	केशव/छगना	पाटोन्दा	कुम्हारी	2275	1275	3550
19.	,,	कन्हीलाल/मूलचन्द	अन्ता	बांसबेंत	1100	100	1200
20.	,,	छोटूलाल/माधोलाल	,,	,,	1100	100	1200
21.	,,	बजरंगलाल/गोपीलाल	,,	,,	1100	100	1200
22.	31.1.84	डूगरीला/कंवरलाल	बाबदड़ा	कुम्हारी	2275	1275	3550
23.	,,	रामदयाल/सुखलाल	मांगरोल	बांसबेंत	1100	100	1200
24.	,,	हजारीलाल/गेन्दीलाल	सीसवाली	,,	1100	100	1200
25.	,,	सूरजमल/श्रीलाल	मांगरोल	,,	1100	100	1200
26.	,,	बाबूलाल/केदार	सीसवाली	,,	1100	100	1200
27.	,,	श्रीमती नारंगीबाई पत्नी रेवड़ीलाल	,,	,,	1100	100	1200
28.	,,	बजरंगलाल/जयकिशन	,,	चर्म जूता	2250	250	2500
29.	,,	पन्नालाल/घासीलाल	,,	,,	2250	250	2500
30.	,,	चैतराम/कालूलाल	बमोरी	चर्म जूता	2250	250	2500
31.	,,	मांगीलाल/भैरूलाल	मांगरोल	,,	2250	250	2500
32.	,,	बाबूलाल/किशनलाल	सीसवाली	कुम्हारी	2400	1400	3800
33.	,,	रामचन्द्र भैरूलाल	,,	,,	2400	1400	3800

(363)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जिला उद्योग केन्द्र कोटा

पंचायत समिति इटावा से वर्ष 83–84 में विभिन्न ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत प्राप्त मांग पत्रों की सूची :–

क्रमांक	नाम कामगार/पिता का नाम	जाति	ग्राम	उद्योग	ऋण	सहा.	दिनांक
1.	श्री ईद मोहम्मद/मोहूजी	मुसलमान	इटावा	सुथारी	1600	600	11.11.83
2.	सुबराती/अहम्मदजी	,,	,,	,,	1600	600	,,
3.	रामकरण/कस्तूरचंद	हरिजन	,,	बांसबेंत	1050	50	,,
4.	बजरंगलाल/छीतरलाल	,,	,,	,,	1050	50	,,
5.	देवीलाल/पन्नालाल	खटीक	,,	आर्टवेयर	2000	—	,,
6.	अल्लानूर/गादरबक्श	लुहार	,,	लुहारी	2200	1200	,,
7.	मकबूल/करीमखां	,,	पीपल्दा	,,	2200	1200	,,
8.	जुम्माखां/रब्वाज़ खां	लुहार	इटावा	,,	2200	1200	,,
9.	बाबूखां/गफ्फूर खां	मुसलमान	इटावा	बेकरी	4000	—	,,
10.	गंगाराम/रघुनाथ	कुम्हार	,,	कुम्हारी	2450	1450	,,
11.	प्रहलाद/रतनलाल	तेली	,,	तेलघाणी	4875	1375	,,
12.	बाबूलाल/हरीराम	रैगर	निमोला	चर्मरंगाई	3750	750	,,
13.	कमलाशंकर/बंशीलाल	,,	,,	,,	3750	750	,,
14.	सुल्तानजहां/मुबारक	मुसलमान	इटावा	मसाला	3500	500	,,
15.	सोहनलाल/बूचीलाल	हरिजन	इटावा	बांसबेंत	1100	100	,,

पंचायत समिति इटावा में स्वीकृत मांग पत्रों की सूची :–

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जुम्मा/रुचाजू	मुसलमान	इटावा	लुहारी	2200	1200	23.12.83
2.	श्रीगंगाराम/रघुनाथ	कुम्हार	,,	कुंहारी	2450	1450	,,
3.	बाबूलाल/हरिराम	रैगर	,,	चर्मरंगाई	3750	750	,,
4.	सोहनलाल/बूचीराम	हरिजन	,,	बांसबेंत	1100	100	31.1.84
				योग	9600/-	3500/-	

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूचना)

गत चार वर्षों से अधिक अस्थाई कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री सेवास्टियन पी. सी.	कनिष्ठ लिपिक	20-9-78
2.	,, नन्द लाल	चपरासी	30-4-73
3.	श्रीमती कमला बाई	सफाई कर्मचारी	7-4-76 से दैनिक वेतन पर

स्थाई किये गये कर्मचारियों की सूचना

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	नियुक्ति तिथि	स्थाई करने की तिथि	जन्म तिथि
1.	श्री बजरंगलाल	नीलामकर्ता	7-6-77	7-6-78	1-7-55
2.	,, प्रमुदयाल शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	1-1-78	1-1-79	15-8-56
3.	,, फतेह सिंह हाडा	नीलामकर्ता	22-5-80	9-5-81	6-12-49
4.	,, रामकिशन	चौकीदार	1-9-78	1-9-79	26-6-55
5.	,, भवानी शंकर	चौकीदार	14-10-78	14-10-79	1-7-59
6.	,, हीरा लाल	चौकीदार	30-4-73	1-7-78	30-4-47

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 131 की सूची)

जैसलमेर जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों

की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	कब से रिक्त
1.	सहायक शल्य पशु चिकित्सक	10	5 पद वर्ष 80 से 2 पद वर्ष 82 से 3 पद वर्ष 83 से
2.	सहायक पशु चिकित्सक	3	1 पद वर्ष 82 से 2 पद वर्ष 84 से
3.	पशुधन सहायक	3	3 पद वर्ष 83 से
1.	सईस	4	4
1.	सफाईकर्ता	8	2

366

परिशिष्ट 20

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत सहायता विभाग द्वारा कुंओं पर व्यय की गई राशि :—

वर्ष 1981-82 से 83-84 तक टौंक

क्र.	नाम कार्य	नाम ग्राम	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	नवीन पेयजल कुप मीना	भरनी	5,772.00
2.	मरम्मत कूप मेहगांव	सोरन	3,997.00
3.	मरम्मत कूप सरवराबाद	सोरन	3,942.00
4.	पेयजल कूप मरम्मत	पगरूकनगर (सांखना)	1,972.00
5.	बैरवा समाज के पयेजल कूप मर.	भंवर खो (सांखना)	3,722.00
6.	नवीन कूप निर्माण बैरवा बस्ती	बस्ती वजीरपुरा	9,106.00
7.	,, मेवातियों की ,,	बाड़ा जेरविला	7,355 00
8.	,, ककराज खुर्द	गहलोद	8,004.00
9.	कूप मरम्मत मारखेड़ा	,,	1,103.00
10	कूप मरम्मत मीना बस्ती	खरेडा	1,838.00
11.	नवीन पेय जल कूप निर्माण	नानेर	6,243.60
12.	नव कूप निर्माण धासडी	लवादर	10,132.00
13.	नवीन पेयजल कूप प्रेमनगर	हरचंदेडा	7,994.00
14.	पेयजल कूप मरम्मत	,,	2,107.00
15.	अपूर्ण पेयजल कूप इब्राहिमपुरा	नानेर	2,971.00
16.	नवीन पेयजल कूप वजीरपुरा	ताखोली	7,957.00
17.	कूप मरम्मत जिरवाना	,,	1,995.00
18.	पेयजल कूप मरम्मत सरदारपुरा	,,	1,993.00
19.	नवीन पेयजल कूप अ०निया काकंड	चोगाई	8,000.00
20.	अपूर्ण पेयजल कूप	बिठोला अ०केदार	3,043.00
21.	नव कूप निर्माण	निमोला	8,000.00
22.	नवीन पेयजल कूप अजमपुरा	लोहरवाड़ा	7,969.00

1	2	3	4
23.	कूप मरम्मत लोहरवाड़ा	लोहर बाड़ा	1,753.00
24.	नव कूप निर्माण मवेशीपुरा	झिराना	4,345.00
25.	नवीन कूप निर्माण मौजा मोहनाबाद	,,	4,314.00
26.	मरम्मत कूप ढाणी बैरवा	संडीला	1,959.00
27.	,, सांसियान अ० नीव	दाखिया	1,955.00
28.	कूप मरम्मत सीतारामपुरा	मंडावर	10,489.00
29.	नव कूप निर्माण फजलपुरा	,,	7,883.00
30.	,, हरिजन बस्ती	डारडा हिन्दी	7,080.00
31.	कूप मरम्मत अहमदगंज	पालडा	1,945.00
32.	हरिजन कूप मरम्मत	प्यावडी (बगडी)	7,280.00
33.	कूप मरम्मत देवपुरा	पीपलू	1,408.00
34.	,, उस्मानपुरा	सोनवा	2,371.00
35.	नव कूप हरिजन नया टीला	बोरखंडी	7,991.00
36.	,, हरिजन बोरखंडी	,,	7,891.00
37.	पेयजल कूप गहरा	हथौना	1,938.00
38.	अपूर्ण पेयजल कूप गहरा गोहरपुरा	मेन्दवास	4,977.00
39.	,, उंटीटाना	घांस	3,112.00
40.	,, बाड़ा अब्दुल्लापुरा	,,	2,021.00
41.	कूप गहरा व मरम्मत	गहलोद	5,000.00
42.	,,	सोनवा	5,455.00
43.	बैरवा बस्ती में नव कूप निर्माण	,,	10,000.00
44.	कूप मरम्मत शकूरपुरा	सोनवा	3,625.00
45.	मरम्मत कूप सरवराबाद	सोरन	2,000.00
46.	अपूर्ण पेयजल कूप मरम्मत उंटीटाना	घास	2,392.00
47.	नवीन कूप मीना	भारनी	3,000.00
48.	अपूर्ण कूप निर्माण बैरवा बस्ती	वजीरपुरा	1,588.00
49.	अपूर्ण कूप निर्माण मेवातियों की बस्ती	बाड़ा जेरकिला (वजीरपुरा)	2,376.00
50.	कूप मरम्मत रेगरान	सांखना	4,056.00
51.	कोली समाज कूप मरम्मत	संदेड़ा	6,257.00

1	2	3	4
52.	बैरवा कूप मरम्मत बनवाड़ा	सदेश	6,237.00
53.	अपूर्ण पेयजल कूप	वजीरपुरा	500.00
54.	अरनिया केदार की नई में पनघट कूप मरम्मत	,,	3,960.00
54.	कूप मरम्मत हरिजन बस्ती	डारडा हिन्दी	4,689.00
56.	हरिजन कूप मरम्मत प्यावड़ी	बगड़ी	6,000.00
57.	पेयजल कूप मरम्मत व गहरा	हथौना	2,000.00
58.	अपूर्ण हरिजन कूप मरम्मत	चंदलाई	960.00
		कुल योग	2,65,766.80

पंचायत समिति निवाई

1	2	3	4
1.	नई बस्ती बैरवा नलकूप निर्माण	बहड़	5000.00
2.	ललवाड़ी ,,	ललवाड़ी	5000.00
3.	दयालपुरा ,,	दयालपुरा	1000.00
4.	जीवली ,,	जीवली	3637.00
5.	बैरावान बारेड़ा ,,		1745.00
6.	हरिजनों का बारेड़ा ,,	बारेड़ा	2958.00
7.	ढाणी हाडा हाली ,,	ढाणी जुगलपुरा	5000.00
8.	जयसिंहपुरा ,,	जयसिंहपुरा	5000.00
9.	सिरस ,,	सिरस	5000.00
10.	सरसड़ी रामपुरा ,,	सरसड़ी रामपुरा	2000.00
		योग	36340.00

पंचायत समिति अलीगढ़, वर्ष 80-81

1	2	3	4
1.	कूप गहरा व मरम्मत	नया गांव	7933.00
2.	,,	हासालाई	12043.00

1	2	3	4
3.	कूप गहरा व मरम्मत कार्य	सरदारपुरा	6260.00
4.	"	रूपपुरा	2261.00
5.	"	हरवतपुरा	1587.00
6.	"	बैरवान पचाला	3539.00
7.	"	नया गांव	4080.00
8.	"	हांसोलाई	1965.00
9.	"	मुकन्दपुरा	5073.00
10.	"	खेडली	2288.00
11.	"	कचरावता	2100.00
12.	"	बैरवान देवरी	3674.00
13.	"	ताम्बीपुर	3284.00
14.	"	खातोली	4387.00
15.	"	हरिजन वराना	5781.00
16.	"	वराना	2232.00
17.	"	वराना	3590.00
18.	"	किरनपुरा	5192.00
19.	"	मनोहरपुरा	4350.00
20.	"	फुलेता	8780.00
21.	"	पचाली	5301.00
		पचाली वर्ष 81-82	
1.	"	बैरवान रूपवास	3798.00
2.	"	भील	5111.00
3.	"	शिवराजपुरा	3878.00
4.	"	रामगंज	4431.00
5.	"	गुमानपुरा	4200.00
6.	"	गुमानपुरा सड़क के पास वाला	3916.00
7.	"	हरिजन ककोड	4752.00
8.	"	मीणों की झोंपड़ियां	4076.00
9.	"	हरिजन बनेठा	3115.00
10.	"	सेदरी	3500.00
11.	"	सुरेली	4836.00
12.	"	सैदरी	963.00
13.	"	महाराज कंवरपुरा	3910.00

(370)

1	2	3	4
14.	कूप गहरा व मरम्मत कार्य	सूथडा	2720.00
15.	,,	हरिजन सूथडा	4619.00
16.	,,	ढिकोलिया	3895.00
17.	,,	गोविन्दपुरा	3559.00
18.	,,	श्रीपुरा	4280.00
19.	,,	पचायत भवन के पास मोठडा	2621.00
20.	,,	बिन्जरी	3929.00
21.	,,	फुलेता	5594.00
22.	,,	देवपुरा	6951.00
23.	,,	रेगरान बालापुरा	1788.00
24.	,,	बैरवान ,,	1865.00
25.	,,	समरावता	3145.00
26.	,,	कचरावता	3225.00
27.	,,	छोटा मलहरा	4984.00
28.	,,	रघुनाथपुरा कलां	5222.00
29.	,,	हरि०देवरी	4988.00
30.	,,	कूण्डिया	4648.00
31.	,,	उदयपुरा	4210.00
32.	,,	खिड़गी दरवाजा अलीगढ़	8085.00
33.	,,	बाबड़ी कार्य अलीगढ़	6731.00
34.	कूप कार्य हरिजन खिड़गी	कूप कार्य बैरवान अलीगढ़	2583.00
35.	,,	अलीगढ़	3425.00
36.	,,	,,	1856.00
37.	,,	उखलाना	2363.00
38.	,,	आसलगांव	2111.00
39.	,,	पं. स. पीछे उखलाना	10334.00
40.	,,	डाक बंगला उखलाना	5680.00
41.	,,	दोवडिया	50806.00
42.	कूप कार्य कंजरान	गण्डाकरा	3025.00
43.	,,	अलीनगर	1999.00
44.	,,	अलीपुरा	19095.00
45.	,,	हरि. चौरू	3580.00

1	2	3	4
46.	कूप कार्य कंजरान	सोलतपुरा	8247.00
47.	,,	बालाजी चोरू	5654.00
48.	,,	हरि-बगाना	2108.00
49.	,,	नाहरी	3026.00
50.	,,	महुवा	3828.00
51.	,,	कुम्हारिया	4269.00
52.	,,	कुण्ड	4488.00
53.	,,	सिन्दोल	3546.00
54.	,,	रोहित	3103.00
55.	,,	रोहित	3318.00
56.	,,	रहमानपुरा	4997.00
57.	,,	कंजरान शाप	5773.00
58.	,,	बैरवान शाप	4825.00
59.	,,	शाप	7121.00
60.	,,	टर्मवाला शोप	6845.00
61.	,,	छान	6512.00
62.	,,	इस्लामनगर	464[illegible],00
63.	,,	श्यामली	6408.00
64.	,,	मल्हापुरा	6066.00
65.	,, 82–83	काल छोर	4500.00
66.	,,	बावड़ी कार्य ककोड	2000.00
67.	कूप गहरा व मरम्मत	सैंटरी	2500.00
68.	कूप कार्य	हरिजन बनेठा	-3000.00
69.	,,	भाट बानाडा	3524.00
70.	,,	मण्डालिया	2324.00
71.	,,	देवली	2000.00
72.	,,	पं. स. के पीछे उखलाना	13000.00
73.	,,	चोरू	5579.00
74.	,,	बिशनपुरा	7360.00
75.	,,	कुण्ड कार्य कुम्हारिया	5000.00
76.	,,	श्यामपुरा	2000.00

1	2	3	4
77.	कूप कार्य	हवजयनगर	2000.00
78.	,,	बेगमपुरा	2000.00
79.	,,	मेडाम	1200.00
80.	,,	कुण्ड कार्य कण्डेर	1600.00
81.	,,	सरदारपुरा	4000.00
82.	,,	भवानीपुरा	4000.00
83.	,,	पागड़ा	2725.00
84.	,,	खातोली	2705.00
85.	,,	बालाजी वाला चोरू	2360.00
86,	,,	सम्रादतनगर	3500.00
87.	,,	कोलियान शाप	3000.00
88.	,,	श्रामली	3535.00
89.	,,	खीतकी झोंपड़िया	3809.00
90.	,,	कूप खातोली	4393.00
91.	,, 81–82	मालियान मो.	3660.00
			475500.00

पंचायत समिति, देवली

वर्ष 81–82

1	2	3	4
1.	नवकूप	किशनपुरा	8000.00
2.	नवकूप	इकबाल गंज	8000.00
3.	सार्व. कूप वैरवा	घाड	5000.00
4.	नवकूप ढाणी चमारान	राजमहल	7000.00
5.	कूप गहरा कुशालपुरा	कुशालपुरा	5000.00
6.	सार्व. कूप भाषांरथला	भावंरथला	7000.00

1	2	3	4
7.	कूप निर्माण नया गांव	नया गांव	10000.00
8.	सार्व. कूप चान्दली	चांदली	8000.00
9	नवकूप गांधी ग्राम	गांधी ग्राम	7000.00
10.	ढाणीदुर्गा पुरा कूप	दूनी	5000.00
11.	,, आकेडिया कूप दूनी	,,	5000.00
12.	,, देवपुरा कूप	,,	4000.00
13.	,, पंचकोलिया कूप	,,	4000.00
14.	,, खांजरा कूप	,,	3000.00
15.	,, भैरूंजी का कूप	गुराई	6000.00
	वर्ष 82-83		
1.	सार्व. कूप ढाणी चमारान	संथली	2000.00
	वर्ष 83-84		
1.	नवकूप सेठ बाबा का झोंपड़ा	निवारिया	8000.00
2.	कल्याणजी का झोंपड़ा नवकूप	थावला	8000.00
3.	सार्व. कूप धुंवाकला	धुंवाकला	5000.00
4.	सार्व. कूप लक्ष्मीपुरा	लक्ष्मीपुरा	5000.00
5.	सार्व. कूप	धारोला	5000.00
6.	,, कुण्ड आवां	आवां	10000.00
		कुल योग	135000.00

पंचायत समिति टोडारायसिंह

पंचायत समिति टोडारायसिंह

1	कूप	बावड़ी	4000.00
2.	,,	देवपुरा	3600.00
3.	,,	रामपुरा	3000.00
4.	,,	हमीरपुरा	4000.00

1	2	3	4
5.	कूप	दावडदूम्बा	10000.00
6.	,,	झोंपड़ियां रामपुरा	3000.00
7.	,,	गादापत	6100.00
8	,,	दतोब	7500.00
9.	,,	रनबाई	7500.00
		कुलयोग	48700.00

एन0आर0ई0पी0 के अन्तर्गत सहायता विभाग विभाग द्वारा कुओं पर व्यय की गई राशि

क्र0 1	नाम कार्य 2	ग्राम 3	व्यय की गई राशि 4
	पचायत सामति मालपुरा 78–79.		
1.	पनघट कूप निर्माण	गुलगांव	10222.07
2.	जल कूप निर्माण	बीलेडा	11071.50
3.	सार्वजनिक कूप निर्माण	कल्याणपुरा	4937.71
4.	सार्वजनिक ,, ,,	गणेशपुरा	2981.02
5.	कूप निर्माण बैरवान	चौरूपुरा	3906.40
6.	,, ,, बागरियान	नया गांव	3057.85
7.	,, ,,	बालापुरा	3687.30
8.	,, ,,	श्योपुर	4990.00
9.	,, ,,	पोनणी	4920.00
10.	कूप मरम्मत	लाम्या जनारदार	792.85
11.	कूप निर्माग	मनेदिया	7885.00
12.	कूप निर्माण ढाणी बनजारा	चबराना	8050.00
13.	सार्व0 कूप निर्माण	नगर	6214.52
14.	नवकूप निर्माण	पीगूण	4964.75
15.	पनघट कूप मरम्मत	सीतारामपुरा	2923.00
16.	,, ,,	फतेहपुरा	3474.40

1	2	3	4
17.	कूप पनघट निर्माण	तिलांजू	3073.25
18.	कूप निर्माण	भावलपुर	4938.16
19.	कूप निर्माण बैरवान	टोरडी	4998.75
20.	पेयजल कूप हरिजन	राजपुरा	7925.75
21.	डेचवास कूप मरम्मत	डेचवास	1500.00
22.	डूंगरीकलां ,,	डूंगरीकलां	5000.00
23.	,, बावडी मरम्मत	,,	4994.66
24.	पचेवर कूप निर्माण	पचेवर	2139.57

वर्ष 79-80

1.	बरोल नवकूप निर्माण	बरोल	9326.70
2.	कूप निर्माण बलाईयान	लाम्या जरनारदार	1203.20
3.	कूप मरम्मत बैरवान	,,	3321.20
4.	,, ,,	बाडी डूंगरी	3353.70
5.	नव कूप निर्माण चरागाह	टोरडी	6689.00
6.	सार्व0 कूप निर्माण कार्य	देवल्या	4978.90
7.	,, ,, मरम्मत	तिलांजू	5004.60
8.	,, ,,	दुर्गापुरा	5436.00

वर्ष 81-82 से 83-84

1.	हरिराम कूप गहरा/मरम्मत	आवडा	3000.00
2.	रूपाहेली कूप मरम्मत/गहरा	रूपाहेल	4000.00
3.	बागडी सार्वजनिक कूप निर्माण	बागडी	3033.00
4.	कूप बैरवान	नया मौजा काटोन	5000.00
5.	गुलगांव हरिजन कूप मरम्मत	गुलगांव	4000.00
6.	किशनपुरा सार्व0 कूप मरम्मत/गहरा	किशनपुरा	5000.00
7.	कचौलिया नवकूप निर्माण बलायान	कचौलिया	6000.00
8.	धावलपुर नवकूप निर्माण	धावलपुर	10000.00
		कुलयोग	198053 41

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 136 का विवरण)

नगर परिषद्, अजमेर

वर्ष 1983-84 में बस्तीवार जो कार्यक्रम कराया जाना है।

क्रम सं.	कच्ची बस्ती का नाम	लाभान्वित जनसंख्या	सड़क	नाली	पी.एस.पी.	बिजली	योग
1.	शिवनगर कच्ची बस्ती	2600	123000/-	99000/-	70000/-	100000/-	392000/-
2.	कल्याणपुरा	660	33000/-	134000/-	45000/-	40000/-	252000/-
		3560	156000/-	233000-/	115000/-	140000/-	644000/-

आयुक्त,
नगर परिषद्, अजमेर।

परिशिष्ट 22
(अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की प्रति)

प्रशासक महोदय जी,

आपके कार्यालय आदेश संख्या 146 दिनांक 9-1-84 के साथ जो मूल शिकायत पत्र श्री शंकर प्रकाश का प्राप्त हुआ था, उस क्रम की प्रतियां आयुक्त के कार्यालय के क्रमांक कम। एमसीए। 83-84 । 43-44 दिनांक 16-1-84 के द्वारा श्री नारायणदास सेठी, फायर आफिसर व श्री सुरेश गर्ग, राजस्व अधिकारी (अन्य कर) को भेजकर उनसे टिप्पणी चाही गई थी जो उन्होंने अभी तक प्रेषित नहीं की। आप के कार्यालय लेख संख्या 182 दिनांक 23-1-84 द्वारा पुनः रिपोर्ट चाही गई है। दिनांक 26-1-84 को निदेशक, स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर के कार्यालय से एक अतारांकित प्रश्न संख्या 334 जो श्री कैलाश मेघवाल, विधायक, 'राजस्थान विधान सभा के हैं, का प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा श्री शंकर प्रकाश की शिकायत पर आयुक्त की जांच रिपोर्ट चाही गई है।

चूंकि इस जांच से संबंधित अधिकांश शिकायतें अग्नि शमन विभाग से संबंधित थीं अतः श्री नारायणदास सेठी, फायर आफिसर को, जो छुट्टी पर थे, 22-2-84 को जयपुर से बुलाया गया और संबंधित रिकार्ड इत्यादि उन्होंने दिखाया जो बिन्दुवार निम्न प्रकार से प्रेषित है।

श्री शंकर प्रकाश जिन्होंने यह प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है उनको अग्नि शमन अधिकारी व राजस्व अधिकारी (अन्य कर) ने बहुत तलाश कराया परन्तु इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि श्री सुन्दर प्रकाश, रामगंज निवासी, 18/21, अजमेर द्वारा ऐसी कई शिकायतें पूर्व में भी की गई हैं और उनको भी पुछवाया गया परन्तु न तो शंकर प्रकाश ही सामने आये हैं और ना ही सुन्दर प्रकाश।

जांच प्रतिवेदन

1. अग्निशमन विभाग में अग्निशमन यंत्र पूर्व में बेकार पड़े हैं। परन्तु फिर भी नए बेकार खरीद किये गये हैं। प्रकाशक महोदय की स्वीकृति के अनुसार नहीं बल्कि पुराने एवं खराब हैं जो कि बाजार की कीमत रुपये 1300।- है जबकि जयपुर से रुपया 2500।- का खरीदा है। यह एक सरासर धोखा है जो कि नगर परिषद् के स्टोर में बन्द पड़ा है। जिसका राजस्थान पत्रिका में भण्डाफोड़ हुआ है।

(जांच) शिकायतकर्ता ने यह नहीं लिखा है कि कब यह यन्त्र खरीदे गये हैं। श्री नारायणदास सेठी, फायर आफिसर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका पदस्थापन नगर परिषद् अजमेर में फायर आफिसर के पद पर 27-11-81 को हुआ है व उस दिनांक से अब तक कोई अग्नि शमन यन्त्र (फायर एस्टिंग-विशर) अग्नि शमन विभाग में खरीद नहीं किया गया है अतः शिकायत निराधार है।

2. आग बुझाने के इंजिन पहले ही आयातित सही हालत में कार्य कर रहे हैं परन्तु प्रशासक महोदय से स्वीकृत अच्छे पम्पों की ली गई व बम्बई से खरीद करने की थी जबकि परन्तु जयपुर से ही खरीद की गई है। बाजार में इसकी कीमत 12000।- हजार रुपये हैं परन्तु रुपये 30000।- के खरीदे हैं जो कि सिंचाई विभाग के हैं जो वर्तमान में खराब पड़े हैं।

(जांच) पोर्टेबल फायर फाईटिंग पम्प (बैरेसफोर्ड किलोग्राम 200, किलो ग्राम 250, आइडियल पम्प फार फायर फाईटिंग सर्विसेज न्यू माडल विद 3 एच0 पी0 इंजिन मल्टी यूटिलिटी आपरेशंस, इन्डिया ट्रेडिंग कारपोरेशन, 365, न्दिरा बाजार, जयपुर, खरीद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्री नारायणदास सेठी से पूछताछ भी की गई तो उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिये अग्नि-शमन गाड़ियां अजमेर ज़िले के अलावा आस पास के जिले जैसे भीलवाड़ा, नागौर एवं जयपुर जिला, गांवों में जाती हैं। गावों में पानी की बड़ी किल्लत होती है। इस लिये आग बुझाने के लिये पानी कुओं, पोखर, बावड़ी इत्यादि से खींचकर गाड़ी में भरा जाता है। अगर गाड़ी को पानी खींचने पर लगाया जाये तो वापिस कनेक्शन करने में काफी समय नष्ट होता है। इसलिये कि समय की बचत हो और कार्य में बाधा न हो, सभी अग्नि शमन के सेवाओं में पानी खींचने हेतु अलग से छोटे पम्प रखे जाते हैं। इसके अलावा यह पम्प अतिवृष्टि के समय निचली बस्तियों के उपयोग में भी आते हैं। अतः इसलिये अग्नि शमन सेवाओं में इस प्रकार के पम्प रखे जाते हैं।

जिस प्रकार का स्पेसिफिकेशन अखबार में साया किया गया उसकी उसी के अनुसार स्वीकृति लेकर न्यूनतम दर पर पम्प खरीदने की कार्यवाही की गई थी। बम्बई से पम्प खरीदने के प्रशासक महोदय के किसी प्रकार के आदेश नहीं किये गये थे। पम्प की खरीद न्यूनतम दर प्राप्त होने पर की गई है। एक पम्प की कीमत 13,500/– रुपये है। इस महंगाई के युग में 6000/– रुपये में कोई भी पम्प पम्प नये इन्जिन के 6000/– रुपये में नहीं आ सकता। यह पम्प अग्नि शमन सेवाओं के लिये है और सिंचाई विभाग के लिये कोई अलग से पम्प नहीं होते।

अग्नि शमन अधिकारी ने बताया कि पम्प सप्लाई करने का आदेश दिनांक 22–5–82 को मैसर्स इन्डिया ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर को दिया गया था। फर्म द्वारा 1 से 8 सप्ताह में पम्प सप्लाई करने थे। अतः शर्तों के अनुसार पम्प 15–9–82 तक सप्लाई नहीं किये गये और फर्म ने उनके पत्र संख्या 364 दिनांक 5–8–82 एवं पत्र संख्या 375 दिनांक 16–8–82 द्वारा यह निवेदन किया गया कि अधिक वर्षा होने के कारण सप्लाई की मियाद 15–9–82 तक बढ़ाई जाये जिस पर अग्नि शमन अधिकारी एवं लेखापाल द्वारा 12–8–82 एवं 2–9–82 को मियाद 15–9–82 तक बढ़ाये जाने हेतु सिफारिश की गई और फाइल भूतपूर्व आयुक्त (श्री रामशरण शर्मा) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर निम्न कार्यालय टिप्पणी

लिखी गई थी जिसकी नकल निम्न प्रकार है। वैसे उसकी एक फोटो कापी रिपोर्ट के साथ संलग्न भी है।

———

एन/7 कार्यालय टिप्पणी क्रय किये पम्प

39. अतिवृष्टि एवं बाढ़ आशंका को देखते हुए क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था।

40. समयावधि बढ़ाये जाने के लिये कारण भी औचित्य पूर्ण नहीं है।

दैनिक कार्य हेतु पम्प उपलब्ध है।

41. अतः आदेश निरस्त किये जाने जाने की आज्ञार्थ।

ह0 राम शरण शर्मा
3-9-82

प्रशासकजी

ह0 शक्तिदान मेहरू
4-9

प्रशासक

एफ0 ओ0

ह0 रामशरण शर्मा
6-9-

आयुक्त

42. ए. एफ. ओ.

आदेशों की पालना करें व फर्म को सूचित कर देवें।

ह0 नारायणदास सेठी
9-9-82

उपरोक्त भूतपूर्व आयुक्त के अनुसार अतिवृष्टि का समय अब समाप्त हो चुका है और अब पम्प की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा परिषद् की आर्थिक स्थिति भी खराब है इसलिये मियाद नहीं बढ़ाई जाये। उन्होंने यह भी रिपोर्ट कर पत्रावली भूतपूर्व प्रशासक श्री मेहरू साहब को प्रेषित की जिस पर श्री मेहरू साहब ने हस्ताक्षर कर आयुक्त की रिपोर्ट का अनुमोदन किया। इसके उपरान्त यह फाइल आयुक्त द्वारा एफ0 ओ0 को और एफ.ओ. के द्वारा ए.एफ.ओ. को भेजी गई जिस पर एफ.ओ.ने. यह रिमार्क लिखा था कि तुरन्त आदेशों की पालना की जावे और फर्म को सूचित कर दिया जावे। अतः यह मामला अब बन्द हो गया था।

लेकिन ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा व भूतपूर्व आयुक्त श्री वी. डी. व्यास ने फर्म के प्रतिनिधि को अजमेर बुलाया और शायद फर्म से सांठगांठ कर श्री श्री रामशरण शर्मा भूतपूर्व आयुक्त की नोटशीट को फाईल से हटा दिया गया और पम्प की बिल्टी दिनांक 18-3-83 को बैंक में आने पर उसे छुड़वाये जाने हेतु प्रशासक से भुगतान की स्वीकृति मांगी जो नोटशीट के पैरा नम्बर 39 पर है। प्रशासक द्वारा पैरा नम्बर 40 पर स्वीकृति प्रदान की गई। जबकि पूर्व की नोटशीट जो कि भूतपूर्व आयुक्त श्री रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई थी उसमें पैरा नम्बर 39 हो है। जिस रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी संलग्न है। श्री रामशरण आयुक्त की रिपोर्ट की नोटशीट पर एफ. ओ. श्री एम. डी. सेठी द्वारा पैरा नम्बर लगाये हुए हैं जबकि पेज नम्बर 6 पर नई नोटशीट पर पैरा नम्बर श्री शर्मा

ए. एफ. ओ. के हाथ के लगाये हुए हैं। अतः साफ जाहिर है कि यह केस पूर्व में मियाद न बढ़ाकर बन्द कर दिया गया था और श्री रामशरण शर्मा भूतपूर्व आयुक्त के जाने के बाद और बगैर एफ. ओ. श्री नारायणदास सेठी के माध्यम से केस को चलाये नये आयुक्त श्री वी. डी. व्यास एवं ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा इसी केस को सांठ गांठ कर पुनः खोला गया और पम्प मंगवा लिये गये जिसकी डिलीवरी ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा द्वारा प्राप्त की गई।

यह भी तथ्य सामने आया है कि प्रशासक द्वारा स्वीकृति दिनांक 19–3–83 को दी गई और ए. एफ. ओ. ने पम्प की जांच रिपोर्ट दिनांक 22–4–83 को की है। अतः स्पष्ट है कि ए.एफ.ओ. ने लगभग एक महीने तक पम्प अपने पास पड़े रखे एवं जब स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो एक महीने बाद पम्प खराब होने की रिपोर्ट कर दी। यह पत्रावली सीधे सीधे ही ए. एफ. ओ. एवं आयुक्त श्री व्यास के बीच चली। कभी भी एफ. ओ. के पास नहीं भेजी गई और न ही एफ. ओ. से पम्प की जांच कराई गई।

अतः इस मामले में एफ. ओ. के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है और इस मामले में श्री रामनारायण शर्मा ए. एफ. ओ. एवं श्री वी. डी. व्यास भूतपूर्व आयुक्त ही दोषी हैं जिन्होंने प्रशासक महोदय के पुराने आदेश हटाकर नये आदेश प्रशासक को भुलावे में डालकर प्राप्त कर पम्प क्रय किये। इन पम्पों का भुगतान श्री रामनारायण शर्मा ए. एफ. ओ. द्वारा अग्रिम किया। यह टेम्प्रेरी एडवांस था जो दिनांक 23–3–83 को रामनारायण शर्मा द्वारा प्राप्त किया और रुपये 26,730/- श्री रामनारायण शर्मा ए.एफ.ओ. ने लेकर फर्म को दिया और सामान प्राप्त किया। यह मामला बहुत गम्भीर है और यह केस तुरन्त पुलिस को या ए. सी. डी. को सौंप देना उचित होगा और स्वायत शासन विभाग को लिखना भी उचित होगा। इससे संबंधित रिकोर्ड का भी अवलोकन फरमा लें। श्री रामनारायण शर्मा को तुरन्त मुअत्तिल करने के लिये अनुरोध है और इसको सस्पेन्ड करने के आपको (ए. डी. एम.) अधिकार हैं। श्री वी. डी. व्यास पहले ही अन्य केस में मुअत्तिल हैं फिर भी डी. एल. बी. को लिखा जाना उचित है।

3. तैरने के यन्त्र बाजार में कीमत 4000/- रुपये है जबकि जयपुर से रुपये 10000/- में खरीद करके बेकार पटक दिये हैं।

(जांच) एफ. ओ. से जांच करने पर उन्होंने बताया कि तालाबों में नदियों आदि में किसी व्यक्ति के गिर जाने पर उसको बचाने के लिये निम्न सामान आवश्यक होता है जो कुल सामान क्रय किया गया उसका विवरण निम्नानुसार है—

(क) लाईफ बाय नग 10 रु० 640 की दर से

(ख) लाईफ जैकेट नग 6 रु० 415 की दर से

कुल नग 16 खरीदे गये और यह सामान काटन डयूट एण्ड पी. वी. सी. का

बना हुआ है जो मिनिस्ट्री ग्राफ ट्रांसपोर्ट, मेरिन मरकेन्टाइट डिपार्टमेंट एवं भारत सरकार से एप्रूव है । प्रत्येक नग पर इस विभाग की मोहर लगी हुई है। यह सामान नियमानुसार टेन्डर ग्रामन्त्रित कर न्यूनतम दर पर खरीदे गये हैं। सामान की दर उचित है। यह कहना गलत है कि इतना सामान रुपये 4000/- में प्राप्त हो सकता है।

यह सामान इमर्जेन्सी के लिये ही खरीद किया जाता है ग्रौर 1975 में ग्रजमेर में फ्लड ग्राया था उसको देखते हुए भविष्य में नागरिकों की सुरक्षा हेतु यह सामान खरीद किया गया। ग्रतः इमर्जेन्सी किसी समय भी ग्रा सकती है। ग्रतः यह कहना कतई गलत है कि सामान को पटक रखा है। यह सामान कई बार ग्रानासागर में डूबे हुए व्यक्तियों को निकालने के काम में ग्राया है। पुष्कर के मेले के ग्रवसर पर यह सामान सुरक्षा हेतु सिविल डिफेन्स विभाग द्वारा उनकी मांग पर दिया जाता है। अतः यह कहना सरासर गलत है कि यह सामान अनुपयोगी है।

4. बताया गया है कि वर्तमान में गाड़ी नं० आर जे. जेड. 2814 जो कि अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, 36 लीटर पेट्रोल में 35 किलो मीटर गाड़ी चली है एवं सन् 1980-81, 1981-82 की लाग बुक श्री सेठी ने गायब कर दी है। आडिट द्वारा मांगने पर भी नहीं पेश की है।

(जांच) फायर ग्राफिसर ने कहा कि शिकायत में यह नहीं मालूम पड़ता है कि गाड़ी संख्या 2814 किस तारीख या महीने या वर्ष में 36 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर चलाई। ग्रतः शिकायतकर्ता के न मिलने के कारण तारीख, महीना ग्रौर वर्ष न होने के कारण जांच करना मुश्किल है।

श्री नारायणदास सेठी, ग्रग्नि शमन अधिकारी का नगर परिषद् ग्रजमेर में पोस्टिंग दिनांक 27-11-81 को हुआ था। 1980-81 के दौरान जीप संख्या 2814 श्री सेठी द्वारा नहीं चलाई गई। क्योंकि उनका यहां पोस्टिंग 27-11-81 को हुग्रा इसलिये लाग बुक का श्री सेठी द्वारा गायब करने का प्रश्न नहीं उठता है। श्री सेठी का कहना है कि यह वाहन उपरोक्त समय में ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण द्वारा चलाई जाती थी ग्रतः लाग बुक श्री रामनारायण द्वारा ही गायब की जाना संभव है। ग्रतः श्री रामनारायण ए. एफ. ग्रो. के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित होगा ताकि मामले में विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच की जा सके। सन् 1982 की लाग बुक जिस वर्ष में यह जीप श्री नारायणदास सेठी द्वारा चलाई गई, कार्यालय में उपलब्ध है।

5. ऊपर लिखी गाड़ी का माइलो मीटर, कार्बेटर तथा ग्रन्य सही सामान सब निकलाकर फर्जी रिपोर्ट बनवाकर श्री भंवरलाल गैराज अधीक्षक ने रकम तय कर मया डाला गया सही सामान स्टोर में है। प्रशासक महोदय को बताया था परन्तु वह ग्रभी सेवा निवृत्त हो गये हैं ग्रतः कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

(जांच) शिकायतकर्ता का कहना है कि वाहन संख्या 2814 का कार्बेटर एवं

382

माइलोमीटर नया लगाया है व पहले वाला सामान स्टोर में जमा है। अतः इस बात से यह पता नहीं पड़ता कि गड़बड़ी क्या हुई है। नया सामान गाड़ी में लगा दिया गया था और निकाला हुआ सामान स्टोर में जमा है। अतः गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। यह शिकायतकर्ता का भी कहना है कि वाहन में नया सामान लगाया गया है और पहले वाला सामान स्टोर में है। एफ. ओ. ने बताया कि यह शिकायत निराधार है।

6. वकील एण्ड कम्पनी से पैट्रोल भराया जाता था और जाता है। जिस गाड़ी में 20 लीटर पैट्रोल लेना है उसमें 20 लीटर की जगह 5 ही लिया गया है। बाकी नकद रकम का भुगतान लिया गया है। इसके लिये एक दैनिक वेतन वाले ड्राइवर को नियुक्त किया गया है जो कि विजय लक्ष्मी पार्क के कोने पर रहता है। जिसके बारे में नीचे बताया जायेगा।

(जांच) वाहनों में पैट्रोल कम भरने की जो शिकायत की गई है उसमें न किसी वाउचर का, ना बिल का, ना कैश मीमों का हवाला दिया गया है अतः तारीख आदि के अभाव में जांच नहीं हो सकती। शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख नहीं किया है कि कब 20 लीटर के स्थान पर 5 लीटर पैट्रोल भरा गया और कौन कौन से वाहन में पैट्रोल लिया गया।

इस समय स्थाई ड्राइवरों के अतिरिक्त तीन दैनिक वेतन ड्राइवर कार्यरत हैं एव पैट्रोल ड्राइवर द्वारा ही रकम प्राप्त कर गाड़ी में भरवाया जाता है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लाग बुक व अन्य किताबों में सही इन्द्राज किया गया है और एवरेज के हिसाब से सही बैठता है अतः इस मामले में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

7. वर्तमान में अग्नि शमन वाहन न. आर. जे. जेड. 2619 का पीछे का अग्नि शमन यंत्र काटकर, जो कि पानी फैलता है, जयपुर भेज दिया है व लुवी की दुकान पर और बेच दिया गया है और गाड़ी स्वास्थ्य अधिकारी को दे दी गई है। ऐसा बताया गया है।

(जांच) फायर आफिसर ने बताया कि वाहन संख्या 2619 में कोई अग्नि शमन यंत्र नहीं लगा हुआ था। केवल पम्प, टंकी एवं बाडी बनी हुई थी जिसकी जांच करने पर यह पता चला कि गाड़ी की बाडी ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा ने तुड़वाई है। पम्प गाड़ी में फिट हुआ है। पम्प के साथ के पाइपिंग व वाल्व को ए. एफ. ओ. ने अपने स्टोर में रखा हुआ है। पानी की टंकी श्री रामनारायण ए.एफ.ओ. के द्वारा मुसरत खां फायरमैन के सरकारी निवास की छत पर लगायी गयी है जो आज भी मौजूद है। इस मामले में ए.एफ.ओ. श्री रामनारायण शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाना प्रस्तावित है।

8. वैल्डिंग कराने के झूठे बिल अजन्ता टाकीज के पास पारवानी की दुकान पर बनाकर हजारों रुपया उठा लिये गये हैं जिसका भुगतान उठा लिया गया है अथवा होने वाला है।

(जांच) एफ. ओ. ने बताया कि सिर्फ दिसम्बर, 83 से फरवरी, 1984 तक रुपये 345/–, 447/– व 205/– का भुगतान पारवानी वैल्डिंग का हुआ है और हजारों

383

रुपये का भुगतान करने की शिकायत गलत है ।

9. पूर्व में भी 55 बिल झूठे बनाकर रकम उठा ली है जिसका उल्लेख श्री शम्भूसिह जैन को बताया गया है परन्तु श्री सेठी और कमिश्नर ने उन्हें टिकने नहीं दिया था । श्री जैन को नगर परिषद् से भगा दिया ।

(जांच) एफ. ओ. ने बताया कि यह 55 बिल नहीं बल्कि 48 बिल हैं । ये 1982 के बिल हैं व झूठे बिल होने की शिकायत प्राप्त हुई थी । इस समय इन्चार्ज श्री रामनारायण शर्मा ए. एफ. ओ. थे व बिलों पर स्वीकृति श्री बी.डी. जोशी (जो कार्यरत आयुक्त थे) जिस पर जांच की जा रही है । इन तमाम बिलों की खरीद ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा व भंवरलाल वर्मा मोटर मैकेनिक द्वारा की गई है । श्री वर्मा फिलहाल निलम्बित है । श्री रामनारायण ए.एफ.ओ. को निलम्बित किया जाना चाहिये ताकि जांच निष्पक्ष की जा सके । यह शिकायत ही श्री रामनारायण शर्मा द्वारा कराई गई बताई पर कोई प्रमाण नहीं मिला है ।

10. बिलों की रकम अक्षरों में नहीं लिखवा कर अंकों में लिखी जाती है तथा दैनिक वेतन भोगी ड्राइवरों से हस्ताक्षर करवाये जाते हैं । नहीं करने पर उन्हें धमकी दी जाती है कि अगले माह से तुम्हारी सेंक्शन नहीं मिलेगी । ऐसे झूठे बिलों का कच्चा नमूना नीचे दिया गया है । उदाहरणार्थ 80 रुपये का बिल उसके आगे कार्य अथवा पारित को देखकर एक अथवा दो शून्य लगाकर 800/- अथवा 8000/- कर दिये जाते हैं और आयुक्त द्वारा बिल पारित कराया जाता है तथा सेठी और दूसरे अधिकारी का हिस्सा बराबर हो जाता है ।

(जांच) श्री एन. डी. सेठी एफ. ओ. ने बताया कि बिलों की रकम अक्षरों में लिखी जाती है । बिलों में किसी किस्म की काट छांट शिकायत अनुसार अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई है । या लाई गई है । क्योंकि शिकायतकर्ता ने किसी बिल विशेष का हवाला अंकित नहीं किया है इसलिये जांच करना सम्भव नहीं है ।

11. एक ही कार्य के लिये पांच पांच प्रार्थना पत्र लिये जाते हैं तथा कार्य एक का भी नहीं कराया जाता है एवं ड्राइवरों के हस्ताक्षर कराके बिलों का भुगतान कर लिया जाता है ।

(जांच) एफ. ओ. ने बताया कि इस तरह के किसी बिल का भुगतान होना नहीं पाया गया है इसलिये यह शिकायत भी निराधार है ।

12. वर्तमान गाड़ी नं. आर.जे.जेड. 1771 का स्पेसिफिकेशन वर्तमान में सेठी ने बदलवा कर 10000/- रुपया कमीशन खा लिया तथा गाड़ी खराब खड़ी है जो कि खुद मैनेजर जगजीवन रक्षक कम्पनी ने दिनांक 7-7-82 को टेलीफोन करके खुद की कम्पनी वालों को बताया है कि यहां फायर आफिसर लुटेरा है, मैं चोरों में घिर गया हूं रुपया 10000/- भेजो जब मैं गाड़ी का पेमेन्ट लेकर वापस आऊं । फोन नं.

ऊपर लिखी तारीख को 20000 से 668616 पर दिल्ली किया गया था।

(जांच) जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वाहन नं. 1771 श्री सेठी के फायर ऑफिसर होकर आने के पूर्व श्री गोपीचन्द शर्मा ए. एफ. ओ. एवं श्री रामनारायण शर्मा ए. एफ. ओ. द्वारा आदेश जारी करवाया गया जिसका कन्फर्मेशन लैटर नं. एफ. एस. 57 दिनांक 25–11–81 श्री रामशरण शर्मा भूतपूर्व आयुक्त व श्री रामनारायण शर्मा ए. एफ. ओ. द्वारा फर्म को दिल्ली में डिलीवर किया गया। अतः यह स्पेसिफिकेशन श्री नारायणदास सेठी द्वारा नहीं बनाये गये। अग्नि शमन वाहन का निर्माण मैसर्स जगजीवन रक्षक कम्पनी आफ इण्डिया द्वारा किया गया। इस वाहन की डिलीवरी लेने हेतु श्री नारायण दास सेठी, एफ. ओ. को भेजा गया। श्री सेठी वाहन को अजमेर ले आये और अजमेर में श्री सेठी फायर आफिसर ने वाहन का फाइनल निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट नोटशीट के पैरा नं. 192, 193, 194, 195 व 196 पर की और साफ लिखा है कि गाड़ी में मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण निम्न खराबियां पाई गईं :—

(क) मोटर टैंक लीक है।

(ख) वाटर पम्प के मैन वाल्व व डिलीवरी वाल्व खराब हैं और लाईट खराब है। श्री सेठी ने पैरा नं. 194 व 196 में स्पष्ट लिखा है कि फर्म को भुगतान जब किया जावे जब फर्म द्वारा उपरोक्त खराबियां ठीक कर दी जाती हैं। लेकिन श्री वी. डी. व्यास तत्कालीन आयुक्त ने फायर आफिसर की रिपोर्ट पर कोई ध्यान न देते हुए पैरा नं. 198 पर फर्म को भुगतान की सिफारिश कर दी जिस पर प्रशासक महोदय द्वारा पैरा नं. 199 पर भुगतान की स्वीकृत प्रदान कर दी। जबकि फायर आफिसर ने अपने नोट में साफ लिखा है कि गाडी की खराबियां पहले ठीक करवाकर भुगतान किया जावे। अतः इस मामले में श्री नारायणदास सेठी फायर आफिसर कहीं भी दोषी नहीं है।

13. पुराने टायर बिना मतलब के रिट्रीटिड कराये हैं उनके नम्बर भी हैं। लगभग 12 टायर 200/– रुपया एक टायर के बिल बनाकर रकम उठा ली गई तथा 14 टायर जयपुर से नये खरीद कर लिये हैं। कमीशन पर रिटीटेड टायर के एक बिल का नमूना सी.एम.एन. 415/19-10-83 एक टायर का है।

(जांच) फायर आफिसर ने जांच करने पर बताया कि पुराने टायर मारकेट से रिमाउण्ड करवाये गये जिसकी दर शिकायतकर्ता ने 200/– रुपये बताई है। यह दर उचित है और इससे कम दर पर टायर रिमाउण्ड नहीं हो सकते। जैसा कि बाजार से जानकारी की गई, जो 14 जीप के टायर खरीदे गये हैं वे डी.जी. एण्ड एस. डी. रेट पर मोदी स्टोन कम्पनी से खरीदे गये हैं। अत. कमीशन लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह शिकायत पूर्णतया निराधार है।

14. खाईलैण्ड प्रकाश मोटर्स से पुराने रेडिएटर रंग कराकर कोटेशन नं. एफ.ओ./30 पर रुपया 1800/– का खरीद कर

गाड़ी नं. आर. जे. जेड. 2305 में लगा दिया गया है जबकि रेडिएटर की कीमत रुपये 5 0/– या 600/– होती है वह भी नये की। जरा ध्यान देने का कष्ट करें।

(जांच) फायर आफिसर ने जांच करके बताया कि प्रकाश मोटर कम्पनी से रेडिएटर लेकर वाहन संख्या 2305 में लगाया गया है जिसकी जांच उन्होंने स्वयं भी कर ली है। इसकी दर उचित है। डाज और परकिन के लिये 500–600 रुपये में रेडिएटर मार्केट में नहीं मिल सकता। अत: यह शिकायत निराधार और बेबुनियाद है।

15. गाड़ी नं. 1771 की टंकी वेल्ड कराकर लगभग 5000/–रुपया का बिल अलग अलग तारीखों में उठा लिया गया है। परन्तु टंकी अभी भी फुटी पड़ा है।

फायर आफिसर सेठी ने बताया कि गाड़ी नम्बर 1771 की टंकी क्योंकि बहुत ज्यादा टूटी हुई जिसके सम्बन्ध में ए. एफ. ओ. श्री शर्मा ने पहले से ही रिपोर्ट कर रखी थी, क्योंकि गाड़ी का भुगतान किया जा चुका था। इसलिये आवश्यक था कि गाड़ी की टंकी की वैल्डिग कराई जाय ताकि गाड़ी काम में ली जाये। वैल्डिग के कार्य पर कुल खर्चा 1890/– रुपये हुआ है। अत: 5000/– रुपये की जो शिकायत है वह निराधार है।

16. गाड़ी नं. आर. जे. जेड. 3336 के वाटर पम्प में कार्य ही नहीं हुआ है परन्तु झूठा बिल बनाकर रुपये 800/– पास कर लिये हैं और रकम उठा ली है।

(जांच) फायर आफिसर ने बताया कि गाड़ी नम्बर आर. जे. जेड. 3336 में पम्प का कार्य कब कराया गया इसका हवाला शिकायत में उल्लिखित नहीं होने से जांच करना संभव नहीं है।

17. पड़ाव में रसाला बावड़ी की दुकानों में 65000/– रुपये खा लिये जिसके लिये मिनिस्ट्री से स्टे मिला था।

(जांच) राजस्व अधिकारी (अन्य कर) श्री सुरेश गर्ग ने बताया कि रिसाला बावड़ी में जो दुकानें बनी हैं उनमें 65 हजार रुपये खा लिये हैं। शिकायत से न यह स्पष्ट है कि रुपये किसने खिलाये और न यह प्रमाण है कि किसको खिलाये, क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस मामले पर पूरे तथ्य नहीं दिये हैं इसलिये इस विषय में विस्तार से रिपोर्ट देना संभव नहीं है। मन्त्री महोदय से दूरभाष पर स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था। उसके लिये रिसाला वावड़ी वालों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। न्यायालय ने निर्णय होने पर ही वस्तुस्थिति का पता लगेगा।

18. पड़ाव में अनाज मंडी के कोने पर तुलसी सिन्धी की दुकान जो कि वहां पर कुछ भी नहीं था; अभी एक दिन पूर्व बनकर तैयार हुई है जो श्री घाघू, मिचूमल तुलसी से ज्ञात किया गया कि बनाने की मंजूरी पर रुपया 15000,– खा लिया है।

(जांच) राजस्व अधिकारी (अन्य कर) श्री सुरेश गर्ग ने बताया कि अनाज मण्डी

के कोने पर दुकानें बनने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में सही साइट नहीं दी गई है। पांच गुड़ वालों को डिप्टी टाउन प्लानर से मन्जूर शुदा नक्शे के अनुसार एवं प्रशासक महोदय श्री मेहरू साहब के आदेशानुसार अनुमति प्रदान की गई है। शिकायतकर्ता ने किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

19. हाथ ठेलों पर खड़े करने का रसीद 20000/- रुपये पड़ाव से जिसमें सेठी को पीटने से छोड़ा गया है।

अतः आपको झूठे बिलों का सच्चा सही नमूना पेश करते हैं। जरा ध्यान देवें। यह छोटा सा उदाहरण है ऐसे लगभग सौ दो सौ से ऊपर बिल पारित किये जा चुके हैं।

1. तारीख 26-8-83 कमल मोटर्स बिल नं. 297 आर. जे. जैड. 2814 रुपये 352/- ड्राइवर लच्छू

2. बिल 73/15 कमल मोटर्स तारीख 7-9-83 आर. जे. जैड. 2814 रुपये 450/- ड्राइवर मानसिंह

3. तारीख 8-9-83 आर. जे. जैड. 2619 बिल नं. 484 प्रकाश मोटर्स रुपये 942.15 ड्राइवर भोपालसिंह

4. तारीख 20-10-83 आर जे. जैड. 2619 प्रकाश मोटर्स बी. एन. 3813 रुपये 338/- ड्राइवर भोपालसिंह

(जांच) राजस्व अधिकारी (अन्य कर) श्री सुरेश गर्ग ने बताया कि हाथ ठेला पर खड़ा करने के लिये 20,000/- जिसमें श्री सेठी फायर आफिसर को पीटने से छोड़ा गया। यह शिकायत अपने आप में अधूरी है। हाथ ठेलों पर किस को खड़ा करना हैं और किसने श्री सेठी को पीटने से छोड़ा है, शिकायत से स्पष्ट होता है कि शिकायत शररतपूर्ण है एवं परिषद् कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की नीयत से किसी व्यक्ति ने शिकायत की है। न शिकायतकर्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं न शिकायतकर्ता तलाश करने पर मिला जिससे शिकायतकर्ता से जानकारी प्राप्त की जा सकती।

अतः ऐसी बेबुनियाद शिकायत जिसे शिकायतकर्ता प्रमाणित नहीं कर सके व्यर्थ ही माना जाना चाहिये। वैसे फायर आफिसर सेठी का ताल्लुक आग बुझाने से ही है।

(क) जिन बिलों के सम्बन्ध में शिकायत की गई है उनके सम्बन्ध में फायर आफिसर ने विवरण दिया है वह निम्न प्रकार है :—

1. बिल नं. 297 दिनांक 26-8-83 गाड़ी नं. आर. जे. जैड. 2814

स्टाक आब्जवर नये खरीद कर लगाये गये और पुराने स्टोर में जमा करवा दिये गये हैं। इन दोनों का खरीद पर कुल 352/- रुपये खर्च हुआ है। अतः शिकायत गलत है कि सामान प्राप्त ही नहीं हुआ है। वाहन में आज भी ये शाक आब्जवर लगे हुए हैं।

(2) बिल नम्बर 450 दि. 2-9-83 गाड़ी नम्बर 2814

उपरोक्त वाहन के लिये नये डैल्को कैप व डैलको पाईंट सेट खरीदे गये और गाड़ी में लगवाये गये। कुल खर्चा 73.15 रुपये हुआ।

(3) बिल नम्बर 484 दि. 8-9-83
यह नम्बर गलत मालूम होता है। सही बिल नम्बर इस प्रकार है 3767 दिनांक 9-9-83, गाड़ी नम्बर 2619 रूपये 942.15

इस बिल द्वारा वाहन नं. 2619 का का गियर खराब होने के कारण से सामान खरीद किया गया। सामान प्राप्त हुआ गाड़ी में लगाया गया है। पुराना सामान स्टोर में जमा है।

(4) बिल नम्बर 3813 दिनांक 20-10-83 रुपये 338/- गाड़ी नम्बर आर जे. जेड. 2619

यह सामान गाड़ी नं. 2619 के सेल्फ को ठीक कराने हेतु खरीद किया गया सामान गाड़ी में लगाया गया। पुराना सामान स्टोर में जमा है।

अतः कुल खरीद 1705.30 पैसे की की गई। इतनी छोटी व मामूली खरीद में किसी प्रकार का घोटाला होने की संभावना नहीं है।

तमाम सामान के लिये मैकेनिक व ड्राइवर की रिपोर्ट मौजूद है और सामान प्राप्ति की रसीद ड्राइवरों द्वारा स्टाक रजिस्टर में दी हुई है।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह शिकायत भी निराधार है और संबंधित अधिकारी को बदनाम करने की साजिश है।

20. इनके अलावा हम आपको एक नई घटना से अवगत कराते हैं जो पूरी सत्य है। जब आप बम्बई गये थे दिनांक 25-12-83 को सेठी द्वारा गाड़ी नम्बर आर. जे. जेड. 3398 एक दैनिक वेतन भोगी ड्राइवर जो कि क्रिश्चयन है, सेठी के निवास के पास ही रहता है, जिसका नाम मोरिस माईकल बताया गया है उसको फैमिली क्रिसमस डे मनाने लिये दे दी जो कि रोजनामचा के अनुसार 12 बजे ले जाई गई और वापस 3.40 पी.एम. तक चलाई गई है जबकि एम.एन. 17633 से 17652 तक 19 किलोमीटर स्टेट बैंक के पास खड़ी पाई गई है जिसमें कि उसकी औरत तथा बच्चे तथा खुद सेठी था शराब पीये हुए रंगरेलिया मनाई गई। गाड़ी खराब करके खड़ी छोड़ दी गई। जिसे बाद में रिपोर्ट के अनुसार 3.40 पी.एम. पर फायरे की गाड़ी से टोचनकर के फायर का ड्राइवर लाया है और उसी ड्राइवर ने ट्राम्बे वर्कशाप गाड़ी को पहुंचाया है जो कि आज तक खराब खड़ी हुई है। जिस पर लगभग 3000 खर्च होने की संभावना है। उक्त अधिकारी का खाना पीना तथा दूसरी दिनचर्या की बातें इसी ड्राइवर के घर पर होती हैं क्योंकि इसके यहां पर हर सामान आसानी से मिल जाता है तथा स्वयं सभी भोग विलास की सभी चीजें मिल जाती हैं। मुर्गे और अण्डे पोलिट्री फार्म से पहुंचाते हैं और ऐसे ड्राइवर को तुरन्त हटाया जावे। जीप को चलाये जाने की

की जांच की जावे। जिसको शहर वालों एवं पत्रकारों ने भी देखा है। इसकी रकम वसूल की जावे। लाइसेन्स, निरापत्ति प्रमाण पत्रों को उक्त अधिकारी से हटाया जावे क्योंकि प्रमाण पत्र की फीस 500 रुपये से 1000/– रुपये तक लेता है। आशा है कि ऊपर लिखी सही बातें आप रुचिकर लगेंगी और तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा की जावेगी।

(जांच) यह शिकायत जांच करने पर साबित नहीं हुई। अतः निराधार है। यह शिकायत श्री रामनारायणशर्मा ए.एफ. श्रो. व एफ. ओ. श्री सेठी के बीच मनमुटाव के कारण कराई गई है जिसमें एक पेशेवर दलाल जो नगर परिषद् की नौकरी से निकाला हुआ है उसके यह उद्‌गार हैं।

21. बताया गया है कि ट्राम्बे स्टेशन पर कार्य कर रहे एक चौकीदार को ड्राईवर बना दिया है तथा 2000/– रुपये ले लिये हैं। चौकीदार का नाम हरी पुत्र बद्री बताया गया है जो कि गाड़ी चलाता है।

(जांच) फायर आफिसर ने बताया कि यह शिकायत निराधार है। ड्राइवर के पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

22. इसी प्रकार नगर परिषद् में कार्यरत श्री प्रभूदास सिन्धी ड्राइवर जो कि कमिश्नर की गाड़ी चलाता है उसके लड़के मोहन दास फायरमैन जो नगर परिषद् के अग्नि शमन विभाग में कार्यरत था हटाकर चुंगी में लगा दिया गया है।

(जांच) नगर परिषद् के कर्मचारियों से कहीं भी काम लिया जा सकता है इसके लिये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के द्वारा परिषद् सक्षम है।

23. इसी प्रकार खेरथल से स्थानान्तरण होकर आये श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी को नाका गार्ड की जगह न लगाकर जैसा कि जिस पद का आदेश है उसे अग्नि शमन विभाग में चपरासी की जगह लगाया गया है।

(जांच) नगर परिषद् के कर्मचारियों से कहीं भी काम लिया जा सकता है। इसके लिये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के द्वारा परिषद् सक्षम है।

24. पूर्व में वर्कशाप का चार्ज श्री मेहरू साहब ने श्री रामनारायण शर्मा नाम के सहायक अग्नि शमन अधिकारी को दिया था जिसे सही तरीके से काफी समय तक चलाया गया है परन्तु सौदेबाजी के कारण हटा दिया गया है। श्री सेठी को चार्ज दिलाया गया है। जिसके कारण सेठी अपने अभद्र व्यवहार के कारण वर्कशाप में पिट चुका है और कर्मचारियों से माफी मांगी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप को सभी प्रमाण मिलेंगे। कार्यवाही सही करने का कष्ट दें। जिससे नगर परिषद् का कल्याण हो सके और आप जैसा प्रशासक सही कार्य करने में सक्षम होने समर्थ हो सकेंगे और ये भूखे भेड़िये आपको नहीं टिकने देंगे। आशा है आप अग्नि शमन विभाग खाई लैंड का अवलोकन अवश्य करेंगे।

(जांच) यह शिकायत ए. एफ. ओ. श्री रामनारायण शर्मा व एफ.ओ. के मनमुटाव के कारण का आपसी तबादले की वजह से की गई है और शिकायत करना इनका धन्धा है। श्री शर्मा ए. एफ. ओ. के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

आयुक्त,
नगर परिषद्, अजमेर।

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 141 का विवरण)

दिनांक 10-6-1981 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा आउट राइट सेल के आधार पर दिये गये भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	क्रेता या एक्सचेंज में लेने वाले का नाम	भूखण्ड की स्कीम का नाम व संख्या	सम्बन्धित भूखण्ड का क्षेत्रफल	भाव एवं मूल्य आरक्षित दर से 6 रु. प्रति वर्ग गज से
1	2	3	4	5
1.	(क) श्रीमती विद्यादेवी पत्नी प्रकाशमल (ख) श्री गजेन्द्रमल पुत्र सोहनमल जी	काकस कुटीर मसूरिया सैक्टर ई सैक्शन 4 प्लाट नं. 31	66 × 66 वर्ग गज	रु० 399.96
2.	श्री प्रवीण पुत्र श्री महावीर राज	प्लाट नं. 32	"	"
3.	श्री महीपाल पुत्र श्री महावीर राज	प्लाट नं. 33	"	"
4.	श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह	प्लाट नं. 34	"	"
	(ख) कैलाश पुत्र रंगराज	—	—	—
5.	श्री दिलीपकुमार पुत्र मोहनलालजी श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	प्लाट नं. 35	"	"

1	2	3	4	5
6.	श्री दिलीपकुमार पुत्र मोहनलालजी श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	प्लाट नं. 36	66 × 66 व. ग.	रु० 399.66
7.	श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह	प्लाट नं. 37	”	”
8.	श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह	प्लाट नं. 38	”	”
9.	श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह	प्लाट नं. 39	”	”
10.	श्री कैलाशराज पुत्र रंगराज	प्लाट नं. 40	”	”
11.	श्री कैलाशराज पुत्र रंगराज	प्लाट नं. 41	”	”
12.	श्री कुमुद पुत्र कैलाशराज	प्लाट नं. 42	”	”
13.	श्री महावीरराज पुत्र रंगराज	प्लाट नं. 43	”	”
14.	श्री राकेश पुत्र प्रकाशमल (ख) प्रकाशमल पुत्र नथमल	प्लाट नं. 44	”	”
15.	श्री राकेश पुत्र प्रकाशमल श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	प्लाट नं. 45	”	”
16.	श्री किशोरसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह	व्यावसायिक प्लाट नं. 46	”	”
17.	श्री किशोर पुत्र नरपतसिंह	” प्लाट नं. 47	”	”
18.	श्री महावीरराज पुत्र रंगराज जी	रहवासीय प्लाट नं. 67	1066.67 व. ग. दर रु. 6 कु.	र. 6400.02
19.	श्री कैलाशराज पुत्र रंगराजजी	” प्लाट नं. 68	1066.67 ” ”	6400.02

20.	श्री भंवरकुंवर पुत्री नरपतसिंह श्रीमती केसुकुंवर पत्नी सरदारसिंह श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह		प्लाट नं. 69	1066.67	"	"	6400.02
21.	श्री भंवरकंवर पुत्र नरपतसिंह श्रीमती केसुकंवर पत्नी सरदारसिंह श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह		प्लाट नं. 70	1200.00	"	"	7200.00
22.	श्रीमती मदनकंवर पत्नी नथमल श्रीमती किरन पत्नी सोहन मल श्रीमती विद्यादेवी पत्नी प्रकाशमल श्री राकेश पुत्र प्रकाशमल	"	प्लाट नं. 71	1200.00	"	"	7200.00
23.	श्री पारसमल पुत्र नथमल	"	प्लाट नं. 72 ए	312.50	"	"	1875.00
24.	श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	"	प्लाट नं. 72 बी	437.50	"	"	2625.00
25.	श्री नरपतसिंह पुत्र सरदारसिंह श्रीमती केसुकंवर पत्नी सरदारसिंह श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह श्रीमती भंवरकंवर पुत्र नरपतसिंह	"	प्लाट नं. 73	1250.00	"	"	9000.00
26.	श्रीमती केसुकंवर पत्नी सरदारसिंह	रेजीडेशियल	प्लाट नं. 74	444.44	"	"	2666.64
27.	श्रीमती केसुकंवर पत्नी सरदारसिंह	"	प्लाट नं. 75	400.00	"	"	2400.00
28.	श्रीमती लाडकंवर पत्नी रंगराज	"	प्लाट नं. 76	400.00	"	"	2400.00
29.	श्रीमती लाडकंवर पत्नी रंगराज	"	प्लाट नं. 77	400.00	"	"	2400.00
30.	श्री प्रवीण पुत्र महावीरराज	"	प्लाट नं. 78	400.00	"	"	2400.00

391

1	2	3	4	5
				कुल रकम
31.	श्री कुमुद पुत्र कैलाशराज	रजीडेंशियल प्लाट नं. 83	444.44 व. ग. दर रु. 6.00	2666.64
32.	श्री गेरीचंद पुत्र बछराज	,, प्लाट नं. 123	600.00 ,, ,,	3600.00
33.	श्री गेरीचंद पुत्र बछराजजी (ख) पुखराज पुत्र मिश्रीमलजी	,, प्लाट नं. 124	700.00 ,, ,,	4200.00
34.	श्री महावीरराज पुत्र रंगराज	,, प्लाट नं. 136	311.11 ,, ,,	1866.66
35.	श्री देवीसिंह पुत्र वीरसिंह	,, प्लाट नं. 137	311.11 ,, ,,	1866.66
36.	कु० प्रभा पुत्री प्रकाशमल	,, प्लाट नं. 138	311.11 ,, ,,	1866.66
37.	कुंवर भंवरकंवर पुत्री नरपतसिंह	,, प्लाट नं. 139	388.88 ,, ,,	2333.28
38.	श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह (ख) श्री प्रवीण पुत्र महावीरराज (ग) श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	,, प्लाट नं. 142	400.00 ,, ,,	2400.00
39.	श्रीमती इन्द्रा पत्नी महेन्द्रमल श्रीमती निर्मला पत्नी नरेन्द्रमल श्री प्रकाशमल पुत्र नथमल	,, प्लाट नं. 152	444.44 ,, ,,	2666.66
40.	श्री महीपाल पुत्र महावीरराज	,, प्लाट नं. 154	266.66 ,, ,,	1600.02
41.	श्रीमती विमलकंवर पत्नी मांगीलाल श्रीमती शशी पत्नी महेंद्र महनोत	रहवासीय प्लाट नं. 155	266.66 ,, ,,	1600.02
42.	कु० प्रभा पुत्री प्रकाशमल श्री महेन्द्रमल पुत्र सोहनमल जी	,, प्लाट नं. 157	266.66 ,, ,,	1600.02

43.	श्री पारसमल पुत्र नथमल श्री गजेन्द्रमल पुत्र सोहनमल	,,	प्लाट नं. 158	266.66 ,,	,,	1600.02
44.	श्री अशोककुमार पुत्र सज्जनराज	,,	प्लाट नं. 159	300.00 ,,	,,	1800.00
45.	श्री ताराचंद पुत्र मोहनलाल	,,	प्लाट नं. 164	400.00 ,,	,,	2400.00
46.	श्रीमती केसुकंवर पत्नी सरदारसिंह श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह	,,	प्लाट नं. 165	233.33 ,,	,,	1399.98
47.	कु० भंवरकंवर पुत्री नरपतसिंह श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह	,,	प्लाट नं. 166	200.00 ,,	,,	1200.00
48.	श्री गजेन्द्रमल पुत्र सोहनमल श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह	,,	प्लाट नं. 168	400.00 ,,	,,	2400.00
49.	श्री पदमसिंह पुत्र गुमानसिंह श्री नरेन्द्रमल पुत्र सोहनलाल	,,	प्लाट नं. 169	300.00 ,,	,	1800.00
50.	श्रीमती विमलकंवर पत्नी मांगीलाल श्री पाल तातेड़ पुत्र इन्द्रमल	,,	प्लाट नं. 170	200.00 ,,	,,	1200.00
51.	श्रीमती विमलकंवर पत्नी मांगीलाल जी श्रीमती तातेड़ पुत्र इन्द्रमल ।	,,	प्लाट नं. 171	233.33 ,,	,,	1399.98

दिनांक 10–6–81 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा
आउट राइट सेल के आधार पर दिये गये भूखण्डों की सूची

क्र. सं.	क्रेता या एक्सचेंज में लेने वाले का नाम	भूखण्ड की स्कीम का नाम सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	प्रति दर एवं रकम आरक्षित दर प्रति वर्ग गज से	
1.	श्री बरकत पुत्र जमाल खां	एल०आई०जी० एक्सटेंनशन सैक्टर डी 1 प्लाट नं. 22 ए	160.00 वर्ग गज	20/– दर	3200.00
2.	श्री भोमसिंह पुत्र गोरधनसिंह	,, प्लाट नं. 23	160.00 ,,	20/– दर	3200.00
3.	श्री अब्दुल जब्बार पुत्र मो. हुसैन	,, प्लाट नं. 23 ए	160.00 ,,	20/– दर	3200.00
4.	श्री बऊसिंह पुत्र मोहनसिंह गहलोत	,, प्लाट नं. 25	166.67 ,,	20/– दर	3333.40
5.	श्री किशनाराम शर्मा पुत्र	,, प्लाट नं. 25 ए	166.67 ,,	20/– दर	3333.40
6.	श्री गोविन्दराम पुत्र लादूराम जी सुथार	,, प्लाट नं 26	200.00 ,,	20/– दर	4000.00

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची

आय (हजार रुपयों में)

वर्ष	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1980–81	—	—	—	—	—	—	—	3	17	41	51	33
1981–82	11	18	15	5	2	2	2	2	11	28	28	19
1982–83	21	22	32	17	4	3	4	3	7	16	9	15
1983–84	8	31	32	15	7	5	4	4	14	35	24	अभी प्राप्त होनी है।

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची

आय (हजार रुपयों में)

वर्ष	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1980–81	—	—	—	—	—	—	—	3	17	41	51	33
1981–82	11	18	15	5	2	2	2	2	11	28	28	19
1982–83	21	22	32	17	4	3	4	3	7	16	9	15
1983–84	8	31	32	15	7	5	4	4	14	35	24	अभी प्राप्त होनी है।